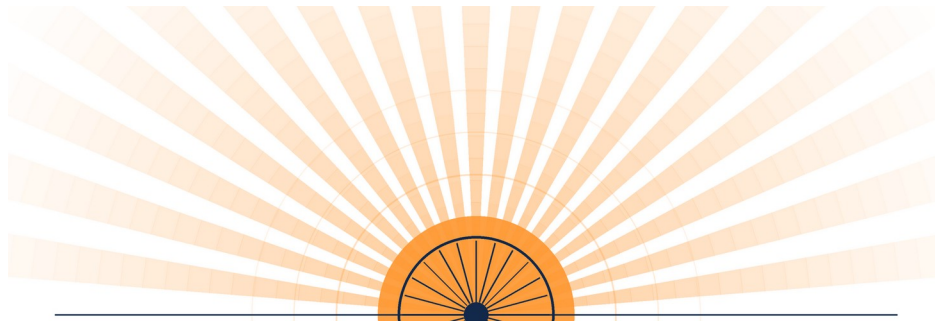




UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartrihari's Shataktraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family

Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

“यह केवल कुछ महत्त्व की नहीं, बल्कि बुनियादी महत्त्व की बात है कि न्याय सिर्फ किया ही न जाए, बल्कि साफ़-साफ़ और बिना किसी संदेह के होता हुआ दिखाई भी दे”

— लॉर्ड हेवर्ट, इंग्लैंड के लॉर्ड चीफ़ जस्टिस, आर बनाम ससेक्स जस्टिसज़, एक्स पार्ट मैकार्थी मामले में फ़ैसला (किंग्स बेंच, 9 नवंबर 1923)

द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 24 सितंबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पृच्छती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हजार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)

UPSC Darpan · 24 सितंबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

- 1. सेवा परमो धर्म: — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
- 2. The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
- 3. Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
- 4. Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
- 5. Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
- 6. Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
- 7. Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्म: — and we shall become.

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

“अंतिम अपील के न्यायालय में दी गई असहमति विधि की चिंतनशील आत्मा से, भविष्य के किसी दिन की मेधा से की गई एक अपील है — उस दिन से, जब कोई बाद का निर्णय शायद उस भूल को सुधार दे, जिसमें असहमत न्यायाधीश के विश्वास के अनुसार न्यायालय को बहका दिया गया था।”

— चार्ल्स इवांस ह्यूज़ (बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश) • *The Supreme Court of the United States* (कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1928), पृ. 68

उपयोग करें (Use in): संस्थाओं के भीतर असहमति (आज का निर्वाचन आयोग विवाद और न्यायमूर्ति दत्ता का पृथक मत)। साहस, सत्य या संस्थाओं पर निबंधों में, और बहु-सदस्यीय संवैधानिक निकायों पर GS2 के उत्तरों में इसका उपयोग करें: दर्ज की गई असहमति निष्ठाहीनता नहीं, बल्कि भविष्य के किसी दिन से की गई अपील है, जैसे खडक सिंह (1962) में न्यायमूर्ति सुब्बा राव की असहमति पुट्टस्वामी (2017) में सही सिद्ध हुई। इसे अनुच्छेद 145(5) के साथ जोड़ें, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के असहमति के अधिकार की रक्षा करता है, और 2023 के निर्वाचन आयुक्त अधिनियम की धारा 18 के साथ, जो यथासंभव सर्वसम्मति और सदस्यों में मतभेद होने पर बहुमत का प्रावधान करती है।

“धीमी हिंसा से मेरा आशय ऐसी हिंसा से है जो धीरे-धीरे और आंखों से ओझल घटित होती है; विलंबित विनाश की ऐसी हिंसा, जो समय और स्थान में बिखरी रहती है; घिसा-घिसाकर मारने वाली ऐसी हिंसा, जिसे प्रायः हिंसा माना ही नहीं जाता।”

— रॉब निक्सन • *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor* (हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011), पृ. 2

उपयोग करें (Use in): चुपचाप जान लेने वाली लू (आज क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब का यह अनुमान कि सितंबर 2026 से फ़रवरी 2027 के बीच भारत में गर्मी से लगभग 15,800 अतिरिक्त मौतें होंगी, 1,600 कम या अधिक)। जलवायु न्याय या आपदाओं पर निबंधों में, और लू (heat wave) पर GS1/GS3 के उत्तरों में इसका उपयोग करें: गर्मी से होने वाली मौतें बिखरी हुई होती हैं, कम गिनी जाती हैं और खुले में काम करने वाले श्रमिकों, बुजुर्गों और गरीबों में केंद्रित होती हैं, इसलिए उन पर उस चक्रवात से भी कम प्रतिक्रिया होती है जो इनसे कम लोगों की जान लेता है। शहरों की ऊष्मा कार्य योजनाओं (heat action plans), मृत्यु के कारणों की लेखा-परीक्षा (audit) और राहत कोष के लिए भीषण गर्मी को आपदा मानने के पक्ष में तर्क दें।

“श्रम कोई वस्तु नहीं है; अभिव्यक्ति और संगम की स्वतंत्रता सतत प्रगति के लिए अनिवार्य हैं।”

— अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (International Labour Conference) • *फ़िलाडेल्फ़िया घोषणा* (अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों से संबंधित घोषणा), भाग I (a) और (b), 10 मई 1944 को अंगीकृत

उपयोग करें (Use in): श्रम, हड़ताल और आवश्यक सेवाएं (आज दिल्ली के संविदा बस चालकों की हड़ताल, जो बिना सवेतन अवकाश या सामाजिक सुरक्षा के प्रतिदिन ₹862 कमाते हैं; दिल्ली उच्च न्यायालय का यह प्रश्न कि ESMA (आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम) क्यों लागू नहीं किया गया; और तीन दिन की बैंक हड़ताल)। श्रम संहिताओं और संविदा कार्य पर GS2/GS3 के उत्तरों में, और श्रम की गरिमा पर निबंधों में इसका उपयोग करें: सर्वोच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन (All India Bank Employees' Association, 1961) में कहा कि अनुच्छेद 19(1)(c) हड़ताल के अधिकार की गारंटी नहीं देता, पर जो राज्य आवश्यक सेवाओं को चालू रखवा सकता है, उसे यह भी पूछना चाहिए कि उन्हें चलाने वालों को हड़ताल क्यों करनी पड़ी। इसे अनुच्छेद 39(e) और 43 के साथ जोड़ें।

अनुक्रमिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

- 1.1 निर्वाचन आयोग ने हर निर्णय को 'सर्वसम्मत' बताया; वार्षिक मतदाता सूची पुनरीक्षण ठप होने के बीच पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने धारा 18 का हवाला दिया
- 1.2 निर्वाचन आयोग नियुक्ति कानून को संविधान पीठ भेजने पर सर्वोच्च न्यायालय बँटा; न्यायमूर्ति दत्ता ने 'धारणा की कसौटी' लागू की, कॉलेजियम का बचाव किया
- 1.3 सड़क दुर्घटना मुआवज़ा: पूरी व्यवस्था एक नज़र में, जब सर्वोच्च न्यायालय ने गृहिणी की देखभाल का मूल्य ₹30,000 प्रतिमाह आँका
- 1.4 छात्रा की NSA हिरासत मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नोएडा की ज़िलाधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियों और वेतन से ₹5 लाख के दंड पर रोक लगाई
- 1.5 तटीय कर्नाटक में तुलु बनी दूसरी अतिरिक्त प्रशासनिक भाषा; कक्षा 6 को राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र पर ज़ोर डाला

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

- 2.1 भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते पर 16 दिसंबर को ब्रसेल्स में हस्ताक्षर होंगे, सदस्य देशों के अनुसमर्थन की ज़रूरत नहीं
- 2.2 इनपुट QCO का संबंध छोटी फ़र्मों की लाभप्रदता में 47.6% गिरावट से, 600 से अधिक उत्पाद पुनर्मूल्यांकन की प्रतीक्षा में
- 2.3 IRDAI ने उत्पाद-और चैनल-वार कमीशन सीमाओं तथा व्यय सीमाओं को क्रमशः घटाने वाले 'ग्लाइड पाथ' का प्रस्ताव रखा
- 2.4 प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने गिनाए चार जोखिम — हथियार बनती आपूर्ति शृंखलाएँ, आयात-निर्भरता, चंचल पूँजी और AI
- 2.5 दिल्ली के बस चालकों पर ESMA क्यों नहीं लगाया गया, उच्च न्यायालय ने पूछा; बैंक यूनियनों ने तीन दिन की हड़ताल का आह्वान किया

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

- 3.1 केंद्र ने कच्चे पाम और सोयाबीन तेल पर शुल्क आधा कर 5% किया, कच्चे सूरजमुखी तेल पर शुल्क समाप्त
- 3.2 महाराष्ट्र को सूखा आकलन के लिए 5 अक्टूबर तक रुकना होगा, फंडिंगवीस ने '1972 से भी बदतर' की चेतावनी दी

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

- 4.1 ओमान के पास मिसाइल हमले में विदेशी झंडे वाले जहाज पर भारतीय नाविक की मौत; होर्मुज़ का युद्ध भारत के चालक दलों तक पहुंचा
- 4.2 ट्रंप ने वाशिंगटन में शी की मेज़बानी की: अमेरिका-चीन संघर्ष-विराम और AI संवाद से भारत के 'नियम मानने वाला' बनकर रह जाने का खतरा
- 4.3 जयशंकर ने रुबियो के सामने SRIA का मुद्दा उठाया, सुरक्षा परिषद सुधार पर ज़ोर दिया; कश्मीर पर भारत ने OIC को खारिज किया
- 4.4 BRICS 'विश्वसनीय बहुपक्षवाद' के रूप में: दिल्ली शिखर सम्मेलन के बाद भारत BRICS के दो नए कार्य समूहों का नेतृत्व करेगा

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

- 5.1 सुपर अल नीनो से भारत में गर्मी जनित 15,800 अतिरिक्त मौतों का अनुमान, उधर कोयले का भंडार भी घटा
- 5.2 स्थानीय विरोध के बीच सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना का सर्वेक्षण आगे बढ़ाने के लिए अरुणाचल मंत्रिमंडल ने अधिकार-प्राप्त समिति गठित की

6. स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान (Health & Life Sciences)

- 6.1 FSSAI ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा: चीनी, नमक और वसा पर लाल षट्भुज वाली चेतावनी एक ही चरण में लागू होगी
- 6.2 नकली दवाओं से निपटने के लिए NHRC ने राष्ट्रीय औषधि पंजीकरण प्रमाणपत्र और QR आधारित ट्रैक-एंड-ट्रेस की सिफ़ारिश की
- 6.3 जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने यौन हमले की शिकार 11 वर्षीय बच्ची को 24 सप्ताह की सीमा के बाद भी गर्भ समापन की अनुमति दी

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

- 7.1 OpenAI का मिलेनियम पुरस्कार समस्या के प्रमाण का दावा, जबकि भारत के संस्थान अग्रणी मॉडलों तक मुफ़्त पहुँच से बाहर

8. समाज (Society)

- 8.1 आस्था कुंज सामूहिक बलात्कार के बाद उपराज्यपाल ने पाकों के सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया; 'DURGA' योजना में ई-ऑटो महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित
- 8.2 विधि सेंटर ने दिल्ली के PG और कोचिंग केंद्रों के लिए 'मिश्रित-उपयोग शैक्षिक भवन' की अलग श्रेणी की माँग की

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

- 9.1 जर्मनी 8 अरब डॉलर के छह-पनडुब्बी सौदे पर हस्ताक्षर को तैयार; रक्षा मंत्रालय ने 160 SAT-SAAW ग्लाइड बम खरीदे

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

- 9.1 केस 1 — फ़ाइल पर दर्ज अंतरात्मा
- 9.2 केस 2 — निरोध आदेश के नीचे एक हस्ताक्षर
- 9.3 केस 3 — ₹862 की दिहाड़ी और बसों की राह देखता शहर

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

- 10 26 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

11. आज के निबंध (Essays of the Day)

- 11.1 अंपायर पर भरोसा इसलिए नहीं किया जाता कि वह सदा सही होता है, बल्कि इसलिए कि वह किसी पक्ष का नहीं होता।
- 11.2 ज्ञान सबका है; ज्ञान पाने के साधन कुछ ही लोगों के।

इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — हर कहानी एक अध्ययन कार्ड (study card) है: क्या हुआ (समाचार / The News), यह पाठ्यक्रम के किस विषय पर बैठता है (स्थैतिक संबंध / Static Linkage), परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं (ट्रेंड / Trend), वे तथ्य जो प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं (प्रारंभिक मुख्य तथ्य / Prelims Nuggets), एक बिंदुवार विश्लेषण (Analysis), परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न एक आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) के साथ, और वे प्रश्न जिनका सामना एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को वास्तव में करना पड़ेगा। हर लंबे क्षेत्र को क्रमांकित बिंदुओं में विभाजित किया गया है, जिनका अपना शीर्षक है, ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके। जहां कोई कहानी प्रभावों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ती है, वहां पूरी श्रृंखला एक पंक्ति में दी जाती है इससे पहले कि बिंदु हर कड़ी को समझाएं।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

इस खंड की हर खबर एक ही प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमती है: किसी संस्था के नाम पर वैध रूप से कार्य करने का अधिकार किसके पास है? तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग पर आरोप है कि उसे एक ही सदस्य चला रहा है; उसके सदस्यों का चयन करने वाला कानून अब संविधान पीठ की प्रतीक्षा में है; एक निरोध के मामले में जिला मजिस्ट्रेट का व्यक्तिगत दायित्व तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जब तक स्वयं उस निरोध पर बहस चल रही है; और एक दुर्घटना दावा अधिकरण से कहा गया है कि वह गृहिणी के देखभाल-श्रम का एक न्यूनतम मूल्य तय करे। हर बार सबक एक ही है: प्राधिकार का स्रोत किसी कानून या संविधान तक खोजा जा सकता चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो सबसे पहले कीमत नागरिक चुकाता है — अपने वोट से, अपने स्वास्थ्य कार्ड से, महीनों की जेल से, या उस भाषा से जिसे वह अपने ही जिला कार्यालय में इस्तेमाल नहीं कर पाती।

1.1 निर्वाचन आयोग ने हर निर्णय को 'सर्वसम्मत' बताया; वार्षिक मतदाता सूची पुनरीक्षण ठप होने के बीच पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने धारा 18 का हवाला दिया

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 23 सितंबर। इस पत्रिका ने 23 सितंबर को द इंडियन एक्सप्रेस की उस खोजी रिपोर्ट पर कार्ड दिया था जिसके अनुसार निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कम-से-कम 14 बार लिखित रूप में उन निर्णयों पर आपत्ति दर्ज की, जो उनकी जानकारी के बिना आयोग के नाम पर लिए गए थे। आज नया यह है: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India — ECI) का जवाब, वह कानून जिस पर उसे खरा उतरना है, और इस विवाद की पहली मापी जा सकने वाली कीमते। द हिंदू के अनुसार ECI ने पहले सूत्रों के हवाले से जारी एक स्पष्टीकरण में कहा कि “SIR सहित” सभी निर्णय — SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision), मतदाताओं की नए सिरे से गणना — “सर्वसम्मत थे और दोनों निर्वाचन आयुक्तों तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्वीकृति से लिए गए थे”। इसके बाद उप निदेशक पी. पवन के हस्ताक्षर से जारी एक प्रेस नोट ने भिन्न मतों को “विचार-विमर्श का सामान्य हिस्सा” बताया और कहा कि 2023 के अधिनियम के अंतर्गत सभी आदेशों को “पूर्ण विधिक मान्यता” प्राप्त है। द इंडियन एक्सप्रेस ध्यान दिलाता है कि इस नोट ने यह नहीं बताया कि फॉर्म 6 (नए मतदाताओं के आवेदन का प्रपत्र) में बदलाव को किसने मंजूरी दी, पश्चिम बंगाल में बहाल किए गए मतदाताओं के विरुद्ध ECI के नाम पर अपीलें दायर करने की अनुमति किसने दी, ECINet (आयोग का डिजिटल मतदाता सूची मंच) के ऑडिट का प्रस्ताव अनुत्तरित क्यों रहा, और मई से अगस्त के बीच पूर्ण आयोग की बैठक क्यों नहीं हुई। इस विषय को नियंत्रित करने वाला कानून मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 [Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023] की धारा 18 है: आयोग का कामकाज यथासंभव सर्वसम्मति से होगा, और जहाँ सदस्यों में मतभेद हो, वहाँ बहुमत का निर्णय मान्य होगा। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) एस.वाई. कुरैशी का तर्क है कि तीन में से दो सदस्य बहुमत होते हैं, इसलिए उनके बिना लिए गए निर्णय “प्रथम दृष्टया अधिकारातीत (ultra vires)” हैं — यानी विधिक शक्ति की सीमा से बाहर; वे पश्चिम बंगाल की 38.31 लाख अपीलों का उल्लेख करते हैं, जिनमें से 16.10 लाख कथित रूप से ECI ने नाम हटवाने के लिए दायर की थीं। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 18 वर्ष के होने वाले युवाओं का नाम जोड़ने के लिए 1958 से चला आ रहा वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision) 2024 के चक्र के बाद फिर शुरू नहीं हुआ है, और स्थानांतरित किए गए लगभग 50 अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्टें अटकी पड़ी हैं, क्योंकि तीनों सदस्य एक साथ हस्ताक्षर नहीं कर सके। गोवा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (Electoral Registration Officers — ERO) द्वारा स्वीकृत 97 मतदाता सूची से बाहर ही रहे, क्योंकि ECINet में “रोलबैक” की सुविधा नहीं थी, जबकि उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार ने लिखित रूप में कहा था कि “IT प्रणाली आवश्यक कार्रवाई को रोक नहीं सकती”; ये मतदाता गोवा मेडिकलेम योजना तक अपनी पहुँच भी खो बैठे हैं। विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने, सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जाँच और SIR पर रोक की माँग कर रहा है; भाजपा इसे “दुष्प्रचार अभियान” बताती है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-2 — संवैधानिक निकाय और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अनूप बरनवाल (Anoop Baranwal, 2023) निर्णय स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक अपेक्षा बना देता है → 2023 का अधिनियम तीन में से दो चयनकर्ता सरकार को देता है, पर धारा 18 में सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया बनाए रखता है → दो निर्वाचन आयुक्तों की लिखित आपत्तियों के बावजूद SIR एक केंद्रीकृत ECINet और संशोधित फॉर्म 6 के सहारे चलता है → आपत्तियाँ सामने आती हैं, आयोग हर निर्णय को 'सर्वसम्मत' बताता है और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभिलेख सार्वजनिक करने की माँग करते हैं → वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण जैसे नियमित कार्य ठप पड़ जाते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. अनुच्छेद 324 चुनावों का दायित्व एक आयोग को सौंपता है, और 1993 से यह आयोग बहु-सदस्यीय है — अनुच्छेद 324(1) संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावलि (electoral rolls) की तैयारी और निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है। अनुच्छेद 324(2) कहता है कि आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति नियत करे, और उनकी नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन होगी। अक्टूबर 1989 में नियुक्त दो निर्वाचन आयुक्तों के पद जनवरी 1990 में समाप्त कर दिए गए, जिससे वे पद से हट गए; अक्टूबर 1993 से तीन सदस्यीय स्वरूप निरंतर चल रहा है। अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है — यह पदावधि की सुरक्षा है, मतों का कोई पदानुक्रम नहीं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

2. **धारा 18 सर्वसम्मति को आदर्श और बहुमत को निर्णय का नियम बनाती है** — 2023 के अधिनियम ने निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन) अधिनियम, 1991 [Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991] का स्थान लिया है। इसकी धारा 18 आयोग को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने और सदस्यों के बीच कार्य का आवंटन करने की अनुमति केवल सर्वसम्मति निर्णय से देती है, शेष सभी कार्य यथासंभव सर्वसम्मति से करने की अपेक्षा रखती है, और यह प्रावधान करती है कि जहाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के मत भिन्न हों, वहाँ बहुमत का मत मान्य होगा। 1993 के संशोधन के बाद 1991 के कानून में भी यही नियम था। टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (T N Seshan v Union of India, 1995) में एक संविधान पीठ ने इस ढाँचे को वैध ठहराया और इस दावे को अस्वीकार कर दिया कि निर्णय लेने में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने सहयोगियों से ऊपर है। पीठ ने चेताया था — और आज कुरेशी यही पंक्ति उद्धृत करते हैं — कि 'व्यक्ति को आगे रखकर निर्वाचन आयोग को ओझल कर देना गलत होगा'। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्षता करता है, पर दो सदस्य मिलकर उसके मत को पलट सकते हैं।
3. **मतदाता सूची एक वैधानिक अधिकारी, ERO, का विधिक उत्पाद है, जो केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन काम करता है** — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 13B के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer) तैयार और पुनरीक्षित करता है। यह सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण का अधिकारी होता है, जिसे आयोग राज्य सरकार के परामर्श से पदाभिहित करता है। धारा 21 प्रत्येक आम चुनाव से पहले तथा आयोग के निर्देश पर अन्य समयों पर पुनरीक्षण का प्रावधान करती है, और अभिलिखित कारणों से किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण की अनुमति देती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) — जो नए निर्वाचकों के लिए फॉर्म 6, आपत्तियों के लिए फॉर्म 7 और सुधार के लिए फॉर्म 8 निर्धारित करते हैं — केंद्र सरकार धारा 28 के अंतर्गत आयोग से परामर्श करके बनाती है। यही कारण है कि श्री जोशी ने सलाह दी थी कि नियमों में संशोधन किए बिना फॉर्म 6 को बदला नहीं जा सकता। पुनरीक्षण गहन (घर-घर जाकर नए सिरे से गणना) भी हो सकता है और संक्षिप्त (दावों और आपत्तियों के माध्यम से मौजूदा सूची को अद्यतन करना) भी।
4. **मतदाता सूची सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रवेश-द्वार है, और संपन्न चुनाव को केवल याचिका द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है** — अनुच्छेद 325 प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली का प्रावधान करता है और केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी को इससे बाहर रखने का निषेध करता है। अनुच्छेद 326 18 वर्ष के प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है; 61वें संशोधन अधिनियम, 1988 ने यह आयु 21 से घटाकर 18 की थी। निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 [Election Laws (Amendment) Act, 2021] ने 1950 के अधिनियम की धारा 14 में संशोधन करके वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ बनाईं — 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। अनुच्छेद 329(b) कहता है कि संसद या किसी राज्य विधानमंडल के निर्वाचन को निर्वाचन याचिका के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से प्रश्नगत नहीं किया जा सकता; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत यह याचिका परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर दायर करनी होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 [Judges (Inquiry) Act, 1968] के अनुसार चलती है: लोकसभा के कम-से-कम 100 या राज्यसभा के कम-से-कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव, एक जाँच समिति, और दोनों सदनों में विशेष बहुमत।
1. **सामान्य अध्ययन-2 में यही विषय नाम लेकर दर्ज है** — पाठ्यक्रम 'विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व' तथा 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ' माँगता है। निर्वाचन आयोग पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न आदर्श आचार संहिता और चुनाव सुधारों से हटकर उसकी स्वतंत्रता और विश्वसनीयता की ओर बढ़े हैं। आज की खबर एक ऐसा आयाम जोड़ती है जिसका प्रयोग परीक्षक संभवतः करेंगे: किसी बहु-सदस्यीय निकाय की आंतरिक जवाबदेही, न कि केवल सरकार से उसकी स्वतंत्रता।
2. **प्रारंभिक परीक्षा बार-बार अनुच्छेद 324 और मतदाता सूची की कार्यप्रणाली पर लौटती है** — UPSC ने बार-बार पूछा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है और उन्हें कौन हटाता है, बहु-सदस्यीय ढाँचा संविधान से आता है या किसी कानून से, और सदस्यों को कैसी सुरक्षा प्राप्त है। दो वर्षों तक SIR की निरंतर चर्चा के बाद चार अर्हता तिथियाँ, ERO की वैधानिक भूमिका, और संक्षिप्त तथा गहन पुनरीक्षण का अंतर स्वाभाविक रूप से अगले प्रश्न हैं।

- अनुच्छेद 324(2) प्रावधान करता है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और

उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे।

- अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 की धारा 18 प्रावधान करती है कि आयोग का कार्य यथासंभव सर्वसम्मति से होगा, और जहाँ सदस्यों में मतभेद हो, वहाँ बहुमत के मत के अनुसार होगा।
- टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) में सर्वोच्च न्यायालय ने बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के बीच बहुमत से निर्णय लेने की व्यवस्था को वैध ठहराया।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13B के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जाती है।
- निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 मतदाता के रूप में नामांकन के लिए वर्ष में चार अर्हता तिथियों — 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर — का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 329(b) के अंतर्गत संसद या किसी राज्य विधानमंडल के निर्वाचन को केवल निर्वाचन याचिका द्वारा ही प्रश्नगत किया जा सकता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. **आयोग का खंडन उस प्रश्न का उत्तर देता है जो किसी ने पूछा ही नहीं** — आरोप यह नहीं है कि तीनों सदस्य असहमत हुए और फिर मतदान हुआ; आरोप यह है कि आयोग के नाम पर ऐसे निर्णय जारी किए गए जो उसके तीन में से दो सदस्यों के सामने रखे ही नहीं गए। यह कहना कि 'सभी निर्णय' 'सर्वसम्मति' थे, इस आरोप का उत्तर नहीं है, और यह उस अभिलेख से भी मेल नहीं खाता जिसका वर्णन समाचार-पत्र करते हैं: श्री संघ की 13 अगस्त की टिप्पणी, जिसमें फॉर्म 6 में बदलाव को 'अनधिकृत/अवैध' कहा गया, और 30 जुलाई को दोनों आयुक्तों द्वारा संयुक्त रूप से 28 जुलाई के कार्य-आवंटन आदेश को निरस्त करना। आयोग का यह कहना सही है कि किसी सामूहिक (collegial) निकाय में दर्ज मतभेद सामान्य बात है, और संभव है कि SIR के अंतिम आदेशों पर तीनों के हस्ताक्षर हों। पर यह प्रश्न दस्तावेजों का है, और कार्यवृत्त तथा फाइनल-टिप्पणियाँ इसे सुलझा सकती हैं। पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा ने द हिंदू से बातचीत में ठीक यही बात कही: एकमात्र खंडन वह अभिलेख है जो दिखाए कि निर्णय लेते समय दोनों आयुक्त उपस्थित थे।
2. **धारा 18 एक राजनीतिक विवाद को विधिक प्राधिकार के प्रश्न में बदल देती है, पर वह हो चुके चुनावों को पलट नहीं सकती** — यदि कोई कानून शक्ति को तीन सदस्यीय आयोग में निहित करता है और दो सदस्यों को दरकिनार कर दिया गया, तो वह कार्य अधिकारातीत (ultra vires) होने के आधार पर चुनौती योग्य है; कुरैशी के शब्दों में, 'कोई लेटरहेड वह प्राधिकार नहीं दे सकता जिसे कानून देने से इनकार करता है'। फॉर्म 6 के बदलाव में एक दूसरा दोष भी है: यह प्रपत्र केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से निर्धारित होता है, इसलिए सर्वसम्मति आयोग भी किसी निर्देश द्वारा इसे नहीं बदल सकता था। सबसे अधिक असुरक्षित वे कार्य हैं जिन पर ECI के नाम से मुकदमेबाज़ी हुई, जैसे पश्चिम बंगाल की 16.10 लाख अपीलें। किंतु नए चुनाव कराने की विपक्ष की माँग अनुच्छेद 329(b) से टकराती है: संपन्न चुनाव को केवल 45 दिनों के भीतर दायर निर्वाचन याचिका द्वारा ही प्रश्नगत किया जा सकता है, बाद में सामने आई किसी आंतरिक अनियमितता के आधार पर नहीं। व्यावहारिक उपचार भविष्यलक्षी (prospective) है — अनधिकृत निर्णयों को वापस लेना और नियमों को बहाल करना — न कि जनादेशों को पलटना।
3. **सामूहिक निकाय सबसे पहले सुर्खियों वाले कामों में नहीं, अपने रोज़मर्रा के कामकाज में विफल होता है** — द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट दिखाती है कि एक साथ काम न कर पाने वाले आयोग की कीमत क्या होती है। 1958 से परंपरा के रूप में चला आ रहा वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के चक्र के बाद फिर शुरू नहीं हुआ। नतीजा यह है कि संसद ने 2021 में जो चार अर्हता तिथियाँ बनाई थीं, वे ऐसे दरवाज़े खोलती हैं जिनके दूसरी ओर कोई बैठा ही नहीं है; और द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार चुनाव की ओर बढ़ रहे उत्तर प्रदेश और गोवा में 2027 के चुनावों से पहले यह पुनरीक्षण हो जाना चाहिए था। लगभग 50 अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट इसलिए रुकी है कि तीनों सदस्य एक साथ हस्ताक्षर नहीं कर सके। 2023 का अधिनियम सहयोग को पहले से मानकर चलता है: सर्वसम्मति या बहुमत का नियम यह मानता है कि सदस्य मिलेंगे और फ़ाइलें देखेंगे। प्रकाशित कार्य-संचालन नियम, पूर्ण आयोग की बैठकों की न्यूनतम आवृत्ति, और नियमित फ़ाइलों का बहुमत से समयबद्ध निपटारा यह सुनिश्चित करेंगे कि SIR पर असहमति बाकी सब कुछ ठप न कर दे।
4. **सॉफ़्टवेयर चुपचाप नियम-निर्माता बनता जा रहा है, और कानून अभी उसके साथ कदम नहीं**

मिला पाया है — कौन मतदाता है, यह तय करने का वैधानिक प्राधिकारी ERO है; फिर भी गोवा में एक ERO का वह निर्णय, जो सर्वोच्च न्यायालय के 29 जनवरी के आदेश के अनुसार सुनवाई के बाद लिया गया था, दर्ज नहीं हो सका, क्योंकि ECINet पर अनुमतियाँ दिल्ली से तय होती हैं। उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार ने लिखा कि ERO के पास धारा 21 और 21A के अंतर्गत शक्तियाँ हैं और IT प्रणाली आवश्यक कार्रवाई को रोक नहीं सकती, पर इसके बाद कुछ नहीं हुआ। मनोज कुमार झा का यह सूत्रीकरण कि कोई संवैधानिक अधिकार सॉफ्टवेयर की संरचना के अधीन नहीं हो सकता, सही विधिक सिद्धांत है। चूँकि डायलिसिस, प्रत्यारोपण और कीमोथेरेपी का खर्च उठाने वाली गोवा मेडिकलेम योजना केवल मतदाताओं के लिए खुली है, इसलिए 'रोलबैक' बटन का न होना स्वास्थ्य सेवा से वंचित करने में बदल जाता है। आयोग का प्रतिर्तर्क भी वास्तविक है — केंद्रीय नियंत्रण मतदाता सूचियों में स्थानीय हेरफेर को रोक सकता है — इसलिए उत्तर लेखापरीक्षा-योग्यता (auditability) में है, यानी उस स्वतंत्र ऑडिट में जिसका प्रस्ताव श्री जोशी ने मई में रखा था, न कि केंद्रीय और स्थानीय नियंत्रण के बीच किसी भोंडे चुनाव में।

5. संस्थागत विवाद की तह में सबूत के भार (burden of proof) से जुड़ा एक बुनियादी चुनाव छिपा है — सुरजीत एस. भल्ला SIR को दो त्रुटियों के बीच के चुनाव के रूप में देखते हैं: किसी वास्तविक मतदाता का नाम काट देना, या किसी 'भूतिया' नाम को सूची में बने रहने देना। उनका तर्क है कि अधिक महंगी त्रुटि मताधिकार से वंचित करना है, क्योंकि ग़लत तरीके से हटाया गया मतदाता निश्चित रूप से अपना वोट खो देता है, जबकि भूतिया नाम तभी नुकसान करता है जब कोई मतदान अभिकर्ताओं, अमिट स्याही और निविदत्त मतपत्र (tendered ballot) की बाधाएँ पार करके उसका प्रतिरूपण करे। 2002 के पुनरीक्षण ने मौजूदा प्रविष्टि को तब तक सही माना था जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो; SIR ने हर मतदाता से नया फ़ॉर्म माँगा और जिनके फ़ॉर्म नहीं लौटे, उन्हें हटा दिया। 12 राज्यों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की 'शून्य अपीलें' यह मापती हैं कि अपील करना कितना कठिन है, यह नहीं कि सूची कितनी सटीक है। प्रतिपक्ष, जिसे भल्ला भी स्वीकार करते हैं, यह है कि मृत और पलायन कर चुके लोगों से भरी सूची भी हर वास्तविक वोट का मूल्य घटाती है; उत्तर यह है कि सबूत का भार राज्य पर ही रहे और ग़लत विलोपन के अनुमान प्रकाशित किए जाएँ।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही भारत निर्वाचन आयोग नहीं है।” आयोग के भीतर असहमति के हाल के खुलासों के आलोक में निर्वाचन आयोग में निर्णय-प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले विधिक ढाँचे का परीक्षण कीजिए, और उसकी स्वतंत्रता से समझौता किए बिना उसे आंतरिक रूप से जवाबदेह बनाने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

- 1. भूमिका** — अनुच्छेद 324 और तीन सदस्यीय आयोग से शुरुआत कीजिए, और यह तथ्य रखिए कि दो निर्वाचन आयुक्तों ने दस महीनों में कम-से-कम 14 बार उन निर्णयों पर लिखित आपत्ति दर्ज की जो उनकी जानकारी के बिना आयोग के नाम पर लिए गए।
- 2. मुख्य भाग — कानून** — 2023 के अधिनियम की धारा 18 समझाइए (कार्य का सर्वसम्मत आवंटन, यथासंभव सर्वसम्मति, मतभेद होने पर बहुमत), 1991 के अधिनियम में इसका उद्गम, और टी.एन. शेषन (1995)। इसके साथ 1950 के अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत ERO की वैधानिक भूमिका और धारा 28 के अंतर्गत फ़ॉर्म 6 पर केंद्र की नियम बनाने की शक्ति जोड़िए।
- 3. मुख्य भाग — यह प्रकरण क्या उजागर करता है** — फ़ॉर्म 6 में बदलाव, ECINet का केंद्रीकरण, पश्चिम बंगाल की अपीलें (38.31 लाख, जिनमें से 16.10 लाख कथित रूप से ECI द्वारा), गोवा का रोलबैक मामला और ठप पड़े विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उदाहरणों से विधिक और प्रशासनिक कीमतें दिखाइए। आयोग का यह पक्ष भी निष्पक्षता से रखिए कि भिन्न मत वाली टिप्पणियाँ सामान्य विचार-विमर्श का हिस्सा हैं।
- 4. मुख्य भाग — सुधार** — प्रकाशित कार्य-संचालन नियम, निर्णय के बाद मतों के प्रकटीकरण के साथ दर्ज कार्यवृत्त, ECINet का स्वतंत्र ऑडिट, ERO पर IT प्रभाग के नियंत्रण की सीमाएँ, और नियमित कार्यों का समयबद्ध निपटारा सुझाइए। यह भी लिखिए कि संपन्न चुनावों के विरुद्ध उपचार केवल अनुच्छेद 329(b) के अंतर्गत निर्वाचन याचिका से ही मिल सकता है।
- 5. निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि कार्यपालिका से स्वतंत्रता और भीतर सामूहिकता एक ही गारंटी के दो हिस्से हैं, और जो निकाय लगभग 100 करोड़ मतदाताओं से कानून के कठोर पालन की माँग करता है, उसे स्वयं उस कानून का कठोरता से पालन करना चाहिए जो उसे नियंत्रित करता है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &

प्रश्न 1. आप गोवा के एक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं। आपने एक निर्वाचक की सुनवाई की, उसके दस्तावेज़ स्वीकार किए और उसका नाम बहाल करने का आदेश दिया, पर ECINet आपको इसे दर्ज नहीं करने दे रहा। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत मेरा आदेश ही विधिक

APPROACH)

कार्य है और सॉफ्टवेयर केवल उसे दर्ज करता है, इसलिए मैं एक लिखित, सकारण आदेश पारित करूँगा और उसे भौतिक फ़ाइल पर रखूँगा। मैं ज़िला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखित रूप में मामले की सूचना दूँगा और उनसे विशिष्ट लिखित निर्देश माँगूँगा। एहतिथात के तौर पर मैं उस निर्वाचक को फ़ॉर्म 6 पर नए सिरे से आवेदन करने में मदद करूँगा और यह दर्ज करूँगा कि ऐसा मेरे मूल आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जा रहा है, ताकि मतदाता सूची से जुड़ी योजनाओं के लाभ उससे न छिनें। यदि उसके नाम के बिना सूची प्रकाशित हो जाती है, तो फ़ाइल दिखाएगी कि त्रुटि राज्य की है, उसकी नहीं।

प्रश्न 2. एक निर्वाचन आयुक्त के रूप में, यदि आपको लगता है कि आयोग के नाम पर आपके बिना निर्णय जारी किए जा रहे हैं, तो सही रास्ता क्या है — असहमति दर्ज करना, सार्वजनिक रूप से बोलना या त्यागपत्र देना ?

दृष्टिकोण (Approach): पहला कर्तव्य कानून के प्रति है : फ़ाइल पर आपत्ति दर्ज करें, धारा 18 का हवाला दें, और माँग करें कि मामला पूर्ण आयोग के सामने रखा जाए। मामले को बाहर ले जाने में सावधानी चाहिए; कैबिनेट सचिव को पत्र लिखना, जैसा श्री संधू और श्री जोशी ने किया, इस आपत्ति को न्योता देता है कि एक संवैधानिक निकाय अपने मामलों में कार्यपालिका को खींच रहा है। आंतरिक रास्ते समाप्त हो जाने और मतदाताओं के अधिकार दाँव पर होने पर सार्वजनिक रूप से बोलना उचित है — पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ.पी. रावत ने द हिंदू से कहा कि दोनों आयुक्त दस महीने प्रतीक्षा करने के बजाय तुरंत सार्वजनिक रूप से सामने आ सकते थे — पर ऐसा दस्तावेजों के साथ होना चाहिए, विशेषणों के साथ नहीं। त्यागपत्र अंतिम उपाय है, क्योंकि इससे वही बहुमत समाप्त हो जाता है जिस पर कानून निर्भर करता है।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: क्या निर्वाचन आयोग की आंतरिक टिप्पणियाँ और मत सार्वजनिक होने चाहिए ?

दृष्टिकोण (Approach): चल रहे विचार-विमर्श को संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि निर्णय से पहले सदस्यों को खुलकर तर्क करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। निर्णय हो जाने के बाद जनता का यह जानने का मज़बूत दावा बनता है कि वह सर्वसम्मत था या बहुमत से, और किस प्राधिकार के अंतर्गत लिया गया — यही कुरैशी और रावत ने माँगा है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) के अंतर्गत आयोग एक लोक प्राधिकारी है, और निर्णयों को मतदान के अभिलेख के साथ प्रकाशित करने की परिपाटी मौजूदा संकट को पहले ही रोक देती। निर्णय के बाद की पारदर्शिता स्वतंत्रता को कमज़ोर नहीं, बल्कि मज़बूत करती है।

1.2 निर्वाचन आयोग नियुक्ति कानून को संविधान पीठ भेजने पर सर्वोच्च न्यायालय बँटा; न्यायमूर्ति दत्ता ने 'धारणा की कसौटी' लागू की, कॉलेजियम का बचाव किया

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 23 सितंबर। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की दो न्यायाधीशों वाली पीठ केंद्र की उस अर्जी पर 1-1 से बँट गई, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 [Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023] के विरुद्ध याचिकाओं को संविधान पीठ (Constitution Bench) को सौंपने का अनुरोध किया गया था। संविधान पीठ कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों की वह पीठ होती है जो संविधान के निर्वचन से जुड़े सारवान प्रश्नों का निपटारा करती है। जब दो न्यायाधीश असहमत हों तो कोई बहुमत नहीं बनता, इसलिए द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार दोनों इस पर सहमत हुए कि कागज़ात भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के पास भेजे जाएँ, ताकि वे धारा 7 और अन्य प्रावधानों की वैधता तय करने के लिए पीठ गठित करें; द इंडियन एक्सप्रेस आदेश को उद्धृत करते हुए बताता है कि मामले को पहले तीन न्यायाधीशों की पीठ के रास्ते ले जाना “बहुत कम उपयोगी” होता। इस अधिनियम ने CJI को, जिन्हें मार्च 2023 के पाँच न्यायाधीशों वाले अनूप बरनवाल (Anoop Baranwal) निर्णय ने एक अंतरिम चयन पैनल में रखा था, हटाकर उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को रखा, जो प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के साथ बैठते हैं। न्यायमूर्ति दत्ता का मत था कि संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अनूप बरनवाल ने यह तय कर दिया है कि नियुक्तियाँ “अनन्य कार्यपालिका नियंत्रण” में नहीं रह सकतीं। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया, अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व को देखते हुए, किसी मंत्री से “अपने ही नामित करने वाले की अवज्ञा की अपेक्षा नहीं की जा सकती”, जिससे विपक्ष के नेता की भूमिका “काफ़ी हद तक सजावटी” रह जाती है; “ECI का स्वतंत्र होना पर्याप्त नहीं, उसे स्वतंत्र दिखना भी चाहिए”। उनके अनुसार एक कप्तान द्वारा चुना गया अपायर सही होने पर भी “संदेह की परत” ओढ़े रहता है, और यह व्यवस्था “धारणा की कसौटी” (perception test) पर विफल होती है। न्यायमूर्ति शर्मा का मत था कि चूँकि अधिनियम की वैधता पर कोई प्राधिकारिक निर्णय मौजूद नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 145(3) के अनुसार कम-से-कम पाँच न्यायाधीश आवश्यक हैं। दोनों ने विलंब की ओर ध्यान दिलाया — मूल याचिका 2015 में दायर हुई, 2018 में संदर्भित हुई और 2023 में तय हुई — और एक स्थायी पाँच-न्यायाधीश पीठ की पैरवी की: “आत्मनिरीक्षण की वास्तव में आवश्यकता है।” 70 पृष्ठों के निर्णय में न्यायमूर्ति दत्ता ने सॉलिसिटर जनरल के इस तर्क को “कपटपूर्ण, टालमटोल भरा और चिंताजनक” कहा कि जब कॉलेजियम में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है तो अदालतें निर्वाचन आयोग के पैनल में किसी बाहरी व्यक्ति की माँग नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा कि “न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं” एक “मिथक” है, कॉलेजियम की सिफ़ारिशों पर केंद्र की “चयनात्मक” मंजूरी और “टुकड़ों-टुकड़ों में दी गई स्वीकृतियों” की आलोचना की, और कहा कि “अपारदर्शिता और खामियों” के बावजूद कॉलेजियम “सबसे व्यवहार्य विकल्प” बना हुआ है। न्यायमूर्ति शर्मा ने सॉलिसिटर जनरल की बात को कॉलेजियम पर हमले के रूप में नहीं, बल्कि शक्तियों के पृथक्करण से जुड़े तर्क के रूप में पढ़ा। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-2 — संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका और शक्तियों का पृथक्करण।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अनुच्छेद 324(2) निर्वाचन आयोग की नियुक्तियाँ एक ऐसे कानून पर छोड़ता है जिसे संसद सात दशकों तक नहीं बनाती → 2015 की एक याचिका अनूप बरनवाल (2023) तक पहुँचती है, जो प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और CJI का अंतरिम पैनल बनाता है → 2023 का अधिनियम CJI की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री को रखता है, जिससे कार्यपालिका को 2:1 का बहुमत मिल जाता है → दो न्यायाधीशों की पीठ इस पर बँट जाती है कि क्या अनुच्छेद 145(3) पाँच न्यायाधीशों की माँग करता है → अब CJI को संविधान पीठ गठित करनी है, जबकि इस अधिनियम के अंतर्गत चुना गया आयोग स्वयं विश्वसनीयता के संकट से जूझ रहा है

**स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)**

- 1. अनुच्छेद 324(2) ने नियुक्तियाँ संसद पर छोड़ीं, और अनूप बरनवाल ने इस मौन को भरा —** अनुच्छेद 324(2) प्रावधान करता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, करेगा। सात दशकों से अधिक समय तक ऐसा कोई कानून नहीं था, और नियुक्तियाँ केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती रहीं। अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (Anoop Baranwal v Union of India, मार्च 2023) में पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती, नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और CJI की एक समिति की सलाह पर की जाएँ। जैसा न्यायमूर्ति दत्ता ने बुधवार को कहा, आयोग की नियुक्ति और कार्यप्रणाली में स्वतंत्रता 'सुस्थापित' विधि है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से आधारभूत ढाँचे (Basic Structure) का अंग है। इससे पहले चुनाव सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति (1990) और विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015) ने भी चयन में एक गैर-कार्यपालिका तत्व रखने की सिफारिश की थी।
- 2. 2023 का अधिनियम चयन समिति के तीन में से दो मत कार्यपालिका को देता है —** 2023 के अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक चयन समिति (Selection Committee) की सिफारिश पर करता है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता) और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। PRS के अनुसार एक खोज समिति (Search Committee) पाँच नामों का पैनल तैयार करती है, पर चयन समिति उससे बाहर के व्यक्तियों पर भी विचार कर सकती है, और समिति में कोई पद रिक्त होने मात्र से उसकी सिफारिश अमान्य नहीं होती। नियुक्त व्यक्ति भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर हों या रह चुके हों, और वे छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहते हैं। प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री का यही सूत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) की धारा 12(3) के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त का चयन करता है, जबकि CBI निदेशक का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और CJI या उनके द्वारा नामित किसी न्यायाधीश द्वारा होता है।
- 3. अनुच्छेद 145(3) अनिर्णीत संवैधानिक प्रश्नों को कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों के लिए सुरक्षित रखता है —** अनुच्छेद 145(3) संविधान के निर्वाचन से संबंधित विधि के किसी सारवान प्रश्न वाले मामले के निर्णय के लिए, या अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्देश (presidential reference) की सुनवाई के लिए, न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पाँच निर्धारित करता है। कोई मामला केवल इसलिए इस श्रेणी में नहीं आता कि उसमें संविधान का प्रश्न जुड़ा है; प्रश्न अनिर्णीत होना चाहिए, यानी ऐसा जिसका न्यायालय ने कभी प्राधिकारिक उत्तर न दिया हो — और ठीक इसी बिंदु पर न्यायमूर्ति दत्ता और न्यायमूर्ति शर्मा में मतभेद हुआ। जब दो न्यायाधीशों की पीठ बँट जाती है, तो मामला CJI के पास जाता है, जो रोस्टर के स्वामी (master of the roster) के रूप में तय करते हैं कि बड़ी पीठ गठित हो या नहीं और किस रूप में हो; विभाजित निर्णय अपने आप संविधान पीठ को अनिवार्य नहीं बनाता। अक्टूबर 2022 में बंटा कर्नाटक हिजाब मामला और इस वर्ष भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) की धारा 17A पर आया विभाजित निर्णय हाल के उदाहरण हैं, और द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार हिजाब संदर्भ अभी भी लंबित है।
- 4. कॉलेजियम न्यायापालिका द्वारा गढ़ी गई व्यवस्था है, जिसका बचाव न्यायालय ने संसद के विरुद्ध किया है —** अनुच्छेद 124(2) और 217(1) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति CJI और अन्य न्यायाधीशों से 'परामर्श' के बाद करता है। प्रथम न्यायाधीश मामले, एस.पी. गुप्ता (S P Gupta, 1981), में न्यायालय ने कहा कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है, और इस प्रकार कार्यपालिका को प्रधानता दी; द्वितीय न्यायाधीश मामले (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन, 1993) ने इस स्थिति को उलटकर कॉलेजियम की रचना की, और तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) ने, जो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति का एक निर्देश था, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियों के लिए इसका विस्तार करके इसमें CJI और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों को रखा। 99वें संशोधन अधिनियम, 2014 ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission) बनाया, जिसमें CJI, दो वरिष्ठ न्यायाधीश, विधि मंत्री और दो प्रख्यात व्यक्ति थे; अक्टूबर 2015 में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने 4:1 से इसे न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मानकर निरस्त कर दिया। नियुक्तियाँ अब भी कार्यपालिका की प्रक्रिया, खुफ़िया सूचनाओं और राष्ट्रपति के

	अधिपत्र (warrant) से होकर गुजरती हैं — यही वे चरण हैं जिनके आधार पर न्यायमूर्ति दत्ता ने 'न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं' को मिथक कहा।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. एक ही निर्णय में पाठ्यक्रम की दो पंक्तियाँ मिलती हैं — सामान्य अध्ययन-2 में 'विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति', 'विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण' और 'न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली' शामिल हैं। मुख्य परीक्षा में न्यायिक नियुक्तियों और NJAC पर प्रश्न पूछे गए हैं, और अलग से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर भी; यह निर्णय अभ्यर्थी को एक ही उदाहरण से दोनों का उत्तर देने का अवसर देता है — कि नियुक्ति का ढाँचा संस्थागत विश्वसनीयता को कैसे आकार देता है। 2. प्रारंभिक परीक्षा को चयन समितियाँ और प्रक्रियात्मक अनुच्छेद विशेष प्रिय हैं — चयन पैनलों की संरचना एक स्थायी विषय है — मुख्य सूचना आयुक्त (CIC), केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC), लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष और अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चयन कौन करता है। अनुच्छेद 145(3), अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्देश, और विभाजित निर्णय के बाद की प्रक्रिया ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें UPSC कथन-आधारित प्रश्नों के माध्यम से परखता है। 3. 'धारणा की कसौटी' जितना विधिक विचार है, उतना ही सामान्य अध्ययन-4 का भी — न्यायमूर्ति दत्ता की पंक्ति उस सूत्र को दोहराती है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। नीतिशास्त्र का प्रश्नपत्र ठीक इसी को परखता है: वैधता के अंग के रूप में जन-विश्वास, और पक्षपात का आभास।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 324(2) प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन होगी। ● मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। ● अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर की जाए। ● अनुच्छेद 145(3) संविधान के निर्वचन से संबंधित विधि के सारवान प्रश्न वाले मामले के निर्णय या अनुच्छेद 143 के अंतर्गत निर्देश की सुनवाई के लिए कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ अनिवार्य करता है। ● अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। ● कॉलेजियम प्रणाली का उद्गम द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) से हुआ और तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) में इसका विस्तार हुआ, जो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्देश से उत्पन्न हुआ था। ● संविधान (99वाँ संशोधन) अधिनियम, 2014 द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में निरस्त कर दिया।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. धारणा की कसौटी न्यायमूर्ति दत्ता का सबसे सशक्त तर्क है, और विधि की दृष्टि से सबसे विवादास्पद भी — न्यायालय न्यायाधीशों और अधिकरणों से नियमित रूप से स्वतंत्रता के आभास की माँग करते हैं, और यह मानक चुनावों के अंपायर पर भी सटीक बैठता है। पर किसी कानून की परख संविधान के पाठ और आधारभूत ढाँचे के आधार पर होती है, और अनुच्छेद 324(2) स्पष्ट रूप से संसद को नियुक्तियों पर कानून बनाने की अनुमति देता है; स्वयं अनूप बरनवाल ने कहा था कि उसका पैनल केवल तब तक काम करेगा जब तक संसद कानून नहीं बनाती। सरकार तर्क देगी कि संसद ने ठीक वही किया जिसका न्यायालय ने न्योता दिया था, और उसने वही सूत्र अपनाया जो मुख्य सूचना आयुक्त के लिए पहले से स्वीकार्य है। याचिकाकर्ताओं का उत्तर है कि बरनवाल ने स्वतंत्रता को आधारभूत ढाँचे में स्थापित किया, इसलिए कानून को उस सिद्धांत पर खरा उतरना होगा, केवल रिक्त स्थान भर देना पर्याप्त नहीं। वास्तविक पक्षपात के प्रमाण के बिना, केवल कार्यपालिका के वर्चस्व का आभास किसी कानून को अमान्य कर सकता है या नहीं — यही ठीक-ठीक वह अनिर्णीत प्रश्न है, और इसीलिए यह संदर्भ महत्वपूर्ण है। 2. प्रक्रिया के स्तर पर न्यायमूर्ति शर्मा का पक्ष मज़बूत है, संस्थागत स्तर पर न्यायमूर्ति दत्ता का — अनुच्छेद 145(3) की भाषा आज्ञापक है, और यदि दो न्यायाधीशों की पीठ आधारभूत ढाँचे के आधार पर किसी केंद्रीय कानून को निरस्त करती, तो यह आपत्ति उठती कि उसके पास ऐसा करने के लिए आवश्यक संख्या ही नहीं थी। अधिनियम की कभी न्यायिक जाँच नहीं हुई है, और

न्यायमूर्ति शर्मा के शब्दों में, क्या संसद किसी तटस्थ चयनकर्ता को बाहर रख सकती है, यह प्रश्न पहली बार उठ रहा है। न्यायमूर्ति दत्ता की चिंता लागत की है: अनूप बरनवाल को याचिका से निर्णय तक आठ वर्ष लगे, और हिजाब संदर्भ चार वर्षों से प्रतीक्षा में है। यदि यह संदर्भ भी उतना ही समय लेता है, तो यह इस कानून के अंतर्गत नियुक्त आयुक्तों के छह वर्ष के कार्यकाल से भी लंबा खिंच जाएगा। दोनों न्यायाधीश असली सुधार पर एकमत हैं — एक स्थायी संविधान पीठ — और CJI शीघ्र पीठ गठित करके तथा सुनवाई की समय-सारिणी तय करके दोनों मतों का सम्मान कर सकते हैं।

3. **विलंब स्वयं एक निर्णय है, और आज उसका एक चेहरा है** — जब तक चुनौती लंबित है, अधिनियम लागू रहता है, और इसके अंतर्गत चुना गया आयोग पिछले कार्ड में वर्णित असहमति के संकट के केंद्र में है। द हिंदू का संपादकीय यह संबंध स्पष्ट रूप से जोड़ता है: इसी पैनल ने श्री कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुना था। किसी न्यायालय ने किसी नियुक्ति को विधिविरुद्ध नहीं पाया है, और निरस्त होने तक अधिनियम को वैध माना जाता है। पर जब किसी न्यायाधीश के प्रथम दृष्टया मत में चयन का ढाँचा धारणा की कसौटी पर विफल हो, और उसी समय चुने गए व्यक्ति पर अपने सहयोगियों को दरकिनार करने का आरोप हो, तो हर समस्या दूसरी को और बड़ा कर देती है। न्यायालय पहली समस्या का शीघ्र उपचार नहीं कर सकता, पर एक तत्पर संविधान पीठ अनिश्चितता को और गहराने से रोक सकती है।
4. **कॉलेजियम वाला प्रसंग एक ऐसी समानता उजागर करता है जिससे दोनों अंग बचना चाहेंगे** — सॉलिसिटर जनरल का तर्क आलंकारिक था, पर चुभने वाला: यदि कॉलेजियम में बाहरी व्यक्ति अनावश्यक है, तो निर्वाचन आयोग के लिए उसकी ज़िद क्यों? न्यायमूर्ति दत्ता का उत्तर — कि परामर्श, खुफिया सूचनाओं, प्रक्रिया और राष्ट्रपति की मुहर के माध्यम से अंतिम शब्द पहले से ही कार्यपालिका के पास है, और वह इसका प्रयोग चयनात्मक ढंग से करती है, अनुशंसित नामों को 'वर्षों तक धूल फाँकने' देती है, जैसा द हिंदू उन्हें उद्धृत करता है — तथ्यों के स्तर पर एक सशक्त उत्तर है। फिर भी कार्यपालिका की शक्ति मूलतः विलंब के माध्यम से प्रयुक्त वीटो है, पहल पूरी तरह न्यायाधीशों के हाथ में है, और कॉलेजियम कोई कारण प्रकाशित नहीं करता। दोनों नियुक्ति प्रणालियों में एक ही दोष है: एक प्रभुत्वशाली पक्ष और एक अपारदर्शी प्रक्रिया। न्यायमूर्ति दत्ता का अपना वाक्यांश उपचार की ओर संकेत करता है: प्रधानता को एक अंग से दूसरे अंग को सौंपना नहीं, बल्कि 'संधे हुए नियंत्रण और संतुलन' (calibrated checks and balances)।
5. **CJI को पैनल में रखे बिना भी उसे विश्वसनीय बनाने के रास्ते मौजूद हैं** — कार्यपालिका के किसी चयन पैनल में न्यायाधीश का होना शक्तियों के पृथक्करण की अपनी समस्या खड़ी करता है, क्योंकि बाद में न्यायालय उन नियुक्तियों के विरुद्ध चुनौतियाँ सुन सकता है जिन्हें करने में उसके प्रमुख ने भूमिका निभाई। विकल्प मौजूद हैं: विपक्ष के नेता की सहमति अनिवार्य करना, या जब भी उनकी राय को दरकिनार किया जाए तो लिखित कारण देना; एक वास्तव में स्वतंत्र खोज समिति, जिसकी सूची पैनल के लिए बाध्यकारी हो; या एक व्यापक पैनल जिसमें संसद के पीठासीन अधिकारी भी हों, जैसा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाया था। ढाँचे का लक्ष्य सरल है — कोई भी एक पक्ष अकेले नियुक्ति न कर सके। संसद स्वच्छता से ऐसा बदलाव अपनाकर संविधान पीठ का काम आसान कर सकती है, और यही धारणा की कसौटी का सबसे विश्वसनीय उत्तर होगा।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र होना पर्याप्त नहीं; उसे स्वतंत्र दिखना भी चाहिए।” अनूप बरनवाल निर्णय के आलोक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 के अंतर्गत चयन तंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और स्पष्ट कीजिए कि इसे दी गई चुनौती संविधान पीठ के सामने क्यों रखी गई है। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **भूमिका** — अनुच्छेद 324(2), 2023 तक किसी कानून के अभाव, और 23 सितंबर 2026 के उस विभाजित निर्णय से शुरुआत कीजिए जिसने चुनौती को संविधान पीठ के गठन के लिए CJI के पास भेजा।
2. **मुख्य भाग — बरनवाल से अधिनियम तक** — मार्च 2023 में निर्धारित प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और CJI के अंतरिम पैनल, तथा अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री के पैनल को समझाइए; कार्यपालिका के 2:1 बहुमत और खोज समिति की गैर-बाध्यकारी सूची का उल्लेख कीजिए।
3. **मुख्य भाग — दो मत** — न्यायमूर्ति दत्ता का मत (सुस्थापित सिद्धांत, अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व, 'काफ़ी हद तक सजावटी' विपक्ष के नेता, धारणा की कसौटी) और न्यायमूर्ति शर्मा का मत (वैधता पर पहला निर्णय, अनुच्छेद 145(3) के अनुसार पाँच न्यायाधीश आवश्यक) प्रस्तुत कीजिए। अनूप बरनवाल में हुए आठ वर्ष के विलंब और स्थायी संविधान पीठ के प्रस्ताव का उल्लेख कीजिए।

4. **मुख्य भाग — मूल्यांकन** — अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत संसद की स्पष्ट शक्ति को आधारभूत ढाँचे के सामने तौलिए; मुख्य सूचना आयुक्त और CBI निदेशक के पैनों से तुलना कीजिए; गोस्वामी समिति और विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट का हवाला दीजिए; विपक्ष के नेता की सहमति या बाध्यकारी स्वतंत्र सूची जैसे विकल्प सुझाइए।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि चुनावी अंपायर की वैधता इस पर निर्भर करती है कि दोनों पक्ष चयन पर भरोसा करें, और संसद तथा न्यायालय को एक ऐसे ढाँचे पर सहमत होना चाहिए जिसमें कोई भी एक पक्ष अकेले नियुक्ति न कर सके।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. आप केंद्रीय विधि सचिव हैं। विभाजित निर्णय CJI के पास पहुँच गया है। आप सरकार को क्या सलाह देंगे ?

दृष्टिकोण (Approach): मैं सरकार को सलाह दूँगा कि वह अनुच्छेद 324(2) के बल पर अधिनियम का बचाव करे, जो संसद को स्पष्ट रूप से कानून बनाने की अनुमति देता है, और मुख्य सूचना आयुक्त जैसे समान पैनों की नज़ीर का सहारा ले। मैं यह भी ध्यान दिलाऊँगा कि आयोग की विश्वसनीयता स्वयं प्रश्नों के घेरे में है, और एक स्वैच्छिक संशोधन — जब भी विपक्ष के नेता असहमत हों तो लिखित कारण, या एक बाध्यकारी स्वतंत्र सूची — मुकदमेबाज़ी का जोखिम घटाएगा। मैं शीघ्र सुनवाई का समर्थन करने की सिफ़ारिश करूँगा, क्योंकि लंबी अनिश्चितता आयोग को किसी प्रतिकूल निर्णय से अधिक नुकसान पहुँचाती है। सरकार का हित एक भरोसेमंद अंपायर में है, मुकदमा जीतने में नहीं।

प्रश्न 2. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: क्या कॉलेजियम प्रणाली का बचाव किया जा सकता है ?

दृष्टिकोण (Approach): न्यायपालिका पर कार्यपालिका के कब्जे के विरुद्ध एक रक्षा-कवच के रूप में इसका बचाव किया जा सकता है, इसीलिए न्यायालय ने 2015 में NJAC को निरस्त किया, और न्यायमूर्ति दत्ता का यह कहना सही है कि प्रक्रिया और चयनात्मक मंजूरी के माध्यम से कार्यपालिका का वास्तविक प्रभाव बना रहता है। पर इसकी अपारदर्शिता एक वास्तविक कमज़ोरी है: यह कोई सार्वजनिक कारण नहीं देती और ऐसे कोई मानदंड लागू नहीं करती जिन्हें जनता देख सके। सबसे अच्छा सुधार वह है जो न्यायिक प्रधानता को बनाए रखते हुए मानदंड प्रकाशित करे, कारण दर्ज करे, और कॉलेजियम तथा सरकार दोनों के लिए समय-सीमा तय करे। स्वतंत्रता और जवाबदेही एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।

प्रश्न 3. एक अधिकारी के रूप में आपसे यह प्रस्ताव देने को कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान पीठ के संदर्भों का निपटारा तेज़ी से कैसे करे। आप क्या सुझाएंगे ?

दृष्टिकोण (Approach): जैसा स्वयं पीठ ने सुझाया, मैं एक स्थायी पाँच-न्यायाधीश संविधान पीठ का सुझाव दूँगा जो निश्चित दिनों पर बैठे, और जिसमें संदर्भों को उनकी अवधि और सार्वजनिक महत्व के क्रम में सूचीबद्ध किया जाए। पृष्ठ-सीमा वाले लिखित निवेदन, मौखिक बहस के लिए नियत समय और लंबित संदर्भों का प्रकाशित कैलेंडर अनुशासन लाएँगे। लंबित संदर्भों पर एक आवधिक सार्वजनिक रिपोर्ट विलंब को दृश्य बनाएगी और इसलिए उसे सहन करना कठिन बना देगी। चुनावी अंपायरों के चयन के तरीके पर निर्णय के लिए आठ वर्ष की प्रतीक्षा अपने आप में एक संवैधानिक समस्या है।

1.3 सड़क दुर्घटना मुआवज़ा: पूरी व्यवस्था एक नज़र में, जब सर्वोच्च न्यायालय ने गृहिणी की देखभाल का मूल्य ₹30,000 प्रतिमाह आँका

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू में आज प्रकाशित व्याख्यात्मक लेख (explainer), जिसे नई दिल्ली के अधिवक्ताओं कार्तिकेय सिंह और बरखा द्विवेदी ने लिखा है, बताता है कि भारत में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवज़ा किस प्रकार मिलता है, और गृहिणियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जोड़े गए क्षतिपूर्ति के एक नए मद (head of damages) की ओर ध्यान दिलाता है। भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, लगभग 67 लाख किमी (अमेरिका का 65.9 लाख किमी और चीन का 54.9 लाख किमी), और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें भी विश्व में सबसे अधिक यहीं होती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की 'भारत में सड़क दुर्घटनाएँ 2024' (Road Accidents in India 2024) रिपोर्ट के अनुसार 4,87,707 दुर्घटनाओं में 1,77,175 लोगों की मृत्यु हुई — यानी प्रतिदिन लगभग 485 और प्रति घंटे लगभग 20 — तथा 4,71,441 लोग घायल हुए; इन दुर्घटनाओं से होने वाली हानि GDP के अनुमानित 3.14% के बराबर है। इस क्षेत्र को मोटर यान अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) शासित करता है। धारा 165 राज्यों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (Motor Accidents Claims Tribunals — MACT) गठित करने की शक्ति देती है, जो दुर्घटना संबंधी दावों के लिए विशेष न्यायालय हैं; धारा 166 के तहत घायल व्यक्ति, क्षतिग्रस्त संपत्ति का स्वामी, या मृत्यु की स्थिति में मृतक के विधिक प्रतिनिधि (legal representatives — वे उत्तराधिकारी जिन्हें वाद दायर करने का अधिकार है) दावा कर सकते हैं। धारा 173 के तहत 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, बशर्ते ₹25,000 या अधिनिर्णय (award) की 50% राशि, इनमें से जो भी कम हो, जमा की जाए। रीना बनाम प्रबंध निदेशक, KSRTC (Reena v Managing Director, KSRTC, 2026) में न्यायालय ने कहा कि आपराधिक मामले में दोषमुक्ति से दावे पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में सबूत के अलग-अलग मानक लागू होते हैं। धारा 146 तृतीय-पक्ष बीमा (third-party insurance) को अनिवार्य बनाती है; धारा 150 के तहत बीमाकर्ताओं को अधिनिर्णय की राशि चुकानी होती है, और बीमाकर्ता का बचाव सफल हो जाने पर भी न्यायालय उसे "पहले भुगतान करो, फिर वसूलो"

(pay and recover) का आदेश दे सकते हैं, यानी वह पहले पीड़ित को भुगतान करे और बाद में वह राशि वाहन-स्वामी से वसूले। इससे अलग एक 'बिना-दोष' (no-fault) मार्ग भी है, जिसमें लापरवाही सिद्ध किए बिना मृत्यु पर ₹5 लाख और गंभीर चोट (grievous hurt) पर ₹2.5 लाख मिलते हैं। धारा 168 "न्यायसंगत" (just) मुआवजे की अपेक्षा करती है, जिसे सरला वर्मा (Sarla Verma, 2009) और प्रणय सेठी (Pranay Sethi, 2017) निर्णयों ने चार मर्दों में मानकीकृत किया: आय की हानि, संपदा की हानि (loss of estate), अंत्येष्टि व्यय और साहचर्य की हानि (loss of consortium)। हाल के निर्णयों ने इन गणनाओं के आधार-तथ्यों को और स्पष्ट किया है: सरोज (Saroj, 2024) — आयु का निर्धारण आधार से नहीं, विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र से होगा; रश्मिरेखा त्रिपाठी (Rashmirekha Tripathy, 2026) — वेतनभोगी पीड़ितों के लिए पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न आधार बनेगा; जितेंद्र कुमार (Jitender Kumar, 2025) — सभी विधिक प्रतिनिधि दावा कर सकते हैं, चाहे वे मृतक पर आश्रित रहे हों या नहीं। शिशु पाल (Shishu Pal, 2026) में, एक गृहिणी की मृत्यु के मामले में, न्यायालय ने 'घरेलू देखभाल की हानि' (loss of domestic care) नाम के एक नए मद के तहत ₹30,000 प्रतिमाह की न्यूनतम काल्पनिक आय (notional income) तय की, जो हर तीन वर्ष में संचयी रूप से 10% बढ़ेगी। न्यायालय ने माना कि खाना बनाना, साफ़-सफ़ाई और देखभाल जैसे काम वेतन पाने वाले कार्यबल को सहारा देते हैं। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-2 — सांविधिक निकाय और कमज़ोर वर्ग; सामान्य अध्ययन-1 — महिलाओं का अवैतनिक कार्य।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

विश्व के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क पर तेज़ी से बढ़ता मोटरीकरण → विश्व में सबसे अधिक सड़क मौतें, 2024 में 1,77,175 → मोटर यान अधिनियम, 1988 दावों को अनिवार्य तृतीय-पक्ष बीमा से समर्थित MACT के पास भेजता है → सर्वोच्च न्यायालय सरला वर्मा (2009) और प्रणय सेठी (2017) में 'न्यायसंगत' मुआवजे को मानकीकृत करता है → बाद के निर्णय आयु, आय और उत्तराधिकारियों जैसे आधार-तथ्य तय करते हैं, और शिशु पाल (2026) गृहिणी की अवैतनिक देखभाल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

- मोटर यान अधिनियम निजी अपकृत्य को बीमा-समर्थित सांविधिक दावे में बदल देता है —** अपकृत्य (tort) एक सिविल दोष है, जैसे लापरवाही से वाहन चलाना, जिसके लिए दोषी व्यक्ति क्षतिपूर्ति देता है। मोटर यान अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988), जिसने 1939 के अधिनियम का स्थान लिया, इसे एक सांविधिक योजना में बदल देता है: अध्याय XI तृतीय-पक्ष बीमा को अनिवार्य बनाता है (धारा 146) और बीमाकर्ताओं को अधिनिर्णय की राशि चुकाने के लिए बाध्य करता है (धारा 150), जबकि अध्याय XII दावा अधिकरणों की स्थापना करता है। धारा 165 के तहत MACT का सदस्य वही हो सकता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या ज़िला न्यायाधीश है या रह चुका है, अथवा ऐसी नियुक्ति के लिए योग्य है; और धारा 175 सिविल न्यायालयों को ऐसे दावों पर सुनवाई करने से रोकती है जिन्हें अधिकरण तय कर सकता है। अधिकरण संक्षिप्त प्रक्रिया (summary procedure) अपनाता है, धारा 168 के तहत उसका अधिनिर्णय 'न्यायसंगत' होना चाहिए, और धारा 171 के तहत वह ब्याज भी जोड़ सकता है।
- दोष-आधारित दावों के साथ-साथ बिना-दोष, हिट-एंड-रन और आपातकालीन उपचार के प्रावधान भी चलते हैं —** मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019) ने पुराने बिना-दोष प्रावधान की जगह निश्चित मुआवज़ा तय किया — मृत्यु पर ₹5 लाख और गंभीर चोट पर ₹2.5 लाख — जो दावेदार के लापरवाही सिद्ध किए बिना देय है। हिट-एंड-रन (hit-and-run) मामलों में, जहाँ वाहन का पता नहीं चल पाता, संशोधित धारा 161 मृत्यु पर ₹2 लाख और गंभीर चोट पर ₹50,000 का प्रावधान करती है, जिसका भुगतान 2019 के संशोधन द्वारा बनाए गए मोटर यान दुर्घटना कोष (Motor Vehicle Accident Fund) से होता है। इसी संशोधन ने 'स्वर्णम घंटे' (golden hour) को परिभाषित किया — गंभीर आघात के बाद का पहला घंटा, जिसमें त्वरित उपचार से मृत्यु टलने की संभावना सबसे अधिक होती है — और पीड़ितों की सहायता करने वाले नेक मददगारों (Good Samaritans) को संरक्षण दिया (धारा 134A)। PIB की एक विज्ञप्ति के अनुसार, धारा 162 के तहत PM-RAHAT नकदी-रहित उपचार योजना (cashless treatment scheme), जो 5 मई 2025 को अधिसूचित हुई और 13 फरवरी 2026 को आरंभ की गई, दुर्घटना की तिथि से सात दिनों तक प्रति पीड़ित ₹1.5 लाख तक का उपचार कवर करती है।
- गुणक पद्धति एक खोए हुए जीवन को वर्तमान मूल्य में बदलती है —** आय की हानि आँकने के लिए अधिकरण मृतक की वार्षिक आय लेता है, उसमें 'भावी संभावनाएँ' (future prospects) जोड़ता है, व्यक्तिगत खर्चों का एक हिस्सा घटाता है और शेष राशि को आयु-आधारित गुणक (multiplier) से गुणा करता है, जो बची हुई कामकाजी आयु को दर्शाता है। पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा तय प्रणय सेठी (Pranay Sethi, 2017) के अनुसार, स्थायी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भावी संभावनाओं के रूप में 40 वर्ष से कम आयु पर 50%, 40-50 वर्ष पर 30% और 50-60 वर्ष पर 15% जोड़ा जाता है; स्व-नियोजित या नियत वेतन वालों के लिए यह क्रमशः 40%, 25% और 10% है, और 60 वर्ष से ऊपर कुछ नहीं जुड़ता। सरला वर्मा (Sarla Verma, 2009) के अनुसार व्यक्तिगत खर्च की कटौती दो से तीन आश्रितों पर एक-तिहाई, चार से छह पर एक-चौथाई और सात या अधिक पर एक-पाँचवाँ होती है, तथा अविवाहित पीड़ित के लिए सामान्यतः आधी; गुणक 15-25 वर्ष की आयु के लिए 18 से घटते-घटते 66-70 वर्ष के लिए 5 रह जाता है। प्रणय सेठी ने संपदा की हानि ₹15,000, अंत्येष्टि व्यय ₹15,000 और प्रत्येक पात्र सदस्य के लिए साहचर्य की हानि ₹40,000 तय की — चाहे वह दांपत्य साहचर्य हो, पैतृक (parental) हो या सतान-संबंधी (filial) — और इनमें से प्रत्येक राशि हर तीन वर्ष में 10% बढ़ती है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

विश्लेषण (ANALYSIS)

4. न्यायालय एक दशक से अधिक समय से गृहिणियों के अवैतनिक कार्य का मूल्य आँकते आ रहे हैं — अरुण कुमार अग्रवाल बनाम नेशनल इश्योरेंस कंपनी (Arun Kumar Agrawal v National Insurance Co., 2010) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गृहिणी की सेवाओं का मूल्य धन में आँका जाना चाहिए; एक सहमत राय (concurring opinion) में यह भी दर्ज किया गया कि 2001 की जनगणना ने घरेलू कार्य करने वालों को भिखारियों और वेश्याओं के साथ 'गैर-कामगार' की श्रेणी में गिना था। कीर्ति बनाम ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी (Kirti v Oriental Insurance Co., 2021) में न्यायालय ने कहा कि गृहिणियों के लिए काल्पनिक आय (notional income) तय करना उनके श्रम के आर्थिक मूल्य की स्वीकृति है। इसके लिए उसने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के समय उपयोग सर्वेक्षण 2019 (Time Use Survey 2019) का हवाला दिया, जिसके अनुसार महिलाएँ प्रतिदिन लगभग 299 मिनट अवैतनिक घरेलू सेवाओं में लगाती थीं, जबकि पुरुष केवल 97 मिनट। शिशु पाल (Shishu Pal, 2026) एक कदम आगे जाकर 'घरेलू देखभाल की हानि' नाम का अलग मद बनाता है, जिसकी न्यूनतम सीमा ₹30,000 प्रतिमाह है। भारत जिस राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (System of National Accounts) का पालन करता है, वह स्वयं के उपयोग के लिए उत्पादित घरेलू सेवाओं को GDP से बाहर रखती है; यही कारण है कि इनका मूल्य आँकने का काम सांख्यिकी को नहीं, न्यायालयों को करना पड़ा है।

- 1. एक खबर, पाठ्यक्रम की तीन पंक्तियाँ** — सामान्य अध्ययन-2 में 'कमज़ोर वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएँ और निकाय' तथा अधिकरण जैसे अर्ध-न्यायिक निकाय शामिल हैं; सामान्य अध्ययन-1 में 'महिलाओं की भूमिका' और सामाजिक सशक्तीकरण आते हैं, जहाँ अवैतनिक देखभाल कार्य बार-बार उभरने वाला विषय है। महिलाओं के कार्य की अदृश्यता पर और अधिकरणों की प्रभावशीलता पर पूछे जाने वाले मुख्य परीक्षा के प्रश्नों, दोनों में यह सामग्री काम आ सकती है।
- 2. सड़क सुरक्षा का SDG और अंतरराष्ट्रीय ढाँचा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है** — SDG लक्ष्य 3.6 का उद्देश्य 2020 तक विश्व में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों को आधा करना था; 2020 की स्टॉकहोम घोषणा (Stockholm Declaration) और सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दूसरे कार्रवाई दशक (UN Decade of Action for Road Safety, 2021-2030) ने लक्ष्य को नए सिरे से तय करते हुए 2030 तक मौतों को आधा करने का लक्ष्य रखा। 2019 के संशोधन में नेक मददगारों (Good Samaritans), स्वर्णिम घंटे, हिट-एंड-रन मुआवज़े और नकदी-रहित उपचार से जुड़े प्रावधान कथन-आधारित प्रश्नों के लिए स्वाभाविक विषय हैं।
- 3. निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्नपत्र पूछते हैं कि राज्य एक जीवन का मूल्य कैसे आँकता है** — मुआवज़े के सूत्र यह असहज प्रश्न उठाते हैं कि राज्य किसी मानव जीवन का मूल्य कैसे आँकता है, और किसके जीवन को अधिक मूल्यवान मानता है। गुणक पद्धति इसका एक ठोस उत्तर है — खोई हुई कमाई का अनुमान — और शिशु पाल दिखाता है कि कानून उस उत्तर को संशोधित कर रहा है, ताकि वह श्रम भी गिना जाए जिसके बदले कोई मज़दूरी नहीं मिलती।

- मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 165 राज्यों सरकारों को अधिसूचना द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गठित करने की शक्ति देती है।
- मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 146 तृतीय-पक्ष जोखिमों को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन के उपयोग का निषेध करती है।
- मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बाद मोटर दुर्घटनाओं में मृत्यु पर ₹5 लाख और गंभीर चोट पर ₹2.5 लाख का निश्चित मुआवज़ा देय है, जिसके लिए दावेदार को लापरवाही सिद्ध नहीं करनी पड़ती।
- 'पहले भुगतान करो, फिर वसूलो' सिद्धांत के तहत, जहाँ बीमा पॉलिसी से जुड़ा बचाव सिद्ध हो जाता है, वहाँ भी बीमाकर्ता को पहले पीड़ित को मुआवज़ा देने और बाद में उसे वाहन-स्वामी या चालक से वसूलने का निर्देश दिया जा सकता है।
- नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (National Insurance Co. Ltd. v Pranay Sethi, 2017) में पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भावी संभावनाओं के लिए जोड़ी जाने वाली राशि तथा संपदा की हानि, अंत्येष्टि व्यय और साहचर्य के लिए निश्चित राशियाँ तय कीं, जिन्हें हर तीन वर्ष में 10% बढ़ाया जाना है।
- 2019 में संशोधित मोटर यान अधिनियम 'स्वर्णिम घंटे' को गंभीर आघात के बाद की उस एक घंटे की अवधि के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें त्वरित चिकित्सा उपचार से मृत्यु टलने की संभावना सबसे अधिक होती है।
- मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 134A, जो 2019 में जोड़ी गई, दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले नेक मददगारों को सिविल या आपराधिक दायित्व से संरक्षण देती है।

- 1. सूत्र व्यक्तिगत सटीकता के बदले गति देते हैं, और भारत में यह सौदा सही है** — सरला वर्मा से

पहले, एक जैसी मौतों के लिए अलग-अलग अधिकरणों के अधिनिर्णयों में भारी अंतर होता था, जिससे अपीलें बढ़ती थीं और उन परिवारों तक भुगतान पहुँचने में देर होती थी जिन्हें पैसे की तुरंत जरूरत थी। निश्चित गुणक, कटौतियाँ और पारंपरिक मद (conventional heads) परिणामों को पूर्वानुमेय बनाते हैं, जिससे बीमाकर्ता मुकदमा लड़ने के बजाय समझौता कर सकते हैं और दावेदार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें कितना मिलना चाहिए। इसकी कीमत है कटौत: 24 वर्ष के इंजीनियरिंग स्नातक और 24 वर्ष के दिहाड़ी मज़दूर को एक ही गुणक मिलता है, और भावी संभावनाएँ केवल औसत करियर वृद्धि को ही पकड़ पाती हैं। लेख की तीन-चरणीय पद्धति दोनों बातें दिखाती है — यह व्यवस्था क्यों काम करती है (आयु, आय और आश्रित तय होते ही बाकी सब अंकगणित है), और विवाद अब इन्हीं तीन तथ्यों पर क्यों केंद्रित हो गए हैं।

2. **असली अन्याय सूत्र में नहीं, साक्ष्य में छिपा है** — सड़क दुर्घटनाओं के अधिकांश शिकार पैदल यात्री, दोपहिया वाहन चालक और अनौपचारिक कामगार होते हैं, जो आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते। इसलिए रशमरेखा त्रिपाठी का रिटर्न-आधारित नियम वेतनभोगी अल्पसंख्या की मदद करता है, जबकि बाकी लोगों के लिए राज्य द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मज़दूरी ही आधार रह जाती है। इससे अनौपचारिक कमाई, जो वास्तविक है पर दस्तावेज़ों में दर्ज नहीं, व्यवस्थित रूप से कम आँकी जाती है। सरोज में आधार के बजाय विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र को प्राथमिकता देना एक ठोस तर्क पर टिका है, क्योंकि आधार जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है; पर इससे उन लोगों को नुकसान होता है जिन्होंने कभी स्कूली शिक्षा पूरी ही नहीं की। अधिकरण बैंक अभिलेखों, नियोक्ता के बयानों और स्थानीय जाँच को अधिक सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ भी अधिकार दस्तावेज़ों के पदानुक्रम से तय होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मतदाता सूची के मामले में होते हैं।
3. **शिशु पाल देखभाल का मूल्य तय करता है, और यह तर्क दुर्घटना कानून से आगे तक जाएगा** — ₹30,000 प्रतिमाह की न्यूनतम सीमा अकुशल कार्य के लिए राज्यों की सामान्य न्यूनतम मज़दूरी से काफ़ी ऊपर है। यह इस निष्कर्ष को व्यक्त करती है कि एक गृहिणी कई सेवाएँ देती है — खाना बनाना, साफ़-सफ़ाई, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल और घर का प्रबंधन — जिन्हें किसी और से करवाने में कम से कम इतना खर्च आएगा। एक बार जब कोई न्यायालय देखभाल का न्यूनतम मूल्य तय कर देता है, तो यह तर्क भरण-पोषण, तलाक और मुआवज़े के अन्य विवादों में भी उपलब्ध हो जाता है। विरोधी मत यह है कि एक समान राष्ट्रीय न्यूनतम सीमा जीवन-यापन की लागत में क्षेत्रीय अंतरों की अनदेखी करती है और सभी वाहन-स्वामियों के लिए तृतीय-पक्ष बीमा का प्रीमियम बढ़ाएगी। एक नारीवादी आलोचना भी है कि देखभाल का मूल्य तय करना उसे केवल ऐसा श्रम मान लेता है जिसकी जगह कोई और ले सकता है; पर मुआवज़ा कानून को तो कोई न कोई संख्या देनी ही होती है, और सोच-समझकर तय की गई संख्या उस शून्य से बेहतर है जिसकी ओर कभी जनगणना न संकेत किया था।
4. **‘पहले भुगतान करो, फिर वसूलो’ दिखाता है कि यह अपकृत्य का चोला पहने एक सामाजिक बीमा योजना है** — बिना लाइसेंस वाले चालक की शिकार हुई महिला ने पोलिसी के उत्प्लंघन में कोई भूमिका नहीं निभाई, इसलिए केवल इस कारण उसे मुआवज़े से वंचित करना अन्यायपूर्ण होगा कि बीमाकर्ता के पास वाहन-स्वामी के विरुद्ध कोई संविदात्मक बचाव मौजूद है। ‘पहले भुगतान करो, फिर वसूलो’ स्वामी की चूक का जोखिम पीड़ित से हटाकर बीमाकर्ता पर डाल देता है, जो उस चूक की भरपाई करवाने की बेहतर स्थिति में है। बिना-दोष ₹5 लाख और हिट-एंड-रन कोष इससे भी आगे जाते हैं; वे दोष की परवाह किए बिना भुगतान करते हैं, और इस बात की भी परवाह किए बिना कि वाहन कभी मिलेगा या नहीं। आलोचना लागत को लेकर है: अलग-अलग स्वामियों से वसूली धीमी और अनिश्चित होती है, और नियमों का पालन करने वाले स्वामी प्रीमियम का बोझ उठाते हैं। फिर भी, जहाँ पीड़ित प्रायः वाहन-स्वामी से अधिक गरीब होता है, वहाँ यह हस्तांतरण उचित ठहराया जा सकता है।
5. **सड़क सुरक्षा के पूरे बिल में मुआवज़ा सबसे छोटा हिस्सा है** — प्रतिदिन 485 मौतों और GDP के लगभग 3.14% की लागत के बीच, पूर्ण मुआवज़ा भी केवल उस हानि का पुनर्वितरण करता है जिसे रोकथाम से टाला जा सकता था। लेख कारणों की सूची देता है — तेज़ गति और लापरवाह ड्राइविंग, सड़कों का खराब रखरखाव, चालकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण, और कमज़ोर आपातकालीन व आघात चिकित्सा (trauma care) — और इनमें से हर एक नीति का एक साधन है। नकदी-रहित स्वर्णिम-घंटा योजना सीधे अंतिम कारण से निपटती है और संभवतः अधिनिर्णयों में किसी भी वृद्धि से अधिक जानें बचाएगी। मुआवज़ा कानून फिर भी रोकथाम में योगदान दे सकता है: बड़े अधिनिर्णय चुकाने वाले बीमाकर्ताओं के पास जोखिम का सही मूल्य लगाने, सड़क सुरक्षा ऑडिट का वित्तपोषण करने और सुरक्षित चालकों को पुरस्कृत करने का प्रोत्साहन होता है। नीति की कसौटी यह है कि मौतें घटे, यह नहीं कि अधिनिर्णयों की राशि बढ़े।

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

- भूमिका** — समस्या का पैमाना बताइए — MoRTH के अनुसार 2024 में 4,87,707 दुर्घटनाएँ और 1,77,175 मौतें, जिनकी लागत GDP का लगभग 3.14% है — और मोटर यान अधिनियम, 1988 को इस क्षेत्र का शासी कानून बताइए।
- मुख्य भाग** — सांविधिक योजना — धारा 165 के तहत MACT, धारा 166 के तहत दावे, धारा 146 के तहत अनिवार्य तृतीय-पक्ष बीमा, धारा 150 के तहत बीमाकर्ता का दायित्व और 'पहले भुगतान करो, फिर वसूलो', ₹5 लाख और ₹2.5 लाख का बिना-दोष मार्ग, हिट-एंड-रन मुआवज़ा तथा नकदी-रहित स्वर्णिम-घंटा योजना को समझाइए।
- मुख्य भाग** — न्यायिक मानकीकरण — धारा 168 के तहत 'न्यायसंगत' मुआवज़ा, सरला वर्मा का गुणक और कटौतियाँ, प्रणय सेठी की भावी संभावनाएँ और पारंपरिक मद, तथा आधार-तथ्यों पर हाल के निर्णयों — सरोज, रश्मिरेखा त्रिपाठी और जितेंद्र कुमार — को समझाइए।
- मुख्य भाग** — सामाजिक न्याय और जेंडर — अरुण कुमार अग्रवाल, कीर्ति और घरेलू देखभाल की हानि के लिए शिशु पाल की ₹30,000 की न्यूनतम सीमा पर चर्चा कीजिए, और इन्हें GDP से अवैतनिक देखभाल के बहिष्कार तथा समय उपयोग सर्वेक्षण से जोड़िए। अनौपचारिक कामगारों के लिए मौजूद कमियों और अधिकरणों में होने वाली देरी का भी उल्लेख कीजिए।
- निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि मुआवज़ा कानून अब जोखिम को पूरे समाज में बाँटना है और महिलाओं के कार्य को मान्यता देता है, पर बड़ा बोझ रोकथाम को ही उठाना होगा — सुरक्षित सड़कें, प्रशिक्षित चालक और आघात चिकित्सा।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. ज़िला सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्षता करने वाले ज़िलाधिकारी के रूप में आप मौतें कैसे घटाएंगे और यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि परिवारों को मुआवज़ा वास्तव में मिले?

दृष्टिकोण (Approach): रोकथाम के मोर्चे पर, मैं पुलिस और अस्पतालों के आँकड़ों से दुर्घटना-बहुल स्थानों (black spots) की पहचान करूँगा, वहाँ इंजीनियरिंग सुधार करवाऊँगा, और यह सुनिश्चित करूँगा कि ज़िले का हर आघात-चिकित्सा अस्पताल नकदी-रहित योजना में पंजीकृत हो, ताकि स्वर्णिम घंटे में किसी भी पीड़ित को लौटाया न जाए। मुआवज़े के मोर्चे पर, मैं सुनिश्चित करूँगा कि पुलिस दुर्घटना रिपोर्ट दावा अधिकरण को तुरंत भेजे, और ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से कहूँगा कि वह गरीब परिवारों को दावे दाखिल करने और विद्यालय प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज़ जुटाने में मदद करे। दुर्घटना से अधिनिर्णय तक लगने वाले समय पर मैं कार्य-निष्पादन के एक संकेतक के रूप में नज़र रखूँगा। जिस परिवार को अधिनिर्णय के लिए वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़े, उसके साथ व्यवस्था दो बार विफल हुई है।

प्रश्न 2. आप सार्वजनिक क्षेत्र की एक बीमा कंपनी में दावा अधिकारी हैं। एक घातक दुर्घटना में चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था, और आपके प्रबंधक चाहते हैं कि आप दावे का विरोध करें। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): कानून बीमाकर्ता को लाइसेंस से जुड़ा बचाव उठाने की अनुमति देता है, पर न्यायालय नियमित रूप से बीमाकर्ताओं को पहले पीड़ित को भुगतान करने और फिर स्वामी से वसूलने का निर्देश देते हैं। जिस दावे का भुगतान करने का आदेश हमें लगभग निश्चित रूप से मिलेगा, उसका विरोध करना केवल शोकग्रस्त परिवार तक पैसा पहुँचाने में देरी करता है और कानूनी खर्च बढ़ाता है। मैं 'पहले भुगतान करो, फिर वसूलो' सिद्धांत के तहत भुगतान करने और स्वामी से अलग से वसूली की कार्रवाई करने की सिफ़ारिश करूँगा, और यह तक फ़ाइल पर दर्ज करूँगा। यह मार्ग विधिसम्मत भी है, किफ़ायती भी और मानवीय भी।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या अवैतनिक घरेलू कार्य को GDP में गिना जाना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): GDP स्वयं के उपयोग के लिए उत्पादित घरेलू सेवाओं को जान-बूझकर बाहर रखता है, कुछ हद तक इसलिए कि उनका मूल्य आँकना कठिन है और कुछ हद तक इसलिए कि यह माप विभिन्न देशों के बीच तुलनीय बना रहे। पर यह बहिष्कार महिलाओं के कार्य को अदृश्य बना देता है और नीति को विकृत कर सकता है, उदाहरण के लिए घर पर होने वाली देखभाल के सशुल्क देखभाल में बदलने को शुद्ध वृद्धि मान लेना। व्यावहारिक उत्तर है नियमित समय उपयोग सर्वेक्षणों पर आधारित एक अनुषंगी खाता (satellite account), जो मूल GDP को बदले बिना अवैतनिक कार्य का मूल्य आँकता है। कीर्ति और शिशु पाल दिखाते हैं कि जब कानून को ज़रूरत होती है, तो यह मूल्यांकन संभव है।

1.4 छात्रा की NSA हिरासत मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नोएडा की ज़िलाधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियों और वेतन से ₹5 लाख के दंड पर रोक लगाई

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 23 सितंबर। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2 सितंबर के उस निर्णय के प्रवर्तन पर रोक लगा दी, जिसने दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (National Security Act, 1980 — NSA) के तहत हिरासत को रद्द कर दिया था।

यह अधिनियम राज्य को लोक व्यवस्था या सुरक्षा के लिए भावी खतरों को रोकने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति देता है। उच्च न्यायालय ने गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियाँ (strictures — किसी अधिकारी के आचरण पर न्यायालय की औपचारिक आलोचना) भी की थीं — कि उनका “आचरण... उपहास के योग्य है” और वे संविधान के प्रति अपनी “निष्ठा की शपथ का उल्लंघन करने की दोषी हैं” — तथा निर्देश दिया था कि सुश्री चौधरी को मुआवजे के रूप में ₹5 लाख उनके वेतन से दिए जाएँ। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार आदेश में कहा गया है: “मामले की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई होने तक आक्षेपित निर्णय, विशेष रूप से पैरा संख्या 27 से 33, का प्रवर्तन स्थगित रहेगा”; इन्हीं पैराग्राफों में प्रतिकूल टिप्पणियाँ और मुआवजे का निर्देश है। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार यह आदेश न्यायाधीश-कक्ष (chambers) में पारित हुआ, और स्थगित पैराग्राफों में यह टिप्पणी भी शामिल है कि “वह दिन दूर नहीं जब नौकरशाही में बैठे पथभ्रष्ट लोग उत्तर प्रदेश राज्य को एक ऑरेवेलियन दुःस्वप्नलोक (Orwellian Dystopia) में बदल देंगे”। सुश्री चौधरी को अप्रैल में नोएडा में हुए एक श्रमिक विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार कर कासना जेल में रखा गया था। जिलाधिकारी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये टिप्पणियाँ “जिलाधिकारी को नोटिस दिए बिना” की गईं, और यह कि “हिरासत आदेश को रद्द करना एक बात है, अधिकारी की भर्त्सना करना बिल्कुल दूसरी”, क्योंकि जिलाधिकारी के निर्णय से पहले “कई प्रशासनिक और पदानुक्रमिक स्तर” होते हैं। उत्तर प्रदेश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने उच्च न्यायालय के आदेश को “पूरी तरह अनुचित” बताया और कहा कि 12 मई का आदेश “लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए था, कानून-व्यवस्था के लिए नहीं”। सुश्री चौधरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्वेस ने कहा कि हिरासत का एक आधार — कि उन्होंने भीड़ को उकसाया — असत्य था, क्योंकि हिंसा से पहले ही वे पुलिस हिरासत में थीं, और यह भी कि राज्य ने उनका कथित भाषण कभी प्रस्तुत नहीं किया। पीठ ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय को केवल यह देखना था कि प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं, गुण-दोष में जाना उसका काम नहीं था। उसी दिन, राजस्थान के प्रतापगढ़ में अवैध रूप से खोदी गई मिट्टी ले जा रहे एक डंपर द्वारा एक वन रेंजर को घसीटकर मार दिए जाने के बाद, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने टिप्पणी की कि ऐसी घटनाओं में निवारक निरोध (preventive detention) का उपयोग किया जाना चाहिए। यह 17 और 18 सितंबर के कार्डों में शुरू हुए निवारक निरोध के सूत्र की अगली कड़ी है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-2 — मूल अधिकार और न्यायपालिका।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अप्रैल में नोएडा में श्रमिकों का विरोध-प्रदर्शन → गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी के 12 मई के आदेश पर दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा NSA के तहत हिरासत में ली जाती है → इलाहाबाद उच्च न्यायालय 2 सितंबर को हिरासत रद्द करता है, जिलाधिकारी की भर्त्सना करता है और उनके वेतन से ₹5 लाख देने का आदेश देता है → उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी तर्क देते हैं कि न्यायालय गुण-दोष में चला गया और अधिकारी को सुने बिना दोषी ठहरा दिया → सर्वोच्च न्यायालय गुण-दोष पर सुनवाई होने तक निर्णय पर, विशेष रूप से प्रतिकूल टिप्पणियों और दंड पर, रोक लगाता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. अनुच्छेद 22 निवारक निरोध की अनुमति देता है, पर उसे न्यूनतम सुरक्षा उपायों से घेर देता है — अनुच्छेद 22(1) और (2) — गिरफ्तारी के आधार जानने, वकील से परामर्श करने और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार — अनुच्छेद 22(3) के अनुसार शत्रु विदेशियों (enemy aliens) पर या निवारक निरोध (preventive detention) कानून के तहत रख गए व्यक्तियों पर लागू नहीं होते। इनके स्थान पर, अनुच्छेद 22(4) तीन महीने से अधिक की हिरासत पर रोक लगाता है, जब तक कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों का सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) पर्याप्त कारण होने की रिपोर्ट न दे; अनुच्छेद 22(5) अपेक्षा करता है कि आधार यथाशीघ्र बताए जाएँ और अभ्यावेदन (representation) करने का शीघ्रतम अवसर दिया जाए; अनुच्छेद 22(6) प्राधिकारी को ऐसे तथ्य प्रकट न करने की छूट देता है जिन्हें वह लोकहित के विरुद्ध मानता है; और अनुच्छेद 22(7) संसद को अधिकतम अवधि और बोर्ड की प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति देता है। संसद की यह शक्ति संघ सूची की प्रविष्टि 9 (रक्षा, विदेश मामले, भारत की सुरक्षा) और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 3 (राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, आवश्यक आपूर्तियाँ) से आती है। 44वें संशोधन, 1978 ने तीन महीने को घटाकर दो महीने करने का प्रयास किया था, पर वह प्रावधान आज तक लागू नहीं किया गया है।
2. NSA जिलाधिकारी को बारह महीने तक हिरासत में रखने की शक्ति देता है, पर कई स्तरों की समीक्षा के अधीन — राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (National Security Act, 1980) की धारा 3 केंद्र या राज्य को किसी व्यक्ति को ऐसे कार्यों से रोकने के लिए हिरासत में लेने की अनुमति देती है जो भारत की रक्षा या सुरक्षा, विदेशी शक्तियों से संबंधों, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, अथवा आवश्यक आपूर्तियों और सेवाओं को बनाए रखने के प्रतिकूल हों। राज्य किसी जिलाधिकारी या पुलिस आयुक्त को एक बार में अधिकतम तीन महीने के लिए इस शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दे सकता है; अधिकारी को तुरंत राज्य को रिपोर्ट करनी होती है, और यदि राज्य 12 दिनों के भीतर अनुमोदन न दे तो आदेश व्यपगत (lapse) हो जाता है। आधार सामान्यतः पाँच दिनों के भीतर, और असाधारण मामलों में दस दिनों के भीतर, बताने होते हैं; मामला तीन सप्ताह के भीतर तीन सदस्यीय सलाहकार बोर्ड के पास जाता है, बोर्ड सात सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देता है, और धारा 11(4) के तहत बंदी वकील के माध्यम से पेश नहीं हो सकता तथा बोर्ड की रिपोर्ट, उसकी राय को छोड़कर, गोपनीय रहती है। अधिकतम हिरासत अवधि 12 महीने है (धारा 13), धारा 16 सद्भावपूर्वक (in good faith) की गई कार्रवाई को वादों और अभियोजनों से संरक्षण देती है, और ए.के. रॉय बनाम भारत संघ (A K Roy v Union of India, 1982) में एक संविधान पीठ ने इस अधिनियम को वैध ठहराया।
3. न्यायालय हिरासत की वैधता और प्रासंगिकता की जाँच करते हैं, और ‘लोक व्यवस्था’ का

दायरा 'कानून-व्यवस्था' से संकरा है — अनुच्छेद 32 और 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) के माध्यम से न्यायालय यह देखते हैं कि प्राधिकारी सक्षम था या नहीं, उसने प्रासंगिक और विद्यमान सामग्री पर अपना विवेक लगाया या नहीं, आधार समय पर तामील किए गए या नहीं और अभ्यावेदन पर विचार हुआ या नहीं, तथा सलाहकार बोर्ड की समय-सीमाओं का पालन हुआ या नहीं; वे अधिकारियों की संतुष्टि के स्थान पर अपनी संतुष्टि नहीं रखते। राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य (Ram Manohar Lohia v State of Bihar, 1966) में न्यायालय ने तीन संकेंद्रित वृत्तों का वर्णन किया — सबसे बड़ा कानून-व्यवस्था, उसके भीतर लोक व्यवस्था, और सबसे छोटा राज्य की सुरक्षा — और अरुण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (Arun Ghosh v State of West Bengal, 1970) में उसने यह कसौटी रखी कि क्या कोई कृत्य समुदाय के जीवन की सामान्य लय (even tempo) को भंग करता है। रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य (Rekha v State of Tamil Nadu, 2011) और बंका स्नेहा शीला बनाम तेलंगाना राज्य (Banka Sneha Sheela v State of Telangana, 2021) में न्यायालय ने कहा कि जहाँ सामान्य आपराधिक कानून पर्याप्त हो, वहाँ निवारक उसका विकल्प नहीं बन सकता। 44वें संशोधन के बाद से अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता, जिससे ADM जबलपुर (ADM Jabalpur, 1976) निर्णय का आधार ही उलट गया।

- 4. अवैध हिरासत का मुआवज़ा राज्य का लोक-विधि दायित्व है; व्यक्तिगत दायित्व के लिए सुनवाई आवश्यक है** — रुदल शाह बनाम बिहार राज्य (Rudul Sah v State of Bihar, 1983) और भीम सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (Bhim Singh v State of J&K, 1985) में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी रिट अधिकारिता में अवैध हिरासत के लिए मुआवज़ा दिलाया, और नीलाबती बेहेरा बनाम उड़ीसा राज्य (Nilabati Behera v State of Orissa, 1993) में उसने कहा कि यह दायित्व कठोर (strict) है तथा अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर संप्रभु उन्मुक्ति (sovereign immunity) का बचाव उपलब्ध नहीं है। यह दायित्व राज्य का है, जो जांच के बाद दोषी अधिकारी से राशि वसूल सकता है; लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम एम.के. गुप्ता (Lucknow Development Authority v M K Gupta, 1994) में न्यायालय ने उत्पीड़न के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों से ऐसे भुगतानों की वसूली का समर्थन किया। किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने से पहले, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नईम (State of U.P. v Mohammad Naim, 1964) के अनुसार यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष हो या उसे स्पष्टीकरण का अवसर मिला हो, उस बिंदु पर साक्ष्य मौजूद हो, और मामले के निर्णय के लिए वे टिप्पणियाँ आवश्यक हों। सॉलिसिटर जनरल ने इसी सिद्धांत का सहारा लिया।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- 1. अनुच्छेद 22 प्रारंभिक परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाले अनुच्छेदों में से एक है** — UPSC ने बार-बार ऐसे कथन पूछे हैं कि अनुच्छेद 22 के कौन-से सुरक्षा उपाय निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों पर लागू होते हैं, तीन महीने की सीमा क्या है और सलाहकार बोर्ड की भूमिका क्या है। NSA की बारह महीने की अधिकतम अवधि, 12 दिनों के भीतर अनुमोदन का नियम, और संघ व समवर्ती सूचियों में संसद की शक्ति का संवैधानिक स्रोत — ये सब इसी के स्वाभाविक विस्तार हैं।
- 2. मुख्य परीक्षा निवारक निरोध को स्वतंत्रता और अधिकारियों की जवाबदेही से जोड़ती है** — सामान्य अध्ययन-2 मूल अधिकारों और न्यायपालिका पर प्रश्न पृच्छता है, और सामान्य अध्ययन-4 जवाबदेही तथा नैतिक शासन पर। यह मामला अभ्यर्थी को एक ही उत्तर में दोनों पक्ष रखने का अवसर देता है — लोक व्यवस्था बनाए रखने का राज्य का कर्तव्य और दुरुपयोग से नागरिक का संरक्षण — और साथ ही यह नया प्रश्न भी कि हिरासत अवैध ठहरे तो भुगतान कौन करे। यही सूत्र इस पत्रिका के 17 और 18 सितंबर के कार्डों में भी चला था, जिनमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 'ऑरेवेलियन दुःस्वप्नलोक' वाली चेतावनी भी शामिल थी; यह निबंध या मुख्य परीक्षा के प्रश्न का प्रबल संकेत है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- अनुच्छेद 22(3) के अनुसार, अनुच्छेद 22(1) और (2) के सुरक्षा उपाय निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले किसी कानून के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति पर लागू नहीं होते।
- अनुच्छेद 22(4) तीन महीने से अधिक के निवारक निरोध पर तब तक रोक लगाता है, जब तक कि कोई सलाहकार बोर्ड यह रिपोर्ट न दे कि निरोध जारी रखने के लिए पर्याप्त कारण है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत निरोध की अधिकतम अवधि निरोध की तिथि से बारह महीने है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत ज़िलाधिकारी द्वारा दिया गया निरोध आदेश बारह दिनों के बाद व्यपगत हो जाता है, जब तक कि इस बीच राज्य सरकार उसका अनुमोदन न कर दे।
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड में तीन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उच्च

न्यायालय के न्यायाधीश हैं, या रह चुके हैं, या न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखते हैं।

- ए.के. रॉय बनाम भारत संघ (A K Roy v Union of India, 1982) में एक संविधान पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की वैधता को बरकरार रखा।
- नीलाबती बेहेरा बनाम उड़ीसा राज्य (Nilabati Behera v State of Orissa, 1993) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर मुआवज़ा देने के लिए राज्य कठोर रूप से उत्तरदायी है और वह संप्रभु उन्मुक्ति का तर्क नहीं दे सकता।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. सर्वोच्च न्यायालय ने उन दो प्रश्नों को अलग कर दिया है जिन्हें उच्च न्यायालय ने एक कर दिया था, और उसे स्पष्ट करना होगा कि रोक किस पर है — हिरासत वैध थी या नहीं, और उसका आदेश देने वाले अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से भुगतान करना चाहिए या नहीं — ये अलग-अलग मानकों वाले दो अलग प्रश्न हैं। उच्च न्यायालय ने दोनों का उत्तर एक ही निर्णय में दे दिया; सर्वोच्च न्यायालय ने उसके प्रवर्तन पर रोक लगाई है, 'विशेष रूप से' उन पैराग्राफों में जो ज़िलाधिकारी की निंदा करते हैं और उन पर दंड लगाते हैं। अखबार इस रोक को अलग-अलग ढंग से पढ़ते हैं: द इंडियन एक्सप्रेस अपने शीर्षक में इसे हिरासत रद्द करने वाले आदेश पर रोक बताता है, जबकि द इकोनॉमिक टाइम्स इसे ₹5 लाख वाले निर्देश और प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक के रूप में प्रस्तुत करता है। कौन-सा अर्थ सही है, यह सुश्री चौधरी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और न्यायालय को शीघ्र स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी अधिकारी की प्रतिष्ठा से जुड़े विवाद की आनुषंगिक क्षति (collateral) नहीं बननी चाहिए।
2. 'गुण-दोष नहीं, प्रक्रिया' नियम के रूप में सही है, पर अस्तित्वहीन आधार स्वयं एक प्रक्रियागत दोष है — पीठ की टिप्पणी स्थापित विधि को दर्शाती है: न्यायालय हिरासत का आदेश देने वाले अधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि (subjective satisfaction) को दोबारा नहीं तौलते। पर यही विधि यह भी कहती है कि संतुष्टि विद्यमान और प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होनी चाहिए, और जहाँ सामान्य कानून पर्याप्त हो वहाँ हिरासत अभियोजन का विकल्प नहीं बन सकती। यदि, जैसा श्री गोंज़ाल्वेस का तर्क है, एक आधार यह था कि सुश्री चौधरी ने भीड़ को उकसाया, जबकि वे उस समय पहले से ही पुलिस हिरासत में थीं, तो वह आधार कमज़ोर नहीं बल्कि अस्तित्वहीन था। यह विवेक का प्रयोग न करना (non-application of mind) है — न्यायिक पुनर्विलोकन का एक सुस्थापित आधार, न कि गुण-दोष की जाँच। श्री रोहतगी का 'लोक व्यवस्था, कानून-व्यवस्था नहीं' वाला तर्क राज्य का सबसे मज़बूत उत्तर है, क्योंकि लोहिया कसौटी किसी एक घटना पर नहीं, बल्कि समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिकी है। अंतिम सुनवाई इसी पर निर्भर करेगी कि अभिलेख पर इन दोनों में से कौन-सा वर्णन सही बैठता है।
3. ज़िलाधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व एक भोथरा औज़ार है, पर ऐसी हिरासत जिसकी कोई कीमत न चुकानी पड़े, उससे भी बुरी है — सॉलिसिटर जनरल का यह कहना सही है कि NSA का आदेश कई स्तरों से गुज़रता है: पुलिस से मिली सूचनाएँ, ज़िलाधिकारी की संतुष्टि, 12 दिनों के भीतर राज्य का अनुमोदन और सलाहकार बोर्ड। केवल हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी पर ₹5 लाख थोपना दोष का गलत बँटवारा है, और किसी अधिकारी को बिना सुने दोषी ठहराना मोहम्मद नईम सिद्दांत का उल्लंघन है; इन पैराग्राफों पर रोक लगाने के लिए इतना ही पर्याप्त कारण है। फिर भी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस महीने जिस प्रवृत्ति का वर्णन किया है — विरोध करने वालों और पत्रकारों के विरुद्ध निवारक निरोध का बार-बार प्रयोग — वह आंशिक रूप से इसलिए बनी हुई है कि इसकी अधिकारियों को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। स्थापित मध्य मार्ग बेहतर है: राज्य तुरंत लोक-विधि के तहत मुआवज़ा दे, फिर जाँच करे और जिन अधिकारियों ने दुर्भावना से काम किया हो, उनसे वसूली करे। NSA की धारा 16 केवल सद्भावपूर्ण कार्रवाई को संरक्षण देती है, और उस संरक्षण को मान नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि परखा जाना चाहिए।
4. उसी दिन एक अन्य पीठ ने और अधिक निवारक निरोध की बात कही, और दोनों पीठें सही हो सकती हैं — राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अवैध बालू खनन पर एक स्वतः संज्ञान (suo motu) मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने टिप्पणी की कि निवारक निरोध का उपयोग किया जाना चाहिए। यह टिप्पणी वन रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत को अवैध रूप से खोदी गई मिट्टी ले जा रहे एक डंपर ट्रक द्वारा घसीटे जाने की घटना के बाद आई। संगठित खनन नेटवर्क, जो बार-बार अभियोजन से बच निकलते हैं और अधिकारियों की जान खतरे में डालते हैं, उस पारंपरिक स्थिति के बहुत करीब हैं जिसमें लोक व्यवस्था की रक्षा के लिए हिरासत उचित मानी जाती है। श्रमिक विरोध-प्रदर्शन भड़काने की आरोपी एक छात्रा दूसरे छोर पर है, जहाँ सामान्य आपराधिक कानून और ज़मानत की शर्तें पर्याप्त हैं। कानून की रेखा इस पर नहीं टिकनी चाहिए कि हिरासत में कौन लिया गया है, बल्कि इस पर कि क्या सामान्य कानून प्रत्यक्ष रूप से विफल हुआ है और क्या खतरा समुदाय के जीवन के लिए है।

	5. यह मामला दिखाता है कि हिरासत की समीक्षा उच्च न्यायालय के निर्णय से पहले और अधिक खुले ढंग से क्यों होनी चाहिए — श्री रोहतगी के अनुसार हिरासत आदेश 12 मई का है, और उच्च न्यायालय ने लगभग चार महीने बाद 2 सितंबर को निर्णय दिया — यानी तीन महीने की उस सीमा के बाद, जिसके आगे हिरासत जारी रखने के लिए अनुच्छेद 22(4) सलाहकार बोर्ड की राय अनिवार्य करता है। यदि बोर्ड ने इसे स्वीकृति दी थी, तो उच्च न्यायालय एक ऐसी हिरासत की समीक्षा कर रहा था जिसे एक अर्ध-न्यायिक निकाय पहले ही मंजूरी दे चुका था; यदि बोर्ड ने समय पर कार्रवाई नहीं की, तो यह अपने आप में एक गंभीर विफलता है। अखबार यह नहीं बताते कि बोर्ड ने क्या पाया, और यह चुप्पी कानून की बनावट को ही दर्शाती है: कार्यवाही बंद कमरे में होती है, राय को छोड़कर रिपोर्ट गोपनीय रहती है, और बंदी वकील के माध्यम से पेश नहीं हो सकता। बोर्ड के निष्कर्षों को नाम हटाकर प्रकाशित करना और विधिक प्रतिनिधित्व की अनुमति देना जाँच-पड़ताल को उस चरण तक ले आएगा जहाँ वह अब भी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	निवारक निरोध को एक असाधारण शक्ति के रूप में देखा गया है, फिर भी विरोध करने वालों और पत्रकारों के विरुद्ध इसका प्रयोग बार-बार न्यायिक निंदा का कारण बनता है। अनुच्छेद 22 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत उपलब्ध सुरक्षा उपायों का परीक्षण कीजिए, और चर्चा कीजिए कि क्या अवैध निरोध आदेश पारित करने वाले अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	भूमिका — 23 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर लगाई गई रोक से आरंभ कीजिए, जिसने दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा की NSA हिरासत रद्द की थी, नोएडा की ज़िलाधिकारी की भर्त्सना की थी और उनके वेतन से ₹5 लाख देने का आदेश दिया था। मुख्य भाग — संवैधानिक और सांविधिक सुरक्षा उपाय — अनुच्छेद 22(3) से (7), संबंधित विधायी प्रविष्टियाँ, तथा NSA के आधार, 12 दिनों में अनुमोदन का नियम, सलाहकार बोर्ड की समय-सीमाएँ, बारह महीने की अधिकतम अवधि और धारा 16 के तहत सद्भाव का संरक्षण प्रस्तुत कीजिए; ए.के. रॉय (1982) का उल्लेख कीजिए। मुख्य भाग — न्यायिक पुनर्विलोकन — प्रक्रिया बनाम गुण-दोष की रेखा, लोक व्यवस्था पर लोहिया और अरुण घोष, तथा अभियोजन के विकल्प के रूप में हिरासत पर रेखा और बंका स्नेहा शीला को समझाइए। इन्हें 'उकसावे' वाले विवादित आधार और राज्य के 'लोक व्यवस्था, कानून-व्यवस्था नहीं' वाले तर्क पर लागू कीजिए। मुख्य भाग — दायित्व — राज्य के दायित्व पर रुदल शाह और नीलाबती बेहेरा, जाँच के बाद अधिकारियों से वसूली (लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम एम.के. गुप्ता), और सुनवाई की मोहम्मद नईम वाली अपेक्षा पर चर्चा कीजिए। इसके विपरीत, खनन माफ़िया वाले मामले को हिरासत के वैध उपयोग के उदाहरण के रूप में रखिए। निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि राज्य को पहले भुगतान करना चाहिए और जाँच के बाद दुर्भावना से काम करने वाले अधिकारियों से वसूली करनी चाहिए, तथा यह कि तेज़ और अधिक पारदर्शी सलाहकार बोर्ड ही स्वतंत्रता के वास्तविक रक्षक हैं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप ज़िलाधिकारी हैं और पुलिस एक नियोजित मार्च से पहले एक विरोध-प्रदर्शन के आयोजक को NSA के तहत हिरासत में लेने का अनुरोध करती है। हस्ताक्षर करने से पहले आप क्या-क्या जाँचेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं यह देखूँगा कि क्या ऐसी विशिष्ट, हाल की और प्रासंगिक सामग्री है जो लोक व्यवस्था — यानी समुदाय के जीवन — के लिए खतरा दर्शाती हो, न कि केवल कानून-व्यवस्था की ऐसी समस्या जिसे सामान्य आपराधिक कानून, निषेधाज्ञा या ज़मानत की शर्तों से संभाला जा सके। मैं हर आधार को अभिलेख से मिलाकर सत्यापित करूँगा, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपित तिथियों पर वह व्यक्ति वास्तव में कहाँ था, क्योंकि तथ्यात्मक रूप से गलत आधार पूरे आदेश को दूषित कर देता है। मैं सुनिश्चित करूँगा कि आधार वैधानिक समय-सीमा के भीतर उस व्यक्ति को समझ आने वाली भाषा में तामील किए जा सकें, और कोई भी अभ्यावेदन तुरंत राज्य तक पहुँचे। यदि सामग्री कमज़ोर हो, तो मैं मना कर दूँगा और अपने कारण दर्ज करूँगा; हस्ताक्षर मेरा है, पुलिस का नहीं। प्रश्न 2. आप मुख्य सचिव हैं। एक उच्च न्यायालय ने एक ज़िलाधिकारी के वेतन से मुआवज़ा देने का आदेश दिया है और उन्हें बिना सुनवाई के दोषी ठहराया है। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? दृष्टिकोण (Approach): मैं व्यक्तिगत दंड और प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती दूँगा, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हुई — जैसा राज्य ने किया भी है — क्योंकि यदि अधिकारियों को बिना सुने दोषी ठहराया जा सकता है तो वे काम नहीं कर पाएँगे। पर मैं इस मामले को केवल ज़िलाधिकारी

से जुड़ा नहीं मानूंगा : मैं इसकी समीक्षा का आदेश दूंगा कि यह हिरासत कैसे प्रस्तावित हुई, कैसे अनुमोदित हुई और सलाहकार बोर्ड के सामने कैसे रखी गई, और साथ ही राज्य में लंबित सभी NSA हिरासतों की भी समीक्षा करवाऊंगा। यदि अंततः हिरासत अवैध ठहराई जाती है, तो राज्य को तुरंत मुआवज़ा देना चाहिए और फिर जाँच के बाद तय करना चाहिए कि क्या किसी ने दुर्भावना से काम किया। अधिकारियों के साथ खड़े रहना और नागरिकों की रक्षा करना — दोनों ही मेरे कर्तव्य हैं।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या निवारक निरोध एक लोकतांत्रिक संविधान के अनुरूप है?

दृष्टिकोण (Approach): संविधान निर्माताओं ने विभाजन की हिंसा के बीच इसे सोच-समझकर शामिल किया था, पर इसे अनुच्छेद 22 के सुरक्षा उपायों से घेर दिया; और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (International Covenant on Civil and Political Rights) का अनुसमर्थन करते समय भारत ने घोषणा की थी कि उसके अनुच्छेद 9 को अनुच्छेद 22 के अनुरूप लागू किया जाएगा। ऐसे संगठित खतरों के विरुद्ध इसे उचित ठहराया जा सकता है जिन्हें सामान्य कानून नियंत्रित नहीं कर पाता, जैसे अधिकारियों की हत्या करने वाले नेटवर्क। यह लोकतंत्र के प्रतिकूल तब हो जाता है जब इसका उपयोग असहमति को पहले ही दबा देने के लिए या अभियोजन की मेहनत से बचने के लिए किया जाए। कसौटी यह है कि यह केवल कागज़ पर नहीं, व्यवहार में भी असाधारण बना रहे, और इसके लिए तेज़ समीक्षा तथा दुरुपयोग के वास्तविक परिणाम आवश्यक हैं।

1.5 तटीय कर्नाटक में तुलु बनी दूसरी अतिरिक्त प्रशासनिक भाषा; कक्षा 6 को राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र पर ज़ोर डाला

समाचार (THE NEWS) बेंगलुरु और नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस आज पिछले सप्ताह लिए गए उस निर्णय की व्याख्या करता है, जिस पर 21 सितंबर को यहीं एक कार्ड दिया गया था: डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व वाली कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मंगलुरु में मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में तुलु को तटीय जिलों दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में “दूसरी अतिरिक्त प्रशासनिक भाषा” (second additional administrative language) का दर्जा दिया। अब इन दोनों जिलों के सरकारी कार्यालय कन्नड़ के साथ-साथ तुलु में भी आधिकारिक पत्राचार कर सकेंगे, और मंत्रिमंडल ने अनुवाद, प्रशिक्षण और इनसे जुड़ी गतिविधियों के लिए हर वर्ष ₹82 लाख का प्रावधान किया है। आज की रिपोर्ट में नई जानकारी यह है: तुलु को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के साथ पाँच द्रविड़ भाषाओं (Dravidian languages) में गिना जाता है; यह मुख्यतः इन्हीं दो जिलों और उत्तरी केरल के कुछ भागों में बोली जाती है, मुंबई और बेंगलुरु की ओर पलायन के बावजूद इसके लगभग 18 से 20 लाख मातृभाषी वक्ता हैं, और यक्षगान तथा भूत कोला जैसी परंपराएँ इसी भाषा से जुड़ी हैं। कभी तुलु की अपनी लिपि थी, पर अब यह अधिकतर कन्नड़ लिपि में लिखी जाती है। इसके भाषियों का तर्क है कि तुलु को वह दर्जा नहीं मिला जो कोंकणी या कोडव जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को मिला, और अन्य द्रविड़ भाषाओं के विपरीत 1956 के पुनर्गठन में इसे कोई भाषाई राज्य (linguistic State) भी नहीं मिला। बाधाएँ व्यावहारिक हैं: तुलु लिपि जानने वाले बहुत कम हैं, यह भाषा स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई नहीं जाती, और क्षेत्र में गिने-चुने साइनबोर्ड ही तुलु में हैं। रिपोर्ट इस कदम को राजनीतिक चश्मे से भी देखती है: तटीय कर्नाटक भाजपा का गढ़ है, और मंगलुरु की बैठक को मतदाताओं की सांस्कृतिक विरासत से की गई अपील माना जा रहा है। उधर नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार को उस सुझाव पर निर्णय लेने के लिए और समय दिया जाए, जिसके अनुसार कक्षा 6 के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति (three-language policy) से छूट दी जा सकती है; इस नीति के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों को तीन भाषाएँ सीखनी होती हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने उत्तर दिया: “आप समय लीजिए, पर यह देखिए कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कुछ राहत मिले। हमने यह सुझाव वैधता के किसी बिंदु पर नहीं, बल्कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों की सुविधा और सहूलियत को ध्यान में रखकर दिया था।” पिछली सुनवाई में न्यायालय ने प्रस्ताव रखा था कि यह योजना कक्षा 6 के लिए 1 जनवरी 2027 से ही अनिवार्य की जाए; यह स्कूलों में भाषा से जुड़ी उसी कड़ी का अगला चरण है, जिस पर 18 सितंबर को कार्ड दिया गया था। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-1 — विविधता और क्षेत्रवाद; सामान्य अध्ययन-2 — संघवाद और संविधान के भाषा संबंधी प्रावधान।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1956 का पुनर्गठन तुलु-भाषी दक्षिण कनारा क्षेत्र को मैसूर और केरल के बीच बाँट देता है, और तुलु की कोई अलग इकाई नहीं बनती → 1963 के अधिनियम के अंतर्गत कन्नड़ राज्य की राजभाषा बनती है, और तुलु आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) से बाहर रहती है → तटीय विधायकों और तुलु भाषियों की दशकों पुरानी माँगें → मंत्रिमंडल मंगलुरु में बैठक कर तुलु को दो जिलों में प्रशासनिक प्रयोग की अनुमति देता है और हर वर्ष ₹82 लाख का प्रावधान करता है → अब सफलता लिपि, स्कूली शिक्षा और विधिक आधार पर निर्भर है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय केंद्र से कक्षा 6 के लिए त्रिभाषा अनिवार्यता में नरमी बरतने को कहता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. संविधान राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने देता है, और राष्ट्रपति को बड़े भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण देने की शक्ति देता है — अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा (Official Language) घोषित करता है, और राजभाषा अधिनियम, 1963 (Official Languages Act, 1963) के अंतर्गत अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी है। अनुच्छेद 345 किसी राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार देता है कि वह विधि द्वारा राज्य में प्रयुक्त होने वाली एक या अधिक भाषाओं को, या हिंदी को, अपने सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार करे; कर्नाटक ने कर्नाटक राजभाषा अधिनियम, 1963 (Karnataka Official Language Act,

1963) के माध्यम से कन्नड़ के लिए यही किया। अनुच्छेद 347 संरक्षण का एक और मार्ग खोलता है: मांग किए जाने पर राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त अनुपात द्वारा बोली जाने वाली भाषा को पूरे राज्य में या उसके किसी भाग में शासकीय मान्यता दी जाए। कई राज्य पहले से ही पूरे राज्य में या क्षेत्रीय स्तर पर दूसरी राजभाषाओं का प्रयोग करते हैं — उत्तर प्रदेश और बिहार में उर्दू, दिल्ली में पंजाबी और उर्दू — इसलिए तुलु को ज़िला स्तर पर मिला दर्जा एक स्थापित परंपरा के अनुरूप ही है।

2. **भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अलग संवैधानिक रक्षोपाय हैं** — अनुच्छेद 29(1) नागरिकों के ऐसे किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का संरक्षण देता है, और अनुच्छेद 30 धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ भाषाई अल्पसंख्यकों (linguistic minorities) को भी अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत के निवारण के लिए संघ या राज्य में प्रयुक्त किसी भी भाषा में अभ्यावेदन (representation) देने का हकदार है। 1956 में सातवें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 350A राज्यों और स्थानीय प्राधिकारियों को निर्देश देता है कि वे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करें, और अनुच्छेद 350B राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (Special Officer for Linguistic Minorities) का प्रावधान करता है, जिसके प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जाते हैं। अनुच्छेद 351 संघ को निर्देश देता है कि वह आठवीं अनुसूची की भाषाओं से शब्द-संपदा ग्रहण करते हुए हिंदी के प्रसार को बढ़ावा दे।
3. **आठवीं अनुसूची बिना किसी निश्चित मानदंड के 14 से 22 भाषाओं तक पहुँची है, और तुलु उसमें शामिल नहीं है** — आठवीं अनुसूची की शुरुआत 14 भाषाओं से हुई थी; 21वें संशोधन (1967) द्वारा सिंधी, 71वें संशोधन (1992) द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तथा 92वें संशोधन (2003) द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई, जिससे इनकी संख्या 22 हो गई। केंद्र सरकार स्वयं कह चुकी है कि समावेशन के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड विकसित करने के प्रयास — पाहवा समिति (1996) और सीताकांत महापात्र समिति (2003) के माध्यम से — सफल नहीं हुए, इसलिए किसी भाषा को शामिल करना आज भी एक राजनीतिक निर्णय है। समावेशन का व्यावहारिक महत्त्व है; उदाहरण के लिए, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (Civil Services Main Examination) के अभ्यर्थी आठवीं अनुसूची की किसी भी भाषा में अपने उत्तर लिख सकते हैं। शास्त्रीय भाषा (Classical Language) का दर्जा एक अलग मान्यता है, जो अब 11 भाषाओं को प्राप्त है — तमिल (2004) से लेकर मराठी, पालि, प्राकृत, असमिया और बांग्ला (2024) तक; तुलु के पास इनमें से कोई भी दर्जा नहीं है, यद्यपि कर्नाटक में एक तुलु साहित्य अकादमी है।
4. **भाषाई राज्य और त्रिभाषा सूत्र, दोनों ही आरंभिक गणतंत्र के समझौते थे** — पोर्ट्रि श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद 1953 में आंध्र राज्य का गठन हुआ; इसके पश्चात फ़ज़ल अली, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंज़रू के राज्य पुनर्गठन आयोग (States Reorganisation Commission) की अनुशंसाओं से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (States Reorganisation Act, 1956) बना, जिसने मोटे तौर पर भाषाई आधार पर 14 राज्य और छह केंद्रशासित प्रदेश बनाए। मद्रास राज्य का तुलु-भाषी दक्षिण कनारा ज़िला मैसूर को मिला, केवल कासरगोड केरल में गया; 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। त्रिभाषा सूत्र (three-language formula) की संशोधित रूप में अनुशंसा डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता वाले शिक्षा आयोग (Education Commission) (1964-66) ने की थी और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 (National Policy on Education, 1968) में अपनाया गया, जबकि तमिलनाडु 1968 से द्विभाषा नीति पर चलता आया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020) इस सूत्र को 'अधिक लचीलेपन' के साथ बनाए रखती है, यह अपेक्षा करती है कि तीन में से कम से कम दो भाषाएँ भारत की मूल भाषाएँ हों, और आश्वासन देती है कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी; 1976 के 42वें संशोधन के बाद से शिक्षा समवर्ती सूची (Concurrent List) का विषय है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **भाषा का प्रश्न सामान्य अध्ययन-1 और सामान्य अध्ययन-2 के संगम पर खड़ा है** — सामान्य अध्ययन-1 में 'भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ, भारत की विविधता' और क्षेत्रवाद आते हैं, जबकि सामान्य अध्ययन-2 में संघवाद और संवैधानिक ढाँचा। भाषाई राज्यों और क्षेत्रवाद पर मुख्य परीक्षा के प्रश्नों में अब तुलु को एक जीवंत उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है — ऐसी मान्यता का, जो नया राज्य बनाकर नहीं, बल्कि राज्य से नीचे के स्तर पर दी गई है।
2. **प्रारंभिक परीक्षा अनुच्छेदों और अनुसूची की सटीक जानकारी परखती है** — अनुच्छेद 343 से 351, आठवीं अनुसूची की भाषाओं, उन्हें जोड़ने वाले संशोधनों और शास्त्रीय भाषाओं की सूची पर कथन-आधारित प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 347, 350A और 350B आपस में आसानी से गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से दोहराना चाहिए।
3. **शिक्षा और भाषा से जुड़ा संघवाद मुख्य परीक्षा का सजीव विषय है** — 1968 के बाद से हर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र पर बहस हुई है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाले स्वरूप ने केंद्र और राज्यों के बीच खींचतान को जन्म दिया है। समवर्ती सूची के विषय शिक्षा में

सहकारी संघवाद (cooperative federalism) से जुड़े प्रश्नों में सर्वोच्च न्यायालय की कक्षा 6 वाली सुनवाई को इस बात के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है कि न्यायालय नीति को रद्द करने के बजाय उसके क्रियान्वयन में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- अनुच्छेद 345 किसी राज्य के विधानमंडल को यह शक्ति देता है कि वह विधि द्वारा राज्य में प्रयुक्त होने वाली एक या अधिक भाषाओं को, या हिंदी को, अपने शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार करे।
- अनुच्छेद 347 के अंतर्गत, माँग किए जाने पर राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त अनुपात द्वारा बोली जाने वाली भाषा को पूरे राज्य में या उसके किसी भाग में शासकीय मान्यता दी जाए।
- संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 350A भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 350B राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।
- कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया; तुलु आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है।
- त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता वाले शिक्षा आयोग (1964-66) ने की थी और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में अपनाया गया।
- जिस राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 बना, उसकी अध्यक्षता फ़ज़ल अली ने की थी।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. तुलु के लिए ज़िला स्तर का दर्जा सही पैमाना है, पर साक्षरता के बिना शासकीय प्रयोग से सेवा नहीं सुधरेगी, केवल साइनबोर्ड बदलेंगे — तुलु दो ज़िलों में केंद्रित है, इसलिए पूरे राज्य के स्तर पर दर्जा केवल प्रतीकात्मक होता, जबकि ज़िला स्तर का दर्जा नागरिकों को उसी भाषा में कार्यालयों से व्यवहार करने देता है जो वे घर में बोलते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस असली बाधा को पहचानता है: तुलु लिपि बहुत कम लोग जानते हैं, और यह भाषा स्कूलों या कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती। जब तक आवेदन, सूचनाएँ और उत्तर उस कन्नड़ लिपि में नहीं लिखे जा सकेंगे जिसे तुलु भाषी पहले से पढ़ते हैं, तब तक तालुका कार्यालय में इस दर्जे से बहुत कम बदलेगा। हर वर्ष ₹82 लाख से दो ज़िलों के लिए अनुवादकों और एक शब्दावली का खर्च तो निकल सकता है, पर किसी साक्षरता कार्यक्रम का नहीं। दो वर्ष बाद असली कसौटी यह होगी कि क्या कोई किसान तुलु में आवेदन दे सकता है और उसका उत्तर भी तुलु में पा सकता है।
2. मंगलुरु के समारोह से अधिक महत्वपूर्ण इस निर्णय का विधिक स्वरूप है — अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल द्वारा 'विधि द्वारा' भाषाएँ अंगीकार करने की बात करता है, और कन्नड़ का दर्जा कर्नाटक राजभाषा अधिनियम, 1963 पर टिका है। रिपोर्ट मंत्रिमंडल के एक निर्णय और 'प्रशासनिक' दर्जे का वर्णन करती है; वह यह नहीं बताती कि 1963 के अधिनियम में संशोधन किया जाएगा या नहीं। कोई कार्यकारी आदेश (executive order) कार्यालयी पत्राचार में तुलु के प्रयोग की अनुमति दे सकता है, पर सांविधिक आधार (statutory basis) इस दर्जे को सरकारें बदलने पर भी टिकाऊ बनाएगा और नागरिक इसे लागू करवा सकेंगे, जैसे दिल्ली की दूसरी राजभाषाएँ उसकी विधानसभा के एक अधिनियम पर आधारित हैं। यही वह प्रश्न है जिस पर नज़र रखनी चाहिए, विशेषकर इसलिए कि यह क्षेत्र निर्णय लेने वाले दल से अलग ढंग से मतदान करता है, और भविष्य की कोई सरकार किसी कार्यकारी आदेश को चुपचाप निष्प्रभावी होने दे सकती है।
3. मान्यता चुनावी गणित भी है, और इससे वह अनुचित नहीं हो जाती — द इंडियन एक्सप्रेस मंगलुरु बैठक को कांग्रेस के इस प्रयास के रूप में देखता है कि जातियों को एकजुट करने की कोशिशें विफल होने के बाद वह सांस्कृतिक विरासत के सहारे भाजपा के गढ़ में मतदाताओं तक पहुँचे। लोकतांत्रिक राजनीति से अपेक्षा ही यह है कि वह पहचान से जुड़े दावों का उत्तर दे, और तटीय सदस्यों द्वारा वर्षों से विधानमंडल में उठाई जा रही माँग केवल इसलिए कम न्यायसंगत नहीं हो जाती कि उसे चुनाव से पहले पूरा किया गया। जोखिम कहीं और हैं: अन्य तटीय समुदाय, जैसे कोंकणी, व्यारी और कोडव भाषी, इसी तरह के दर्जे की माँग कर सकते हैं, और कन्नड़ संगठनों को राज्य की भाषा के कमज़ोर पड़ने की आशंका हो सकती है। चूँकि तुलु कन्नड़ लिपि में लिखी जाती है और यह दर्जा कन्नड़ का स्थान लेने वाला नहीं बल्कि अतिरिक्त है, इसलिए भाषाई टकराव का जोखिम कम है और एक जीवित भाषा को मान्यता देने का लाभ वास्तविक है।
4. कक्षा 6 की सुनवाई में न्यायालय ने वैधता से ऊपर निष्पक्षता को रखा, और यह उचित था — न्यायमूर्ति बागची ने स्पष्ट कहा कि कक्षा 6 के वर्तमान बैच को छूट देने का सुझाव वैधता के

किसी बिंदु पर' नहीं, बल्कि बच्चों की 'सुविधा और सहूलियत' के लिए दिया गया था। यही संक्रमणकालीन निष्पक्षता (transitional fairness) का सिद्धांत है: कोई नई अपेक्षा उन बच्चों पर लागू होनी चाहिए जो उसके लिए तैयारी कर सकें, न कि उन बच्चों पर जो स्कूली वर्ष के बीच में पहुँच चुके हैं। इसका प्रतितर्क शक्तियों का पृथक्करण (separation of powers) है — पाठ्यक्रम नीति का विषय है, और न्यायालयों को समय-सारिणी का प्रबंधन नहीं करना चाहिए। किंतु न्यायालय ने केवल 1 जनवरी 2027 की आरंभ तिथि का प्रस्ताव रखा है और निर्णय केंद्र पर छोड़ा है, जो संयम है, अतिक्रमण नहीं। सरकार का और समय माँगना तभी उचित ठहरगा जब इसी शैक्षणिक वर्ष में इन विद्यार्थियों तक वास्तव में राहत पहुँचे।

5. दोनों खबरें एक ही समझौते की परीक्षा हैं: भाषा नीति तभी सफल होती है जब वह बोलने वाले के निकट बने — राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आश्वासन देती है कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी और तीनों भाषाओं का चयन राज्य, क्षेत्र और विद्यार्थी स्वयं करेंगे। तुलु की मान्यता राज्य से नीचे के स्तर पर ऐसे चयन की माँग को दिखाती है: कक्षा 6 का विवाद दिखाता है कि जब कोई अपेक्षा ऊपर से अचानक थोप दी जाती है तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। त्रिभाषा सूत्र 1968 से असमान रूप से लागू हुआ है, ठीक इसलिए कि उसने राज्यों से ऐसी भाषाएँ पढ़ाने को कहा जिनका उनके विद्यार्थियों को कोई स्वास उपयोग नहीं दिखता था। 1956 से भारत का भाषाई समझौता इन्हीं निर्णयों के विकेंद्रीकरण के बल पर टिका रहा है, और कर्नाटक मंत्रिमंडल तथा सर्वोच्च न्यायालय, दोनों अपने-अपने ढंग से इसी सबक को लागू कर रहे हैं।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

“भारत की संवैधानिक भाषा नीति एकता और विविधता की मान्यता के बीच संतुलन साधती है।” कर्नाटक द्वारा दो तटीय जिलों में तुलु को शासकीय दर्जा दिए जाने और स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र पर चल रही बहस के आलोक में भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का तथा वे व्यवहार में कितने सफल रहे हैं, इसका परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

1. भूमिका — कर्नाटक मंत्रिमंडल के मंगलुरु निर्णय से शुरुआत कीजिए, जिसने दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में तुलु को दूसरी अतिरिक्त प्रशासनिक भाषा बनाया, और त्रिभाषा नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की कक्षा 6 वाली सुनवाई का उल्लेख कीजिए।
2. मुख्य भाग — संवैधानिक ढाँचा — अनुच्छेद 343 से 351 को क्रम से रखिए और अनुच्छेद 345 तथा 347 पर विशेष बल दीजिए; अनुच्छेद 29, 30, 350A और 350B में दिए गए अल्पसंख्यक रक्षोपाय, तथा आठवीं अनुसूची, उसके संशोधन और निश्चित मानदंडों का अभाव बताइए।
3. मुख्य भाग — व्यवहार में अनुभव — 1956 के भाषाई पुनर्गठन और कई राज्यों में दूसरी राजभाषाओं को टकराव शांत करने का श्रेय दीजिए; कमियाँ दिखाने के लिए तुलु का उदाहरण लीजिए — न अपना राज्य, न आठवीं अनुसूची में स्थान, और ऐसी लिपि जिस बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं; अनुच्छेद 345 के अंतर्गत विधिक स्वरूप का प्रश्न भी उठाइए।
4. मुख्य भाग — स्कूलों में भाषा — कोठारी आयोग (Kothari Commission) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक त्रिभाषा सूत्र की यात्रा बताइए; तमिलनाडु की द्विभाषा नीति, समवर्ती सूची में शिक्षा, और कक्षा 6 के मामले में न्यायालय के संक्रमणकालीन निष्पक्षता वाले दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए।
5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि भारत का भाषाई समझौता चयन और विकेंद्रीकरण के माध्यम से ही सबसे अच्छा काम करता है, और मान्यता को वास्तविक बनाने के लिए उसके पीछे विधि, लिपि-साक्षरता और स्कूली शिक्षा का आधार होना चाहिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. आप दक्षिण कन्नड़ के उपायुक्त (Deputy Commissioner) हैं। अपने कार्यालयों में तुलु के नए दर्जे को वास्तविक कैसे बनाएंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं शुरुआत उन बिंदुओं से करूँगा जहाँ नागरिक सीधे प्रशासन से मिलता है: सहायता डेस्क, आवेदन पत्र, सार्वजनिक सूचनाएँ और शिकायत काउंटर, जहाँ तुलु का प्रयोग उसी कन्नड़ लिपि में किया जा सके जिसे इसके भाषी पहले से पढ़ते हैं। ₹82 लाख के एक भाग से मैं तुलु साहित्य अकादमी के साथ मिलकर प्रशासनिक शब्दों की एक मानक शब्दावली तैयार करवाऊँगा और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाऊँगा, तथा ज़िला और तालुका कार्यालयों में तुलु भाषी अनुवादक तैनात करूँगा। हर महीने मैं यह देखूँगा कि कितने आवेदन और उत्तर तुलु में हुए। जो शासकीय दर्जा ग्राम लेखाकार की मेज़ तक कभी नहीं पहुँचता, वह केवल एक प्रेस विज्ञापित भर है।

प्रश्न 2. राज्य के शिक्षा सचिव के रूप में आपको पता चलता है कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों को सत्र के बीच में अचानक एक तीसरी भाषा पढ़नी होगी। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): सबसे पहले मैं वर्तमान बैच की रक्षा करूँगा — या तो उसे पुरानी योजना के अंतर्गत ही पढ़ने दूँगा, या इस वर्ष तीसरी भाषा को परीक्षा से बाहर रखूँगा — तब तक, जब तक शिक्षकों और पाठ्य सामग्री की व्यवस्था न हो जाए। मैं स्कूलवार शिक्षकों की उपलब्धता का

आकलन करूँगा, क्योंकि शिक्षकों के बिना तीसरी भाषा केवल काराज़ी अपेक्षा बनकर रह जाती है। मैं अभिभावकों और स्कूलों को स्पष्ट समय-सीमा बताऊँगा, और जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाया है, इस अनिवार्यता की शुरुआत ऐसे बैच से करूँगा जो पहले से इसकी योजना बना सके। जहाँ संभव हो, मैं क्षेत्रीय और अल्पसंख्यक भाषाओं सहित वास्तविक विकल्प दूँगा, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह वचन निभे कि कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या तुलु को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): तुलु के वक्ताओं की बड़ी संख्या, उसकी समृद्ध मौखिक और प्रदर्शन-कला परंपरा, और उसकी अपनी ऐतिहासिक लिपि — ये सब मिलकर एक मज़बूत आधार बनाते हैं, और समावेशन से मान्यता के साथ-साथ व्यावहारिक लाभ भी मिलेंगे, जैसे राष्ट्रीय परीक्षाओं में उसका प्रयोग। कठिनाई यह है कि कोई निश्चित मानदंड नहीं हैं और अनेक भाषाओं के दावे लंबित हैं, इसलिए हर समावेशन दूसरे दावों को न्योता देता है। एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण यह होगा कि पारदर्शी मानदंड — वक्ताओं की संख्या, साहित्यिक परंपरा, शिक्षा में प्रयोग — तय किए जाएँ और हर दावेदार पर समान रूप से लागू किए जाएँ। किसी भी तर्कसंगत मानदंड पर तुलु एक सशक्त दावेदार ठहरेगी।

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

आज की हर खबर एक ही सवाल पूछती है: जो नीति सिद्धांत में सही है, उसकी क्रियम आखिर कौन चुकाता है? भारत यूरोप के लिए अपना बाजार खोलता है, पर डेयरी और कार्बन को शुल्क-अनुसूची के दायरे से बाहर रखता है; खरीदारों की रक्षा के लिए बने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश उन छोटी फ़र्मों पर बोझ बन रहे हैं जो विनियमित कच्चे माल का उपयोग करती हैं; IRDAI चाहता है कि बीमा बेचने की लागत पॉलिसीधारक नहीं, वितरक उठाएँ; प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) आगाह करता है कि पूँजी, आपूर्ति शुंखलाएँ और प्रौद्योगिकी विदेश से 'बंद' की जा सकती हैं; और दिल्ली के बस डिपो तथा देश की बैंक शाखाओं में कर्मचारी पर खड़े हैं कि जब सेवा आवश्यक हो, तब हड़ताल कहाँ तक जा सकती है। हर मामले में नीति उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा उसका इस सवाल का जवाब कि क्रियम कौन चुकाएगा।

2.1 भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते पर 16 दिसंबर को ब्रसेल्स में हस्ताक्षर होंगे, सदस्य देशों के अनुसमर्थन की जरूरत नहीं

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। दो राजनयिक सूत्रों ने अलग-अलग द हिंदू से पुष्टि की है कि भारत और यूरोपीय संघ (European Union — EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement — FTA) पर 16 दिसंबर को हस्ताक्षर होंगे; एक सूत्र के अनुसार हस्ताक्षर ब्रसेल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होंगे। आज की नई बात तारीख और अनुसमर्थन का रास्ता है; यह पत्रिका इस समझौते के तहत EU इस्पात कोटा और कॉपीराइट से जुड़े एक मसौदा अध्याय पर पहले लिख चुकी है। दोनों पक्षों के नेताओं ने जिस समझौते को “सभी समझौतों की जननी” (mother of all deals) कहा, उस पर वार्ता लंबे अंतराल के बाद जून 2022 में फिर शुरू हुई और जनवरी 2026 में पूरी हुई। EU भारत से आने वाली 99.5% निर्यात मर्दों पर शुल्क घटाएगा, और इनमें से अधिकांश पर समझौता लागू होते ही शुल्क शून्य हो जाएगा, जबकि भारत ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार-मूल्य के 97.5% हिस्से पर शुल्क रियायतें दी हैं। चूंकि यूरोप में इस समझौते को “बहुमत का समर्थन” प्राप्त है, इसलिए यूरोपीय परिषद (European Council) की हरी झंडी मिलने के बाद हर EU देश को इसका अलग से अनुसमर्थन (ratification) — यानी वह औपचारिक कृत्य जिससे हस्ताक्षरित संधि बाध्यकारी बनती है — नहीं करना होगा; द हिंदू इस समर्थन का श्रेय दोनों पक्षों के उस निर्णय को देता है जिसके तहत विवादित मुद्दों को बाहर रखा गया और “सर्वश्रेष्ठ को अच्छे का शत्रु” नहीं बनने दिया गया। हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय संसद को समझौता पारित करना होगा, जिसमें एक से दो महीने और लगेंगे, और इसके बाद “2027 की शुरुआत” में इसके लागू होने का रास्ता खुलेगा। यह यात्रा दिसंबर में श्री मोदी की कनाडा, अमेरिका और बेल्जियम की लगातार यात्राओं का हिस्सा है, जहाँ तीन अलग-अलग FTA पर या तो बातचीत चल रही है या वे मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं; मियामी में होने वाले G-20 शिखर सम्मेलन से पहले उनके लगभग 12 दिसंबर को कनाडा पहुँचने की संभावना है, और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि व्यापार वार्ता में “अच्छी प्रगति” हुई है। 29 जनवरी के PIB के एक FAQ के अनुसार 2024-25 में भारत-EU व्यापार 136.54 अरब डॉलर रहा, जिसमें भारतीय निर्यात 75.85 अरब डॉलर का था। एक संपादकीय में द हिंदू तर्क देता है कि 20 अक्टूबर से लागू भारत-न्यूज़ीलैंड FTA दिखाता है कि छोटे समझौते बड़े समझौतों के पूरक क्यों होते हैं: 1.1 अरब डॉलर का द्विपक्षीय वस्तु व्यापार भारत के कुल व्यापार के 1% से भी कम है, फिर भी भारत ने अपने 100% निर्यात के लिए शुल्क-मुक्त पहुँच हासिल की, डेयरी और अपनी लगभग 30% आयात मर्दों (import lines) को शुल्क रियायतों से बाहर रखा, और 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर के निवेश को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता भी प्राप्त की। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 (व्यापार और उदारीकरण) तथा GS2 (भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते)।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

2007 में शुरू हुई भारत-EU व्यापक आधार वाले व्यापार एवं निवेश समझौते (Broad-based Trade and Investment Agreement — BTIA) की वार्ता 2013 तक ठप हो जाती है → भारत 2019 में RCEP से बाहर निकलता है और संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षा-धेरे में रखते हुए द्विपक्षीय समझौतों की ओर मुड़ता है → जून 2022 में वार्ता फिर शुरू होती है और विवादित मुद्दों को बाहर रखकर जनवरी 2026 में पूरी होती है → सीमित दायरे के कारण यूरोप में बहुमत का समर्थन मिलता है, इसलिए किसी सदस्य देश को अलग से अनुसमर्थन नहीं करना पड़ता → 16 दिसंबर को ब्रसेल्स में हस्ताक्षर, एक से दो महीने में यूरोपीय संसद की स्वीकृति और 2027 की शुरुआत में क्रियान्वयन

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. व्यापार EU की अनन्य क्षमता है, और यही ‘केवल-EU’ समझौते को संभव बनाता है — यूरोपीय संघ की कार्यप्रणाली संबंधी संधि (Treaty on the Functioning of the European Union — TFEU) का अनुच्छेद 3(1)(e) साझा वाणिज्यिक नीति (common commercial policy) को ऐसा क्षेत्र बनाता है जिसमें केवल संघ ही कार्य कर सकता है, और अनुच्छेद 207 इसका विस्तार वस्तुओं, सेवाओं, बौद्धिक संपदा के वाणिज्यिक पहलुओं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तक करता है। अनुच्छेद 218 के तहत वार्ता यूरोपीय आयोग (European Commission) करता है; यूरोपीय संघ की परिषद (Council of the EU) — जिसमें सदस्य देशों के मंत्री होते हैं — हस्ताक्षर को अधिकृत करती है और समझौते को संपन्न करती है, सामान्यतः योग्य बहुमत (qualified majority) से, यानी ऐसे 55% सदस्य देशों की सहमति से जो EU की कम से कम 65% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हों; और यूरोपीय संसद की सहमति भी अनिवार्य है। इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित समझौता सभी 27 सदस्य देशों पर बाध्यकारी होता है, भले ही किसी भी राष्ट्रीय संसद ने उस पर मतदान न किया हो। द हिंदू के सूत्र यूरोपीय परिषद की बात करते हैं, जो राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों का वह मंच है जो राजनीतिक दिशा तय करता है; औपचारिक निर्णय यूरोपीय संघ की परिषद लेती है।
2. मिश्रित समझौतों के लिए हर सदस्य देश का अनुसमर्थन चाहिए, और EU के व्यापार समझौते यहीं अटकते हैं — EU-सिंगापुर FTA पर मई 2017 की अपनी राय 2/15 (Opinion 2/15) में

यूरोपीय संघ के न्यायालय (Court of Justice of the EU) ने माना कि लगभग पूरा समझौता संघ अकेले संपन्न कर सकता है, पर गैर-प्रत्यक्ष (पोर्टफोलियो) निवेश और निवेशक-राज्य विवाद निपटान (investor-state dispute settlement) ऐसी क्षमताएँ हैं जो सदस्य देशों के साथ साझा हैं। ऐसे साझा तत्वों वाला समझौता 'मिश्रित समझौता' (mixed agreement) कहलाता है, जिसका अनुसमर्थन हर सदस्य देश को भी करना पड़ता है, और कुछ मामलों में क्षेत्रीय संसदों के ज़रिए भी। इसलिए EU अब अपने समझौतों को दो हिस्सों में बाँट देता है: EU-सिंगापुर व्यापार समझौता नवंबर 2019 में 'केवल-EU' समझौते के रूप में लागू हो गया, जबकि उसका निवेश संरक्षण समझौता धीमे राष्ट्रीय रास्ते से आगे बढ़ रहा है। EU-कनाडा व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (Comprehensive Economic and Trade Agreement — CETA) मिश्रित रास्ते का खतरा दिखाता है: अक्टूबर 2016 में वालोनिया (Wallonia) की क्षेत्रीय संसद ने कुछ समय के लिए बेल्जियम के हस्ताक्षर रोक दिए थे, और सितंबर 2017 से यह समझौता केवल अनंतिम रूप से (provisionally) लागू है।

3. **WTO क़ानून FTA की अनुमति तभी देता है जब वह 'लगभग समस्त व्यापार' को समेटे, भारत उसे चाहे जो नाम दे** — शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade — GATT) का अनुच्छेद XXIV मुक्त व्यापार क्षेत्रों और सीमा शुल्क संघों को सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र (most-favoured-nation) व्यवहार के अपवाद के रूप में अनुमति देता है, बशर्ते पक्षकारों के बीच "लगभग समस्त व्यापार" (substantially all the trade) पर शुल्क समाप्त कर दिए जाएँ; सेवाओं के लिए इसका समानांतर नियम सेवा व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Trade in Services) का अनुच्छेद V है। भारतीय व्यवहार में कई नाम चलते हैं: FTA प्रायः वस्तुओं के व्यापार के लिए कहा जाता है, जबकि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (Comprehensive Economic Cooperation Agreement — CECA) या व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement — CEPA) इसमें सेवाएँ, निवेश और अन्य अनुशासन जोड़ता है — जैसे भारत-सिंगापुर CECA (2005), भारत-जापान CEPA (2011) और भारत-UAE CEPA (2022)। ये नाम राजनीतिक चुनाव हैं; WTO क़ानून केवल यह देखता है कि व्यापार का कितना हिस्सा दायरे में आया।
4. **CBAM, उद्गम के नियम और संवेदनशील क्षेत्रों की छूट तय करती हैं कि शुल्क कटौती वास्तव में कितनी मूल्यवान है** — विनियम (EU) 2023/956 [Regulation (EU) 2023/956] से बना EU का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM) लोहा और इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन के उत्पादन में उत्सर्जित कार्बन के लिए आयातकों से भुगतान वसूलता है; अक्टूबर 2023 से चले केवल-रिपोर्टिंग वाले चरण के बाद, 1 जनवरी 2026 से आयात पर वित्तीय दायित्व लागू है। यह एकतरफ़ा उपाय है, सीमा शुल्क नहीं, इसलिए FTA का शून्य शुल्क इसे नहीं हटाता, जैसा कि इस पत्रिका ने 18 सितंबर को लिखा था। उद्गम के नियम (rules of origin) तय करते हैं कि किसी वस्तु को साझेदार देश में बनी माना जाए या नहीं; PIB के FAQ के अनुसार भारत-EU समझौता द्विपक्षीय संचयन (bilateral cumulation) की अनुमति देता है — यानी किसी भी साझेदार से लिया गया कच्चा माल उद्गम-योग्य माना जाता है — और विदेश व्यापार महानिदेशालय (Directorate General of Foreign Trade — DGFT) के एक प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए उद्गम की स्व-घोषणा (self-declaration) की अनुमति भी देता है। इसी FAQ के अनुसार भारत ने डेयरी, गोमांस और पोल्ट्री, मछली और समुद्री खाद्य, अनाज, फल और सब्ज़ियाँ, मेवे और खाद्य तेल को सुरक्षित रखा, जबकि EU ने मांस, डेयरी, शहद, चावल, चीनी और तंबाकू को बाहर रखा।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **BTIA प्रारंभिक परीक्षा में आ चुका है; अब हस्ताक्षरित FTA की बारी है** — UPSC प्रारंभिक परीक्षा 2017 में पूछा गया था कि 'व्यापक आधार वाला व्यापार एवं निवेश समझौता (BTIA)' शब्द किन वार्ताओं के संदर्भ में आता है; उत्तर था भारत और यूरोपीय संघ। हस्ताक्षरित समझौता, उसका 'केवल-EU' रास्ता और CBAM इसकी स्वाभाविक अगली कड़ियाँ हैं, और यूरोपीय परिषद बनाम यूरोपीय संघ की परिषद जैसे भेद ठीक वही जाल हैं जो UPSC बिछाता है।
2. **GS2 और GS3 दोनों इस ख़बर पर दावा करते हैं** — GS2 पाठ्यक्रम में भारत से जुड़े या उसके हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा समझौते शामिल हैं, और GS3 में अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव। मुख्य परीक्षा के व्यापार संबंधी प्रश्न प्रायः FTA साझेदारों के साथ व्यापार घाटे और RCEP से बाहर निकलने पर टिके होते हैं; EU समझौता दिखाता है कि भारत अब उस सुरक्षा-घेरे के साथ वार्ता कर रहा है जो उसके पहले के समझौतों में नहीं था।
3. **व्यापार और जलवायु का जुड़ाव एक उभरता विषय है** — CBAM, GS3 में व्यापार को पर्यावरण से जोड़ता है; स्वाभाविक प्रश्न यह है कि क्या कार्बन सीमा कर हरे लिबास में छिपा संरक्षणवाद हैं, और संशोधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (Energy Conservation Act, 2001) के तहत 2023 में अधिसूचित भारत की कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना (Carbon Credit Trading Scheme) इस प्रश्न के उत्तर का घरेलू पक्ष है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- यूरोपीय संघ की कार्यप्रणाली संबंधी संधि के अनुच्छेद 3(1)(e) के तहत साझा वाणिज्यिक नीति EU की अनन्य क्षमता का क्षेत्र है।
- TFEU के अनुच्छेद 218 के तहत यूरोपीय संघ की परिषद अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर करती है और उन्हें संपन्न करती है, तथा व्यापार समझौतों के लिए यूरोपीय संसद की सहमति आवश्यक है।
- EU-सिंगापुर FTA पर राय 2/15 (2017) में यूरोपीय संघ के न्यायालय ने माना कि पोर्टफोलियो निवेश और निवेशक-राज्य विवाद निपटान सदस्य देशों के साथ साझा क्षमताएँ हैं, इसलिए इन्हें शामिल करने वाले समझौते 'मिश्रित' समझौते होते हैं जिनके लिए सदस्य देशों का अनुसमर्थन आवश्यक है।
- यूरोपीय परिषद में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष, उसके अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष शामिल होते हैं; यह यूरोपीय संघ की परिषद से भिन्न है, जिसमें राष्ट्रीय मंत्री होते हैं।
- GATT का अनुच्छेद XXIV मुक्त व्यापार क्षेत्रों और सीमा शुल्क संघों को सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र सिद्धांत के अपवाद के रूप में अनुमति देता है, बशर्ते पक्षकारों के बीच लगभग समस्त व्यापार पर शुल्क समाप्त कर दिए जाएँ।
- EU का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र लोहा और इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन के आयात पर लागू होता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. **समझौता जो बाहर छोड़ता है, वही उसकी गति की क्रीम है** — द हिंदू का सूत्र स्पष्ट कहता है कि बहुमत का समर्थन इसलिए मिला क्योंकि विवादित मुद्दे बाहर रखे गए, और EU कानून बताता है कि यह क्यों अहम है। पोर्टफोलियो निवेश या निवेशक-राज्य मध्यस्थता को छूने वाला कोई भी अध्याय समझौते को 'मिश्रित' बना देता और उसे 27 राष्ट्रीय तथा कुछ क्षेत्रीय संसदों के सामने खड़ा कर देता। इसे 'केवल-EU' रखना सोच-समझकर चुनी गई संरचना है, और CETA के अनुभव के बाद एक समझदारी भरी संरचना। इसकी क्रीम यह है कि निवेश संरक्षण — जिस पर भारत और EU ने 2022 में भौगोलिक संकेतक (geographical indications) समझौते के साथ-साथ अलग वार्ता शुरू की थी — बाहर रह जाता है और उसे धीमे मिश्रित रास्ते से गुजरना होगा। प्रतिपक्ष यह है कि मूल्य का बड़ा हिस्सा वस्तुओं और सेवाओं में ही है, और अभी हस्ताक्षरित एक सीमित समझौता उस संपूर्ण समझौते से बेहतर है जो एक दशक तक संसदों में अटका रहे।
2. **शुल्क की विषमता कागज़ पर भारत के पक्ष में है, पर असली लाभ प्रतिस्पर्धियों से बराबरी है** — भारत की 99.5% निर्यात मर्दों पर EU की कटौती और बदले में व्यापार-मूल्य के 97.5% पर भारत की रियायतें — जिनमें से कई PIB के FAQ के अनुसार पाँच, सात या दस वर्षों में चरणबद्ध हैं — स्पष्ट जीत जैसी दिखती हैं। लेकिन EU के औसत शुल्क पहले से ही कम हैं, इसलिए लाभ वस्त्र, परिधान, चमड़ा और जूते-चप्पल जैसी श्रम-प्रधान वस्तुओं में सिमट जाता है। वहाँ प्रतिद्वंद्वियों को पहले से अधिमान्य पहुँच मिली हुई है — वियतनाम को EU के साथ अपने FTA के ज़रिए, जो अगस्त 2020 से लागू है, और बांग्लादेश को अल्प-विकसित देशों के लिए EU की 'हथियारों के अलावा सब कुछ' (Everything But Arms) योजना के ज़रिए। इन क्षेत्रों के लिए यह समझौता कोई बढ़त नहीं बनाता, बल्कि बराबरी का मैदान लौटाता है, इसलिए लाभ इस पर निर्भर करेगा कि पैमाने और अनुपालन में प्रतिस्पर्धियों की बराबरी हो पाती है या नहीं।
3. **यूरोप की संसद उस समझौते की जाँच-परख करेगी, जिस पर भारत की संसद कभी मतदान नहीं करेगी** — समझौता लागू होने से पहले यूरोपीय संसद की सहमति अनिवार्य है, और वह इस शक्ति का उपयोग साझेदारों पर श्रम, पर्यावरण और मानवाधिकार के मुद्दों पर दबाव बनाने के लिए करती रही है; एक से दो महीने का अनुमान यह मानकर चलता है कि समझौता बिना अड़चन पारित हो जाएगा। भारत में संधि करना कार्यपालिका की शक्ति है: संघ सूची की प्रविष्टि 14 संधियाँ करने और उन्हें लागू करने से संबंधित है, और अनुच्छेद 253 संसद को उन्हें लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है, पर कोई कानून यह अनिवार्य नहीं करता कि संसद किसी FTA को स्वीकृति दे। इस तरह यूरोपीय हितधारकों को एक औपचारिक सार्वजनिक बहस मिलती है, जो भारतीय किसानों, छोटी फ़र्माँ और श्रमिक संघों को नहीं मिलती। प्रतिपक्ष यह है कि कार्यपालिका का लचीलापन भारत को तेज़ी से वार्ता करने देता है; बीच का रास्ता यह है कि हर हस्ताक्षरित FTA को प्रभाव आकलन के साथ संसद के पटल पर रखा जाए।
4. **न्यूज़ीलैंड वाला संपादकीय विविधीकरण पर सही है, पर जटिलता पर चुप है** — द हिंदू का तर्क है कि जब 100% अमेरिकी शुल्कों का खतरा मंडरा रहा हो और अमेरिका से समझौता हाथ न आ रहा हो, तब छोटे समझौते निर्यातकों को — जिनमें लगभग आधे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) हैं — वैकल्पिक रास्ते देते हैं। न्यूज़ीलैंड को भारत के निर्यात में लगभग 14% हिस्सा रखने वाले वस्त्र, और लगभग 5% हिस्सा रखने वाले मोती तथा अर्ध-क्रीमती पत्थर, ऐसी श्रम-प्रधान मर्दे हैं जिन्हें शुन्य शुल्क से लाभ होता है। लेकिन EU के साथ संबंध 1.1 अरब डॉलर वाले न्यूज़ीलैंड संबंध से सौ गुना से भी बड़ा है, और छोटे समझौते उसका विकल्प नहीं बन सकते।

	हर समझौता अपने अलग उद्गम नियम भी लाता है, और किसी छोटे निर्यातक के लिए अनुपालन की लागत बचाए गए शुल्क से अधिक हो सकती है — यह भी एक कारण है कि भारत के FTA का उपयोग कम रहा है; विविधीकरण के लिए सरल डिजिटल प्रक्रियाएँ चाहिए, जैसे उद्गम की वह स्व-घोषणा जिसकी अनुमति EU समझौता देता है। 5. CBAM परखेगा कि कागज़ पर मिली बाज़ार पहुँच व्यवहार में बदलती है या नहीं — भारतीय इस्पात और एल्युमिनियम EU में शून्य शुल्क पर प्रवेश करेंगे, पर उनमें निहित कार्बन के लिए CBAM के तहत भुगतान करेंगे, जिसे FTA छूटा तक नहीं। CBAM विनियम उद्गम देश में वास्तव में चुकाई गई कार्बन क्रीमत की कटौती की अनुमति देता है, और इससे भारत की अपनी कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना को रणनीतिक महत्त्व मिल जाता है: एक विश्वसनीय घरेलू कार्बन क्रीमत यह पैसा ब्रसेल्स भेजने के बजाय भारत में ही रखेगी। प्रतिपक्ष यह है कि भारत को CBAM का विरोध एक ऐसी एकतरफ़ा बाधा के रूप में करना चाहिए जो साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व (common but differentiated responsibilities) के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, जैसा वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तर्क देता रहा है। दोनों काम एक साथ हो सकते हैं — सिद्धांत में आपत्ति, व्यवहार में तैयारी — क्योंकि जो छोटी ढलाई इकाइयाँ (foundries) अपना उत्सर्जन माप नहीं सकतीं, वे यूरोपीय खरीदार सबसे पहले खोएंगी।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते की गति का श्रेय जितना उसमें शामिल बातों को है, उतना ही उन बातों को भी है जिन्हें उससे बाहर रखा गया।” EU की संधि प्रक्रिया, भारत द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण और EU के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका — जनवरी 2026 में संपन्न FTA पर 16 दिसंबर को ब्रसेल्स में हस्ताक्षर होंगे; इसमें भारत की 99.5% निर्यात मर्चों पर EU की शुल्क कटौती, व्यापार-मूल्य के 97.5% पर भारत की रियायतें और 2027 की शुरुआत में क्रियान्वयन शामिल हैं। 2. मुख्य भाग — समझौता क्या बाहर छोड़ता है — TFEU के अनुच्छेद 3 और 207 के तहत EU की अनन्य क्षमता, अनुच्छेद 218 की प्रक्रिया और राय 2/15 समझाइए। दिखाइए कि विवादित मुद्दों को बाहर रखने से समझौता 'केवल-EU' बना रहता है और 27 राष्ट्रीय अनुसमर्थनों से बच जाता है; इसके लिए CETA के वालोनिया प्रकरण का उल्लेख कीजिए। दोनों पक्षों की छूटें बताइए: भारत की ओर से डेयरी, अनाज और खाद्य तेल; EU की ओर से मांस, डेयरी, चावल और चीनी। 3. मुख्य भाग — क्या अनसुलझा रह गया — CBAM शुल्कों से स्वतंत्र रूप से लागू होता है; निवेश संरक्षण संधि से बाहर है; यूरोपीय संसद श्रम और पर्यावरण पर दबाव बना सकती है। उत्तर के रूप में देश में चुकाई गई कार्बन क्रीमत के लिए CBAM में मिलने वाली कटौती और भारत की कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना का सुझाव दीजिए। 4. मुख्य भाग — भारत की व्यापक रणनीति — इस समझौते को UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA, ब्रिटेन और न्यूज़ीलैंड के साथ हुए समझौतों तथा दिसंबर की कनाडा और अमेरिका यात्राओं के साथ रखकर देखिए; द हिंदू के संपादकीय के आधार पर तर्क दीजिए कि छोटे और बड़े समझौते एक-दूसरे के पूरक हैं, बशर्ते उद्गम संबंधी प्रक्रियाएँ इतनी सरल हों कि MSME उनका लाभ उठा सकें। 5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि अभी हस्ताक्षरित सीमित समझौता एक दशक तक अटके व्यापक समझौते से बेहतर है, बशर्ते भारत क्रियान्वयन से पहले के महीनों का उपयोग निर्यातकों को CBAM और उद्गम-अनुपालन के लिए तैयार करने में करे।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। यूरोपीय संसद के सदस्य संकेत देते हैं कि सहमति-मतदान से पहले वे भारतीय वस्त्र इकाइयों में श्रम स्थितियों पर सवाल उठाएंगे। आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं इस मतदान को नाराज़गी का कारण मानने के बजाय हितधारकों से संवाद की एक प्रक्रिया मानूंगा। मैं नवंबर 2025 से लागू श्रम संहिताओं और कारखाना निरीक्षणों से जुड़े प्रमाण साझा करूंगा, और ब्रसेल्स स्थित दूतावास के माध्यम से नियमों का पालन करने वाले क्लस्टरों के दौरे आयोजित कराऊंगा। मैं वार्ता से तय हो चुके पाठ को दोबारा नहीं खोलूंगा, क्योंकि समझौते की गति विवादित मुद्दों को बाहर रखने पर ही टिकी है। जहाँ वास्तविक कमियाँ हैं, जैसे अनौपचारिक उप-ठेकेदारी, वहाँ मैं नई संधि-प्रतिबद्धताओं के बजाय घरेलू सुधार सामने रखूंगा। प्रश्न 2. वस्त्र और परिधान क्लस्टर के जिलाधिकारी के रूप में आप स्थानीय निर्यातकों को 2027 की शुरुआत से EU बाज़ार के लिए कैसे तैयार करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं जिला निर्यात संवर्धन समिति और निर्यात संवर्धन परिषदों के माध्यम

से उन इकाइयों की पहचान करूँगा जो पहले से यूरोप को निर्यात करती हैं, और उनकी भी जो कर सकती हैं। प्राथमिकता सब्सिडी नहीं, अनुपालन होगी: DGFT प्लेटफॉर्म पर उद्गम की स्व-घोषणा, उत्पाद मानक, और इस्पात या एल्युमिनियम को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाली इकाइयों के लिए उत्सर्जन के वे रिकॉर्ड जिनकी माँग यूरोपीय खरीदार बढ़ते पैमाने पर करेंगे। सफलता इस बात से नहीं आँकी जाएगी कि कितनी बैटके हुईं, बल्कि इस बात से कि 2027 में कितने पहली बार के निर्यातकों ने अधिमाम्य शुल्क का लाभ उठाया।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत के मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर से पहले संसद की स्वीकृति अनिवार्य होनी चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): संवैधानिक रूप से संधि करना संघ सूची की प्रविष्टि 14 के तहत कार्यपालिका का कार्य है, और संसद अनुच्छेद 253 के तहत केवल वहीं क़ानून बनाती है जहाँ क्रियान्वयन के लिए इसकी आवश्यकता हो। अनिवार्य मतदान वार्ताओं को धीमा कर सकता है और साझेदारों को हमारी घरेलू राजनीति का फ़ायदा उठाने का मौक़ा दे सकता है। लेकिन FTA किसानों और छोटी फ़र्मों की आजीविका बदल देते हैं, और हस्ताक्षर से पहले एक सार्वजनिक प्रभाव आकलन संसद के पटल पर रखने से संसद को वीटो दिए बिना ही वैधता बढ़ेगी। इसी समझौते में यूरोपीय संसद की भूमिका दिखाती है कि जाँच-परख और गति साथ-साथ चल सकती हैं।

2.2 इनपुट QCO का संबंध छोटी फ़र्मों की लाभप्रदता में 47.6% गिरावट से, 600 से अधिक उत्पाद पुनर्मूल्यांकन की प्रतीक्षा में

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। सेंटर फ़ॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (Centre for Social and Economic Progress — CSEP) की फ़ेलो प्रेरणा प्रभाकर और क्रॉफ़र्ड स्कूल ऑफ़ पब्लिक पॉलिसी (Crawford School of Public Policy) की विज़िटिंग फ़ेलो नैन्सी गुप्ता द हिंदू में तर्क देती हैं कि भारत की अनिवार्य उत्पाद-मानक व्यवस्था को सुधार के एक दूसरे दौर की ज़रूरत है, जिसका निशाना कच्चा माल यानी इनपुट हों। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (Quality Control Order — QCO) सरकार का वह आदेश है जो किसी उत्पाद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards — BIS) के मानक को अनिवार्य बना देता है, ताकि BIS प्रमाणन के बिना उसे न बनाया जा सके, न आयात किया जा सके और न बेचा जा सके। QCO के दायरे में आने वाले उत्पाद 2019 में 88 थे, जो दिसंबर 2024 के अंत तक 765 हो गए; लेकिन 2025 के अंत की ओर यह रफ़्तार काफ़ी धीमी पड़ गई, क्योंकि कई QCO — विशेषकर मध्यवर्ती वस्तुओं (intermediate goods) पर लगे आदेश — रद्द या निलंबित कर दिए गए, कारण यह था कि अनिवार्य प्रमाणन से कच्चे माल की उपलब्धता, लागत और आपूर्ति शृंखला में व्यवधान को लेकर चिंताएँ पैदा हो गई थीं। जुलाई 2026 में भारत की आठवीं WTO व्यापार नीति समीक्षा (Trade Policy Review) में भारत के QCO और अन्य गैर-शुल्क बाधाओं (non-tariff barriers) पर चिंता जताई गई — केवल EU और अमेरिका ने ही नहीं, बल्कि BRICS के साथी सदस्य ब्राज़ील, चीन और इंडोनेशिया ने भी। 25 जून 2026 को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade — DPIIT) ने संक्रमण सुविधा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026 [Transition Facilitation (Quality Control) Order, 2026] अधिसूचित किया, जो BIS योजना-I (Scheme-I) प्रमाणन प्राप्त न कर पाने वाली पात्र फ़र्मों को खिलौने, जूते-चप्पल और एयर कंडीशनर सहित निर्दिष्ट क्षेत्रों में BIS योजना-II (Scheme-II) लाइसेंसधारी आपूर्तिकर्ताओं से अस्थायी रूप से माल लेने की अनुमति देता है — पात्रता मानदंडों और DPIIT की एक समिति की मंजूरी के अधीन। QCO के दायरे वाले 600 से अधिक उत्पादों का पुनर्मूल्यांकन अभी बाक़ी है, जिनमें रसायन, इस्पात, वस्त्र, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रबर और प्लास्टिक के महत्वपूर्ण इनपुट शामिल हैं। लेखक रसायनों का उपयोग करने वाली फ़र्मों पर CSEP के एक अध्ययन का हवाला देते हैं: पहला रसायन QCO 2018 में आया और 2024 तक 52 रासायनिक उत्पाद इसके दायरे में आ चुके थे, जिससे इनपुट के स्तर पर विनियमन के दायरे में आने वाली रसायन-उपयोगकर्ता फ़र्मों का हिस्सा 2019 के 11.8% से बढ़कर 2024 में 56.6% हो गया। बड़ी फ़र्मों में इनपुट QCO का संबंध उत्पादन में 9.6% वृद्धि, पर सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added — GVA) में 37% गिरावट से है; GVA उत्पादन के मूल्य में से इनपुट की लागत घटाने पर मिलने वाला मूल्य है। छोटी फ़र्मों में उत्पादन या GVA पर इनका कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं दिखता, पर लाभप्रदता में 47.6% गिरावट से इनका संबंध है। लेखक चाहते हैं कि QCO के डिज़ाइन में आपूर्ति शृंखला पर पड़ने वाले प्रभावों को शामिल किया जाए, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को समर्पित सहायता और संक्रमण अवधि मिले, और सफलता को दायरे में आए उत्पादों की संख्या से नहीं, बल्कि गुणवत्ता में हुए सुधार से आँका जाए। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 (औद्योगिक नीति और MSME) तथा GS2 (WTO)।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

सरकार घटिया आयात पर अंकुश लगाने और घरेलू गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनिवार्य BIS मानकों का सहारा लेती है → QCO का दायरा 2019 के 88 उत्पादों से बढ़कर दिसंबर 2024 तक 765 हो जाता है, जिनमें से कई मध्यवर्ती इनपुट पर हैं → आगे की कड़ी के उपयोगकर्ताओं को महँगे और दुर्लभ इनपुट झेलने पड़ते हैं, और व्यापारिक साझेदार आपत्ति जताते हैं → 2025 के अंत तक कई इनपुट QCO रद्द या निलंबित होते हैं, जुलाई 2026 की WTO समीक्षा में आलोचना सामने आती है, और 25 जून 2026 को संक्रमण आदेश आता है → इस प्रमाण के बीच कि इनपुट QCO मूल्य वर्धन और छोटी फ़र्मों का मुनाफ़ा घटाते हैं, 600 से अधिक उत्पाद पुनर्मूल्यांकन की प्रतीक्षा में हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. BIS अधिनियम, 2016 की धारा 16 हर QCO की क़ानूनी जड़ है — भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (Bureau of Indian Standards Act, 2016) ने 1986 के BIS अधिनियम का स्थान लिया और BIS को भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय (National Standards Body) बनाया, जो उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्य करता है। धारा 16 केंद्र सरकार को यह शक्ति देती

है कि वह ब्यूरो से परामर्श के बाद किसी भी वस्तु, सामग्री, प्रक्रिया, प्रणाली या सेवा पर मानक चिह्न (Standard Mark) का उपयोग अनिवार्य करने का निर्देश दे — लोकहित में, मानव, पशु या पादप स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, अनुचित व्यापार व्यवहारों की रोकथाम के लिए, या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। ऐसा आदेश जारी होने के बाद वैध BIS लाइसेंस या प्रमाणपत्र के बिना उस उत्पाद को बनाना, आयात करना, बेचना या भंडारित करना इस अधिनियम के तहत अपराध है। QCO वह मंत्रालय या विभाग जारी करता है जो संबंधित उत्पाद का प्रशासन देखता है — DPIIT, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग, इस्पात और वस्त्र मंत्रालय तथा अन्य — जबकि प्रमाणन का काम BIS करता है।

- 2. अनुरूपता मूल्यांकन वह चरण है जहाँ मानक लागत में बदल जाता है** — मानक एक तकनीकी विनिर्देश है; अनुरूपता मूल्यांकन (conformity assessment) यह साबित करने की प्रक्रिया है कि कोई उत्पाद उस मानक पर खरा उतरता है। BIS (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 [BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018] कई प्रमाणन योजनाएँ निर्धारित करते हैं, जिनमें योजना-I जाना-पहचाना ISI चिह्न लाइसेंस है, जो उत्पाद-परीक्षण और कारखाने के निरीक्षण के बाद दिया जाता है — विदेशी निर्माताओं के मामले में विदेश स्थित कारखानों का भी। जून 2026 के आदेश पर PIB विज्ञप्ति के अनुसार, योजना-II इन्हीं विनियमों के तहत एक वैकल्पिक लाइसेंसिंग योजना है, जिसे यह आदेश निर्दिष्ट क्षेत्रों में अस्थायी विकल्प के रूप में स्वीकार करता है। किसी कारखाने को — खासकर विदेशी आपूर्तिकर्ता के कारखाने को — प्रमाणित करने में लगने वाला समय और खर्च ही वह कारण है जिससे इनपुट की कमी पैदा होती है, जब कोई QCO प्रमाणन क्षमता के बढ़ने की रफ़्तार से ज़्यादा तेज़ी से थोप दिया जाता है।
- 3. WTO का TBT समझौता अनिवार्य मानकों को स्वीकार करता है, पर उनके व्यापारिक प्रभाव पर निगरानी रखता है** — व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौता (Agreement on Technical Barriers to Trade — TBT) स्वैच्छिक मानकों और अनिवार्य तकनीकी विनियमों (technical regulations) में भेद करता है; QCO इन्हीं अनिवार्य विनियमों का उदाहरण है। अनुच्छेद 2.1 आयातों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार (national treatment) और सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र (most-favoured-nation) व्यवहार की अपेक्षा करता है, और अनुच्छेद 2.2 अपेक्षा करता है कि तकनीकी विनियम किसी वैध उद्देश्य — जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, भ्रामक व्यवहारों की रोकथाम, या मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा अथवा पर्यावरण की रक्षा — को पूरा करने के लिए आवश्यकता से अधिक व्यापार-प्रतिबंधात्मक न हों। सदस्यों को मसौदा विनियमों की सूचना WTO को देनी होती है और टिप्पणियों के लिए समय देना होता है, और 2001 के दोहा मंत्रिस्तरीय निर्णय के अनुसार प्रकाशन और लागू होने के बीच सामान्यतः कम से कम छह महीने का अंतर होना चाहिए। अन्य सदस्य TBT समिति में 'विशिष्ट व्यापार चिंताएँ' (specific trade concerns) उठाते हैं; किसी औपचारिक विवाद से पहले QCO पर सवाल उठाने का यही सामान्य रास्ता है।
- 4. व्यापार नीति समीक्षा साथी देशों की परख है, मुक़दमा नहीं** — WTO की स्थापना करने वाले मराकेश समझौते (Marrakesh Agreement) के अनुबंध 3 में निर्धारित व्यापार नीति समीक्षा तंत्र (Trade Policy Review Mechanism) हर सदस्य की व्यापार नीतियों को व्यापार नीति समीक्षा निकाय (Trade Policy Review Body) द्वारा आवधिक सामूहिक समीक्षा के अधीन रखता है; यह निकाय दरअसल सामान्य परिषद (General Council) ही है, जो एक दूसरी भूमिका में बैठक करती है। हर समीक्षा दो रिपोर्टों पर आधारित होती है — एक WTO सचिवालय की और एक समीक्षाधीन सरकार की। 2019 से चार सबसे बड़े व्यापारिक देशों की समीक्षा हर तीन वर्ष में, उनके बाद के सोलह की हर पाँच वर्ष में और शेष की हर सात वर्ष में होती है। यह तंत्र स्पष्ट रूप से दायित्वों को लागू कराने या विवाद निपटान का आधार नहीं है, इसलिए जुलाई 2026 में भारत की आठवीं समीक्षा में व्यक्त आलोचना कूटनीतिक दबाव है, कोई क्रान्ती निष्कर्ष नहीं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- 1. GS3 औद्योगिक नीति और MSME पर पड़ते दबाव के बारे में पूछता है** — पाठ्यक्रम में औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव शामिल हैं, और मुख्य परीक्षा बार-बार यह पूछती है कि भारतीय विनिर्माण का विस्तार क्यों नहीं हो पाया और MSME छोटे ही क्यों रह जाते हैं। QCO नेक इरादे वाले ऐसे विनियमन का ठोस, प्रमाण-समर्थित उदाहरण है जिसने छोटी फ़र्मों की लागत बढ़ा दी — और परीक्षक 'व्यापार सुगमता' (ease of doing business) पर घिसी-पिटी पंक्तियों की तुलना में ऐसे उदाहरणों को अधिक अंक देते हैं।
- 2. प्रारंभिक परीक्षा संस्थाओं और WTO समझौतों को परखती है** — BIS, उसका मूल अधिनियम, उसका मंत्रालय और उसके चिह्न प्रारंभिक परीक्षा की मानक सामग्री हैं, और इसी तरह व्यापार में तकनीकी बाधाओं तथा स्वच्छता एवं पादप-स्वच्छता उपायों (sanitary and phytosanitary measures) पर WTO के समझौते भी। व्यापार नीति समीक्षा तंत्र और शुल्क तथा गैर-शुल्क बाधाओं का अंतर स्वाभाविक प्रश्न-आधार है।
- 3. व्यापार वार्ता का कोण इसे EU और अमेरिका के साथ चल रही बातचीत से जोड़ता है** — FTA वार्ताओं में साझेदार भारत के QCO को गैर-शुल्क बाधा के रूप में उठाते हैं, इसलिए भारत की व्यापार रणनीति पर मुख्य परीक्षा के उत्तर में QCO के युक्तिकरण को ऐसे घरेलू सुधार के रूप में उद्धृत किया जा सकता है जो दूसरों की बाधाओं पर आपत्ति करते समय भारत का पक्ष मज़बूत

करता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित है और उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्य करता है।
- BIS अधिनियम, 2016 की धारा 16 केंद्र सरकार को BIS से परामर्श के बाद स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण, अनुचित व्यापार व्यवहारों की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित विभिन्न आधारों पर वस्तुओं के लिए मानक चिह्न का उपयोग अनिवार्य करने का अधिकार देती है।
- गुणवत्ता नियंत्रण आदेश वह मंत्रालय या विभाग जारी करता है जो संबंधित उत्पाद का प्रशासन देखता है, जबकि इनके तहत प्रमाणन BIS करता है।
- WTO के व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौते का अनुच्छेद 2.2 अपेक्षा करता है कि तकनीकी विनियम किसी वैध उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता से अधिक व्यापार-प्रतिबंधात्मक न हों।
- WTO का व्यापार नीति समीक्षा तंत्र मराकेश समझौते के अनुबंध 3 में निर्धारित है, और समीक्षाएँ व्यापार नीति समीक्षा निकाय करता है, जो वस्तुतः सामान्य परिषद ही है।
- सकल मूल्य वर्धन उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य घटाने पर प्राप्त होता है।
- संक्रमण सुविधा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने 25 जून 2026 को अधिसूचित किया था।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- इनपुट QCO बिना किसी शुल्क के उलटे शुल्क ढाँचे की तरह काम करता है —** उलटा शुल्क ढाँचा (inverted duty structure) घरेलू निमाताओं को तब नुकसान पहुँचाता है जब कच्चे माल पर उससे बनी तैयार वस्तुओं की तुलना में अधिक कर लगता है। इनपुट QCO यही असर प्रमाणन के ज़रिए पैदा करता है: BIS लाइसेंस से रहित विदेशी आपूर्तिकर्ता बाहर हो जाते हैं, गिने-चुने प्रमाणित आपूर्तिकर्ता अधिक क्रीमत वसूल सकते हैं, और तैयार वस्तु के सामने शायद ऐसी कोई बाधा होती ही नहीं। CSEP का यह निष्कर्ष कि बड़ी फ़र्मों ने उत्पादन 9.6% बढ़ाया जबकि उनका GVA 37% गिरा, इसी दबाव की पहचान है — उत्पादन ज़्यादा, पर उस पर मूल्य वर्धन कम। प्रतिपक्ष यह है कि अप्रमाणित रासायनिक इनपुट वास्तव में असुरक्षित या घटिया हो सकते हैं, और ऐसे मामलों में QCO आगे के खरीदारों और उपभोक्ताओं की रक्षा करता है; इसलिए तर्क लक्षित उपयोग का है, समाप्ति का नहीं।
- छोटी फ़र्मों वाला निष्कर्ष अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह उत्पादन में नहीं, मुनाफ़े में छिपा रहता है —** छोटी फ़र्मों के लिए इनपुट QCO का उत्पादन या GVA पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं दिखा, पर लाभप्रदता में 47.6% गिरावट से इनका संबंध पाया गया। दूसरे शब्दों में, छोटी फ़र्में खरीदारों को बनाए रखने के लिए उत्पादन जारी रखती हैं और लागत खुद झेल लेती हैं; यह औद्योगिक उत्पादन के आँकड़ों में नहीं दिखता और बाद में दबावग्रस्त ऋणों, ढेर से मिलने वाली मज़दूरी या चुपचाप बंद होती इकाइयों के रूप में सामने आता है। वे बड़ी फ़र्मों की तरह लागत आगे नहीं खिसका सकती, क्योंकि वे भीड़ भरे बाज़ारों में बेचती हैं या ऐसे बड़े खरीदारों को, जो क्रीमतें खुद तय करते हैं। अध्ययन केवल रसायन-उपयोगकर्ता फ़र्मों को समेटता है और सिद्ध कार्य-कारण संबंध के बजाय सहसंबंध बताता है, पर इसकी दिशा उसी से मेल खाती है जो उद्योग 2025 में आदेश रद्द होने से पहले बता रहा था।
- दायरे में आए उत्पादों की गिनती ग़लत लक्ष्य थी, और लेखक सही लक्ष्य सुझाते हैं —** लगभग पाँच वर्षों में 88 से 765 उत्पादों तक की छलांग संकेत देती है कि QCO विशिष्ट गुणवत्ता-विफलताओं के जवाब के रूप में नहीं, बल्कि किसी कार्यक्रम के 'आउटपुट' की तरह तैयार किए जा रहे थे। लेखकों की कसौटी — क्या पैमाने, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बाधित किए बिना गुणवत्ता सुधरती है — के लिए हर आदेश से पहले और बाद के प्रमाण चाहिए: परीक्षण में विफलता की दरें, उत्पाद-वापसी (recalls), इनपुट क्रीमतें और आपूर्ति में लगने वाला समय (lead times)। भारत में विनियामक प्रभाव आकलन (regulatory impact assessment) की कोई वैधानिक अनिवार्यता नहीं है, इसीलिए 600 से अधिक उत्पादों का पुनर्मूल्यांकन बाद में किया जा रहा है। हर नए QCO में ऐसा आकलन और समीक्षा की एक अनिवार्य तिथि जोड़ देने से यह तदर्थ सुधार एक नियमित अनुशासन में बदल जाएगा।
- WTO की आलोचना क़ानून के रूप में कम, सौदेबाज़ी के दबाव के रूप में अधिक मायने रखती है —** व्यापार नीति समीक्षा भारत को किसी दायित्व के उल्लंघन का दोषी नहीं ठहरा सकती, पर EU, अमेरिका और BRICS साझेदारों ब्राज़ील, चीन तथा इंडोनेशिया द्वारा जताई गई चिंताएँ दिखाती हैं कि विदेशों में QCO को अब गैर-शुल्क बाधा के रूप में देखा जा रहा है। इसकी क्रीमत भारत की वार्ताओं में चुकानी पड़ती है, क्योंकि जब अपनी ही प्रमाणन व्यवस्था को उसी तरह

	बताया जा रहा हो, तब EU के कार्बन सीमा उपाय या अमेरिकी शुल्कों को छद्म संरक्षणवाद कहना कठिन हो जाता है। प्रतिपक्ष उचित है: चीन की अनिवार्य प्रमाणन प्रणाली और कई अन्य मानक व्यवस्थाएँ भी व्यापार को सीमित करती हैं, और भारत को गुणवत्ता विनियमित करने का अधिकार है। अंतर प्रक्रिया में है — अधिसूचना, उचित संक्रमण अवधि और प्रमाणन क्षमता — और ठीक यही भारत के QCO आलोचना के घेरे में आए हैं। 5. संक्रमण आदेश एक उपयोगी राहत-द्वार है, पर विवेकाधीन है — जब योजना-I प्रमाणन अटक हो, तब फ़र्मों को योजना-II आपूर्तिकर्ताओं से अस्थायी रूप से माल लेने देना खिलौनों, जूते-चप्पलों और एयर कंडीशनरों में वास्तविक अड़चने दूर करता है। लेकिन यह सुविधा पात्रता मानदंडों और DPIIT की एक समिति की मंजूरी पर निर्भर है, और PIB विज्ञप्ति में बिना किसी चूक के लगातार तीन वर्षों तक QCO अनुपालन जैसी शर्तें गिनाई गई हैं, जो नए प्रवेशकों और सबसे छोटी इकाइयों की तुलना में स्थापित फ़र्मों के पक्ष में जाती हैं। विवेकाधीन राहत, चाहे कितनी भी सावधानी से दी जाए, पक्षपात की धारणा को भी न्योता देती है। नियम-आधारित विकल्प यह होगा: MSME के लिए स्वचालित संक्रमण अवधि, BIS के लिए प्रकाशित प्रमाणन समय-सीमाएँ, और इनपुट के लिए मान्यता प्राप्त विदेशी परीक्षण रिपोर्टों की स्वीकृति।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उद्देश्य उत्पाद मानकों को ऊँचा उठाना और घटिया आयात पर अंकुश लगाना था, फिर भी प्रमाण बताते हैं कि मध्यवर्ती इनपुट पर लगे आदेश उन्हीं निर्माताओं को नुकसान पहुँचा सकते हैं जिनकी सहायता के लिए वे बनाए गए थे। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और QCO के चल रहे पुनर्मूल्यांकन के लिए सिद्धांत सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका — QCO को BIS अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत जारी ऐसे आदेश के रूप में परिभाषित कीजिए जो BIS प्रमाणन अनिवार्य बनाता है, और 2019 के 88 उत्पादों से दिसंबर 2024 तक 765 उत्पादों तक की वृद्धि बताइए, जिसके बाद 2025 में आदेश रद्द हुए और 25 जून 2026 को संक्रमण आदेश आया। 2. मुख्य भाग — QCO के पक्ष में तर्क — उपभोक्ता सुरक्षा, घटिया और डंप किए गए आयात पर अंकुश, घरेलू विनिर्माण में गुणवत्ता की संस्कृति का निर्माण, और TBT समझौते द्वारा स्वास्थ्य, सुरक्षा व पर्यावरण जैसे वैध उद्देश्यों को दी गई मान्यता। 3. मुख्य भाग — नुकसान के प्रमाण — CSEP के निष्कर्षों का उपयोग कीजिए: रसायन-उपयोगकर्ता फ़र्मों का विनियमन के दायरे में आना 11.8% से बढ़कर 56.6%; बड़ी फ़र्मों में उत्पादन में 9.6% वृद्धि, पर GVA में 37% गिरावट; छोटी फ़र्मों की लाभप्रदता में 47.6% गिरावट। साथ में इनपुट की कमी, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के प्रमाणन में देरी और जुलाई 2026 की WTO व्यापार नीति समीक्षा में हुई आलोचना जोड़िए। 4. मुख्य भाग — पुनर्मूल्यांकन के सिद्धांत — 600 से अधिक उत्पादों में मध्यवर्ती इनपुट वाले उत्पादों को प्राथमिकता दीजिए; डिज़ाइन में ही आपूर्ति शृंखला पर प्रभाव का आकलन जोड़िए; MSME को छूट या लंबी संक्रमण अवधि दीजिए; प्रवर्तन से पहले प्रमाणन क्षमता विकसित कीजिए; जून 2026 के आदेश में सुधार करते हुए विवेकाधीन राहत के बजाय नियम-आधारित राहत को तरजीह दीजिए। 5. निष्कर्ष — लेखकों की कसौटी पर उत्तर समाप्त कीजिए: मानकों को इस आधार पर परखा जाना चाहिए कि क्या वे पैमाने, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बाधित किए बिना गुणवत्ता सुधारते हैं — और विकसित भारत 2047 के लिए विनिर्माण को यही करके दिखाना होगा।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप DPIIT की उस समिति के अध्यक्ष हैं जो संक्रमण आदेश के तहत आवेदनों को मंजूरी देती है। आप इसे निष्पक्ष और अनुचित लाभ की होड़ (rent-seeking) से मुक्त कैसे रखेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं पात्रता मानदंड, दस्तावेज़ों की जाँच-सूची और निर्णय की निश्चित समय-सीमा प्रकाशित करूँगा, और आवेदनों को प्राप्ति के क्रम में ऑनलाइन निपटाऊँगा। हर अस्वीकृति के साथ लिखित कारण और समीक्षा का रास्ता होगा। मैं आवेदनों, स्वीकृतियों और क्षेत्रों पर मासिक आँकड़े प्रकाशित करूँगा, ताकि पक्षपात का कोई भी दर्ज़ा दिखाई दे जाए। मैं यह सिफ़ारिश भी करूँगा कि सबसे आम स्वीकृतियों को MSME के लिए स्वचालित, समयबद्ध छूटों में बदल दिया जाए, जिससे विवेकाधिकार ही समाप्त हो जाए। प्रश्न 2. ज़िलाधिकारी के रूप में, आपके ज़िले की प्लास्टिक मोल्डिंग इकाइयाँ शिकायत करती हैं कि प्रमाणित कच्चा माल दुर्लभ और महँगा हो गया है। ज़िला स्तर पर आप क्या कर सकते हैं? दृष्टिकोण (Approach): मानक नीति केंद्र के स्तर पर बनती है, पर ज़िला प्रमाण जुटा सकता है और स्थानीय अड़चने कम कर सकता है। मैं ज़िला उद्योग केंद्र से कहूँगा कि वह इनपुट कीमतों, आपूर्ति में लगने वाले समय और प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं की उपलब्धता पर इकाइयों का सर्वेक्षण करे, और निष्कर्षों को पुनर्मूल्यांकन के लिए सुझाव के रूप में DPIIT और संबंधित

प्रशासनिक मंत्रालय को भेजूंगा। मैं इकाइयों को BIS-मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं से जोड़ूंगा और क्लस्टर संघ को प्रमाणित इनपुट के लिए सामूहिक खरीद समूह बनाने में मदद करूंगा। मैं अग्रणी बैंक से यह भी कहूंगा कि अस्थायी लागत-दबाव झेल रही इकाइयों के लिए कार्यशील पूँजी सहायता पर विचार करें, ताकि व्यवहार्य फ़्रैम चूक (default) की ओर न धकेली जाएं।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृष्ठता है: क्या ढीले ढंग से लागू कई मानकों की तुलना में कड़ाई से लागू कुछ मानक बेहतर हैं?

दृष्टिकोण (Approach): हाँ, अनिवार्य मानकों के मामले में। अनिवार्य मानक एक क्रान्ती निषेध हैं, और परीक्षण क्षमता या आपूर्तिकर्ताओं की तैयारी के बिना जारी हर ऐसा मानक कमी, नियमों से बचने की प्रवृत्ति और सीमा पर विवेकाधिकार को न्योता देता है। अधिकांश उत्पादों के लिए स्वैच्छिक मानक और उपभोक्ता सूचना पर्याप्त हो सकते हैं, जबकि अनिवार्य आदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के वास्तविक जोखिमों के लिए सुरक्षित रखे जाने चाहिए। कोई मानक व्यवस्था सम्मान तब अर्जित करती है जब वह पूर्वानुमेय हो और सचमुच लागू की जाए, न कि तब जब वह बड़ी हो।

2.3 IRDAI ने उत्पाद- और चैनल-वार कमीशन सीमाओं तथा व्यय सीमाओं को क्रमशः घटाने वाले 'ग्लाइड पाथ' का प्रस्ताव रखा

समाचार (THE NEWS) मुंबई। द इकोनॉमिक टाइम्स और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India — IRDAI) ने बुधवार, 23 सितंबर को बीमा कंपनियों द्वारा वितरकों को दिए जाने वाले कमीशन की पूरी व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा। उसका परामर्श पत्र (consultation paper) — यानी नियमों को अंतिम रूप देने से पहले जनता की राय के लिए जारी मसौदा — सभी उत्पादों पर एक ही सीमा की जगह ऐसी सीमाएँ लाता है जो खंड (segment), व्यवसाय की श्रेणी, वितरण चैनल, उत्पाद की जटिलता, पॉलिसी के आकार और किसी उत्पाद को बेचने व उसकी सर्विसिंग में लगने वाले प्रयास से जुड़ी हों; सुझाव 25 अक्टूबर तक देने हैं। इसमें बीमा कंपनियों के प्रबंधन व्यय (expense of management — EoM) के लिए 'ग्लाइड पाथ' (glide path), यानी चरणबद्ध कटौती, का भी प्रस्ताव है; प्रबंधन व्यय वह कुल राशि है जो कोई बीमा कंपनी प्रीमियम के अनुपात के रूप में कमीशन, वेतन, विपणन और अन्य परिचालन लागतों पर खर्च कर सकती है। जीवन बीमा कंपनियों का प्रबंधन व्यय दो वर्षों में प्रीमियम के 15% और पाँच वर्षों में 12.5% तक लाया जाएगा; साधारण बीमा कंपनियों की सीमा अभी के 30% से घटकर दो वर्षों में 25% और पाँच वर्षों में 20% हो जाएगी। साधारण बीमा में व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों पर प्रस्तावित प्रथम-वर्ष कमीशन वितरण संस्थाओं (distribution entities) के लिए 15% और व्यक्तिगत एजेंटों के लिए 20% है, जबकि नवीनीकरण (renewal) और पोर्टेबिलिटी पर कमीशन क्रमशः 5% और 10% है; पोर्टेबिलिटी पॉलिसीधारक का यह अधिकार है कि वह निरंतरता के लाभ खोए बिना किसी दूसरी बीमा कंपनी के पास जा सके। खुदरा संपत्ति बीमा पर भी यही 15% और 20% की सीमाएँ हैं, और ₹2,500 करोड़ से अधिक बीमित राशि वाले बड़े संपत्ति और इंजीनियरिंग जोखिमों पर 5% और 5.5%। ऋण या क्रेडिट के साथ बेचे जाने वाले बीमा पर अलग और कम सीमाएँ होंगी, जिनमें मोटर ओन-डैमेज (own-damage), व्यक्तिगत दुर्घटना और देयता (liability) कवर पर 5% तथा पहले वर्ष के स्वास्थ्य बीमा पर 5% शामिल हैं। जीवन बीमा में कमीशन प्रीमियम भुगतान अवधि पर निर्भर करेगा: 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रीमियम चुकाने वाली व्यक्तिगत नॉन-लिंक्ड और लिंक्ड पॉलिसियों पर प्रथम-वर्ष कमीशन की सीमा वितरण संस्थाओं के लिए 20% और एजेंटों के लिए 25% है, तथा छह से आठ वर्ष की भुगतान अवधि पर 14% और 17.5%। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पाँच वर्ष तक की पॉलिसी अवधि वाली नॉन-लिंक्ड और यूनिट-लिंक्ड योजनाओं (जिनका प्रतिफल बाज़ार से जुड़े फंडों के साथ चलता है) पर प्रथम-वर्ष सीमा एजेंटों के लिए 6.25% और कॉर्पोरेट एजेंटों, ब्रोकरों तथा कंपोज़िट ब्रोकरों के लिए 5% है। 10 लाख से कम आबादी वाले कस्बों में बेची गई व्यक्तिगत पॉलिसियों पर लागू सीमा का अतिरिक्त 10%, और 50,000 से कम आबादी वाले कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों से आए व्यवसाय पर अतिरिक्त 20% प्रस्तावित है। IRDAI का कहना है कि उद्देश्य वितरण और परिचालन लागत घटाना तथा पॉलिसीधारकों को उनके पैसे का बेहतर मूल्य दिलाना है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 (वित्तीय क्षेत्र का विनियमन और समावेशी विकास) और GS2 (विनियामक निकाय)।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

2015 तक कमीशन की सीमा स्वयं बीमा अधिनियम (Insurance Act) में तय थी, और बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 (Insurance Laws (Amendment) Act, 2015) कमीशन और व्यय की सीमाएँ IRDAI के विनियमों के हवाले कर देता है → 2023 में IRDAI उत्पाद-वार सीमाओं की जगह एक समग्र व्यय सीमा लाता है और बीमा कंपनियों के बोर्डों को उसके भीतर कमीशन तय करने देता है → विनियामक आकलन करता है कि पॉलिसीधारकों को मिलने वाले मूल्य की तुलना में वितरण और परिचालन लागत अब भी बहुत ऊँची है → सबका बीमा सबकी रक्षा अधिनियम, 2025 (Sabka Bima Sabki Raksha Act, 2025) IRDAI को कमीशन की सीमाएँ निर्धारित करने की स्पष्ट शक्ति देता है → IRDAI उत्पाद- और चैनल-वार सीमाओं तथा व्यय सीमाओं को घटाने वाले ग्लाइड पाथ का प्रस्ताव रखता है, जिस पर 25 अक्टूबर तक टिप्पणियाँ देनी हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. IRDAI एक सांविधिक विनियामक है, जिसके दायित्वों की शुरुआत पॉलिसीधारक से होती है — बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का गठन IRDA अधिनियम, 1999 (IRDA Act, 1999) के तहत हुआ, जो मल्होत्रा समिति की 1994 की उस सिफारिश के बाद आया जिसमें बीमा क्षेत्र को एक स्वतंत्र विनियामक के अधीन निजी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही गई थी; इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अधिनियम की धारा 4 के तहत इसमें एक अध्यक्ष, अधिकतम पाँच पूर्णकालिक सदस्य और अधिकतम चार अंशकालिक सदस्य होते हैं, जिन सभी की नियुक्ति

केंद्र सरकार करती है। धारा 14 इसे बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसकी व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करने, तथा पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करने का दायित्व सौंपती है। यह आमतौर पर विनियमों और मास्टर परिपत्रों (master circulars) के जरिए नियम बनाता है, जिनसे पहले एक्सपोज़र ड्राफ्ट या इस जैसे परामर्श पत्र जारी किए जाते हैं।

2. **बीमा अधिनियम, 1938 तय करता है कि बीमा बेचने का भुगतान किसे मिल सकता है और बीमा कंपनियाँ कितना खर्च कर सकती हैं** — बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 बीमा व्यवसाय जुटाने या दिलाने के बदले बीमा एजेंट या मध्यस्थ (intermediary) के अलावा किसी और को कमीशन या कोई पुरस्कार देने पर रोक लगाती है। धाराएँ 40B और 40C क्रमशः जीवन और साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधन व्यय को सीमित करती हैं, और बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के बाद से वास्तविक सीमाएँ कानून के बजाय IRDAI के विनियम तय करते हैं। PRS के अनुसार, संसद द्वारा 16-17 दिसंबर, 2025 को पारित सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) अधिनियम, 2025 IRDAI को एजेंटों और मध्यस्थों को देय पारिश्रमिक, कमीशन या पुरस्कार पर विनियम बनाने का अधिकार देता है, जिनमें सीमाएँ, भुगतान का तरीका और प्रकटीकरण (disclosure) शामिल हैं। इसी कानून ने भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा चुकता इक्विटी के 74% से बढ़ाकर 100% कर दी और IRDAI द्वारा प्रशासित एक पॉलिसीधारक शिक्षा और संरक्षण कोष (Policyholders' Education and Protection Fund) बनाया।
3. **एजेंट, कॉर्पोरेट एजेंट और ब्रोकर — तीनों का खरीदार से कानूनी संबंध अलग-अलग है** — व्यक्तिगत एजेंट और कॉर्पोरेट एजेंट — आमतौर पर बीमा बेचने वाला कोई बैंक, जिसे बैंकएश्योरेंस (bancassurance) कहा जाता है — उन बीमा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे वे बंधे हैं, और कमीशन ही उनकी आय है। बीमा ब्रोकर, जिसमें बीमा और पुनर्बीमा दोनों संभालने वाला कंपोज़िट ब्रोकर भी शामिल है, ग्राहक की ओर से काम करने के लिए लाइसेंसशुदा होता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अलग-अलग बीमा कंपनियों के उत्पादों की तुलना करे। इसीलिए प्रस्ताव 'एजेंटों' को अन्य 'वितरण संस्थाओं' से अलग रखता है: वह हर चैनल में लगने वाले प्रयास और उसमें निहित हितों के टकराव, दोनों की क्रीम त आँक रहा है। ग़लत बिक्री (mis-selling) का अर्थ है खरीदार के लिए अनुपयुक्त उत्पाद बेचना या उसकी शर्तों को ग़लत ढंग से पेश करना; शिकायतें पहले बीमा कंपनी के पास और फिर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए बीमा लोकपाल नियम, 2017 (Insurance Ombudsman Rules, 2017) के तहत बीमा लोकपाल के पास जाती हैं।
4. **पैठ और घनत्व अल्प-बीमा (under-insurance) के अलग-अलग रूपों को मापते हैं** — बीमा पैठ (insurance penetration) GDP के प्रतिशत के रूप में कुल प्रीमियम है, जबकि बीमा घनत्व (insurance density) प्रति व्यक्ति प्रीमियम है, जिसे आमतौर पर अमेरिकी डॉलर में व्यक्त किया जाता है। अगर आय बीमा खरीद से तेज़ी से बढ़े, तो किसी देश में घनत्व बढ़ सकता है जबकि पैठ जहाँ की तहाँ रहे। IRDAI का घोषित लक्ष्य '2047 तक सबके लिए बीमा' (Insurance for All by 2047) दोनों को साधना है, और इसमें वितरण लागत केंद्रीय है, क्योंकि कमीशन और व्यय का भार खरीदार द्वारा चुकाए गए प्रीमियम का ही हिस्सा होता है। भारत में साधारण बीमा 1 जनवरी, 2007 से टैरिफ़-मुक्त (de-tariffed) है, यानी अधिकांश प्रीमियम बीमा कंपनियाँ स्वयं तय करती हैं; इसका अर्थ है कि सिद्धांततः कम व्यय का लाभ प्रतिस्पर्धा के जरिए खरीदारों तक पहुँच सकता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **GS3 बैंक खातों से आगे के वित्तीय समावेशन के बारे में पूछता है** — पाठ्यक्रम में समावेशी विकास और संसाधनों का संग्रहण शामिल है, और बीमा सामाजिक सुरक्षा का साधन भी है और दीर्घकालिक बचत का स्रोत भी। वित्तीय समावेशन पर मुख्य परीक्षा के उत्तरों से अपेक्षा है कि वे बैंक खातों से आगे बढ़कर बीमा और पेंशन तक जाएँ, और यह प्रस्ताव वह विनियामक ब्योरा — कमीशन, व्यय, चैनल — उपलब्ध कराता है जो किसी उत्तर को औरों से अलग और सशक्त बनाता है।
2. **प्रारंभिक परीक्षा विनियामकों, उनके मूल अधिनियमों और FDI सीमाओं को परखती है** — UPSC नियमित रूप से पूछता है कि कौन-सा निकाय किस वित्तीय उप-क्षेत्र का विनियमन करता है और संवेदनशील क्षेत्रों में FDI की सीमाएँ क्या हैं। बीमा में FDI सीमा 100% करने वाला 2025 का संशोधन, IRDAI की संरचना, बीमा लोकपाल तथा पैठ और घनत्व की परिभाषाएँ — ये सब प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार तथ्य हैं।
3. **विनियामक ढाँचे की रचना GS2 का विषय है** — GS2 में सांविधिक और विनियामक निकाय शामिल हैं। 2023 में उत्पाद-सीमाओं से हटकर बोर्ड द्वारा तय कमीशन की ओर जाना और अब फिर सीमाओं की ओर लौटना, विनियमन में 'नियम बनाम सिद्धांत' (rules versus principles) की बहस का जीवंत उदाहरण है; यह उन उत्तरों में काम आता है जिनमें पूछा जाता है कि विनियामक बाज़ार की स्वतंत्रता और उपभोक्ता संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बिठाते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना मल्होत्रा समिति की

(PRELIMS NUGGETS)

सिफ़ारिश पर IRDA अधिनियम, 1999 के तहत हुई थी, और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है।

- IRDA अधिनियम, 1999 के तहत IRDAI में एक अध्यक्ष, अधिकतम पाँच पूर्णकालिक सदस्य और अधिकतम चार अंशकालिक सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है।
- बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 बीमा व्यवसाय जुटाने या दिलाने के बदले बीमा एजेंट या मध्यस्थ के अलावा किसी अन्य को कमीशन देने पर रोक लगाती है।
- सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) अधिनियम, 2025 ने भारतीय बीमा कंपनियों में FDI की सीमा चुकता इक्विटी पूँजी के 74% से बढ़ाकर 100% कर दी।
- बीमा पैट GDP के प्रतिशत के रूप में प्रीमियम है, जबकि बीमा घनत्व प्रति व्यक्ति प्रीमियम है।
- बीमा ब्रोकर पॉलिसीधारक का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बीमा एजेंट बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है।
- बीमा लोकपाल केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए बीमा लोकपाल नियम, 2017 के तहत कार्य करता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. उत्पाद-वार सीमाएँ सूक्ष्म-प्रबंधन की वापसी हैं, पर पहले से बेहतर कारण के साथ — 2023 में IRDAI ने बीमा कंपनियों को एक समग्र व्यय सीमा दी और उसके भीतर कमीशन तय करने का अधिकार उनके बोर्डों को सौंप दिया, इस तर्क पर कि कंपनियाँ अपनी लागत किसी विनियामक से बेहतर जानती हैं। इस छूट का जोखिम यह था कि बीमा कंपनियाँ भुगतान को खरीदारों के लिए उपयुक्त उत्पादों के बजाय ऊँचे मार्जिन वाले उत्पादों और बैंक शाखाओं जैसे ताक़तवर चैनलों पर केंद्रित कर सकती थीं। सीमाओं को उत्पाद, चैनल और प्रयास से जोड़ना भुगतान को वास्तव में किए गए काम से बाँधता है, जो पुरानी एकसमान सीमाओं की तुलना में कहीं अधिक ठोस तर्क है। प्रतिपक्ष यह है कि मध्यस्थों पर मूल्य-नियंत्रण वहीं वितरण को सिकोड़ देता है जहाँ बेचना सबसे कठिन है, और इसीलिए प्रस्ताव में छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 10% और 20% के अतिरिक्त प्रावधान (top-ups) जोड़े गए हैं।
2. जीवन बीमा सीमाओं की संरचना ग़लत बिक्री के पीछे छिपे प्रोत्साहन पर निशाना साधती है — 10 वर्ष या उससे अधिक की भुगतान अवधि वाली पॉलिसियों पर एजेंटों के लिए 25% तक का प्रथम-वर्ष कमीशन, जबकि पाँच वर्ष तक की योजनाओं पर 6.25%, यह स्वीकार करता है कि दीर्घकालिक उत्पाद बेचने में अधिक मेहनत लगती है। लेकिन शुरुआत में केंद्रित (front-loaded) कमीशन ऐसे खरीदारों को लंबी पॉलिसियाँ बेचने को भी पुरस्कृत करता है जो आगे प्रीमियम चुकाते नहीं रह सकते; जब ऐसी पॉलिसी शुरुआती वर्षों में व्यपगत (lapse) हो जाती है, तो खरीदार अपनी चुकाई गई राशि का अधिकांश हिस्सा गँवा देता है, जबकि वितरक के पास प्रथम-वर्ष का कमीशन बना रहता है। प्रस्ताव सीमाओं को तो घटाता है, पर कमीशन का यह शुरुआती झुकाव बनाए रखता है। बेहतर रचना यह होगी कि भुगतान का बड़ा हिस्सा नवीनीकरण या ट्रेल (trail) कमीशन में खिसकाया जाए, ताकि वितरक तभी तक कमाए जब तक पॉलिसी चलती रहे।
3. ग्लाइड पाथ पहले वितरण को निचोड़ता है, और पॉलिसीधारकों को लाभ तभी मिलता है जब प्रतिस्पर्धा उसे आगे पहुँचाए — साधारण बीमा कंपनियों की व्यय सीमा पाँच वर्षों में प्रीमियम के 30% से घटाकर 20%, और जीवन बीमा कंपनियों की 12.5% करना बीमा कंपनियों को मितव्ययिता के लिए बाध्य करता है, और कमीशन आमतौर पर उनकी सबसे बड़ी लागत होती है। वे डिजिटल और प्रत्यक्ष बिक्री को बढ़ावा देंगी तथा बैंकों और ब्रोकरों से नए सिरे से मोलभाव करेंगी। साधारण बीमा में, जहाँ 2007 से प्रीमियम मोटे तौर पर बाज़ार से तय होते आए हैं, कम लागत प्रतिस्पर्धा के ज़रिए खरीदारों तक पहुँच सकती है; जीवन बीमा में, जहाँ उत्पाद सुरक्षा और बचत को एक साथ जोड़ते हैं, लाभ इस पर निर्भर करता है कि IRDAI उत्पादों के मूल्य-निर्धारण की कड़ी जाँच करे, ताकि बचत ऊँचे मार्जिन के बजाय कम प्रीमियम या बेहतर प्रतिफल के रूप में दिखे। विनियामक को दो वर्ष बाद यह प्रकाशित करना चाहिए कि व्यय अनुपात घटे या नहीं, और प्रीमियम या लाभों में कोई बदलाव आया या नहीं।
4. ऋण-संबद्ध बीमा पर कम सीमाएँ लोन काउंटर पर होने वाली ज़ोर-ज़बरदस्ती से निपटती हैं — ऋण के साथ बेचा गया बीमा अक्सर इसलिए खरीदा जाता है कि उधारकर्ता को डर होता है कि वरना ऋण में देरी होगी, इसलिए नहीं कि उसने उत्पादों की तुलना की है। अलग और कम सीमाएँ — ऋण के साथ बेचे गए मोटर ओन-डैमेज, व्यक्तिगत दुर्घटना और पहले वर्ष के स्वास्थ्य कवर पर 5% — ऋणदाता के लिए अपनी साझेदार बीमा कंपनी की पॉलिसी थोपने का प्रोत्साहन घटाती हैं। प्रतिपक्ष यह है कि ऋण से जुड़ा जीवन कवर परिवारों को विरासत में क़र्ज़ पाने से बचाता है, और कमीशन घटने पर ऋणदाता इसे देने में कम रुचि ले सकते हैं। संतुलन इसमें है कि कवर उपलब्ध रहे, पर उधारकर्ता को किसी भी बीमा कंपनी को चुनने और पॉलिसी अलग से खरीदने के अधिकार की गारंटी मिले।

	5. '2047 तक सबके लिए बीमा' के लिए सस्ता वितरण आवश्यक है, पर पर्याप्त नहीं — कमीशन और व्यय प्रीमियम में जोड़े जाते हैं, इसलिए कम लागत पहली बार बीमा खरीदने वालों के लिए बीमा सस्ता करती है। लेकिन भारत में अल्प-बीमा जितना कीमत का मामला है, उतना ही भरोसे, दावा निपटान और उत्पादों की जटिलता का भी। अगर वितरकों की कमाई घटी, तो कुछ वितरक छोटी राशि वाली ग्रामीण पॉलिसियों को पूरी तरह छोड़ देंगे, और प्रस्तावित अतिरिक्त प्रावधान शायद इसकी भरपाई न कर पाएँ। बीमा पैठ बढ़ाने का टिकाऊ रास्ता कम लागत वाले चैनलों — IRDAI के बीमा सुगम (Bima Sugam) मार्केटप्लेस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्वयं सहायता समूह और डाकघर — को ऐसे सरल मानक उत्पादों के साथ जोड़ता है जिनका मूल्य खरीदार किसी विक्रेता की मदद के बिना समझ सके।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	उत्पाद और चैनल के आधार पर कमीशन सीमित करने का IRDAI का प्रस्ताव उसके 2023 के उस कदम को पलटता है, जिसमें बीमा कंपनियों को एक समग्र व्यय सीमा के भीतर कमीशन स्वयं तय करने की छुट दी गई थी। परीक्षण कीजिए कि क्या ऐसी सीमाएँ बीमा के प्रसार को धीमा किए बिना गलत बिक्री घटा सकती हैं और पॉलिसीधारकों के लिए मूल्य बढ़ा सकती हैं। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका — 23 सितंबर के परामर्श पत्र का उल्लेख कीजिए: खंड, चैनल, उत्पाद की जटिलता, पॉलिसी के आकार और प्रयास के आधार पर सीमाएँ, तथा पाँच वर्षों में प्रबंधन व्यय को जीवन बीमा कंपनियों के लिए प्रीमियम के 12.5% और साधारण बीमा कंपनियों के लिए 20% तक लाने वाला ग्लाइड पाथ, जिस पर 25 अक्टूबर तक टिप्पणियाँ देनी हैं। 2. मुख्य भाग — सीमाएँ अभी क्यों — 2015 में सीमाओं के विनियमों में स्थानांतरित होने, 2023 में बोर्ड द्वारा तय कमीशन की ओर बदलाव, और कमीशन से प्रेरित गलत बिक्री की समस्या को समझाइए। उदाहरण के रूप में भुगतान-अवधि आधारित संरचना (एजेंटों के लिए 25% बनाम 6.25%) और ऋण-संबद्ध बीमा पर कम सीमाओं का प्रयोग कीजिए, तथा 2025 के संशोधन द्वारा कमीशन सीमित करने की स्पष्ट शक्ति का उल्लेख कीजिए। 3. मुख्य भाग — जोखिम — मूल्य-नियंत्रण कमजोर बाजारों में वितरण को सिकोड़ सकता है; शुरुआत में केंद्रित कमीशन बने रहते हैं; जीवन बीमा उत्पादों में बचत शायद खरीदारों तक न पहुँचे; एजेंटों और बैंकों की आय घटती है, जिससे पहुँच का विस्तार धीमा पड़ सकता है। 4. मुख्य भाग — सुरक्षा उपाय — ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों के लिए अतिरिक्त प्रावधान; नवीनीकरण कमीशन की ओर झुकाव; व्यय अनुपातों का प्रकाशन; लोकपाल और दावा-निपटान की सशक्त निगरानी; बीमा सुगम, स्वयं सहायता समूहों और डाकघरों जैसे कम लागत वाले चैनल। 5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि सीमाएँ वितरकों के प्रोत्साहनों को पॉलिसीधारकों के हितों से जोड़ने का एक साधन हैं, और '2047 तक सबके लिए बीमा' के लिए कम लागत के साथ-साथ दावों के निपटान पर भरोसा भी ज़रूरी है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. IRDAI के सदस्य के रूप में आपको बैंकों की ओर से ज़ोरदार अभ्यावेदन मिलता है कि इन सीमाओं से बैंकएश्योरेस अव्यवहार्य हो जाएगा। आप कैसे जवाब देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं दावों के बजाय आँकड़े माँगूँगा: हर बैंक की पॉलिसियाँ बेचने और उनकी सर्विसिंग की वास्तविक लागत, तथा उत्पाद-वार पॉलिसी-निरंतरता (persistence) दरें और शिकायत अनुपात। जहाँ कुछ उत्पादों में लागत सचमुच अधिक है, वहाँ प्रयास-आधारित ढाँचा इसे प्रतिबिंबित कर सकता है। लेकिन बैंकएश्योरेस की ताकत ग्राहकों पर बैंक की पकड़ से आती है, और कमीशन को लोन डेस्क के दबाव का इनाम नहीं बनना चाहिए। मैं बैंकों से यह भी दिखाने को कहूँगा कि ग्राहक अपनी बीमा कंपनी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि यही स्वतंत्रता उनकी भूमिका का औचित्य है। प्रश्न 2. जिलाधिकारी के रूप में आपको शिकायतें मिलती हैं कि बैंक शाखाएँ फ़सल और वाहन ऋणों के साथ उधारकर्ताओं को बीमा खरीदने के लिए मजबूर कर रही हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं ये शिकायतें जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (District Level Consultative Committee) में और अग्रणी जिला प्रबंधक (Lead District Manager) के सामने उठाऊँगा, और बैंकों से लिखित पुष्टि माँगूँगा कि बीमा वैकल्पिक है और उधारकर्ता कोई भी बीमा कंपनी चुन सकते हैं। मैं शिकायत दर्ज करने का एक सरल माध्यम बनाऊँगा और मामलों को बैंकों के शिकायत निवारण अधिकारियों तक, तथा ज़रूरत पड़ने पर बीमा लोकपाल और RBI के लोकपाल तक भेजूँगा। स्वयं सहायता समूहों और ग्राम पंचायतों के जरिए लगाए गए जागरूकता शिविर उधारकर्ताओं को बीमा कंपनी चुनने और पॉलिसी रद्द करने के उनके अधिकार के बारे में बताएँगे। किसी शाखा द्वारा बार-बार उल्लंघन की सूचना उसके नियंत्रक कार्यालय और विनियामकों को दी जाएगी। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत को कमीशन पूरी तरह प्रतिबंधित करके शुल्क-

आधारित सलाह की ओर बढ़ना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): प्रतिबंध वहाँ कारगर होता है जहाँ खरीदार सलाह के लिए भुगतान करने को तैयार हों, जैसे यूनाइटेड किंगडम में, जिसने 2013 से खुदरा निवेश सलाह पर कमीशन प्रतिबंधित कर दिया। भारत में छोटी पॉलिसियों के अधिकांश खरीदार अग्रिम शुल्क नहीं देंगे, इसलिए प्रतिबंध उन्हें बीमा से पूरी तरह बाहर धकेल देगा। बेहतर रास्ता है: कम और प्रयास से जुड़े कमीशन, नवीनीकरण कमीशन के जरिए अधिक भुगतान, खरीदार के सामने कमीशन का पूरा प्रकटीकरण, और ऐसे सरल उत्पाद जिन्हें सीधे ऑनलाइन खरीदा जा सके। तब संपन्न खरीदारों के लिए शुल्क-आधारित सलाह भी साथ-साथ पनप सकती है।

2.4 प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने गिनाए चार जोखिम — हथियार बनती आपूर्ति शृंखलाएँ, आयात-निर्भरता, चंचल पूँजी और AI

समाचार (THE NEWS) मुंबई। द इकोनॉमिक टाइम्स और द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा ने बुधवार, 23 सितंबर को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में कहा कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को भू-राजनीतिक उथल-पुथल के जोखिमों से निपटने के लिए तैयार करना होगा। उन्होंने चार जोखिम गिनाए: बिखरते वैश्विक गठबंधन, आयात पर निर्भरता, बाह्य खातों पर दबाव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence — AI)। उन्होंने कहा, “गठबंधन बिखरे हुए हैं, आपूर्ति शृंखलाओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पूँजी को कभी भी चालू और बंद किया जा सकता है। व्यापार बाधाएँ, शुल्क और गैर-शुल्क दोनों, फिर से बढ़ रही हैं। हम अनुकूल हवाओं के भरोसे नहीं रह सकते।” आयात-निर्भरता केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है: “हमारा वस्तु व्यापार घाटा काफ़ी बड़ा है। हमें चीज़ें देश में ही और प्रतिस्पर्धी ढंग से बनानी होंगी।” उन्होंने कहा, “ऐसी दुनिया में जहाँ पूँजी चंचल है, हमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment — FDI) पर ध्यान देना होगा,” जिसके लिए स्थिर कर नीति और अनुबंध, भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स और “ऐसी मंजूरीयाँ जो सचमुच मिल जाएँ” ज़रूरी हैं। AI के बारे में उन्होंने कहा: “हम अभी इसका पूरा स्वरूप नहीं जानते। हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी।” उनके अनुसार वित्तीय प्रणाली को “विकास को समायोजित करने से आगे बढ़कर विकास को संभव बनाने” की ओर जाना होगा, और दो दशकों में बहुत बड़ी पूँजी जुटानी होगी। लंबी अवधि में तैयार होने वाली परिसंपत्तियों के लिए दीर्घावधि पूँजी, नवाचार के लिए जोखिम पूँजी, तेज़ी से बढ़ती कंपनियों के लिए इक्विटी, बुनियादी ढाँचे के लिए धैर्यवान पूँजी (patient capital) — यानी ऐसा धन जो प्रतिफल के लिए वर्षों इंतज़ार करने को तैयार हो — और शहरों के लिए नई वित्तीय संरचनाएँ। द हिंदू के अनुसार, उन्होंने बैंकों को अल्पकालिक आशावाद से प्रेरित आक्रामक ऋण-वितरण फिर शुरू करने के प्रति आगाह किया और ध्यान दिलाया कि 2026-27 की पहली तिमाही में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (non-performing asset — NPA) अनुपात 1% से नीचे आ गया। मुंबई में SBI के ही एक कार्यक्रम में RBI की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने 2024-25 में \$5 अरब और 2025-26 में \$23.6 अरब के भुगतान संतुलन घाटे का उल्लेख किया, क्योंकि पूँजी खाते का अधिशेष चालू खाते के घाटे से कम रहा। AI का जोखिम रोज़गार में दिखने भी लगा है: ET की रिपोर्ट है कि वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Centres — GCCs) — बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में चलाई जाने वाली अपतटीय इकाइयाँ — इस वित्त वर्ष में 25,000-30,000 नौकरियाँ घटा सकते हैं, जो उनके 26 लाख कार्यबल का लगभग 1% है, जबकि इसी दौरान लगभग 1,50,000 नई भूमिकाएँ भी बनेंगी; EITrend के पारीख जैन कटौतियों के दो-तिहाई हिस्से को वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों की संख्या में कमी और AI-संक्षम छरहरे मॉडलों से, तथा एक-तिहाई को कमज़ोर माँग से जोड़ते हैं। इसी बीच बुधवार को S&P ग्लोबल रेटिंग्स, फ़िच रेटिंग्स, OECD और एशियाई विकास बैंक, सभी ने भारत के 2026-27 के वृद्धि पूर्वानुमान बढ़ा दिए; OECD ने इसे 6.3% से बढ़ाकर 7.1% किया। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 (वृद्धि, निवेश और रोज़गार)।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

कोविड-19, यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संघर्ष दिखाते हैं कि आपूर्ति शृंखलाएँ और ऊर्जा कैसे बाधित हो सकती हैं → गठबंधन बिखरते हैं और शुल्क तथा गैर-शुल्क बाधाएँ फिर बढ़ती हैं → बड़ा वस्तु व्यापार घाटा चंचल पूँजी से टकराता है, जिससे 2024-25 और 2025-26 में भुगतान संतुलन घाटा पैदा होता है → AI सेवा-क्षेत्र के काम को नया रूप देना शुरू करता है, और छरहरे होते GCCs 25,000-30,000 नौकरियाँ घटाते हैं → प्रधानमंत्री कार्यालय प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण, निवेशकों के अनुकूल स्थिरता और धैर्यवान तथा जोखिम पूँजी उपलब्ध कराने वाली वित्तीय प्रणाली का आह्वान करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. चालू खाता दिखाता है कि भारत दुनिया के साथ अपना हिसाब कैसे चुकाता है — चालू खाते (current account) में वस्तुओं का व्यापार (वस्तु व्यापार संतुलन), सेवाओं का व्यापार, व्याज और लाभांश जैसी प्राथमिक आय, और द्वितीयक आय — मुख्यतः विप्रेषण (remittances) — दर्ज होते हैं। भारत का वस्तु व्यापार घाटा बड़ा है, जिसकी आंशिक भरपाई सेवाओं के अधिशेष और विप्रेषण से होती है, और इसके बाद भी चालू खाता घाटा (current account deficit — CAD) बचा रहता है। CAD की भरपाई पूँजी एवं वित्तीय खाते से करनी पड़ती है — प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफ़ोलियो प्रवाह, बाह्य वाणिज्यिक उधार और NRI जमा। जब ये अंतर्वाह कम पड़ते हैं, तो समय भुगतान संतुलन घाटे में चला जाता है और RBI का विदेशी मुद्रा भंडार घटता है — 2024-25 और 2025-26 के आँकड़े यही स्थिति बताते हैं।
2. FDI और FPI सीमा-रेखा, नियंत्रण और बाहर निकलने की गति — तीनों में भिन्न हैं — विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 [Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019] के तहत, भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की निर्गम-पश्चात चुकता इक्विटी के 10% या उससे अधिक का निवेश प्रत्यक्ष

विदेशी निवेश है, जबकि 10% से कम की हिस्सेदारी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (foreign portfolio investment — FPI) है। 10% की यह रेखा 2014 की अरविंद मायाराम समिति की सिफारिश पर आधारित है। FDI के साथ आमतौर पर प्रबंधन में भागीदारी, प्रौद्योगिकी और लंबा निवेश-क्षितिज आता है, जबकि पोर्टफोलियो हिस्सेदारी शेयर बाजार में एक दिन में बेची जा सकती है — यही वह 'चालू और बंद की जा सकने वाली पूँजी' है जिसका जिक्र मिश्रा ने किया। इसीलिए अर्थशास्त्री चालू खाता घाटे की भरपाई के लिए FDI को अधिक स्थिर माध्यम मानते हैं।

3. लंबी अवधि में तैयार होने वाली परिसंपत्तियों को दीर्घावधि धन चाहिए, जिसे बैंक सुरक्षित ढंग से नहीं दे सकते — बैंकों का वित्तपोषण मुख्यतः उन जमाओं से होता है जिन्हें अल्प सूचना पर निकाला जा सकता है, इसलिए 15 से 20 वर्ष की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को ऋण देने से परिसंपत्ति-देयता असंतुलन (asset-liability mismatch) पैदा होता है। 2000 के दशक के उछाल में जब यह असंतुलन परियोजनाओं के अति-आशावादी मूल्यांकन से जुड़ा, तो नतीजा 'दोहरी बैलेंस शीट समस्या' (twin balance sheet problem) के रूप में सामने आया — एक साथ दबावग्रस्त कॉर्पोरेट उधारकर्ता और कमज़ोर बैंक — जिसे आर्थिक समीक्षा 2016-17 ने रेखांकित किया। इसके जवाब में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016), बैंकों का पुनर्पूँजीकरण और विलय, तथा 2021 के एक अधिनियम के तहत विकास वित्त संस्था के रूप में स्थापित राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (National Bank for Financing Infrastructure and Development — NaBFID) सामने आए। धैर्यवान पूँजी के स्वाभाविक धारक पेंशन फंड, बीमा कंपनियाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, इसीलिए एक गहरा कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार मायने रखता है।
4. GCCs कैप्टिव इकाइयाँ हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियाँ नहीं — वैश्विक क्षमता केंद्र किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के स्वामित्व वाली अपतटीय इकाई है, जो अपनी मूल कंपनी के लिए काम करती है — IT सहायता और वित्तीय परिचालन से लेकर इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स और अनुसंधान एवं विकास तक। किसी IT सेवा कंपनी के विपरीत, यह बाहरी ग्राहकों को सेवाएँ नहीं बेचती, इसलिए इसका भविष्य मूल कंपनी की वैश्विक रणनीति के साथ बंधा रहता है। भुगतान संतुलन में GCCs की कमाई सेवा निर्यात में गिनी जाती है और वस्तु व्यापार घाटे की भरपाई में मदद करती है। मिश्रा ने जिस अर्थ में आर्थिक सुरक्षा की बात की, उसका आशय है दूसरों द्वारा आपूर्ति, पूँजी या प्रौद्योगिकी में जान-बूझकर पैदा किए गए व्यवधान के प्रति अपना जोखिम घटाना — ऐसी स्थिति जिसे विद्वानों ने 'हथियार बनी परस्पर-निर्भरता' (weaponised interdependence) कहा है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS3 ठीक इन्हीं शब्दों के इर्द-गिर्द बना है — पाठ्यक्रम में वृद्धि, विकास और रोज़गार, संसाधनों का संग्रहण, निवेश मॉडल और बुनियादी ढाँचा शामिल हैं। मुख्य परीक्षा में बार-बार भारत के चालू खाता घाटे के कारणों और उसके वित्तपोषण, पोर्टफोलियो प्रवाह की तुलना में FDI की खूबियों, और दीर्घकालिक अवसंरचना वित्त की ज़रूरत पर प्रश्न पूछे गए हैं; एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा गिनाए गए चार जोखिम ऐसे उत्तरों के लिए बना-बनाया ढाँचा देते हैं।
2. AI और रोज़गार निबंध और GS3 का प्रिय विषय है — स्वचालन, काम के भविष्य और जनसांख्यिकीय लाभांश पर प्रश्न मुख्य परीक्षा और निबंध प्रश्नपत्र में बार-बार आते हैं। GCCs के आँकड़े — 1,50,000 नई भूमिकाओं के मुकाबले 25,000-30,000 कटौतियाँ — एक दुर्लभ भारतीय संख्या देते हैं, जो अन्यथा अमूर्त रहने वाली बहस को ठोस आधार देती है।
3. प्रारंभिक परीक्षा भुगतान संतुलन की शब्दावली परखती है — UPSC ने अक्सर पूछा है कि कौन-सी मदें चालू खाते में आती हैं और कौन-सी पूँजी खाते में, और FDI को FPI से क्या अलग करता है। 10% की सीमा-रेखा, विप्रेषण का वर्गीकरण और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति की परिभाषा — इसी तरह के तथ्य प्रश्नों में आते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की निर्गम-पश्चात चुकता इक्विटी के 10% या उससे अधिक के विदेशी निवेश को FDI माना जाता है; 10% से कम की हिस्सेदारी FPI है।
- विदेश में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजे गए विप्रेषण भुगतान संतुलन के चालू खाते में द्वितीयक आय के रूप में दर्ज होते हैं।
- बाह्य वाणिज्यिक उधार, NRI जमा और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश चालू खाते में नहीं, बल्कि पूँजी एवं वित्तीय खाते में दर्ज होते हैं।
- किसी ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति तब माना जाता है जब उसका ब्याज या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहे।
- सकल NPA अनुपात सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ हैं।

- राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक की स्थापना NaBFID अधिनियम, 2021 के तहत अवसंरचना के लिए एक विकास वित्त संस्था के रूप में हुई थी।
- आर्थिक समीक्षा 2016-17 में रेखांकित 'दोहरी बैलेंस शीट समस्या' का अर्थ है कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं और बैंकों, दोनों की बैलेंस शीट पर एक साथ दबाव।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. चार जोखिम दरअसल एक ही जोखिम के चार पहलू हैं: दूसरों पर निर्भर रहने की क्रीमत —** हथियार बनती आपूर्ति शृंखलाएँ, आयात-निर्भरता, चल पूँजी और AI — इन सबकी संरचना एक जैसी है: हर एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए विदेश में लिए गए फ़ैसले अल्प सूचना पर भारत को चोट पहुँचा सकते हैं। AI इस सूची में इसलिए है क्योंकि जिन अग्रणी मॉडलों, चिप्स और क्लाउड क्षमता पर भारतीय कंपनियाँ अधिकाधिक निर्भर हो रही हैं, उन पर मुट्ठी भर विदेशी कंपनियों और सरकारों का नियंत्रण है। इस दृष्टि से देखें तो उत्तर पूर्ण आत्मनिर्भरता (self-sufficiency) नहीं, बल्कि लचीलापन (resilience) है — विविध स्रोत, बफ़र और घरेलू क्षमता। मिश्रा की अपनी शर्त, “देश में ही और प्रतिस्पर्धी ढंग से बनाना”, ही निर्णायक अंश है: ऊँची दीवारों के पीछे किया गया आयात प्रतिस्थापन लागत बढ़ाएगा, जैसा कि कच्चे माल (इनपुट) पर लागू गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (Quality Control Orders) से जुड़े आज के प्रमाण छोटे पैमाने पर दिखाते हैं।
- 2. FDI को प्राथमिकता देना ठीक है, पर FDI अपीलें से नहीं, पूर्वानुमेयता से आता है —** 2024-25 में \$5 अरब और 2025-26 में \$23.6 अरब के भुगतान संतुलन घाटे दिखाते हैं कि अन्य अंतर्वाहों ने CAD की भरोसेमंद ढंग से भरपाई नहीं की है। FDI अधिक टिकाऊ है, पर निवेशक नीतिगत जोखिम की क्रीमत आँकते हैं, और भारत का रिकॉर्ड — वोडाफ़ोन फ़ैसले के बाद 2012 का पूर्वव्यापी कर संशोधन, जिसे कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 [Taxation Laws (Amendment) Act, 2021] के ज़रिए ही वापस लिया गया, तथा शुल्कों और उत्पाद-नियमों में बार-बार बदलाव — वही है जिसकी ओर मिश्रा परोक्ष रूप से इशारा करते हैं जब वे स्थिर कर नीति, अनुबंध और “ऐसी मंज़ूरियाँ जो सचमुच मिल जाएँ” की माँग करते हैं। प्रतिपक्ष यह है कि FDI मुफ्त नहीं आता: मुनाफ़ा स्वदेश वापस भेजा जाता है, और सकल अंतर्वाह स्वस्थ रहने पर भी शुद्ध FDI सिकुड़ सकता है। लक्ष्य यह होना चाहिए कि निर्यात-उन्मुख FDI का हिस्सा बढ़े, जो वह विदेशी मुद्रा खुद कमाएँ जिसे वह बाद में बाहर भेजता है।
- 3. आक्रामक ऋण-वितरण पर चेतावनी भाषण का सबसे ठोस निर्देश है —** 1% से नीचे का सकल NPA अनुपात और तरलता से लबालब बैंक — ठीक ऐसी ही परिस्थितियों में 2000 के दशक का ऋण-उछाल शुरू हुआ था। मिश्रा की यह बात कि ऋण का मूल्यांकन “क्षणिक उत्साह के बजाय परियोजना के अर्थशास्त्र” के आधार पर होना चाहिए, सबसे अधिक उसी बुनियादी ढाँचा अभियान पर लागू होती है जिसकी वे स्वयं भी माँग करते हैं। वित्तीय प्रणाली से एक साथ विकास को “संभव बनाने” और सावधानी से ऋण देने की अपेक्षा में एक अंतर्निहित तनाव है। इसका समाधान श्रम-विभाजन है — बैंक कार्यशील पूँजी और छोटी अवधि के ऋणों के लिए, और बॉन्ड बाज़ार, NaBFID, पेंशन फ़ंड व बीमा कंपनियाँ लंबी अवधि में तैयार होने वाली परियोजनाओं के लिए — और यही बात धैर्यवान पूँजी तथा शहरों के लिए नई वित्तीय संरचनाओं के उनके आह्वान की भाषण का अधिक महत्वपूर्ण आधा हिस्सा बनाती है।
- 4. GCCs के आँकड़े छोटे हैं, पर दिखाते हैं कि AI की मार सबसे पहले कहाँ पड़ती है —** लगभग 1,50,000 नई भूमिकाओं के मुकाबले 25,000-30,000 कटौतियों के बाद भी GCC क्षेत्र इस वर्ष शुद्ध रूप से रोज़गार पैदा करने वाला बना रहता है। अधिक खुलासा करने वाला आँकड़ा यह है कि ANSR के विक्रम आहूजा के अनुसार, जो केंद्र कभी 5,000 कर्मचारियों के लिए नियोजित होते थे, वे अब लगभग 3,000 के लिए डिज़ाइन किए जा रहे हैं — यानी हर नए केंद्र में भर्ती में 40% की कमी। दबाव नियमित, जिस-जैसा (commoditised) काम करने वाले छोटे GCCs पर पड़ता है — Hy-Vee और Opendoor ने अपने भारतीय केंद्र बंद कर दिए हैं, जिससे दोनों में मिलाकर लगभग 400 लोग प्रभावित हुए — और यही छोटे कॉलेजों के स्नातकों के लिए नौकरी का प्रवेश-द्वार होते हैं। प्रतिपक्ष यह है कि उत्पादकता में बढ़ोतरी और अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत की ओर खींच सकती है, जिससे कुल रोज़गार फिर भी बढ़ सकता है; लेकिन कौशल-मिश्रण कम संख्या वाली, अधिक विशेषीकृत भूमिकाओं की ओर खिसकेगा, और प्रशिक्षण को अब तक की तुलना में कहीं तेज़ी से बदलना होगा।
- 5. बढ़े हुए पूर्वानुमान महत्वाकांक्षा का कारण हैं, निश्चित हो जाने का नहीं —** चार एजेंसियों ने एक ही दिन भारत के 2026-27 के वृद्धि पूर्वानुमान बढ़ाए, OECD ने 6.3% से 7.1%। फिर भी 31 मार्च, 2025 से 16 सितंबर, 2026 के बीच रुपये में 13.1% का मूल्यह्रास हुआ, और डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने वास्तविक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाज़ारों के कुछ हिस्सों के बीच असंगति की बात कही। मिश्रा की चेतावनी का मर्म यही अंतर है: एक वर्ष का पूर्वानुमान दो दशकों के संरचनात्मक जोखिम के बारे में बहुत कम बताता है। वृद्धि सुधारों के लिए धन जुटाना आसान बनाती है, पर पिछले चक्र बताते हैं कि अच्छे वर्षों में ही कमज़ोरियाँ चुपचाप पनपती हैं।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न

“गठबंधन बिखरे हुए हैं, आपूर्ति शृंखलाओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और

(POSSIBLE MAINS QUESTION)	पूँजी को कभी भी चालू और बंद किया जा सकता है।” इस संदर्भ में भारत के बाह्य क्षेत्र के संरचनात्मक जोखिमों का परीक्षण कीजिए तथा चर्चा कीजिए कि वित्तीय प्रणाली विकास को समायोजित करने से आगे बढ़कर उसे संभव बनाने की ओर कैसे जा सकती है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	भूमिका — 23 सितंबर के SBI कॉन्क्लेव में प्रधान सचिव द्वारा गिनाए गए चार जोखिमों को उद्धृत कीजिए और 2024-25 में \$5 अरब तथा 2025-26 में \$23.6 अरब के भुगतान संतुलन घाटे का उल्लेख कीजिए। मुख्य भाग — बाह्य क्षेत्र के जोखिम — हथियार बनती आपूर्ति शृंखलाएँ और बढ़ती शुल्क व गैर-शुल्क बाधाएँ; ऊर्जा से आगे तक फैला वस्तु व्यापार घाटा; अस्थिर पोर्टफोलियो पूँजी पर निर्भरता; सेवा निर्यात पर AI का प्रभाव, जिसके प्रमाण के रूप में 25,000-30,000 नौकरियों वाला GCC पुनर्गठन। मुख्य भाग — वास्तविक अर्थव्यवस्था में उपाय — आयात प्रतिस्थापन के बजाय प्रतिस्पर्धी विनिर्माण; स्थिर कर नीति, अनुबंधों और मंजूरीयों के ज़रिए आकर्षित FDI; यूरोपीय संघ, न्यूज़ीलैंड और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के ज़रिए व्यापार का विविधीकरण। मुख्य भाग — वित्तीय प्रणाली — बॉन्ड, NaBFID, पेंशन और बीमा फंडों के ज़रिए बुनियादी ढाँचे के लिए दीर्घावधि और धैर्यवान पूँजी; नवाचार के लिए जोखिम पूँजी और इक्विटी; शहरों के लिए नगरपालिका वित्त; दोहरी बैलेंस शीट समस्या और आज के 1% से नीचे के सकल NPA अनुपात को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण बैंक ऋण। निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि लक्ष्य लचीलापन है, आर्थिक अलगाववाद (autarky) नहीं, और बढ़े हुए वृद्धि पूर्वानुमानों का दौरा ढील देने का नहीं, बल्कि बफ़र तैयार करने का समय है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. DPIIT के सचिव के रूप में आप निवेशकों के लिए 'ऐसी मंजूरीयाँ जो सचमुच मिल जाएँ' कैसे सुनिश्चित करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं केंद्र और राज्यों में किसी निवेशक को चाहिए होने वाली हर मंजूरी का मानचित्र बनाऊँगा, जिनका कोई उद्देश्य नहीं है उन्हें हटाऊँगा, और बाकी के लिए सांविधिक समय-सीमा तथा उसके बीतने पर मान ली गई स्वीकृति (deemed approval) का प्रावधान करूँगा। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (National Single Window System) को एकमात्र इंटरफ़ेस बनना चाहिए, जिसमें हर लंबित फ़ाइल निवेशक और मेरे कार्यालय, दोनों को दिखे। मैं हर महीने विभाग-वार मंजूरी में लगने वाला समय प्रकाशित करूँगा, क्योंकि सार्वजनिक आँकड़े परिपत्रों की तुलना में व्यवहार कहीं तेज़ी से बदलते हैं। स्थिरता का अर्थ यह भी है कि नियम बदलने से पहले उद्योग से परामर्श हो, और जब बदलाव अपरिहार्य हो तो संक्रमण-अवधि दी जाए। प्रश्न 2. आप कई GCCs वाले एक राज्य में श्रम आयुक्त हैं। दो केंद्र बंद होने की घोषणा करते हैं, जिससे लगभग 400 कर्मचारी प्रभावित होंगे। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): सबसे पहले मैं सुनिश्चित करूँगा कि सांविधिक देय — नोटिस वेतन, छुट्टी मुआवज़ा, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि — समय पर चुकाए जाएँ, क्योंकि प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कर्मचारी अक्सर मान लेते हैं कि श्रम क़ानून उनकी रक्षा नहीं करते। मैं कंपनियों, राज्य कौशल मिशन और अन्य GCCs को साथ बैठाकर कर्मचारियों को जल्द नई जगह दिलाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि पूरा क्षेत्र अब भी भर्ती कर रहा है। मैं घटाई जा रही और जोड़ी जा रही भूमिकाओं के आँकड़े माँगूँगा, ताकि कौशल कार्यक्रमों को उन नौकरियों के इर्द-गिर्द नए सिरे से गढ़ा जा सके जो वास्तव में बढ़ रही हैं। उद्देश्य पुनर्गठन को रोकना नहीं, बल्कि बदलाव की प्रक्रिया को तेज़ बनाना है। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या 'चीज़ें देश में बनाना' आयात प्रतिस्थापन की ओर वापसी है? दृष्टिकोण (Approach): ज़रूरी नहीं। 1991 से पहले का आयात प्रतिस्थापन घरेलू उत्पादकों को लागत की परवाह किए बिना संरक्षण देता था, और उसकी क्रामत उपभोक्ताओं और निर्यातकों ने चुकाई। प्रधान सचिव ने इसमें 'प्रतिस्पर्धी ढंग से' जोड़ा, जिसका अर्थ है ऐसा घरेलू उत्पादन जो स्थायी संरक्षण के बिना टिक सके और निर्यात भी कर सके। किसी भी उपाय — शुल्क, गुणवत्ता आदेश या सब्सिडी — की कसौटी यह है कि क्या वह समयबद्ध है, प्रदर्शन से जुड़ा है, और विफल होने पर वापस ले लिया जाता है।

2.5 दिल्ली के बस चालकों पर ESMA क्यों नहीं लगाया गया, उच्च न्यायालय ने पूछा; बैंक यूनियनों ने तीन दिन की हड़ताल का आह्वान किया

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, संविदा बस चालकों की हड़ताल के दूसरे सप्ताह में बुधवार, 23 सितंबर को दिल्ली परिवहन निगम (Delhi Transport Corporation — DTC) के वज्जीराबाद डिपो में कम से कम 37 चालकों को कारण बताओ नोटिस (show-cause notice) जारी किए गए; डिपो प्रबंधक के मुताबिक उन पर 16 से 22 सितंबर के बीच बसों के संचालन में बाधा डालने का आरोप है। कारण बताओ नोटिस में कर्मचारी से यह स्पष्ट करने को कहा जाता है कि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए; चालकों को 24 घंटे के भीतर जवाब देना है, अन्यथा उन्हें आंतरिक जांच और एकपक्षीय (ex parte) निर्णय — यानी उनकी सुनवाई के बिना लिया गया फैसला — झेलना होगा। आठ चालकों को काली सूची में डाल दिया गया है। हड़ताल 15 सितंबर को बेहतर वेतन, सवेतन अवकाश और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर शुरू हुई थी; ये चालक उन सात निजी कंपनियों के कर्मचारी हैं जो दिल्ली की क्लस्टर बसें चलाती हैं, और इन्हें ₹862 प्रतिदिन मिलते हैं — न सवेतन अवकाश, न सामाजिक सुरक्षा का कोई कवच। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने 28 सितंबर को सभी संविदा कर्मचारियों की पूर्ण हड़ताल का आह्वान किया है; DTC ने उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। कथित तोड़फोड़ को लेकर दर्ज FIR के बाद पुलिस ने सैकड़ों चालकों को हिरासत में लिया है, जबकि चालक इन आरोपों से इनकार करते हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है कि आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (Essential Services Maintenance Act — ESMA), यानी वह कानून जो सरकार को अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाने की शक्ति देता है, अब तक क्यों नहीं लागू किया गया; पीठ ने सरकार से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि DTC की बसें चलती रहें। दिल्ली मेट्रो ने 16 से 22 सितंबर के बीच आठ से 10 अतिरिक्त ट्रेनें लगाई और रोज़ 20 से 50 फेरे बढ़ाए। इसके अलावा, यूनाइटेड फ़ोरम ऑफ़ बैंक यूनियंस (United Forum of Bank Unions — UFB), जो द हिंदू के अनुसार बैंकिंग कार्यबल के 90% का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, ने मुख्यतः पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर 28 से 30 सितंबर तक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है; वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार, 27 सितंबर को सामान्य रूप से काम करेंगे, और RBI ने सभी शाखाओं, कार्यालयों और करेंसी चेस्ट को खूला रखने की मंजूरी दे दी है। EPFO की वेतन-सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने की खबर 18-19 सितंबर के अंकों में दी जा चुकी है; नया है ET में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन और श्रुति सिंह द्वारा रखा गया तर्क। चूंकि लोग बाद में मिलने वाले बड़े लाभ की तुलना में जल्दी मिलने वाला छोटा लाभ पसंद करते हैं — जिसे 'अतिपरवलयिक बट्टाकरण' (hyperbolic discounting) कहते हैं — इसलिए जहाँ इच्छाशक्ति जवाब दे जाती है, वहाँ वेतन से सीधे कटने वाली बचत काम आती है। ₹22,000 कमाने वाले श्रमिक के लिए नियोक्ता का 12% अंशदान ₹2,640 प्रति माह, यानी ₹31,680 प्रति वर्ष बैठता है, और ऐसे 20 श्रमिकों के लिए ₹6,33,600; लेकिन लेखकों का तर्क है कि यह कवरेज श्रमिकों को आकर्षित करने और उन्हें टिकाए रखने में भी मदद करता है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 (रोज़गार) और GS2 (अधिकार)।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

दिल्ली अपने बस बेड़े का एक हिस्सा निजी ऑपरेटरों के ज़रिए चलाती है, जो चालकों को संविदा पर रखते हैं → चालकों को ₹862 प्रतिदिन मिलते हैं, न सवेतन अवकाश, न सामाजिक सुरक्षा → 15 सितंबर से हड़ताल शुरू होती है; डिपो कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं और चालकों को काली सूची में डालते हैं, पुलिस FIR दर्ज करती है → यात्री परेशान होते हैं और उच्च न्यायालय पूछता है कि ESMA क्यों नहीं लगाया गया → यह विवाद दिखाता है कि अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा, जिसका दायरा अब EPF की बढ़ी हुई सीमा से और चौड़ा हुआ है, हाशिये पर खड़े श्रमिकों के लिए सबसे अधिक मायने क्यों रखती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. संविधान संघ बनाने के अधिकार की रक्षा करता है, हड़ताल के अधिकार की नहीं — अनुच्छेद 19(1)(c) संगम या संघ बनाने के अधिकार की गारंटी देता है, जो अनुच्छेद 19(4) के तहत युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन है। All India Bank Employees' Association v. National Industrial Tribunal (1962) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस अधिकार के साथ हड़ताल करने या सामूहिक सौदेबाज़ी (collective bargaining) का कोई गारंटीशुदा अधिकार नहीं जुड़ा है। Kameshwar Prasad v. State of Bihar (1962) मामले में न्यायालय ने सरकारी सेवकों के प्रदर्शनों पर लगी रोक को तो रद्द कर दिया, पर हड़ताल पर लगी रोक को बरकरार रखा। T.K. Rangarajan v. Government of Tamil Nadu (2003) मामले में न्यायालय ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 2002 के तहत हड़ताली राज्य कर्मचारियों की बर्खास्तगी से उपजा था, उसमें न्यायालय ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल का न कोई मूल अधिकार है, न वैधानिक और न ही साम्यिक (equitable) अधिकार।
2. ESMA अधिसूचित सेवा में हड़ताल को अपराध बना देता है — संसद ने 1968 और 1981 में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम बनाए; कई राज्यों के अपने ऐसे कानून हैं, जैसे तमिलनाडु (2002), कर्नाटक (2013) और महाराष्ट्र (2023); और आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम, 2021 (Essential Defence Services Act, 2021) रक्षा उत्पादन इकाइयों पर लागू होता है। इन सबकी साझा रूपरेखा यह है कि सरकार किसी सेवा को आवश्यक घोषित करती है — आम तौर पर परिवहन, बिजली, जल, स्वास्थ्य, डाक या संचार — और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए उसमें हड़ताल पर रोक का आदेश जारी करती है। ऐसे आदेश के बाद की गई हड़ताल अवैध होती है, और उसमें भाग लेने वाले, उसे भड़काने वाले या उसके लिए धन देने वाले गिरफ्तारी, अभियोजन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के भागी होते हैं। चूंकि यह श्रमिकों से मोलभाव का उनका मुख्य हथियार छीन लेता है, इसलिए ESMA आदेश सामान्यतः समयबद्ध होता है और स्वयं भी न्यायिक पुनर्विलोकन (judicial review) के अधीन रहता है।
3. औद्योगिक संबंध संहिता हड़ताल-नोटिस के नियमों को हर औद्योगिक प्रतिष्ठान तक फैलाती है — PIB की एक विज्ञप्ति के अनुसार चारों श्रम संहिताएँ — मज़दूरी पर (2019), तथा

औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाओं पर (तीनों 2020) — 21 नवंबर, 2025 से प्रभावी की गई और इनमें 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का समेकन हुआ। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) के तहत कोई भी श्रमिक — हड़ताल से पहले 60 दिनों के भीतर नोटिस दिए बिना, नोटिस देने के 14 दिनों के भीतर, सुलह कार्यवाही (conciliation proceedings) के दौरान और उसके सात दिन बाद तक, या किसी अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के दौरान और उसके 60 दिन बाद तक — हड़ताल नहीं कर सकता। संहिता ने जिस औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) का स्थान लिया है, उसके तहत ऐसे नोटिस-नियम केवल लोक उपयोगी सेवाओं (public utility services) पर लागू होते थे; संहिता उन्हें सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू करती है। यह किसी दिन 50% या उससे अधिक श्रमिकों द्वारा मिलकर लिए गए आकस्मिक अवकाश को भी हड़ताल मानती है।

4. **ठेका श्रमिक और EPF कवरेज अब श्रम संहिताओं के भीतर आ गए हैं** — ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 [Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970] अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) में समाहित हो चुका है, और PIB की एक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधान नियोक्ता (principal employer) ठेका श्रमिकों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा लाभ देंगे। Steel Authority of India v. National Union Water Front Workers (2001) मामले में एक संविधान पीठ ने कहा कि ठेका श्रम के उत्सादन से ठेका श्रमिक अपने-आप प्रधान नियोक्ता के नियमित कर्मचारी नहीं बन जाते। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) नौ कानूनों को समाहित करती है, जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952) भी शामिल है, जिसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 (Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976) चलती हैं। नियोक्ता के 12% अंशदान में से, सीमा तक के वेतन का 8.33% पेंशन योजना में जाता है और शेष श्रमिक के भविष्य निधि खाते में।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **हड़ताल के अधिकार पर GS2 और GS3 आपस में मिलते हैं** — पाठ्यक्रम में मूल अधिकार GS2 में और रोजगार व श्रम सुधार GS3 में आते हैं। श्रम संहिताओं पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न प्रायः यह पूछते हैं कि क्या वे नियोक्ताओं के लिए लचीलेपन और श्रमिकों के संरक्षण के बीच संतुलन साधती हैं; दिल्ली की हड़ताल, बैंक हड़ताल का आह्वान और EPF सीमा — ये तीनों मिलकर उस संतुलन का तीन हिस्सों वाला उदाहरण बनाते हैं।
2. **आवश्यक सेवाएँ GS4 केस स्टडी का स्थायी विषय हैं** — नीतिशास्त्र की केस स्टडी अक्सर अभ्यर्थी को हड़ताली श्रमिकों और उन पर निर्भर जनता के बीच खड़ा कर देती हैं। दिल्ली का विवाद — ₹862 प्रतिदिन, काली सूची, FIR और ESMA पर सवाल पूछता उच्च न्यायालय — इसका आदर्श ढाँचा है: श्रमिकों के प्रति न्याय, सेवा की निरंतरता और दमनकारी शक्ति के प्रयोग में संयम।
3. **व्यवहारवादी अर्थशास्त्र अब आधिकारिक शब्दावली का हिस्सा है** — आर्थिक समीक्षा 2018-19 ने व्यवहारवादी अर्थशास्त्र (behavioural economics) और 'नज' (nudge) पर पूरा एक अध्याय दिया था, और मुख्य आर्थिक सलाहकार का लेख उसी तर्क को अनिवार्य बचत तक ले जाता है। अतिपरवलयिक बढ़ाकर, डिफॉल्ट विकल्प (default options) और वर्तमान पूर्वाग्रह (present bias) जैसे शब्द अब GS3 के उत्तरों और निबंध प्रश्नपत्र में बेझिझक इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- All India Bank Employees' Association v. National Industrial Tribunal (1962) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत संघ बनाने के अधिकार में हड़ताल का कोई गारंटीशुदा अधिकार शामिल नहीं है।
- T.K. Rangarajan v. Government of Tamil Nadu (2003) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल का कोई मूल या वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान का श्रमिक हड़ताल से पहले 60 दिनों के भीतर नोटिस दिए बिना, या ऐसा नोटिस देने के 14 दिनों के भीतर, हड़ताल नहीं कर सकता।
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 किसी दिन 50% या उससे अधिक श्रमिकों द्वारा मिलकर लिए गए आकस्मिक अवकाश को हड़ताल मानती है।
- चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर, 2025 को लागू हुईं और इनमें 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का समेकन किया गया।

- टेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020 में समाहित कर दिया गया है।
- व्यवहारवादी अर्थशास्त्र की अवधारणा 'अतिपरवल्यिक बट्टाकरण' भविष्य के बड़े लाभ की तुलना में तात्कालिक छोटे लाभ को तरजीह देने की प्रवृत्ति को दर्शाती है, जो स्वैच्छिक बचत को कमजोर करती है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. दिल्ली का विवाद केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि राज्य की ही खड़ी की हुई ठेकेदारी की समस्या है** — बसे सार्वजनिक हैं, सेवा आवश्यक है और मार्ग सरकार तय करती है, फिर भी चालक सात निजी कंपनियों के कर्मचारी हैं, जिन्हें बिना सवेतन अवकाश और सामाजिक सुरक्षा के ₹862 प्रतिदिन मिलते हैं। महीने में 26 कार्य-दिवस मानें तो यह लगभग ₹22,400 प्रति माह बैठता है — लगभग ठीक उतना, जितना मुख्य आर्थिक सलाहकार के उदाहरण वाले उस श्रमिक का वेतन है जिसे बढ़ी हुई सीमा ने अब अनिवार्य EPF के दायरे में ला दिया है। राज्य ने रोजगार तो बाहर सौंप दिया है, पर ज़िम्मेदारी नहीं: श्रम संहिताओं के तहत प्रधान नियोक्ता के रूप में उसे देखना है कि ठेकेदार स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा लाभ दें। ESMA लागू करने से बसें तो लौट आएंगी, पर समस्या की जड़ जस की तस रहेगी। प्रतिपक्ष यह है कि यात्रियों — दिहाड़ी मज़दूरों, घरेलू कामगारों और विद्यार्थियों — को वेतन-विवाद की क्रीमत नहीं चुकानी चाहिए, और शिकायत चाहे जो हो, तोड़फोड़ अपराध ही है।
- 2. ESMA एक भोथरा औज़ार है, और उसका प्रयोग यह संकेत देगा कि मोलभाव विफल हो चुका है** — उच्च न्यायालय ने पूछा है कि ESMA क्यों नहीं लगाया गया; उसने इसे लगाने का आदेश नहीं दिया। निजी ऑपरेटरों के टेका श्रमिकों को काम पर बाध्य करने के लिए सरकार को पहले उनके काम को आवश्यक घोषित करना होगा, और इससे उनका यह दावा ही मज़बूत होगा कि आवश्यक काम के बदले सम्मानजनक शर्तें मिलनी चाहिए। People's Union for Democratic Rights v. Union of India (1982) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान पर कराया गया श्रम अनुच्छेद 23 के तहत बलात् श्रम (forced labour) है; इसलिए जो सरकार काम करने को बाध्य करे, उसे यह भी पक्का करना होगा कि भुगतान वैध हो। बेहतर क्रम यह है: पहले औद्योगिक संबंध संहिता के तहत सुलह, फिर अवकाश और सामाजिक सुरक्षा में पंजीकरण पर ऑपरेटरों के साथ अंतरिम समझौता, और ESMA केवल तब, जब हिंसा जारी रहे या सेवा पूरी तरह टप बनी रहे।
- 3. बैंक हड़ताल दिखाती है कि टकराव की जगह अब असर घटाने के उपाय ले रहे हैं** — UFBU के आह्वान पर सरकार का जवाब ESMA नहीं, बल्कि एक अतिरिक्त कार्य-दिवस वाला रविवार था, जिसमें RBI ने शाखाओं, ATM से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को खुला रखने की मंजूरी दी। डिजिटल भुगतानों ने भी बैंक हड़ताल की धार कुंद कर दी है, क्योंकि UPI, कार्ड और नेट बैंकिंग चलते रहते हैं; सबसे अधिक नुकसान उनका होता है जो शाखाओं पर निर्भर हैं, जैसे पेंशनभोगी और नक़दी में लेन-देन करने वाले छोटे व्यापारी। यूनियन की केंद्रीय माँग, पाँच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह, कार्य-दशाओं से जुड़ी है और ऐसा विषय है जिसे यूनियनों और भारतीय बैंक संघ (Indian Banks' Association — IBA) के बीच उद्योग-स्तरीय वार्ता में ही सुलझाया जाना सबसे उचित है। प्रतिपक्ष यह है कि शाखा-सेवाओं के बिना तीन दिन भी सबसे अधिक ग्रामीण ग्राहकों को चोट पहुँचाते हैं, इसलिए असर घटाने के उपायों में पेंशन और लाभ-राशि की निकासी को प्राथमिकता भी शामिल होनी चाहिए।
- 4. मुख्य आर्थिक सलाहकार का तर्क श्रमिकों के बारे में सही, पर नियोक्ताओं के बारे में अधूरा है** — अतिपरवल्यिक बट्टाकरण बताता है कि स्वैच्छिक बचत क्यों विफल होती है, और वेतन से सीधी कटौती इसका आजमाया हुआ इलाज है: जो पैसा श्रमिक के हाथ पहुँचने से पहले ही अलग रख दिया जाए, वह खर्च नहीं होता। नियोक्ता पर पड़ने वाला हिसाब भी वास्तविक है — ₹22,000 वाले श्रमिक के लिए ₹2,640 प्रति माह, और ऐसे 20 श्रमिकों के लिए ₹6,33,600 प्रति वर्ष — और कम मार्जिन पर चलने वाली छोटी फ़र्म के लिए यही तय कर सकता है कि कोई नौकरी औपचारिक रूप से पैदा होगी भी या नहीं। मुख्य आर्थिक सलाहकार का जवाब — कि कवरेज गुणवत्ता का संकेत देता है और श्रमिकों को टिकाए रखता है — प्रतिस्पर्धी श्रम बाज़ारों के कुशल श्रमिकों पर तो खरा उतरता है, पर कम वेतन वाले उस काम पर उतना नहीं, जहाँ मोलभाव की ताक़त नियोक्ता के हाथ में होती है। फ़र्म वेतन को भत्तों में खिसकाने की कोशिश भी कर सकती हैं; श्रम संहिताओं में मज़दूरी की एकसमान परिभाषा, जो कुल पारिश्रमिक के आधे से अधिक भत्तों को वापस मज़दूरी में जोड़ देती है, बच निकलने के इस रास्ते को सीमित करती है।
- 5. ऊँची सीमा से केवल उन्हीं श्रमिकों को लाभ है जो वास्तव में किसी वेतन-पत्रक (payroll) पर दर्ज हैं** — अनिवार्य कवरेज के दायरे में नए आए 51 लाख श्रमिक उन प्रतिष्ठानों के कर्मचारी हैं जो पहले से EPFO के दायरे में हैं और जिनका वेतन पुरानी सीमा से ऊपर है। दिल्ली के चालक इससे कठिन मोर्चा दिखाते हैं: निजी ऑपरेटरों के ऐसे टेका श्रमिक, जिनके पास सामाजिक सुरक्षा का कोई कवच ही नहीं है। उनके लिए असली अड़चन सीमा नहीं, बल्कि ठेकेदारों पर कानून का प्रवर्तन है; भविष्य निधि कानून इसका समाधान यह करता है कि टेका श्रमिकों के अंशदान के

	लिए प्रधान नियोक्ता को उत्तरदायी ठहराता है और उसे यह राशि ठेकेदार से वसूलने की छूट देता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार जिस 'ट्रैम्पोलिन' की बात करते हैं, उसमें ऊपर के साथ-साथ नीचे भी स्प्रिंग चाहिए, इसलिए सीमा में अगली बढ़ोतरी से पहले सार्वजनिक धन से चलने वाली सेवाओं में ठेकेदारों का ऑडिट होना चाहिए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भारत में हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, फिर भी आवश्यक सेवाओं के श्रमिकों के लिए हड़ताल ही मोलभाव का प्रमुख साधन बनी हुई है। हड़तालों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचे का परीक्षण कीजिए तथा चर्चा कीजिए कि राज्य को श्रमिकों के दावों और आवश्यक सेवाओं तक नागरिकों की पहुँच के बीच संतुलन कैसे साधना चाहिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	भूमिका — 15 सितंबर से चल रही दिल्ली के बस चालकों की हड़ताल से शुरुआत कीजिए — ₹862 प्रतिदिन, सवेतन अवकाश का अभाव, कारण बताओ नोटिस और ESMA पर उच्च न्यायालय का प्रश्न — और साथ ही 28 से 30 सितंबर तक बैंक हड़ताल के UFBU के आह्वान का उल्लेख कीजिए। मुख्य भाग — कानून — अनुच्छेद 19(1)(c) और 1962 व 2003 के निर्णय; केंद्र और राज्यों के ESMA; औद्योगिक संबंध संहिता के सभी प्रतिष्ठानों पर लागू नोटिस-नियम और 50% सामूहिक आकस्मिक अवकाश वाला नियम; 21 नवंबर, 2025 से लागू श्रम संहिताएं। मुख्य भाग — हड़तालें फिर भी क्यों होती हैं — सार्वजनिक सेवाओं का संविदाकरण, सामाजिक सुरक्षा का अभाव और मोलभाव के कमजोर मंच; संविदा चालकों और अनिवार्य EPF के पक्ष में मुख्य आर्थिक सलाहकार के तर्क के सहारे दिखाइए कि कवरेज की कमियाँ किस तरह विवादों को जन्म देती हैं। मुख्य भाग — संतुलन — पहले सुलह, अंतिम उपाय के रूप में ही समयबद्ध ESMA आदेश, ठेका श्रमिकों के प्रति प्रधान नियोक्ता की जिम्मेदारी, रविवार को बैंक खोलने जैसे असर घटाने वाले उपाय, और यात्रियों के लिए अतिरिक्त मेट्रो सेवाओं जैसे विकल्प। निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि आवश्यक सेवाओं को निरंतरता और सम्मानजनक शर्तें — दोनों चाहिए, और प्रधान नियोक्ता के रूप में राज्य को केवल लक्षण पर रोक लगाने के बजाय कारण को दूर करना चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप दिल्ली के परिवहन सचिव हैं। उच्च न्यायालय ने पूछा है कि ESMA क्यों नहीं लगाया गया। आप सरकार को क्या सलाह देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मेरी सलाह होगी कि ESMA को तैयार रखा जाए, पर पहले क्रम के रूप में उसका प्रयोग न किया जाए। तात्कालिक क्रम ये हैं: सुलह तंत्र के माध्यम से सरकार, सातों ऑपरेटरों और यूनियन की त्रिपक्षीय बैठक; सवेतन अवकाश और सामाजिक सुरक्षा में पंजीकरण पर अंतरिम समझौता; और पुलिस के जरिए तोड़फोड़ के विरुद्ध सख्त रुख। मैं न्यायालय को आकस्मिक उपायों की जानकारी दूँगा — मेट्रो के अतिरिक्त फेरे, DTC के अपने कर्मचारी और वार्ता की समय-सारिणी। यदि सेवाएँ पूरी तरह ठप हो जाएँ या हिंसा जारी रहे, तो केवल बस संचालन तक सीमित एक समयबद्ध आदेश उचित ठहराया जा सकेगा, क्योंकि तब तक नरम विकल्प आजमाए जा चुके होंगे। प्रश्न 2. श्रम आयुक्त के रूप में आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ठेकेदारों के चालकों को वह सामाजिक सुरक्षा मिले जो कानून अनिवार्य करता है? दृष्टिकोण (Approach): मैं सातों ऑपरेटरों के अभिलेखों की जाँच करूँगा — भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) पंजीकरण, वेतन भुगतान और अवकाश — और EPFO व ESIC के अंशदान आँकड़ों का मिलान बसों पर वास्तव में तैनात चालकों की संख्या से करूँगा। जहाँ ठेकेदार चूक करें, वहाँ मैं प्रधान नियोक्ता के दायित्व का प्रयोग करूँगा, ताकि परिवहन प्राधिकरण भुगतान करे और ठेकेदार से वसूली करे। मैं हर ऑपरेटर की अनुपालन स्थिति अलग-अलग सार्वजनिक करूँगा। भविष्य के अनुबंधों में सामाजिक सुरक्षा अनुपालन को हर मासिक भुगतान की शर्त बनाया जाना चाहिए। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: मुख्य आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि अनिवार्यता अतिपरवलयिक बढ़ाकरण का उपचार करती है। क्या यह पितृवाद (paternalism) नहीं है? दृष्टिकोण (Approach): यह पितृवाद ही है, पर सीमित और न्यायोचित किस्म का। राज्य यह तय नहीं करता कि श्रमिक कैसे जिंए; वह केवल यह सुनिश्चित करता है कि वेतन का एक छोटा हिस्सा बुढ़ापे, आपात स्थितियों और मृत्यु-बीमा के लिए बचाया जाए — ऐसी ज़रूरतें जिनके लिए लोग स्वयं व्यवस्थित रूप से कम प्रावधान करते हैं। विफलता की क्रीम अंततः राज्य को ही चुकानी पड़ती है, वृद्धावस्था की गरीबी के रूप में। रूखेखा ऐसी होनी चाहिए जो जहाँ तक संभव हो, स्वायत्तता का सम्मान करे — सार्वभौमिक खाता संख्या (Universal Account Number)

— UAN) के ज़रिए पोर्टेबिलिटी, आपात स्थिति में आसान आंशिक निकासी और पारदर्शी प्रतिफल के माध्यम से।

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

आज की दोनों खबरें दिखाती हैं कि मानसून के विफल होने पर राज्य अपने सबसे तेज़ औज़ार का सहारा लेता है, और यह भी कि सबसे तेज़ औज़ार शायद ही कभी किसान के काम आता है। आयातित खाद्य तेल पर शुल्क एक अधिसूचना से रातों-रात घटाया जा सकता है, और अगली सुबह से ही शहर की हर रसोई को उसका फ़ायदा मिलने लगता है। पर जिस सूखा घोषणा से मराठवाड़ा के सोयाबीन उत्पादक को मदद मिलती, उसे 5 अक्टूबर, एक क्षेत्र सर्वेक्षण और एक केंद्रीय दल का इंतज़ार करना पड़ता है। दोनों खबरों में वही सोयाबीन किसान खड़ा है, और आज वह दोनों में हारता है।

3.1 केंद्र ने कच्चे पाम और सोयाबीन तेल पर शुल्क आधा कर 5% किया, कच्चे सूरजमुखी तेल पर शुल्क समाप्त

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार केंद्र ने पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल सहित कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क (Basic Customs Duty) घटा दिया है, जो गुरुवार, 24 सितंबर 2026 से प्रभावी है; उद्देश्य आयात लागत कम करना और घरेलू कीमतों में संभावित नरमी लाना है। मूल सीमा शुल्क भारत में आने वाले माल पर लगने वाला मुख्य प्रशुल्क है। कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे पाम तेल पर शुल्क आधा करके 5% कर दिया गया है, और परिष्कृत सोयाबीन व पाम तेल पर इसे 32.5% से घटाकर 27.5% किया गया है। सूरजमुखी तेल के मामले में सरकार ने कच्चे आयात पर लगने वाला 10% शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया है, जबकि परिष्कृत सूरजमुखी तेल पर शुल्क 32.5% से घटाकर 22.5% कर दिया गया है। यहाँ कच्चे तेल का अर्थ वह अपरिष्कृत तेल है जिसे भारतीय रिफ़ाइनरियाँ संसाधित करके दुकानों में बिकने वाला पैकेटबंद खाद्य तेल बनाती हैं; परिष्कृत तेल पैकिंग के लिए तैयार अवस्था में आता है। अखबार के अनुसार इस कदम से खाद्य तेलों की पहुँच लागत (landed cost), यानी भाड़ा और शुल्क जोड़कर किसी आयात की वह कीमत जो भारतीय बंदरगाह पर पहुँचने पर बनती है, घटने की उम्मीद है; यह कमी घरेलू कीमतों तक पहुँच सकती है और खाद्य मुद्रास्फीति पर कुछ राहत दे सकती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल आयातकों में है, इसलिए वैश्विक जिस कीमतें, भाड़ा लागत और विनिमय दर घरेलू खाद्य तेल मुद्रास्फीति के अहम निर्धारक हैं। रिपोर्ट यह नहीं बताती कि इन आयातों पर लगने वाले किसी उपकर (cess) में बदलाव हुआ है या नहीं, और न ही छोड़े गए राजस्व का कोई अनुमान देती है। यह कटौती ऐसे समय आई है जब कीमतों का दबाव बढ़ रहा है। एक अलग रिपोर्ट में ET बताता है कि खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई के 4.5% से बढ़कर अगस्त में 4.8% हो गई, एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) को उम्मीद है कि FY27 में मुद्रास्फीति औसतन 5% रहेगी और वह एल नीनो (El Niño) से जुड़े व्यवधानों को प्रमुख जोखिम बताता है, तथा OECD कमज़ोर मानसून को कृषि उत्पादन के लिए ख़तरा मानता है। यह कटौती ऐसे बुरे साल में भी आई है जब खरीफ़ की तिलहन फ़सल बाज़ार में पहुँच रही है: द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार महाराष्ट्र के सूखे से सबसे ज़्यादा प्रभावित फ़सलें सोयाबीन और कपास हैं। ET के आँकड़ों के हिसाब से तीनों तेलों के लिए कच्चे और परिष्कृत शुल्क के बीच का अंतर 22.5 प्रतिशत अंक है, ठीक उतना ही जितना कटौती से पहले था। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 — कृषि मूल्य निर्धारण, खाद्य सुरक्षा, मुद्रास्फीति, और किसानों व उपभोक्ताओं पर व्यापार नीति का प्रभाव।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

प्रबल एल नीनो मानसून को कमज़ोर करता है और खाद्य व ऊर्जा की कीमतों को ऊपर धकेलता है → अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 4.8% हो जाती है और पूर्वानुमानकर्ता ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करते हैं → अपना आधे से ज़्यादा खाद्य तेल आयात करने वाला भारत विश्व कीमतों, भाड़े और रुपये के हर उतार-चढ़ाव को अपनी रसोई में महसूस करता है → केंद्र कच्चे पाम और सोयाबीन तेल पर शुल्क आधा कर 5% करता है, कच्चे सूरजमुखी तेल का शुल्क समाप्त करता है और परिष्कृत तेलों के शुल्क घटाता है, पर कच्चे और परिष्कृत के बीच 22.5 अंकों का अंतर बनाए रखता है → सस्ता आयात ठीक तब पहुँचता है जब सूखे की मार झेल चुकी सोयाबीन की फ़सल मंडियों में आ रही है, और उपभोक्ता की कीमत तथा तिलहन किसान की कीमत के बीच का टकराव फिर से खुल जाता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. सीमा शुल्क संघ का कर है, जिसकी प्रभावी दर कार्यपालिका रातों-रात बदल सकती है — “निर्यात शुल्कों सहित सीमा शुल्क” संघ सूची (Union List) की प्रविष्टि 83 के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें केवल संघ ही लगा सकता है। प्रभार का प्रावधान सीमा शुल्क अधिनियम (Customs Act), 1962 की धारा 12 में है, और वैधानिक दरें सीमा शुल्क टैरिफ़ अधिनियम (Customs Tariff Act), 1975 की पहली अनुसूची में दी गई हैं। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25(1) संघ सरकार को यह शक्ति देती है कि वह लोकहित में अधिसूचना द्वारा किसी माल को शुल्क से पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट दे दे; इसी रास्ते से, संसद द्वारा अनुसूची में संशोधन किए बिना, वास्तव में वसूली जाने वाली दर घटाई जाती है। वित्त अधिनियम, 2021 ने आयात पर एक अलग कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (Agriculture Infrastructure and Development Cess) जोड़ा, जिसके दायरे में कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल भी थे; उपकर होने के कारण इसकी आय उस विभाज्य पूल (divisible pool) से बाहर रहती है जिसे अनुच्छेद 270 राज्यों के साथ बाँटता है।
2. भारत अपना आधे से अधिक खाद्य तेल विदेश से ख़रीदता है, और यह अंतर तीन दशकों से बना हुआ है — राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (National Mission on Edible Oils) पर PIB की एक टिप्पणी के अनुसार खाद्य तेल के लिए भारत की आयात-निर्भरता 2015-16 के 63.2% से घटकर 2023-24 में 56.25% रह गई, और 2023-24 में 156.6 लाख टन (15.66 मिलियन टन) तेल आयात हुआ। पाम तेल, जो ज़्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है, सबसे बड़ा एकल आयात है; सोयाबीन तेल मुख्यतः अर्जेंटीना और ब्राज़ील से आता है, और सूरजमुखी तेल काला सागर क्षेत्र से, मुख्यतः रूस और यूक्रेन से। भारत नौ वार्षिक तिलहन उगाता है: मूँगफली, रेपसीड-सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और रामतिल, जो खाद्य तिलहन हैं, तथा अरंडी और अलसी, जो मुख्यतः औद्योगिक उपयोग के लिए उगाई जाती हैं। इनमें से अधिकांश

छोटे किसान वर्षा-आधारित ज़मीन पर उगाते हैं, जिससे पैदावार कम रहती है और उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव होता है।

3. आत्मनिर्भरता एक बार पीली क्रांति से मिली थी और आयात खुलते ही हाथ से निकल गई — 1986 में शुरू हुए तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन (Technology Mission on Oilseeds) ने बेहतर बीज, कृषि विस्तार, प्रसंस्करण सहायता और मूल्य आश्वासन को एक साथ जोड़ा, और इससे आई 'पीली क्रांति' (Yellow Revolution) ने 1990 के दशक की शुरुआत में भारत को खाद्य तेलों में लगभग आत्मनिर्भर बना दिया; PIB की एक टिप्पणी इसका श्रेय मूल्य समर्थन और आयात प्रतिस्थापन को देती है। 1990 के दशक में आयात के उदारीकरण के बाद सस्ते पाम और सोयाबीन तेल ने घरेलू तेल को बाज़ार से बाहर कर दिया और निर्भरता फिर बढ़ने लगी। 2021 में ₹11,040 करोड़ (₹8,844 करोड़ केंद्रीय हिस्सा) के साथ स्वीकृत राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (NMEO-OP) का लक्ष्य 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर में नया ऑयल पाम लगाना है, जिसमें पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पर विशेष ध्यान है; यह किसानों को ताज़े फल गुच्छों (fresh fruit bunches) के लिए व्यवहार्यता मूल्य (viability price) की गारंटी देता है, ताकि वे विश्व बाज़ार में कच्चे पाम तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रहें। अक्टूबर 2024 में 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए ₹10,103 करोड़ के साथ स्वीकृत राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन का लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 2022-23 के 390 लाख टन (39 मिलियन टन) से बढ़ाकर 2030-31 तक 697 लाख टन (69.7 मिलियन टन) करना है; PIB के अनुसार दोनों मिशन मिलकर तब तक खाद्य तेल की अनुमानित ज़रूरत का लगभग 72% घरेलू उत्पादन से पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं।

4. न्यूनतम समर्थन मूल्य तिलहन किसान की रक्षा वहीं करता है जहाँ सरकार सचमुच खरीद करती है — न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) की सिफ़ारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) करता है, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक गैर-सांविधिक संबद्ध कार्यालय है, और इसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति मंजूरी देती है; 2018-19 से इसे उत्पादन की A2+FL लागत के कम से कम डेढ़ गुना पर तय किया जाता है। इसके दायरे में आने वाले तिलहन हैं: खरीफ़ में मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज, तिल और रामतिल; रबी में रेपसीड-सरसों और कुसुम; और साथ में खोपरा। न्यूनतम समर्थन मूल्य वहीं काम करता है जहाँ कोई एजेंसी खरीद करती है। 2018 के प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के तीन घटक हैं: मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme), जिसके तहत NAFED जैसी एजेंसियाँ दालें, तिलहन और खोपरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती हैं; मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme), जो मध्य प्रदेश की भावांतर योजना की तर्ज़ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाज़ार भाव के बीच के अंतर का भुगतान करती है; और प्रायोगिक तौर पर चलाई जा रही निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना (Private Procurement and Stockist Scheme)। इसलिए आयात शुल्क घटने से वह बाज़ार भाव नीचे आता है जिसकी भरपाई फिर PM-AASHA को करनी पड़ती है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS3 पाठ्यक्रम न्यूनतम समर्थन मूल्य, सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा को एक ही पंक्ति में रखता है — GS3 पाठ्यक्रम "प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषयों" को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बफ़र स्टॉक और खाद्य सुरक्षा के साथ सूचीबद्ध करता है, और उदारीकरण के प्रभावों के बारे में अलग से पूछता है। मुख्य परीक्षा के प्रश्न बार-बार दालों और खाद्य तेलों में आयात-निर्भरता तथा चावल और गेहूँ से हटकर फ़सल विविधीकरण की ओर लौटते हैं। खाद्य तेल पर शुल्क कटौती एक साफ़-सुथरी केस स्टडी है, क्योंकि यह उत्तर को उपभोक्ता और उत्पादक के हितों को आमने-सामने तौलने पर मजबूर करती है।

2. प्रारंभिक परीक्षा आज की दर नहीं, कानूनी रास्ता और योजना की बनावट पूछती है — UPSC इस हफ़्ते कच्चे पाम तेल पर लगने वाला शुल्क नहीं पूछेगा। वह यह पूछ सकता है कि दर कैसे बदली जाती है (सीमा शुल्क अधिनियम के तहत छूट अधिसूचना द्वारा), क्या उपकर राज्यों के साथ बाँटा जाता है, NMEO-OP किन क्षेत्रों को लक्षित करता है, व्यवहार्यता मूल्य क्या है, और PM-AASHA में क्या-क्या शामिल है। CACP की संस्थागत स्थिति, न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में आने वाली फ़सलें और रंगों के नाम वाली 'क्रांतियाँ' अब भी पसंदीदा प्रारूप बने हुए हैं।

3. मुद्रास्फीति नियंत्रण में अब नीतिगत दर जितना ही व्यापार के औज़ारों का भी इस्तेमाल होता है — शुल्क कटौती, भंडार सीमा और निर्यात पर अंकुश अब मुद्रास्फीति प्रबंधन का नियमित हिस्सा बन गए हैं; इस पत्रिका के 19 सितंबर के कांड में चीनी और प्याज़ की संशोधित भंडार सीमाओं को शामिल किया गया था। खाद्य मुद्रास्फीति पर GS3 के उत्तर में यह दिखाना चाहिए कि मौद्रिक नीति माँग पर असर डालती है, जबकि ये औज़ार आपूर्ति पर काम करते हैं, और हर एक की अपनी कीमत है: शुल्क कटौती में राजस्व छोड़ना पड़ता है और कृषि उपज के दाम दब जाते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- निर्यात शुल्कों सहित सीमा शुल्क सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 83 के

अंतर्गत संघ द्वारा लगाए जाते हैं।

- मूल सीमा शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के तहत, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में दी गई दरों पर लगाया जाता है, और संघ सरकार सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 के तहत छूट अधिसूचनाओं के ज़रिए वास्तव में वसूली जाने वाली दर घटा सकती है।
- कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा लागू किया गया था; उपकर होने के कारण इसकी आय अनुच्छेद 270 के तहत राज्यों के साथ बाँट जाने वाले विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं है।
- 2021 में स्वीकृत राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम में पूर्वोत्तर राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पर विशेष ध्यान दिया गया है, और यह ऑयल पाम किसानों को ताज़े फल गुच्छों के लिए व्यवहार्यता मूल्य प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन 2024-25 से 2030-31 तक की अवधि के लिए है।
- PM-AASHA में मूल्य समर्थन योजना, मूल्य न्यूनता भुगतान योजना तथा निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना शामिल हैं।
- 1986 में शुरू किया गया तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन खाद्य तिलहनों में 'पीली क्रांति' से जुड़ा है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. यह कटौती भारतीय रिफ़ाइनरों की उतनी ही सावधानी से रक्षा करती है जितनी सावधानी से उपभोक्ताओं की मदद करती है — ET के आंकड़ों के अनुसार कटौती से पहले तीनों तेलों के लिए कच्चे और परिष्कृत तेल के मूल सीमा शुल्क के बीच 22.5 प्रतिशत अंकों का अंतर था (10% बनाम 32.5%), और कटौती के बाद भी यह 22.5 अंक ही है (पाम और सोयाबीन के लिए 5% बनाम 27.5%, सूरजमुखी के लिए शून्य बनाम 22.5%)। सरकार ने पूरी सीढ़ी नीचे उतार दी है, पर पायदानों के बीच की ऊँचाई कम नहीं की, इसलिए कच्चे तेल की तुलना में परिष्कृत आयात को कोई बढ़त नहीं मिलती। यह सोच-समझकर किया गया है: PIB की एक विज्ञप्ति के अनुसार 2025 में जब केंद्र ने कच्चे तेल पर शुल्क 20% से घटाकर 10% किया था, तब उसने कहा था कि उद्देश्य घरेलू शोधन क्षमता का उपयोग करना और परिष्कृत तेल के आयात को हतोत्साहित करना है, और तब प्रभावी अंतर 8.75 से बढ़ाकर 19.25 प्रतिशत अंक कर दिया गया था। यह अंतर बनाए रखने से शोधन से जुड़े रोज़गार और मूल्य संवर्धन भारत में ही रहते हैं। विरोधी मत यह है कि परिष्कृत तेल भी सस्ता होता तो उपभोक्ताओं को ज़्यादा फ़ायदा मिलता, पर जो देश अपना आधे से ज़्यादा तेल आयात करता है, उसके पास प्रसंस्करण भी आयात न करने का ठोस कारण है।
2. शुल्क कटौती एक ऐसा हस्तांतरण है जिसका अंतिम ठिकाना अनिश्चित है — ET सावधानी बरतते हुए कहता है कि कटौती राहत "दे सकती है" और इससे पहुँच लागत घटने की "उम्मीद" है, और वह विश्व कीमतों, भाड़ और विनिमय दर को अन्य कारकों के रूप में गिनाता है। जब भारत जितना बड़ा खरीदार अपना प्रशुल्क घटाता है, तो विश्व माँग बढ़ती है, और लाभ का एक हिस्सा उन निर्यातकों के पास जा सकता है जो कीमतें बढ़ा देते हैं; इंडोनेशिया और मलेशिया अतीत में अपने बाज़ारों के हिसाब से पाम तेल पर अपने निर्यात शुल्क समायोजित करते रहे हैं। एक और हिस्सा उन आयातकों और रिफ़ाइनरों के पास रह सकता है जो थोक और खुदरा कीमतें नहीं घटाते। यही कारण है कि PIB के अनुसार 2025 की कटौती के साथ एक परामर्श (advisory) भी जारी किया गया था, जिसमें खाद्य तेल संघों से लाभ आगे बढ़ाने और हर हफ़्ते अधिकतम खुदरा मूल्य की जानकारी देने को कहा गया था। आज के कदम की असली कसीटी एक महीने बाद एक लीटर के पैकेट की कीमत होगी।
3. समय का चुनाव सोयाबीन किसान पर सबसे बुरे मौक़े पर चोट करता है — सोयाबीन अक्टूबर में मंडियों में पहुँचता है, और द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यह महाराष्ट्र के सूखे से सबसे ज़्यादा प्रभावित फ़सलों में है। जिस किसान की आधी फ़सल नष्ट हो जाती है, उसे आम तौर पर बची हुई उपज की ऊँची कीमत से कुछ भरपाई मिल जाती है, क्योंकि कमी से दाम चढ़ते हैं। सस्ता आयातित तेल सोयाबीन तेल की, और इसलिए सोयाबीन के दाने की भी, कीमत पर एक छूट लगा देता है, और सूखे की मार झेल रहे किसान के हाथ एक साथ कम पैदावार और बँधी हुई कीमत आती है। यह प्रसंग एक चक्र को भी दोहराता है: वही PIB विज्ञप्ति सितंबर 2024 की शुल्क वृद्धि का ज़िक्र करती है, जो तब की गई थी जब सोयाबीन के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे थे, और उसके बाद 2025 में और अब 2026 में कटौती हुई। जो प्रशुल्क हर साल दिशा बदलता हो, उसके भरोसे कोई किसान योजना नहीं बना सकता, और यह अनिश्चितता उसी आत्मनिर्भरता को कमज़ोर करती है जिसके लिए NMEO-तिलहन पैसा खर्च कर रहा है।
4. किसान की रक्षा का सही औज़ार प्रशुल्क नहीं, सरकारी खरीद है — अगर उपभोक्ता को राहत देना प्राथमिकता है, तो तिलहन उत्पादकों की रक्षा का ईमानदार तरीका हर रसोई पर कर लादने के बजाय उन्हें सीधे भुगतान करना है। PM-AASHA की मूल्य समर्थन योजना NAFED और अन्य एजेंसियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तिलहन खरीदने देती है, और मूल्य न्यूनता

भुगतान का रास्ता सरकार के फ़सल का भंडारण किए बिना किसानों को अंतर की राशि दे देता है। प्रशुल्क तिलहन बेचने वाले हर व्यक्ति की, बड़े व्यापारियों समेत, रक्षा करता है और इसकी कीमत हर उपभोक्ता चुकाता है; सरकारी ख़रीद सीधे उत्पादक को लक्षित करती है और उसकी लागत बजट में खुलकर दिखती है। विरोधी मत यह है कि कुछ राज्यों को छोड़कर तिलहन की ख़रीद कमज़ोर रही है, और मध्य प्रदेश की भावांतर योजना की आलोचना इसलिए हुई कि भुगतान की अवधि के दौरान व्यापारियों ने भाव नीचे गिरा दिए। पर ये दोनों आलोचनाएँ बेहतर ख़रीद के पक्ष में जाती हैं, सीमा शुल्क को मूल्य समर्थन की तरह इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं।

- 5. आयात-निर्भरता एक रणनीतिक जोखिम है, और ऑयल पाम कोई मुफ़्त समाधान नहीं —** भारत का खाद्य तेल कुछ ही देशों से आता है, और झटके वास्तविक रहे हैं: 2022 में इंडोनेशिया द्वारा पाम तेल के निर्यात पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध और यूक्रेन युद्ध, जिसने काला सागर से सूरजमुखी तेल की आपूर्ति बाधित की, दोनों ने भारत में कीमतें बढ़ाईं। NMEO-OP के ऑयल पाम पर ज़ोर का आधार यही है, क्योंकि ऑयल पाम प्रति हेक्टेयर वार्षिक तिलहनों से कहीं ज़्यादा तेल देता है। इसके विरुद्ध तर्क पारिस्थितिक है: ऑयल पाम को बहुत पानी चाहिए, और इसे जैव-विविधता से भरपूर पूर्वोत्तर में लगाने से दक्षिण-पूर्व एशिया जैसी वन-हानि दोहराए जाने का ख़तरा है। एक संतुलित रणनीति मौजूदा कृषि भूमि पर सोयाबीन, सरसों और मूँगफली की पैदावार बढ़ाने पर ज़्यादा ज़ोर देगी, जहाँ भारतीय पैदावार अब भी विश्व औसत से काफी नीचे है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“भारत की खाद्य तेल नीति तिलहन किसान की रक्षा और उपभोक्ता की रक्षा के बीच झूलती रहती है।” कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में हाल की कटौती के आलोचकों में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या सीमा शुल्क इस द्वंद्व को संभालने का सही साधन है, और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता का एक टिकाऊ मार्ग सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

- 1. भूमिका —** बताइए कि 24 सितंबर 2026 से कच्चे पाम और सोयाबीन तेल पर शुल्क आधा करके 5% कर दिया गया, कच्चे सूरजमुखी तेल पर शुल्क समाप्त कर दिया गया और परिष्कृत तेलों पर शुल्क घटाकर 27.5% और 22.5% कर दिया गया — उस देश में, जिसकी खाद्य तेल आयात-निर्भरता PIB के अनुसार 2023-24 में 56.25% थी।
- 2. मुख्य भाग — उपभोक्ता का पक्ष —** समझाइए कि पहुँच लागत कैसे घटती है और खाद्य मुद्रास्फीति (अगस्त में 4.8%) में कैसे नरमी आ सकती है। उल्लेख कीजिए कि घरेलू शोधन की रक्षा के लिए कच्चे और परिष्कृत के बीच 22.5 अंकों का अंतर बनाए रखा गया है, और कि लाभ का उपभोक्ता तक पहुँचना विश्व कीमतों, रुपये और उद्योग के व्यवहार पर निर्भर है; अधिकतम खुदरा मूल्य पर 2025 के परामर्श का हवाला दीजिए।
- 3. मुख्य भाग — किसान का पक्ष —** बताइए कि यह कटौती सूखे के साल में सोयाबीन की कटाई के साथ आई है, कि 2024 की वृद्धि और 2025 तथा 2026 की कटौतियाँ अस्थिर नीति को दर्शाती हैं, और कि NMEO-तिलहन के 2030-31 तक 697 लाख टन के लक्ष्य के लिए पूर्वानुमेय कीमतें ज़रूरी हैं।
- 4. मुख्य भाग — बेहतर साधन —** किसानों की रक्षा के लिए PM-AASHA के तहत ख़रीद और मूल्य न्यूनता भुगतान, तदर्थ बदलावों के बजाय घोषित और नियम-आधारित शुल्क दायरा, पैदावार पर केंद्रित तिलहन मिशन, पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों के साथ ऑयल पाम, और आयात स्रोतों के विविधीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए।
- 5. निष्कर्ष —** निष्कर्ष दीजिए कि प्रशुल्क मुद्रास्फीति से निपटने का एक वैध अल्पकालिक साधन है पर कृषि समर्थन का कमज़ोर साधन, और कि आत्मनिर्भरता शुल्क को ऊपर-नीचे करने से नहीं, बल्कि पैदावार और सुनिश्चित ख़रीद से आएगी।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. आप खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में संयुक्त सचिव हैं। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि शुल्क कटौती का लाभ उपभोक्ता तक पहुँचे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं 2025 वाला तरीक़ा दोहराऊँगा: खाद्य तेल संघों से वितरक मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) घटाने तथा हर हफ़्ते MRP की जानकारी देने को कहूँगा, और यह तुलना सार्वजनिक करूँगा। मैं प्रमुख तेलों की खुदरा कीमतों पर पहुँच लागत के मुकाबले नज़र रखूँगा, ताकि आयात मूल्य और दुकान की शेल्फ़ पर लिखी कीमत के बीच का कोई भी अंतर साफ़ दिखे। बड़े ब्रांडों से देरी का कारण बताने को कहा जाएगा। अगर कुछ हफ़्तों में कीमतें नहीं घटतीं, तो मंत्रालय को यह बात सार्वजनिक रूप से कहनी चाहिए, क्योंकि जिस बाज़ार में मूल्य नियंत्रण नहीं है, वहाँ पारदर्शिता ही अनुपालन करवाने का मुख्य औज़ार है।

प्रश्न 2. सोयाबीन उगाने वाले एक ज़िले के कलेक्टर के रूप में आप पाते हैं कि फ़सल आते ही बाज़ार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर रहे हैं। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं ज़ोर दूँगा कि NAFED और राज्य एजेंसी के माध्यम से मूल्य समर्थन

योजना के खरीद केंद्र समय पर खुलें, और आवक चरम पर पहुँचने से पहले किसानों का पूंजीकरण और गुणवत्ता जाँच पूरी हो जाए। मैं भंडारण और त्वरित भुगतान की व्यवस्था पक्की करूँगा, क्योंकि भुगतान में देरी किसानों को फिर व्यापारियों की ओर धकेल देती है। मैं मंडी की नीलामियों में मिलीभगत पर नज़र रखूँगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरीद केंद्रों का व्यापक प्रचार करूँगा। जहाँ सरकारी खरीद पूरी फ़सल नहीं खपा सकती, वहाँ मैं किसानों को मजबूरी में बेचने के बजाय गोदाम रसीदों (warehouse receipts) के सहारे भंडारित उपज पर ऋण लेने में मदद करूँगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत को खाद्य तेलों में पूर्ण आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): पूर्ण आत्मनिर्भरता के लिए अनाज और दालों से बड़े पैमाने पर ज़मीन और पानी हटाने पड़ेंगे, और इससे गरीब परिवारों के लिए तेल कहीं महँगा हो सकता है। ज़्यादा समझदारी भरा लक्ष्य NMEO का वह उद्देश्य है जिसमें मौजूदा ज़मीन पर पैदावार बढ़ाकर लगभग 72% ज़रूरत घरेलू उत्पादन से पूरी की जाए। बाकी आयात कई देशों से आना चाहिए, ताकि कोई एक निर्यात प्रतिबंध या युद्ध भारतीय रसोई पर भारी चोट न कर सके। यहाँ आत्मनिर्भरता का अर्थ लचीलापन है, दुनिया से कटी हुई आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था (autarky) नहीं।

3.2 महाराष्ट्र को सूखा आकलन के लिए 5 अक्टूबर तक रुकना होगा, फडणवीस ने '1972 से भी बदतर' की चेतावनी दी

समाचार (THE NEWS) मुंबई। महाराष्ट्र अभी उस सूखे की घोषणा नहीं कर सकता जिसकी तुलना उसके मुख्यमंत्री अब 1972 से कर रहे हैं, क्योंकि समय-सारिणी वे नियम तय करते हैं जिनसे केंद्रीय धन जारी होता है। द इंडियन एक्सप्रेस बताता है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (National Disaster Response Fund, NDRF) के नियमों के तहत खरीफ़ (मानसून का फ़सल मौसम, जून से अक्टूबर) के लिए सूखे का आकलन मानसून की वापसी शुरू होने के बाद 5 अक्टूबर से ही शुरू हो सकता है; रबी (शीत ऋतु का फ़सल मौसम, अक्टूबर से अप्रैल) के लिए यह मार्च 2027 में किया जा सकता है। भारत में सूखे की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है: राज्य स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर सूखा घोषित कर सकते हैं, पर केंद्र से धन जारी होने के लिए उनकी रिपोर्ट का NDRF मानदंडों के अनुरूप होना ज़रूरी है। अखबार की सूची के अनुसार इन मानदंडों में फ़सल हानि, नमी पर्याप्तता सूचकांक (Moisture Adequacy Index — मिट्टी की नमी फ़सल की ज़रूरत को कितनी अच्छी तरह पूरा करती है), वर्षा की कमी, खाद्य उत्पादन में गिरावट और श्रमिकों का पलायन शामिल हैं, साथ ही बुवाई, पेयजल, भूजल और चारे से जुड़ी शर्तें भी हैं। महाराष्ट्र 5 अक्टूबर के बाद केंद्रीय सहायता माँगेगा; इस बीच उसने सर्वेक्षण और पंचनामे (राजस्व अधिकारियों द्वारा मौक़े पर तैयार किए गए नुकसान के अभिलेख) शुरू कर दिए हैं, और धन जारी होने से पहले एक केंद्रीय दल अपना अलग आकलन करेगा। बुधवार, 23 सितंबर को लातूर, धाराशिव और सोलापुर के दौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य एक गंभीर सूखे की ओर बढ़ रहा है, जो "1972 के सूखे से भी बदतर होने की आशंका" है — वह सूखा भारी फ़सल हानि और खाद्यान्न की भोषण कमी के लिए याद किया जाता है। उन्होंने शनिवार से पहले एक शासन निर्णय (Government Resolution — राज्य का कार्यकारी आदेश) जारी करने, केंद्रीय धन की प्रतीक्षा किए बिना राज्य कोषागार से सीधे किसानों के बैंक खातों में राहत राशि भेजने, और जुलाई में घोषित ₹40,385 करोड़ की कर्ज़माफ़ी जारी रखने का वादा किया। लातूर और धाराशिव में सामान्य की केवल आधी बारिश हुई है; उन्होंने इसके लिए "सुपर एल नीनो" (Super El Niño) को ज़िम्मेदार ठहराया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 36 में से 31 ज़िलों में वर्षा कम हुई है, जिनमें से 20 में यह कमी 25% से 58% तक है (खबर में 25 से 60 प्रतिशत लिखा है)। बुवाई 10 जून के बजाय 15 जुलाई को शुरू हुई, और 147 लाख हेक्टेयर में खरीफ़ की फ़सल मुरझा गई है, जिसमें सोयाबीन और कपास की हालत सबसे ख़राब है। 20 सितंबर तक 138 बड़े बाँधों में 85% और 2,630 छोटे बाँधों में 43% पानी था, जबकि एक साल पहले यह क्रमशः 96% और 57% था; मराठवाड़ा में भंडारण पिछले साल के 81% के मुकाबले 46% है। राष्ट्रीय स्तर पर, द हिंदू के अनुसार, 22 सितंबर तक वर्षा सामान्य से लगभग 15% कम रही। इस पत्रिका ने 22 सितंबर को महाराष्ट्र की तैयारियों पर लिखा था; 1972 से तुलना, शासन निर्णय और प्रक्रिया नई बातें हैं। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 आपदा प्रबंधन और GS2 राजकोषीय संघवाद।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

एक 'सुपर एल नीनो' दक्षिण-पश्चिम मानसून को कमज़ोर करता है, और 22 सितंबर तक राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 15% की कमी रह जाती है → 20% से कम सिंचाई वाले वर्षा-आधारित महाराष्ट्र में बुवाई खिसककर 15 जुलाई तक पहुँचती है, और 40-60 दिन के शुष्क दौर 147 लाख हेक्टेयर में खरीफ़ की फ़सल मुरझा देते हैं → छोटे बाँध 43% और मराठवाड़ा का भंडारण 46% पर आ जाता है, और विपक्ष सूखा घोषित करने की माँग करता है → NDRF के नियम खरीफ़ का आकलन 5 अक्टूबर से ही करने देते हैं, इसलिए राज्य पंचनामे करता है और प्रस्ताव तैयार करता है → मुख्यमंत्री इसे 1972 से बदतर बताते हैं और केंद्रीय धन आने से पहले शासन निर्णय तथा राज्य के पैसे से राहत का वादा करते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. भारत सूखे की घोषणा किसी एक आँकड़े से नहीं, एक नियमावली से करता है — परंपरागत रूप से सूखे को तीन वर्गों में बाँटा जाता है: मौसम-वैज्ञानिक (वर्षा की कमी), कृषि (फ़सलों के लिए मिट्टी की नमी की कमी) और जल-वैज्ञानिक (सतही और भूजल की कमी)। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की सूखा प्रबंधन नियमावली (Manual for Drought Management), जो 2016 में जारी हुई और 2020 में अद्यतन की गई, दो चरणों वाली कसौटी तय करती है। पहले अनिवार्य संकेतक आते हैं: वर्षा में विचलन, मानकीकृत वर्षण सूचकांक (Standardised Precipitation

Index) या शुष्क दौर। फिर राज्य चार समूहों में से तीन प्रभाव संकेतक चुनता है: फ़सल बुवाई क्षेत्र (सामान्य के 85% से कम होना मध्यम और 75% से कम होना गंभीर), NDVI जैसे उपग्रह-आधारित वनस्पति सूचकांक, मिट्टी की नमी (नमी पर्याप्तता सूचकांक, यानी वास्तविक वाष्पोत्सर्जन को संभावित वाष्पोत्सर्जन से भाग देकर प्रतिशत में) और जल-विज्ञान (जलाशय, भूजल या सरिता-प्रवाह)। यदि तीन में से कम से कम दो संकेतक गंभीर हों और एक मध्यम, तो सूखा 'गंभीर' माना जाता है, और यदि कम से कम दो मध्यम हों तो 'मध्यम'। इसके बाद 10% गाँवों में क्षेत्रीय सत्यापन होता है: 33% या उससे अधिक फ़सल हानि पर क्षेत्र पात्र होता है, और गंभीर श्रेणी के लिए 50% से अधिक हानि चाहिए। राज्य अधिसूचना द्वारा सूखा घोषित करता है, सामान्यतः खरीफ़ के लिए 31 अक्टूबर और रबी के लिए 31 मार्च तक, और यह अधिसूचना अधिकतम छह महीने तक मान्य रहती है।

2. **पहले राज्य की निधि भुगतान करती है, और गंभीर आपदाओं में राष्ट्रीय निधि ऊपर से सहायता देती है** — आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act), 2005 धारा 46 के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि और धारा 48 के तहत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) का प्रावधान करता है। इन निधियों के लिए सूखा एक अधिसूचित आपदा है, और इसके लिए नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय नहीं, बल्कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। 2020 की नियमावली के तहत मध्यम सूखे से SDRF के जरिए निपटा जाता है, जबकि गंभीर सूखा किसी राज्य को NDRF सहायता का पात्र बनाता है: राज्य सूखा घोषित करने के एक सप्ताह के भीतर ज्ञापन सौंपता है, उसके मिलने के एक सप्ताह के भीतर एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (Inter-Ministerial Central Team) को दौरा करना होता है, और दल की रिपोर्ट के एक महीने के भीतर केंद्र को निर्णय लेना होता है। अंतिम मंजूरी केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति (High Level Committee) देती है। उस अवधि का वित्त आयोग हर राज्य की SDRF राशि तय करता है, जिसमें बड़ा हिस्सा केंद्र देता है।
3. **सर्वोच्च न्यायालय ने सूखा नियमावली को सलाह से कसौटी में बदल दिया** — कई राज्यों में सूखे को लेकर दायर जनहित याचिका Swaraj Abhiyan v. Union of India (2016) में सर्वोच्च न्यायालय ने सूखा घोषित करने में कुछ राज्यों की हिचकिचाहट और देरी की, तथा उसके आकलन में इस्तेमाल हो रहे पुराने तरीकों की आलोचना की। उसने संघ को निर्देश दिया कि वह आधुनिक संकेतकों और समय-सीमाओं के साथ सूखा प्रबंधन नियमावली को संशोधित करे, और आपदा प्रबंधन अधिनियम में प्रावधानित राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि तथा राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि (National Disaster Mitigation Fund) का गठन करे। उसी वर्ष कुछ समय बाद 2016 की नियमावली आई। इस फैसले ने सूखे की घोषणा को साक्ष्य और समयबद्ध प्रक्रिया का विषय बना दिया, क्योंकि भोजन और काम के अधिकार इसी पर टिके हैं।
4. **1972 के सूखे ने भारत को काम के कानूनी अधिकार का विचार दिया** — 1972 के सूखे के दौरान चले बड़े पैमाने के राहत कार्य आगे चलकर वी.एस. पागे की परिकल्पना वाली महाराष्ट्र की रोज़गार गारंटी योजना (Employment Guarantee Scheme) बने, जिसने ग्रामीण वयस्कों को माँगने पर काम देने का वादा किया और जिसे महाराष्ट्र रोज़गार गारंटी अधिनियम, 1977 ने वैधानिक रूप दिया। इसका वित्तपोषण आंशिक रूप से शहरी कमाने वालों द्वारा चुकाए जाने वाले वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर से होता था, जिसे राज्य अनुच्छेद 276 के तहत लगा सकते हैं; इस तरह बुरे वर्षों में शहर गाँव का खर्च उठाने में हाथ बँटाता था। यही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (National Rural Employment Guarantee Act), 2005 का आदर्श बनी, जिसने हर उस ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन के मज़दूरी वाले काम की गारंटी दी जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम के लिए स्वेच्छा से आगे आएँ। 1973-74 का सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (Drought Prone Areas Programme), जिसने ध्यान राहत से हटाकर लगातार सूखाग्रस्त रहने वाले प्रखंडों में जल और मृदा परिसंपत्तियाँ बनाने पर केंद्रित किया, भी इसी दौर की उपज था।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **सूखा वहाँ बैठता है जहाँ GS3 का आपदा प्रबंधन कृषि से मिलता है** — UPSC ने अभ्यर्थियों से सूखे पर एक आपदा के रूप में चर्चा करने को कहा है, “उसके स्थानिक विस्तार, कालिक अवधि, धीमी शुरुआत और कमज़ोर वर्गों पर स्थायी प्रभावों को देखते हुए”, और साथ में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सितंबर 2010 के सूखा दिशानिर्देशों तथा एल नीनो और ला नीना के लिए तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। ऐसा प्रश्न घोषणा की प्रक्रिया, SDRF से NDRF तक धन की कड़ी और जलवायु कारक, तीनों को परखता है; इस साल महाराष्ट्र ताज़ा आँकड़ों के साथ तीनों उपलब्ध करा देता है।
2. **प्रारंभिक परीक्षा सूखे और मानसून की शब्दावली परखती है** — प्रारंभिक परीक्षा में एल नीनो, हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole) और मानसून के बारे में, तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत निधियों और प्राधिकरणों के बारे में बार-बार प्रश्न पूछे गए हैं। IMD की वर्षा श्रेणियाँ, नमी पर्याप्तता सूचकांक, NDRF और SDRF से जुड़ी धाराएँ और सूखे के लिए कृषि मंत्रालय की नोडल भूमिका, सब पूछे जा सकते हैं, और महाराष्ट्र की रोज़गार गारंटी योजना से 2005 के राष्ट्रीय कानून तक की वंश-परंपरा भी।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

3. GS2 सूखे को राजकोषीय संघवाद के प्रश्न के रूप में पढ़ता है — राहत का पैसा केंद्र-राज्य की एक कड़ी से होकर आता है, और इस पर विवाद अदालतों तक पहुँचे हैं: केंद्रीय सूखा सहायता में देरी को लेकर कर्नाटक 2024 में सर्वोच्च न्यायालय गया था। सहकारी संघवाद या वित्त आयोग पर GS2 का उत्तर SDRF-NDRF की बनावट को, और किसी राज्य की घोषणा तथा केंद्र द्वारा धन जारी करने के बीच के अंतराल को, संघीय वित्त में घर्षण के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।

- सूखा प्रबंधन नियमावली (2020 में अद्यतन) के तहत सूखे की घोषणा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा करती है, सामान्यतः खरीफ़ के लिए 31 अक्टूबर और रबी के लिए 31 मार्च तक, और यदि पहले वापस न ली जाए तो यह अधिसूचना अधिकतम छह महीने तक मान्य रहती है।
- नमी पर्याप्तता सूचकांक वास्तविक वाष्पोत्सर्जन और संभावित वाष्पोत्सर्जन का अनुपात है, जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।
- राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा मोचन निधि का गठन क्रमशः आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 और धारा 48 के तहत होता है।
- सूखा प्रबंधन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नोडल केंद्रीय मंत्रालय है, जबकि अधिकांश अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए गृह मंत्रालय नोडल होता है।
- IMD के वर्गीकरण में दीर्घावधि औसत से किसी भी दिशा में 19% के भीतर की मौसमी वर्षा 'सामान्य', 20% से 59% कम 'न्यून' (deficient) और 60% से 99% कम 'अत्यधिक न्यून' (large deficient) मानी जाती है।
- 1972 के सूखे के दौरान चले राहत कार्यों से उपजे महाराष्ट्र रोज़गार गारंटी अधिनियम, 1977 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 का अग्रदूत माना जाता है।
- 2020 की सूखा नियमावली के तहत क्षेत्रीय सत्यापन से स्थापित 33% या उससे अधिक फ़सल हानि किसी क्षेत्र को सूखा घोषणा के योग्य बनाती है, और 'गंभीर' श्रेणी के लिए 50% से अधिक हानि आवश्यक है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. 5 अक्टूबर का नियम विज्ञान की दृष्टि से सही है, पर किसान के लिए इसका समय ग़लत है — सूखा धीरे-धीरे आने वाली आपदा है: देर से हुई बारिश उस फ़सल को भी बचा सकती है जो अगस्त में बर्बाद दिख रही थी, इसलिए नियम नुक़सान गिनने से पहले मौसम स्वतः होने का इंतज़ार करते हैं। इससे सरकारी खज़ाना जल्दबाज़ी वाले या बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावों से बचता है। पर किसान की ज़रूरतें इंतज़ार नहीं करती: रबी के बीज, उर्वरक और चारा अभी ख़रीदने हैं, और क़र्ज़ की किस्तें सिर पर हैं। केंद्रीय धन की प्रतीक्षा किए बिना राज्य कोषागार से भुगतान का श्री फडणवीस का वादा सही पुल है, क्योंकि यह राहत को, जो तत्काल ज़रूरी है, प्रतिपूर्ति से अलग कर देता है, जो प्रक्रिया के अनुसार बाद में हो सकती है। जोखिम यह है कि केंद्रीय दल उतना नुक़सान न आँके जितने के लिए राज्य पहले ही भुगतान कर चुका है, और अंतर का बोझ राज्य के बजट को उठाना पड़े।

2. '1972 से बदतर' की बात फ़सल पर सच है, पानी पर अभी नहीं — यह तुलना वहाँ ठीक बैठती है जहाँ 1972 ने सबसे गहरी चोट की थी, यानी वर्षा-आधारित खेती में। लातूर और धाराशिव में सामान्य की आधी बारिश हुई है, 147 लाख हेक्टेयर में खरीफ़ की फ़सल मुरझा गई है, और राज्य की सिंचाई क्षमता 20% से कम है। पर 138 बड़े बाँधों में अब भी 85% पानी है, और मुख्यमंत्री के अनुसार दिसंबर तक पीने का पानी आरक्षित है, ऐसा सहारा जो 1972 के महाराष्ट्र के पास नहीं था। संकट वहाँ केंद्रित है जहाँ सबसे ग़रीब किसान छोटे तालाबों और बारिश पर निर्भर हैं: छोटे और लघु बाँध 43% पर हैं, और मराठवाड़ा पिछले साल के 81% के मुकाबले 46% पर। बड़े जलाशयों के कारण यह पूरे राज्य की प्यास का नहीं, बल्कि ग्रामीण आजीविका और छोटे पैमाने के जल स्रोतों का संकट बन गया है, और राहत को इसी आधार पर लक्षित किया जाना चाहिए।

3. सूखा घोषित करना एक राजकोषीय निर्णय है, इसीलिए नियम विवेकाधिकार हटाने की कोशिश करते हैं — घोषणा राज्य को आदान सव्बिडी और अन्य राहत के लिए प्रतिबद्ध कर देती है, जिसका भुगतान पहले उसकी अपनी SDRF से होता है। इसलिए राज्यों के पास पैसा बचाने के लिए देरी करने, और केंद्रीय धन पाने के लिए नुक़सान बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने, दोनों के कारण होते हैं; Swaraj Abhiyan मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ राज्यों की सूखा घोषित करने को लेकर ही हिचकिचाहट दर्ज की थी। नियमावली के उपग्रह सूचकांक, मिट्टी की नमी के माप और गाँव-स्तरीय सत्यापन इसीलिए हैं कि निर्णय राजनीति पर नहीं, साक्ष्य पर टिके। फिर भी सूचकांक वह नहीं देख पाते जो किसान देखते हैं: द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस साल जहाँ बारिश हुई भी, वहाँ वह छोटी और तेज़ बौछारों में आई, जिसने मिट्टी को नुक़सान पहुँचाया और कटाव बढ़ाया, इसलिए वर्षा का कुल आँकड़ा उससे पैदा हुई फ़सल से बेहतर दिख सकता है। इसका उत्तर ज़्यादा विवेकाधिकार नहीं, बल्कि बेहतर आँकड़े हैं: उपग्रह रिडिंग का पंचनामा से

मिलान और ज़िलेवार प्रकाशन।

- 4. कर्जमाफ़ी सूखे से निपटने का एक भोथरा औज़ार है** — जुलाई में, सूखे की पूरी गंभीरता सामने आने से पहले घोषित ₹40,385 करोड़ की कर्जमाफ़ी उन किसानों की मदद करती है जिन पर औपचारिक ऋण बकाया है। यह काश्तकारों, बटाईदारों और खेतिहर मज़दूरों के लिए कुछ नहीं करती, जिनके नाम कोई फ़सल ऋण नहीं होता और जिन पर खेतों में काम न रहने पर सबसे गहरी मार पड़ती है। क्षतिग्रस्त फ़सल के प्रति हेक्टेयर आदान सब्सिडी, बीमा दावे और मज़दूरी वाला काम इन समूहों तक बेहतर पहुँचते हैं। प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY) में प्रावधान है कि यदि लंबे शुष्क दौर जैसी मध्य-मौसम प्रतिकूलता (mid-season adversity) से पैदावार सामान्य के आधे से नीचे गिरने की आशंका हो, तो संभावित दावों के 25% तक का अग्रिम भुगतान (on-account payment) किया जाए; नक़दी तक पहुँचने का यह सबसे तेज़ बीमित रास्ता है। विरोधी मत यह है कि कर्जमाफ़ी किसानों का ऋण रिकॉर्ड साफ़ कर देती है ताकि वे रबी के लिए उधार ले सकें, और जब दो मौसम दांव पर हों तो यह बात मायने रखती है।
- 5. 1972 का सबक केवल हस्तांतरण नहीं, परिसंपत्तियाँ था** — 1972 की प्रतिक्रिया इसलिए याद की जाती है कि उसके राहत कार्यों से रिसाव तालाब, सड़कें और मेड़ें बनीं, जो सूखे के बाद भी टिकी रहीं, और आगे चलकर वही काम का कानूनी अधिकार बन गया। आज की घोषणाएँ लगभग सब की सब हस्तांतरण हैं: सीधे बैंक खातों में पैसा, कर्जमाफ़ी, पानी और चारा। हस्तांतरण पुराने राहत कार्यों से तेज़ हैं और उनमें रिसाव कम होता है, और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) एक वास्तविक प्रगति है। पर मराठवाड़ा का 46% भंडारण और 20% से कम सिंचाई वाली कृषि अर्थव्यवस्था संरचनात्मक समस्याएँ हैं, और सूखे का साल जलग्रहण क्षेत्र और छोटे भंडारण के काम के लिए श्रम जुटाने का सबसे संस्ता समय होता है। जो प्रतिक्रिया केवल नक़दी पर ख़त्म हो जाती है, वह 1972 से अगली तुलना की ज़मीन तैयार करती है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“भारत में सूखे की कोई एक परिभाषा सर्वत्र स्वीकृत नहीं है।” इस संदर्भ में समझाइए कि भारत में सूखे का आकलन, घोषणा और वित्तपोषण कैसे होता है, और महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में परीक्षण कीजिए कि क्या यह ढाँचा धीरे-धीरे उभरने वाले कृषि संकट का पर्याप्त उत्तर देता है। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

- 1. भूमिका** — महाराष्ट्र से शुरुआत कीजिए: 36 में से 31 ज़िलों में वर्षा की कमी, 147 लाख हेक्टेयर में खरीफ़ की मुरझाई फ़सल, मुख्यमंत्री की ‘1972 से बदतर’ वाली चेतावनी, और यह नियम कि खरीफ़ का आकलन 5 अक्टूबर से ही शुरू हो सकता है। 22 सितंबर तक लगभग 15% की राष्ट्रीय कमी का उल्लेख कीजिए।
- 2. मुख्य भाग — आकलन और घोषणा** — 2020 में अद्यतन 2016 की नियमावली समझाइए: वर्षा और शुष्क दौर के अनिवार्य संकेतक, चार में से तीन प्रभाव संकेतक, मध्यम और गंभीर श्रेणियाँ, क्षेत्रीय सत्यापन, 33% फ़सल हानि की सीमा, और 31 अक्टूबर या 31 मार्च तक घोषणा। आधुनिक नियमावली के स्रोत के रूप में Swaraj Abhiyan (2016) का हवाला दीजिए।
- 3. मुख्य भाग — वित्तपोषण** — आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 48 और 46 के तहत SDRF और NDRF, राज्य का ज्ञापन, अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल, उच्च स्तरीय समिति और कृषि मंत्रालय की नोडल भूमिका का वर्णन कीजिए। समय के अंतराल को दिखाने के लिए महाराष्ट्र के पहले अपने खज़ाने से भुगतान करने के निर्णय का उदाहरण दीजिए।
- 4. मुख्य भाग — पर्याप्तता** — दोनों पक्ष रखिए: मौसम के अंत में आकलन समय से पहले के दावों से बचाता है, पर किसानों को रबी के आदान अभी चाहिए; सूचकांक तेज़ पर बेकार बारिश को नहीं पकड़ पाते; कर्जमाफ़ी काश्तकारों और मज़दूरों तक नहीं पहुँचती; बीमा के मध्य-मौसम भुगतान और मज़दूरी वाला काम बेहतर लक्षित है; और परिसंपत्ति-निर्माण वाली राहत का 1972 का सबक खोता जा रहा है।
- 5. निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि ढाँचा बनावट में ठोस है पर क्रियान्वयन में धीमा, और उपग्रह तथा शुष्क दौर के आँकड़ों से शुरू होने वाली शीघ्र राहत, केंद्रीय दल के तेज़ दौरों, और जलग्रहण क्षेत्रों व छोटे भंडारण पर केंद्रित सूखा कार्यों का सुझाव दीजिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. आप लातूर के कलेक्टर हैं। 5 अक्टूबर से पहले सूखे का औपचारिक आकलन नहीं हो सकता, पर संकट अभी से दिख रहा है। अगले पखवाड़े में आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): सबसे पहले मैं पेयजल सुरक्षित करूँगा: स्रोतों को आरक्षित करना, सबसे प्रभावित गाँवों के लिए टैंकों के मार्ग तय करना और रोज़ उनकी निगरानी करना। मैं जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ पंचनामे जल्दी पूरे करवाऊँगा और उनका उपग्रह फ़सल मानचित्रों से मिलान करवाऊँगा, ताकि बाद में बनने वाला ज्ञापन साक्ष्य पर टिका हो, और यह सुनिश्चित करूँगा कि बीमित किसान फ़सल बीमा योजना के तहत फ़सल हानि की सूचना दें। मवेशियों की

मजबूरी में बिक्री शुरू होने से पहले मैं चारा डिपो खोलूँगा और पलायन घटाने के लिए माँग पर सार्वजनिक कार्य शुरू करूँगा। पानी, चारे और काम का रोज़ अद्यतन होने वाला सार्वजनिक डैशबोर्ड प्रशासन को जवाबदेह और किसानों को सूचित रखेगा।

प्रश्न 2. राहत एवं पुनर्वास सचिव के रूप में आप केंद्र को भेजे जाने वाले महाराष्ट्र के ज्ञापन को विश्वसनीय कैसे बनाएँगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं इसे पूरी तरह नियमावली के संकेतकों पर खड़ा करूँगा: पहले वर्षा में विचलन और शुष्क दौर, फिर तीन प्रभाव संकेतक, और इन सबके समर्थन में निर्धारित अनुपात के गाँवों में क्षेत्रीय सत्यापन। मैं अपने पंचनामों के साथ महालनोबिस राष्ट्रीय फ़सल पूर्वानुमान केंद्र (Mahalanobis National Crop Forecast Centre) के सुदूर संवेदन आकलनों का उपयोग करूँगा और ज्ञापन भेजने से पहले दोनों के अंतर सुलझाऊँगा। मैं केवल उतना ही दावा करूँगा जितना साक्ष्य समर्थन करे, क्योंकि बढ़ा-चढ़ाकर बनाया गया ज्ञापन केंद्रीय दल को संशयी बनाता है और सबके लिए धन में देरी करवाता है। मैं राज्य द्वारा अग्रिम रूप से चुकाए गए हर रुपये का हिसाब भी दर्ज करूँगा, ताकि केंद्र द्वारा जारी राशि से उसका मिलान हो सके।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: क्या किसी मुख्यमंत्री का किसी भी औपचारिक आकलन से पहले सूखे को '1972 से बदतर' कहना उचित है?

दृष्टिकोण (Approach): जो नेता संकट के पैमाने का संकेत जल्दी दे देता है, वह प्रशासन को सक्रिय करता है और किसानों को भरोसा दिलाता है कि मदद आ रही है, और यहाँ वर्षा तथा फ़सल के आँकड़े वाकई गंभीर संकट दिखाते हैं। पर कड़ी ऐतिहासिक तुलना ऐसी अपेक्षाएँ जगा देती है जिन्हें राज्य शायद पूरा न कर सके, और यह उस साक्ष्य से आगे निकल सकती है जो केंद्रीय दल माँगेगा। ज़िम्मेदार रास्ता यह है कि चेतावनी के साथ प्रकाशित आँकड़े और राहत की स्पष्ट समय-सारिणी भी दी जाए। राजनीतिक भाषा को प्रशासनिक कार्रवाई का रास्ता खोलना चाहिए, उसकी जगह नहीं लेनी चाहिए।

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस सप्ताह ने दिखा दिया कि भारत के भाग्य का कितना बड़ा हिस्सा अब उन कमरों में तय होता है जिन पर भारत का कोई नियंत्रण नहीं। ओमान के तट के पास एक मिसाइल ने किसी दूसरे देश के झंडे वाले जहाज पर एक भारतीय नाविक की जान ले ली, रूस और ईरान को निशाना बनाने वाला एक अमेरिकी कानून भारतीय निर्यात के लिए खतरा बन गया है, और वाशिंगटन में मिल रही दो महाशक्तियाँ खनिजों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वे नियम तय कर सकती हैं जिनका पालन भारत को करना पड़ेगा। न्यूयॉर्क में और दिल्ली के BRICS कर-संवाद (BRICS tax track) में दिखा भारत का उत्तर यह है कि नियम लिखने वाले गठबंधन खड़े किए जाएं — ग्लोबल साउथ, G4, BRICS — और OIC जैसे उन मंचों को दो टूक नकार दिया जाए जो उसके आंतरिक मामलों पर फैसला सुनाने का दावा करते हैं।

4.1 ओमान के पास मिसाइल हमले में विदेशी झंडे वाले जहाज पर भारतीय नाविक की मौत; होर्मुज का युद्ध भारत के चालक दलों तक पहुंचा

समाचार (THE NEWS) मस्कट और नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, ओमान के तट के पास थोक मालवाहक जहाज (bulk carrier) MV केप डाओ (MV Cape Dao) पर मिसाइल गिरने के कुछ घंटे बाद उत्तर प्रदेश के युवा नाविक सूरज यादव की सिर में लगी चोटों से मृत्यु हो गई। द हिंदू ने AFP के हवाले से हमले का स्थान होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) बताया है — बुधवार, 23 सितंबर को, ओमान के तट से लगभग 2.5 समुद्री मील (nautical miles) दूर; द इकोनॉमिक टाइम्स (ET) के अनुसार यह ओमान के पूर्वी तट के पास हुआ। किसी भी अखबार ने यह नहीं बताया कि मिसाइल किसने दागी। जहाज पर एंटीगुआ और बारबुडा का झंडा है, यानी वह इसी कैरिबियाई देश में पंजीकृत है, पर उस पर 20 भारतीय नाविक सवार थे। बंदरगाह एवं पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि बचे हुए 19 नाविकों को ओमान की रॉयल नेवी ने सुरक्षित निकाल लिया है और वे तट पर पहुंच चुके हैं, तथा श्री यादव का पार्थिव शरीर “पूर सम्मान के साथ” स्वदेश लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय (MEA) ने हमले की निंदा की। इस पत्रिका के 22 और 23 सितंबर के काडों के बाद नई बात यह है कि इस युद्ध ने अब एक व्यापारिक जहाज पर एक भारतीय की जान ले ली है। उसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने ईरान को “नष्ट कर देने” की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का जवाब दिया: “हां, उन्होंने हम पर हमला किया, पर हमने घुटने नहीं टेके।” लगभग सात महीने पुराने इस युद्ध के आरंभ में अमेरिकी हमलों में मारे गए 150 से अधिक स्कूली बच्चों की तस्वीरें उठाकर (द हिंदू में छपी AP की रिपोर्ट के अनुसार) उन्होंने कहा कि “ऐसा नहीं हो सकता कि होर्मुज जलडमरूमध्य से सबको लाभ मिले और केवल हमें वहां पहुंच से वंचित रखा जाए”। युद्ध से पहले इस जलडमरूमध्य से दुनिया के तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के कुल जहाजी लदान का पांचवां हिस्सा गुजरता था; रॉयटर्स के अनुसार ईरान इस पर नियंत्रण और यहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलना चाहता है, जिसे वाशिंगटन खारिज करता है। जुलाई में अंतरिम युद्धविराम टूटने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच पहली ‘शटल’ वार्ता (shuttle talks) एक कतरी मध्यस्थ के जरिए चली। वाशिंगटन ने यह भी कहा है कि बुधवार के बाद ईरानी उड़ानों की अनुमति देने वाले किसी भी देश पर वह द्वितीयक प्रतिबंध (secondary sanctions) — यानी तीसरे देशों पर दंड — लगाएगा; ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेज़ाई ने पलटकर कहा कि यदि पड़ोसी देशों ने ईरानी उड़ानें रोक दी तो ईरान सुनिश्चित करेगा कि उनके हवाई अड्डे “काम ही न कर सकें”, और यह भी कि ईरान की शर्तें पूरी होने तक होर्मुज नहीं खुलेगा। हती सलाहकार आबिद मोहम्मद अल-थौर ने धमकी दी कि यदि वाशिंगटन ने बाब-अल-मंदेब को खुलवाने की कोशिश की तो अमेरिकी हितों को निशाना बनाया जाएगा; ET ध्यान दिलाता है कि सऊदी कच्चे तेल का रास्ता काटने वाली हतियारों की लाल सागर नाकेबंदी होर्मुज की नाकेबंदी के ऊपर से आ पड़ी है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: प्रवासी भारतीय तथा दूसरे देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव (GS2), और समुद्री सुरक्षा (GS3)।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अमेरिका और इज़राइल 28 फरवरी 2026 को ईरान के विरुद्ध युद्ध छेड़ते हैं → होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी होती है और अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लगा देता है → जुलाई में अंतरिम युद्धविराम टूटता है और हती बाब-अल-मंदेब पर लाल सागर का मार्ग रोक देते हैं → जलडमरूमध्य के भीतर व्यापारिक जहाज गोलीबारी की चपेट में आते हैं; और ओमान से 2.5 समुद्री मील दूर एंटीगुआ और बारबुडा के झंडे वाले MV केप डाओ पर मिसाइल गिरती है → एक भारतीय नाविक की मौत होती है, ठीक जब वाशिंगटन और तेहरान संयुक्त राष्ट्र में शटल वार्ता शुरू करते हैं और ईरान जलडमरूमध्य पर अपने नियंत्रण की मांग करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. UNCLOS अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्यों से पारगमन मार्ग (transit passage) की गारंटी देता है, और कोई तटीय राज्य इसे निलंबित नहीं कर सकता — संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय, 1982 (UN Convention on the Law of the Sea — UNCLOS) तटीय राज्य को 12 समुद्री मील तक के प्रादेशिक समुद्र (territorial sea) का दावा करने की अनुमति देता है (अनुच्छेद 3), जिसमें विदेशी जहाजों को केवल निर्दोष मार्ग (innocent passage) का अपेक्षाकृत कमज़ोर अधिकार मिलता है। अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए प्रयुक्त जलडमरूमध्यों में भाग III पारगमन मार्ग का कहीं अधिक सशक्त अधिकार देता है: जहाज और विमान बिना रुके और शीघ्रता से गुजर सकते हैं, और अनुच्छेद 44 कहता है कि तटवर्ती राज्य इसमें बाधा नहीं डालेंगे तथा इसे निलंबित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 26 विदेशी जहाजों से केवल प्रादेशिक समुद्र से गुजरने के लिए कोई शुल्क लेने पर रोक लगाता है; शुल्क केवल दी गई विशिष्ट सेवाओं के बदले लिया जा सकता है, और इसीलिए होर्मुज पर ईरानी चुंगी इस अभिसमय से सीधे टकराती है। होर्मुज इतना संकरा है कि ईरान और ओमान के प्रादेशिक समुद्र एक-दूसरे पर चढ़ जाते हैं, इसलिए पूरा नौवहन मार्ग किसी न किसी एक देश के जल-क्षेत्र में पड़ता है। ईरान ने 1982 में UNCLOS पर हस्ताक्षर तो किए पर कभी उसका अनुसमर्थन (ratification) नहीं किया, और यह घोषणा की कि पारगमन मार्ग जैसे संधिगत अधिकार केवल पक्षकार देशों को ही मिलते हैं;

अमेरिका ने भी इसका अनुसमर्थन नहीं किया है, जबकि भारत 1995 में ही इसका अनुसमर्थन कर चुका है।

2. व्यापारिक जहाज की कानूनी ज़िम्मेदारी ध्वज राज्य (flag state) की होती है, चालक दल के देश की नहीं — UNCLOS के अनुच्छेद 91 के तहत जहाज की राष्ट्रीयता उस राज्य की होती है जिसका झंडा फहराने का वह हकदार है, और दोनों के बीच एक “वास्तविक संबंध” (genuine link) होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 94 ध्वज राज्य को जहाज के प्रशासनिक, तकनीकी और सामाजिक मामलों पर — जिनमें जहाज पर काम की परिस्थितियां भी शामिल हैं — प्रभावी क्षेत्राधिकार और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी बनाता है। खुली रजिस्ट्रियां (open registries), जिन्हें आम बोलचाल में ‘सुविधा के झंडे’ (flags of convenience) कहा जाता है, कम शुल्क और हल्के नियमन पर उन जहाजों का पंजीकरण करती हैं जिनका स्वामित्व और प्रबंधन कहीं और से होता है; एंटीगुआ और बारबुडा ऐसी ही एक रजिस्ट्री चलाता है। नतीजा एक कानूनी विभाजन है: कानून की नज़र में MV केप डीओ एंटीगुआ और बारबुडा का जहाज है, भले ही उसका चालक दल भारतीय था, इसलिए भारत की भूमिका कांसुलर और कूटनीतिक है — स्वदेश वापसी, मुआवज़ा और परिवारों को सहारा — न कि वह प्रत्यक्ष सुरक्षा जो वह भारतीय ध्वज वाले जहाज को देने के लिए बाध्य है।
3. समुद्री श्रम अभिसमय, 2006 स्वदेश वापसी और मृत्यु-मुआवज़े को जहाज मालिक का दायित्व बनाता है — अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization) के समुद्री श्रम अभिसमय, 2006 (Maritime Labour Convention — MLC) ने, जिसे अक्सर नाविकों का अधिकार-पत्र (seafarers’ bill of rights) कहा जाता है, दर्जनों पुराने समुद्री श्रम अभिसमयों को एक जगह समेकित किया और यह 2013 में लागू हुआ; भारत ने 2015 में इसका अनुसमर्थन किया। विनियम 2.5 नाविकों को अपनी जेब से कोई खर्च किए बिना स्वदेश वापसी (repatriation) का अधिकार देता है, और विनियम 4.2 सेवा के दौरान होने वाली बीमारी, चोट और मृत्यु की लागत के लिए जहाज मालिकों को उत्तरदायी ठहराता है। 2017 से लागू संशोधन जहाज मालिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा (financial security) रखना अनिवार्य करते हैं, ताकि बेसहारा छोड़ दिए गए चालक दलों की स्वदेश वापसी हो सके और मृत्यु या दीर्घकालिक विकलांगता के दावों का वास्तव में भुगतान हो। भारत में बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन नौवहन महानिदेशालय (Directorate General of Shipping) समुद्री प्रशासन का काम करता है: यह नाविकों को प्रमाणपत्र देता है, उनकी भर्ती और नियुक्ति करने वाली एजेंसियों को लाइसेंस देता है, और इन दायित्वों का पालन कराता है।
4. ऑपरेशन संकल्प खाड़ी में नौसेना की अनुरक्षण भूमिका को दिखाता है, और उसकी सीमाओं को भी — ओमान की खाड़ी में टैंकरों पर हुए हमलों के बाद भारतीय नौसेना ने जून 2019 में ऑपरेशन संकल्प (Operation Sankalp) शुरू किया, ताकि होर्मुज़ जलडमरूमध्य और फारस की खाड़ी से गुजरने वाले भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाजों को उपस्थिति और अनुरक्षण (escort) मिल सके। 2023 के अंत से नौसेना ने हतियारों के मिसाइल और ड्रोन हमलों तथा सोमाली समुद्री डकैती के फिर से सिर उठाने के विरुद्ध अरब सागर और अदन की खाड़ी में अपनी तैनाती बढ़ाई, और कई देशों के झंडे वाले उन जहाजों की आपात पुकार का जवाब दिया जिन पर भारतीय चालक दल सवार थे। 2018 में गुरुग्राम में स्थापित सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (Information Fusion Centre - Indian Ocean Region) साझेदार नौसेनाओं और उद्योग के साथ समुद्री खतरों की जानकारी साझा करता है। नौसैनिक सुरक्षा भारतीय ध्वज वाले जहाजों के लिए सबसे मज़बूत है; विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम कर रहे भारतीय चालक दलों के लिए यह निकटता, अनुरोधों और तटीय राज्यों की सहमति पर निर्भर करती है — इस मामले में जीवित बचे नाविकों को ओमान की नौसेना ने ही बचाया।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS2 में प्रवासी भारतीय और दूसरे देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दर्ज है — सामान्य अध्ययन-2 के पाठ्यक्रम में “विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों व राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव” और प्रवासी भारतीय (Indian diaspora) शामिल हैं। पश्चिम एशिया पर पूछे गए प्रश्नों ने बार-बार भारत की ऊर्जा सुरक्षा को उस क्षेत्र में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा से जोड़ा है; विदेशी झंडे वाले जहाज पर मारा गया एक नाविक इस बात का सटीक केस-अध्ययन है कि यह सुरक्षा कहां जाकर कमज़ोर पड़ जाती है।
2. प्रारंभिक परीक्षा समुद्री कानून को पहले ही परख चुकी है — प्रारंभिक परीक्षा 2022 में UNCLOS पर कथन-आधारित एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें 12 समुद्री मील का प्रादेशिक समुद्र, निर्दोष मार्ग और 200 समुद्री मील का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (exclusive economic zone) शामिल थे। जलडमरूमध्यों से पारगमन मार्ग, ध्वज राज्य के दायित्व और समुद्री श्रम अभिसमय इसकी स्वाभाविक अगली परत हैं, और आज की खबर इनमें से हर एक को एक वास्तविक जहाज के उदाहरण से समझा देती है।
3. अवरोध बिंदुओं (chokepoints) पर मानचित्र-आधारित प्रश्न स्थायी रूप से पूछे जाते हैं — UPSC नियमित रूप से जल निकायों को उनसे लगे देशों के साथ जोड़कर पूछता है। होर्मुज़ और बाब-अल-मंदेब, जो अब एक साथ बंद हैं, प्रारंभिक परीक्षा के मानचित्र प्रश्नों और समुद्री सुरक्षा

पर GS3 के उत्तर — दोनों के लिए संभावित सामग्री हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- UNCLOS के तहत कोई तटीय राज्य अपनी आधार रेखाओं (baselines) से मापे गए अधिकतम 12 समुद्री मील तक का प्रादेशिक समुद्र स्थापित कर सकता है।
- UNCLOS का भाग III अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए प्रयुक्त जलडमरूमध्यों से पारगमन मार्ग का प्रावधान करता है, और ऐसे जलडमरूमध्यों से लगे राज्य इसे निलंबित नहीं कर सकते।
- UNCLOS के अनुच्छेद 91 के तहत जहाज की राष्ट्रीयता उस राज्य की होती है जिसका झंडा फहराने का वह हकदार है, और उस राज्य तथा जहाज के बीच वास्तविक संबंध होना चाहिए।
- समुद्री श्रम अभिसमय, 2006 अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्गत अपनाया गया था और यह नाविकों को बिना किसी व्यय के स्वदेश वापसी का अधिकार देता है; भारत ने इसका अनुसमर्थन किया है।
- होर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और ईरान तथा ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के बीच स्थित है।
- बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और अरब प्रायद्वीप पर स्थित यमन को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जिबूती और इरिट्रिया से अलग करता है।
- ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने 2019 में होर्मुज़ जलडमरूमध्य और खाड़ी क्षेत्र से भारतीय ध्वज वाले जहाजों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया था।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. जहाज के पिछले हिस्से पर लगे झंडे ने तय किया कि सूरज यादव की रक्षा कौन कर सकता था — और वह भारत नहीं था — भारतीय नाविक अधिकतर विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम करते हैं, क्योंकि भारत जितने नाविक प्रशिक्षित करता है, उनकी तुलना में उसका अपना व्यापारिक बेड़ा छोटा है। इसका अर्थ यह है कि जिस राज्य की चालक दल की सुरक्षा में सबसे गहरी रुचि है, जहाज पर उसी की कानूनी स्थिति सबसे कमज़ोर है, जबकि ध्वज राज्य — यहां एक छोटी कैरिबियाई रजिस्ट्री — के पास न तो खाड़ी में कोई नौसेना है और न उसे इस्तेमाल करने का कोई खास कारण। ऑपरेशन संकल्प भारतीय ध्वज वाले टन-भार (tonnage) को ध्यान में रखकर बनाया गया था, इसलिए यह वर्ग असुरक्षित छूट जाता है। विरोधी तर्क यह है कि कोई भी नौसेना अपने नागरिकों को ले जा रहे हर जहाज का अनुरक्षण नहीं कर सकती, और वैसे भी अनुरक्षण मिसाइल को नहीं रोक पाता। यथार्थवादी समाधान शृंखला की शुरुआती कड़ी में है: युद्ध-क्षेत्र घोषित करना (war-zone designation), यात्रा से इनकार का अधिकार और सख्ती से लागू बीमा — ये वे साधन हैं जो भर्ती एजेंसियों को लाइसेंस देने के अपने अधिकार के कारण भारत के हाथ में हैं।
2. ओमान से 2.5 समुद्री मील दूर हुआ हमला युद्ध को एक तटस्थ देश के जल-क्षेत्र तक ले आता है — 2.5 समुद्री मील की दूरी पर MV केप डाओ ओमान के 12 मील के प्रादेशिक समुद्र के काफी भीतर था — चाहे वह द हिंदू के अनुसार स्वयं जलडमरूमध्य में रहा हो, या ET के अनुसार ओमान के पूर्वी तट के पास। ओमान इस युद्ध का पक्षकार नहीं है, वह लंबे समय से वाशिंगटन और तेहरान के बीच संदेशवाहक की भूमिका निभाता रहा है, और उसी की नौसेना ने चालक दल को निकाला। यदि किसी तटस्थ देश के जल-क्षेत्र में भी जहाज सुरक्षित नहीं हैं, तो ओमानी तट से सटकर चलने वाले संरक्षित गलियारों का विचार कमज़ोर पड़ जाता है। यह स्थान उस प्रस्ताव की भी परीक्षा लेता है जिसकी खबर इस पत्रिका ने 19 सितंबर को दी थी — कि जलडमरूमध्य के बाहर ओमान की खाड़ी पर स्थित ओमान का सोहार बंदरगाह खाड़ी तक पहुंच का भारत का प्रवेश-द्वार बने: जलडमरूमध्य के भीतर हुआ हमला सोहार का पक्ष मजबूत करता है, जबकि पूर्वी तट के पास हुआ हमला उसे कमज़ोर करता है। इसलिए अखबारों के बताए अलग-अलग स्थान केवल रिकार्ड के लिए नहीं, नीति के लिए भी मायने रखते हैं।
3. ईरान की शुल्क-मांग एक अवरोध बिंदु को चुंगी-नाके में बदल देगी, और UNCLOS ही भारत की सबसे अच्छी ढाल है — रॉयटर्स के अनुसार ईरान होर्मुज़ पर नियंत्रण चाहता है और जहाजों से शुल्क वसूलना चाहता है। इसे मौन रूप से भी स्वीकार करने से यह मिसाल बनेगी कि पर्याप्त मिसाइलों वाला कोई भी तटवर्ती राज्य किसी जलडमरूमध्य को कमाई का जरिया बना सकता है, और यही तर्क एक दिन मलक्का में या दक्षिण चीन सागर में भी आजमाया जा सकता है, जहां भारत नौवहन की स्वतंत्रता (freedom of navigation) की वकालत करता है। उसी सप्ताह न्यूयॉर्क में श्री जयशंकर ने ग्लोबल साउथ के मंत्रियों से कहा था कि वे अवरोध बिंदुओं को “न स्वीकार करें, न वैधता दें”, इसलिए संगति का तकाज़ा है कि भारत होर्मुज़ के बारे में भी यही कहे। ईमानदार विरोधी तर्क यह है कि जब स्वयं अमेरिका ने UNCLOS का अनुसमर्थन नहीं किया है और ईरान ने कभी किया ही नहीं, तो कानून कमज़ोर पड़ जाता है, और दोनों पक्ष संधि के बजाय

प्रथागत कानून (custom) के आधार पर बहस करते रह जाते हैं। 1995 से इसका पक्षकार भारत इन दोनों की तुलना में इस नियम के पक्ष में बोलने की कहीं बेहतर स्थिति में है।

4. उड़ानों पर प्रतिबंध और हवाई अड्डों को धमकियां युद्ध की पहुंच तटस्थ देशों तक फैला देती हैं — ईरानी उड़ानों की अनुमति देने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाने की वाशिंगटन की धमकी, और उसका पालन करने पर पड़ोसियों के हवाई अड्डे ठप कर देने की श्री रेज़ाई की धमकी, खाड़ी देशों को दो दबावकारी मांगों के बीच फंसा देती है। यही वे देश हैं जहां विदेश में सबसे बड़े भारतीय समुदाय बसते हैं और जो भारतीय यात्रियों के लिए प्रमुख हवाई केंद्र (air hubs) हैं, इसलिए वहां का व्यवधान तेल की किसी भी कीमत से पहले भारतीय परिवारों तक पहुंचता है। यह प्रकरण यह भी दिखाता है कि द्वितीयक प्रतिबंध अब वस्तुओं से आगे बढ़कर लॉजिस्टिक्स — उड़ानों, बंदरगाहों, नौवहन — तक पहुंच रहे हैं; यह वही औज़ार है जिसे अमेरिका रूसी तेल के खरीदारों के विरुद्ध इस्तेमाल कर रहा है। विरोधी तर्क यह है कि दोनों पक्षों पर अधिकतम दबाव समझौते को जल्दी ला सकता है, क्योंकि शटल वार्ता इसी सप्ताह शुरू हुई है; पर भारत ऐसे परिणाम के भरोसे योजना नहीं बना सकता जिसे वह प्रभावित ही नहीं करता।
5. दो बंद अवरोध बिंदु ऊर्जा की समस्या को माल-भाड़े, बीमा और श्रम की समस्या में बदल देते हैं — ET के अनुसार होर्मुज़ की नाकेबंदी और हूतियों के कारण खतरों में पड़े लाल सागर मार्ग के बीच भारत को युद्ध-जोखिम बीमा (war-risk insurance) के ऊंचे प्रीमियम, लंबी समुद्री यात्राओं और ऐसे चालक दलों का सामना करना पड़ रहा है जो जोखिम भत्ते (danger pay) की मांग कर रहे हैं या यात्रा से ही इनकार कर रहे हैं। इसीलिए एक नाविक की मौत कोई साधारण कांसुलर घटना नहीं, बल्कि एक नीतिगत संकेत है: यात्रा के लिए तैयार चालक दलों की उपलब्धता स्वयं यह सीमा तय करती है कि गोलीबारी के बीच खाड़ी का व्यापार कितने समय तक चल सकता है। विरोधी तर्क यह है कि नौवहन बाज़ार ऊंचे वेतन और बदले हुए मार्गों के सहारे जल्दी ढल जाते हैं, पर इस समायोजन की कीमत निर्यातक और जोखिम उठाने वाले चालक दल चुकाते हैं।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

होर्मुज़ जलडमरूमध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों में अब विदेशी झंडे वाले जहाज पर कार्यरत एक भारतीय नाविक की जान जा चुकी है। संघर्ष क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की सुरक्षा में मौजूद कानूनी और संस्थागत कमियों का परीक्षण कीजिए, और भारत द्वारा उठाए जाने वाले उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — एंटीगुआ और बारबुडा के झंडे वाले MV केप डाओ पर सूरज यादव की मौत से शुरुआत करें, जिस पर 20 भारतीय नाविकों के सवार रहते ओमान से लगभग 2.5 समुद्री मील दूर मिसाइल गिरी थी, और बताएं कि युद्ध से पहले यह जलडमरूमध्य दुनिया के तेल और LNG लदान का पांचवां हिस्सा होता था।
2. मुख्य भाग — कानूनी ढांचा — UNCLOS के भाग III के तहत पारगमन मार्ग, अनुच्छेद 91 और 94 में वर्णित ध्वज राज्य के दायित्व, तथा भारत द्वारा अनुसमर्थित समुद्री श्रम अभिसमय, 2006 के तहत स्वदेश वापसी और मृत्यु-मुआवज़े से जुड़े जहाज मालिक के दायित्व समझाएं।
3. मुख्य भाग — कमियां — बताएं कि अधिकांश भारतीय नाविक विदेशी झंडों के तहत काम करते हैं, कि ऑपरेशन संकल्प भारतीय ध्वज वाले जहाजों को केंद्र में रखकर बना है, कि खुली रजिस्ट्रियों वाले ध्वज राज्यों के पास चालक दलों की रक्षा की क्षमता न के बराबर है, और कि ईरान और अमेरिका दोनों UNCLOS के दायरे से बाहर हैं। भर्ती की शृंखला तथा मुआवज़े का दावा करने में परिवारों को होने वाली कठिनाई का भी उल्लेख करें।
4. मुख्य भाग — उपाय — ये उपाय सुझाएं: उच्च-जोखिम क्षेत्र घोषित करने वाले DG शिपिंग के परामर्श, जिनमें यात्रा से इनकार का अधिकार और जोखिम भत्ता हो; जहाज पर कार्यभार ग्रहण (sign-on) से पहले बीमा का सत्यापन; भर्ती एजेंसी के माध्यम से तेज़ मुआवज़ा; सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र के ज़रिए सूचनाओं का आदान-प्रदान; ओमान के साथ समन्वय; और जलडमरूमध्यों पर चुंगी के विरुद्ध दृढ़ कूटनीतिक रुख।
5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दें कि भारत विश्व नौवहन को चालक दल तो देता है पर झंडे नहीं, इसलिए उसकी सुरक्षा-व्यवस्था को युद्धपोतों जितना ही कानून, लाइसेंसिंग और कूटनीति के माध्यम से भी काम करना होगा।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. आप नौवहन महानिदेशक (Director General of Shipping) हैं। इस मौत के एक दिन बाद भर्ती एजेंसियां बताती हैं कि खाड़ी जा रहे जहाजों पर तैनात भारतीय नाविक सेवा छोड़कर उतरना चाहते हैं। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं होर्मुज़ की ओर जाने वाले समुद्री मार्गों को उच्च-जोखिम क्षेत्र घोषित करने वाला परामर्श जारी करूंगा और स्पष्ट करूंगा कि वहां जाने से इनकार करने वाले नाविकों को दंडित नहीं किया जा सकता तथा समुद्री श्रम अभिसमय के अनुसार जहाज मालिक के खर्च पर उनकी स्वदेश वापसी करानी होगी। मैं लाइसेंसधारी एजेंसियों को निर्देश दूंगा कि वे पुष्टि करें

कि भारतीय चालक दल वाले हर जहाज के पास मृत्यु और चोट के दावों के लिए वैध बीमा है। विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर चौबीसों घंटे चलने वाली एक हेल्पलाइन क्षेत्र में मौजूद हर भारतीय नाविक पर जहाज-वार नज़र रखेगी। जोखिम छिपाने वाली या भुगतान न करने वाली एजेंसियों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

प्रश्न 2. उत्तर प्रदेश में श्री यादव के गृह ज़िले के ज़िलाधिकारी के रूप में आपकी भूमिका क्या है ?

दृष्टिकोण (Approach): मैं विदेश मंत्रालय, ओमान स्थित भारतीय दूतावास और DG शिपिंग के साथ परिवार का एकमात्र संपर्क बिंदु बनूंगा, ताकि पार्थिव शरीर जल्द घर पहुंचे और परिवार को अधिकारियों के चक्कर न काटने पड़े। मैं सुनिश्चित करूंगा कि जहाज मालिक और उसके बीमाकर्ता के विरुद्ध परिवार का दावा भर्ती एजेंसी के माध्यम से दायर हो और उस पर लगातार अनुवर्ती कार्रवाई हो, तथा राज्य की ओर से मिलने वाली कोई भी अनुग्रह राशि (ex gratia) बिना देरी के दी जाए। मैं इस अवसर का उपयोग ज़िले के युवाओं को बिना लाइसेंस वाले समुद्री भर्ती एजेंटों से सावधान करने के लिए भी करूंगा, क्योंकि परिवारों को अक्सर बहुत देर से पता चलता है कि एजेंट पंजीकृत ही नहीं था।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: क्या भारतीय नौसेना को भारतीय चालक दल वाले हर जहाज को अनुरक्षण देकर होर्मुज़ पार कराना चाहिए ?

दृष्टिकोण (Approach): नहीं, सर्वव्यापी नियम के रूप में नहीं। नौसेना के पास इसके लिए पर्याप्त जहाज नहीं हैं, ओमानी या ईरानी प्रादेशिक जल में अनुरक्षण के लिए सहमति चाहिए, और सक्रिय युद्ध के बीच विदेशी झंडे वाले जहाजों का अनुरक्षण करता युद्धपोत भारत को उस युद्ध में खींच सकता है। बेहतर तरीका जोखिम-आधारित है: भारतीय ध्वज वाले जहाजों और भारत आ रहे ऊर्जा-माल का अनुरक्षण किया जाए, खतरों की जानकारी व्यापक रूप से साझा की जाए, और ओमान के साथ समन्वय रखा जाए। बड़ी सुरक्षा कूटनीति से और ऐसे नियमों से आती है जो नाविकों को असुरक्षित यात्राओं से इनकार करने का अधिकार देते हैं।

4.2 ट्रंप ने वाशिंगटन में शी की मेज़बानी की: अमेरिका-चीन संघर्ष-विराम और AI संवाद से भारत के 'नियम मानने वाला' बनकर रह जाने का खतरा

समाचार (THE NEWS) वाशिंगटन और बीजिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार, 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेज़बानी कर रहे हैं; यह मई में श्री ट्रंप की बीजिंग की राजकीय यात्रा के जवाब में शी की यात्रा है, और द इकोनॉमिक टाइम्स (ET) इसे तीन दिन का शिखर सम्मेलन बताता है। AI संवाद पर इस पत्रिका के 23 सितंबर के कांड के बाद नई बात स्वयं यह शिखर सम्मेलन है। बीजिंग से द हिंदू के अनंत कृष्णन बताते हैं कि मई में दोनों पक्षों ने “रणनीतिक स्थिरता के रचनात्मक संबंध” (constructive relationship of strategic stability) के प्रति प्रतिबद्धता जताई थी — यह चीन का गढ़ा हुआ शब्द-युग्म है जिसे श्री ट्रंप ने सहर्ष अपना लिया — और यह भी कि वे जॉइंट बेस एंड्रयूज पर स्वयं शी की अगवानी करेंगे, एक ऐसा शिष्टाचार जो किसी अन्य नेता को नहीं मिला। अपेक्षाएं सीमित हैं — किसी बड़े सौदे के बजाय संबंधों के नीचे एक न्यूनतम आधार (floor) — पर “G2” के प्रति श्री ट्रंप के घोषित लगाव ने, यानी ऐसी दो-शक्ति व्यवस्था जिसमें वाशिंगटन और बीजिंग आपस में मिलकर विश्व के मामले संभालें, भारत सहित क्षेत्र के देशों को चिंतित कर दिया है। मई के बाद से पेंटागन ने अलीबाबा और BYD को “नागरिक-सैन्य संलयन” (civil military fusion) की सूची में डाला है; टैरिफ, सेमीकंडक्टर पर प्रतिबंध और दुर्लभ मृदा तत्वों (rare earths) पर चीनी निर्यात नियंत्रण अब भी अनसुलझे हैं, और चीन चाहता है कि ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री बंद हो। ट्रेज़री सचिव स्कॉट बेसेंट और उप-प्रधानमंत्री हे लिफेंग ने AI सहयोग के लिए एक संवाद तंत्र पर चर्चा की है। सिंगुआ विश्वविद्यालय के दा वेई का तर्क है कि चीन अब इस संबंध को “अधिक बराबरी की स्थिति से” देखता है; चाइना इंस्टीट्यूट्स ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस के उपाध्यक्ष ली काई कहते हैं कि क्षेत्रीय मामलों का “नेतृत्व और प्रबंधन स्वयं एशियाई देशों को करना चाहिए”। ET में सुबिमल भट्टाचारजी लिखते हैं कि दुर्लभ मृदा के लगभग 70% खनन, 85% शोधन और करीब 90% चुंबक उत्पादन पर चीन का नियंत्रण है, और अगस्त में अमेरिका को चुंबकों की खेप 21% गिर गई — जिसका समय 10 नवंबर को समाप्त हो रहे टैरिफ संघर्ष-विराम और पेंटागन के उस नियम से मेल खाता है जो 1 जनवरी 2027 से चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया से प्राप्त दुर्लभ मृदा चुंबकों, टंगस्टन, टैटलम और मोलिब्डेनम पर रोक लगाता है। जुलाई में शंघाई में चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन (World Artificial Intelligence Cooperation Organisation — WAICO) की स्थापना के लिए 28 देशों के साथ, जिनमें अधिकतर विकासशील हैं, AI साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए; इसके विपरीत अमेरिका निर्यात नियंत्रणों (export controls) — यानी संवेदनशील प्रौद्योगिकी विदेश में बेचने पर कानूनी सीमाओं — और अपने सबसे शक्तिशाली मांडलों तक सशुल्क पहुंच पर निर्भर है। भट्टाचारजी की चिंता AI मानकों पर ऐसे दो-शक्ति सौदे को लेकर है जो BRICS के अध्यक्ष और G7 के साझेदार भारत को ‘नियम मानने वाला’ (rule-taker) बनाकर छोड़ दे। ET के एक संपादकीय का अनुमान है कि असली सौदा टैरिफ राहत के बदले दुर्लभ मृदा का होगा। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: भारत को प्रभावित करने वाले समूह (GS2), तथा प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिज (GS3)।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अमेरिका चीन के तकनीकी उभार को धीमा करने के लिए टैरिफ और चिप निर्यात नियंत्रणों का सहारा लेता है → चीन दुर्लभ मृदा पर निर्यात नियंत्रणों से जवाब देता है, जहां शोधन और चुंबकों पर उसका वर्चस्व है → मई में बीजिंग में दोनों पक्ष “रणनीतिक स्थिरता के रचनात्मक संबंध” की घोषणा करते हैं, उस टैरिफ संघर्ष-विराम के तहत जो 10 नवंबर को समाप्त होगा → बेसेंट और हे लिफेंग AI सहयोग संवाद स्थापित करते हैं, जबकि बीजिंग अगस्त में चुंबकों की खेप 21% घटा देता है → ट्रंप वाशिंगटन में शी की मेज़बानी करते हैं, जिससे ऐसे G2 की चर्चा फिर ज़िंदा होती है जो भारत को दो शक्तियों के लिखे नियम मानने पर विवश कर सकता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

यूपीएससी को यह विषय क्यों
पसंद है (WHY UPSC LOVES
THIS — TREND)

1. G2 का विचार अमेरिका-चीन के संयुक्त आधिपत्य (condominium) की कल्पना करता है, जिससे मध्यम शक्तियां सदा डरती आई हैं — G2 शब्द अमेरिकी अर्थशास्त्री सी. फ्रेड बर्गस्टेन ने 2000 के दशक में विश्व अर्थव्यवस्था के अमेरिका-चीन संयुक्त नेतृत्व के लिए गढ़ा था, और बाद में रणनीतिकार जॉर्जिन्स ब्रेज़िंस्की ने एक अनौपचारिक व्यवस्था के रूप में इसकी वकालत की। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संयुक्त आधिपत्य का अर्थ है दो शक्तियों द्वारा किसी क्षेत्र या व्यवस्था का मिलकर प्रबंधन, जो आमतौर पर बाहर छूट गए देशों की कीमत पर होता है। शी जिनपिंग का अपना सूत्र, जिस पर उन्होंने पहली बार 2013 में जोर दिया, दोनों देशों के बीच “नए प्रकार के बड़े-देश संबंध” (new type of major-country relations) था। भारत की घोषित प्राथमिकता सदा एक बहुध्रुवीय विश्व और बहुध्रुवीय एशिया रही है, और उसका सामरिक स्वायत्तता (strategic autonomy) का सिद्धांत — किसी गुट में शामिल होने के बजाय निर्णय की स्वतंत्रता बनाए रखना — इस मान्यता पर टिका है कि कोई भी दो शक्तियां उसके सिर के ऊपर से क्षेत्र के मामले तय नहीं कर सकतीं।
2. दुर्लभ मृदा चीन का अवरोध बिंदु हैं, क्योंकि उसका वर्चस्व केवल खनन पर नहीं, प्रसंस्करण पर है — दुर्लभ मृदा तत्व 17 धातुओं का समूह हैं: 15 लैंथेनाइड तथा स्कैंडियम और इट्रियम। इनका सबसे सामरिक उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटरों, पवन टर्बाइनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और मिसाइलों में लगने वाले उच्च-शक्ति के स्थायी चुंबकों में है, और इस शृंखला का कठिन हिस्सा खुदाई नहीं, बल्कि पृथक्करण, शोधन और चुंबक निर्माण है। चीन ने दिसंबर 2020 में लागू हुए निर्यात नियंत्रण कानून (Export Control Law) के जरिए अपने इन औजारों को औपचारिक रूप दिया। भारत में दुर्लभ मृदा मुख्यतः तटीय समुद्र-तट की रेत (beach sands) में मिलने वाले मोनाज़ाइट से आते हैं, जिनका प्रबंधन परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन IREL (इंडिया) लिमिटेड करता है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act) में 2023 के संशोधन ने केंद्र को महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) की नीलामी का अधिकार दिया और अन्वेषण को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया, तथा 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission) शुरू किया गया।
3. निर्यात नियंत्रण नए टैरिफ हैं, और इन्हें संचालित करने वाली अधिकांश व्यवस्थाओं में भारत शामिल है — निर्यात नियंत्रण संवेदनशील या दोहरे उपयोग (dual-use) वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकी — यानी जिनका नागरिक और सैन्य, दोनों तरह का उपयोग हो — के हस्तांतरण को सीमित करते हैं। बहुपक्षीय व्यवस्थाएं ये हैं: मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime — MTCR), जिसमें भारत 2016 में शामिल हुआ; पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं से जुड़ी वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement), जिसमें वह 2017 में शामिल हुआ; रासायनिक और जैविक वस्तुओं से जुड़ा ऑस्ट्रेलिया समूह (Australia Group), जिसमें वह 2018 में शामिल हुआ; और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group), जिसमें भारत अब तक शामिल नहीं हो पाया है। भारत की अपनी नियंत्रण सूची SCOMET (Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies — विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियां) है, जिसे विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (Foreign Trade (Development and Regulation) Act) के तहत संचालित किया जाता है। उन्नत AI चिप्स के निर्यात पर जनवरी 2025 के एक अमेरिकी नियम ने, जिसे बाद में वापस ले लिया गया, भारत को सीमित पहुंच वाली मध्य श्रेणी में रखा था — यह याद दिलाता है कि ‘विश्वसनीय साझेदार’ (trusted partner) सूचियां किसी सामरिक साझेदार के साथ भी कैसा बर्ताव कर सकती हैं।
4. भारत की AI रणनीति IndiaAI मिशन और बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी पर टिकी है — केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2024 में पांच वर्षों के लिए लगभग ₹10,372 करोड़ के परिव्यय के साथ IndiaAI मिशन (IndiaAI Mission) को मंजूरी दी। इसके स्तंभों में कंप्यूटिंग क्षमता तक रियायती पहुंच, स्वदेशी आधारभूत मॉडल (foundation models), डेटासेट प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप वित्तपोषण, कौशल और “सुरक्षित एवं विश्वसनीय AI” शामिल हैं, और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अधीन IndiaAI स्वतंत्र व्यापार प्रभाग (IndiaAI Independent Business Division) लागू करता है। भारत 2020 में शुरू हुई कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी (Global Partnership on Artificial Intelligence) का संस्थापक सदस्य है और उसने दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में इसके शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी। भारत ने फरवरी 2025 में पेरिस में AI एकशन समिट की सह-अध्यक्षता की, और ET के अनुसार उसने इस वर्ष फरवरी में AI इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी की, जहां उसने ऐसी संस्था पर जोर दिया जो उभरते बाज़ारों को नियम-निर्माण में वास्तविक स्थान दे।

1. GS2 पूछता है कि बड़ी शक्तियों की नीतियां भारत के हितों को कैसे प्रभावित करती हैं — पाठ्यक्रम में “भारत से जुड़े और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते” तथा विकसित देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव शामिल है। अमेरिका-चीन शिखर सम्मेलन ऐसे संबंध का सबसे शुद्ध उदाहरण है जिसमें भारत पक्षकार नहीं है, फिर भी जो एशिया में व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पर उसके विकल्पों को आकार

देता है।

2. **प्रारंभिक परीक्षा प्रौद्योगिकी-नियंत्रण व्यवस्थाओं और महत्वपूर्ण खनिजों को परखती है** — निर्यात-नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत की सदस्यता — MTCR, वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह, तथा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से उसका बाहर रहना — सदस्यता-आधारित प्रश्नों के उस प्रारूप में सटीक बैठती है जो प्रारंभिक परीक्षा को प्रिय है। दुर्लभ मृदा, महत्वपूर्ण खनिज और उनके उपयोग एक उभरता विषय है, और खनन, शोधन तथा चुंबकों में हिस्सेदारी के आज के आंकड़े बताते हैं कि परीक्षक इनमें रुचि क्यों लेता है।
3. **AI विज्ञान के विषय से आगे बढ़कर शासन का विषय बन गया है** — GS3 में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता और GS2 में वैश्विक शासन शामिल है; AI अब दोनों में आता है। जो उत्तर भारत को नियंत्रित पहुंच के अमेरिकी मॉडल और खुले वितरण के चीनी मॉडल के बीच रखकर भारत के अपने मिशन और शिखर-सम्मेलन कूटनीति के साथ प्रस्तुत कर सके, वह अलग दिखेगा।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- दुर्लभ मृदा तत्व 17 तत्वों का समूह हैं, जिसमें 15 लैंथेनाइड के साथ स्कैंडियम और इट्रियम शामिल हैं।
- परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम IREL (इंडिया) लिमिटेड समुद्र-तट की रेत के खनिजों का प्रसंस्करण करता है, जिनमें दुर्लभ मृदा का स्रोत मोनाज़ाइट भी शामिल है।
- भारत 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, 2017 में वासेनार व्यवस्था और 2018 में ऑस्ट्रेलिया समूह का सदस्य बना; वह परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य नहीं है।
- SCOMET दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं — विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियां — की भारत की सूची है, जिनका निर्यात विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत विनियमित होता है।
- मार्च 2024 में स्वीकृत IndiaAI मिशन को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अधीन IndiaAI स्वतंत्र व्यापार प्रभाग लागू करता है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी 2020 में शुरू हुई थी और भारत इसका संस्थापक सदस्य है।
- नवंबर 2024 में अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों ने पुष्टि की कि परमाणु हथियारों के उपयोग के निर्णयों पर नियंत्रण कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नहीं, मनुष्यों का ही रहना चाहिए।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. **भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए G2 का संधि होना जरूरी नहीं; द्विपक्षीय सौदों का एक सिलसिला ही काफी है** — ET के संपादकीय का अनुमान है कि असली लेन-देन टैरिफ राहत के बदले दुर्लभ मृदा का होगा — वही सूची जो मई में थी। ऐसा हर सौदा कीमतें, लाइसेंस और मानक तय करता है, जिनके साथ तीसरे देशों को बिना किसी परामर्श के जीना पड़ता है। भारत पर असर पड़ने के लिए यह जरूरी नहीं कि वह किसी औपचारिक अमेरिकी-चीनी संयुक्त आधिपत्य से डरे; इसके लिए इतना ही काफी है कि दोनों को फोन पर मामले निपटाने की आदत पड़ जाए। विरोधी तर्क मजबूत है: पेंटागन द्वारा अलीबाबा और BYD को सूचीबद्ध करना, चिप पर अंकुश और ताइवान विवाद दिखाते हैं कि संरचनात्मक प्रतिद्वंद्विता बनी हुई है; और श्री कृष्णन के सूत्र किसी बड़े सौदे की नहीं, बल्कि एक न्यूनतम आधार की बात करते हैं। इसलिए भारत के लिए जोखिम स्थायी नहीं, बल्कि रह-रहकर उभरने वाला (episodic) है, पर खनिजों और AI से जुड़े ऐसे प्रसंग निर्णायक साबित हो सकते हैं।
2. **बीजिंग की 'एशियाई समाधान' वाली पंक्ति असल में चीन-केंद्रित एशिया का तर्क है** — क्षेत्रीय मामलों का "नेतृत्व और प्रबंधन स्वयं एशियाई देशों द्वारा" किए जाने का ली कार्ड का आह्वान शी जिनपिंग के 2014 के उस वक्तव्य की प्रतिध्वनि है, जो उन्होंने एशिया में परस्पर संवाद और विश्वास-निर्माण उपायों पर सम्मेलन (Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia) में दिया था — कि एशिया के मामले चलाना एशिया के लोगों का काम है। इसे बीजिंग में प्रचलित इस धारणा के साथ पढ़ें कि श्री ट्रंप एशिया में अमेरिकी रुचि घटाना पहले ही शुरू कर चुके हैं, तो यह ऐसी व्यवस्था का चित्र बनता है जिसमें सबसे बड़ी एशियाई शक्ति शर्तें तय करती है। चीन के साथ अनसुलझी सीमा का सामना कर रहे भारत के लिए अमेरिका की घटती भूमिका अकेले संतुलन साधने की कीमत बढ़ा देती है; द हिंदू अलग से ध्यान दिलाता है कि भारत लगातार तीसरे वर्ष क्वाड (Quad) शिखर सम्मेलन की मेज़बानी नहीं कर पाया है। विरोधी तर्क यह है कि अमेरिका की घटती उपस्थिति दूसरे साझेदार की तलाश कर रहे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए भारत का महत्व बढ़ा सकती है — पर तभी, जब भारत केवल बयानबाज़ी नहीं, वास्तविक क्षमता लेकर आए।
3. **AI मॉडल नहीं, चुंबक भारत की सबसे तात्कालिक कमज़ोरी हैं** — शोधन और चुंबक उत्पादन में

चीन की हिस्सेदारी का अर्थ है कि वह जब चाहे आपूर्ति का गला दबा सकता है, जैसा कि अगस्त में अमेरिका को होने वाली खेप में 21% की गिरावट दिखाती है। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा निर्माता भी इन्हीं चुंबकों पर निर्भर हैं; और भारत का अपना प्रसंस्करण बहुत छोटा है। जनवरी 2027 से चीनी स्रोत वाले चुंबकों पर रोक लगाने वाला पेंटागन का नियम दोधारी है: यह एक गैर-चीनी बाज़ार तैयार करता है जिसकी आपूर्ति भारत कर सकता है, बशर्ते वह पृथक्करण और चुंबक निर्माण की क्षमता तेज़ी से खड़ी करे। 2023 के संशोधन के तहत नीलामियां और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरुआत भर हैं, क्योंकि प्रसंस्करण के लिए वर्षों के निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारों की ज़रूरत होती है। तब तक दुर्लभ मृदा पर अमेरिका-चीन का हर सौदा ऐसा सौदा है जिसे भारत को अपनी आपूर्ति के नज़रिए से पढ़ना होगा।

4. AI के नियमों पर भारत का प्रभाव बराबर के रचयिता के रूप में नहीं, बल्कि पलड़ा झुकाने वाले पक्ष (swing constituency) के रूप में है — श्री भट्टाचारजी दो मॉडल रेखांकित करते हैं: अमेरिका निर्यात नियंत्रणों और विश्वसनीय-साझेदार सूचियों के साथ एक “संशुल्क सीढ़ी” (paid ladder) बेचता है, जबकि चीन सस्ते, डाउनलोड किए जा सकने वाले मॉडलों और WAICO के 28 साझेदारों के साथ “खुला दरवाज़ा” पेश करता है। BRICS के अध्यक्ष और G7 के साझेदार के रूप में भारत दोनों खेमों में है, और अपने मॉडल को वैश्विक बनाने के लिए दोनों को उसके बाज़ार, प्रतिभा और समर्थन की ज़रूरत है। यदि भारत इसका उपयोग कंप्यूट तक पहुंच और मानक-निर्धारण में स्थान मांगने के लिए करे, तो पलड़ा झुकाने की यह स्थिति मोलभाव की वास्तविक शक्ति है। विरोधी तर्क यह है कि क्षमता के बिना प्रभाव खोखला होता है: जनवरी 2025 के अमेरिकी चिप नियम ने दिखाया कि भारत को कितनी आसानी से मध्य श्रेणी में रखा जा सकता है। IndiaAI मिशन के कंप्यूट और मॉडल वाले स्तंभ ही पलड़ा झुकाने वाले इस मत को मेज़ पर पक्की सीट में बदलते हैं।

5. संकीर्ण AI सुरक्षा एजेंडा स्थिरता के लिए अच्छा है, पर समावेशन के लिए बुरा — श्री भट्टाचारजी लिखते हैं कि जो हासिल किया जा सकता है, वह है “दुर्घटनावश टकराव से बचना”: राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर AI से जुड़ी घटनाओं की सूचना देने का तंत्र, और AI को परमाणु कमान से बाहर रखने पर 2024 की सहमति की पुनः पुष्टि। ये शीत युद्ध की हॉटलाइनों जैसे संकट-प्रबंधन के औज़ार हैं, और इनके होने पर दुनिया इनके न होने की तुलना में अधिक सुरक्षित है। पर जो विषय मेज़ से बाहर रह जाते हैं — डेटा केंद्रों की ऊर्जा मांग, लिथोग्राफी के अवरोध बिंदु, व्यवहार में (de facto) मानक तय करते ओपन-वेट मॉडल, गैलियम और जर्मेनियम — वास्तव में नियम वहीं बन रहे हैं। धीरज नय्यर जोड़ते हैं कि कोई भी पक्ष अपनी रफ़्तार धीमी नहीं करेगा, क्योंकि AI की होड़ इस प्रतिद्वंद्विता की हथियार और अंतरिक्ष होड़ है। भारत का हित अग्रणी मॉडलों (frontier models) पर नियंत्रण के नॉर्वे-फिनलैंड के आह्वान जैसे बहुपक्षीय प्रयासों का समर्थन करने में है, ताकि एक द्विपक्षीय न्यूनतम आधार किसी निजी क्लब में न बदल जाए।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अमेरिका-चीन सहमति महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता को स्थिर तो कर सकती है, पर इससे मध्यम शक्तियों के ‘नियम मानने वाले’ बनकर रह जाने का खतरा है।” भारत के हितों के संदर्भ में चर्चा कीजिए, और सुझाएं कि भारत को स्वयं को किस प्रकार स्थापित करना चाहिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

- भूमिका** — 24 सितंबर से वाशिंगटन में हो रहे ट्रंप-शी शिखर सम्मेलन, मई में घोषित “रणनीतिक स्थिरता के रचनात्मक संबंध”, बेसैंट और हे लिफेंग द्वारा स्थापित AI संवाद, तथा भारत और पूरे क्षेत्र में “G2” को लेकर चिंता से परिचय कराएं।
- मुख्य भाग** — स्थिरता भारत के लिए क्यों लाभदायक है — तर्क दें कि अमेरिका-चीन संबंधों के नीचे न्यूनतम आधार हिंद-प्रशांत में संघर्ष का जोखिम घटाता है, वैश्विक व्यापार पर टैरिफ के झटकों को कम करता है, और AI पर संकट-प्रबंधन के औज़ारों की संभावना बढ़ाता है, जैसे घटनाओं की सूचना और AI को परमाणु कमान से बाहर रखना।
- मुख्य भाग** — भारत के ‘नियम मानने वाला’ बनने का खतरा क्यों — दुर्लभ मृदा के आंकड़ों (लगभग 70% खनन, 85% शोधन, करीब 90% चुंबक), अगस्त की 21% कटौती, 10 नवंबर को संघर्ष-विराम की समाप्ति और पेंटागन के 2027 के नियम का उपयोग करें; अमेरिका की नियंत्रित पहुंच की तुलना चीन के खुले वितरण और WAICO से करें; ‘एशियाई समस्याओं के एशियाई समाधान’ पर चीनी विचारों का उल्लेख करें।
- मुख्य भाग** — भारत की स्थिति-निर्धारण — राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण क्षमता बनाने, IndiaAI मिशन के तहत कंप्यूट का विस्तार करने, समावेशी AI नियम-निर्माण के लिए BRICS और G7 आउटरीच में भारत की दोहरी स्थिति का उपयोग करने, बहुपक्षीय सत्यापन पहलों का समर्थन करने और क्वाड को पुनर्जीवित करने की सिफारिश करें।
- निष्कर्ष** — निष्कर्ष दें कि दो-शक्ति वाले विश्व में सामरिक स्वायत्तता क्षमता पर निर्भर है:

नियमों पर भारत से परामर्श केवल उन्हीं क्षेत्रों में होगा जहां वह कुछ ऐसा उत्पादन करता है जिसकी दूसरों को ज़रूरत है।

प्रश्न 1. आप खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता चेतावनी देते हैं कि दुर्लभ मृदा चुंबकों का उनका भंडार कुछ ही सप्ताह में खत्म हो जाएगा। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं सबसे पहले हर कंपनी के भंडार और आवश्यकताओं का ब्योरा तैयार करूंगा, ताकि कमी को अफवाहों के बजाय आंकड़ों से मापा जाए। मैं विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिलकर लंबित निर्यात लाइसेंसों के लिए प्रयास करूंगा, साझेदार देशों में वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करूंगा, और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एक छोटा सामरिक भंडार बनाने की संभावना तलाशूंगा। साथ ही मैं महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी और प्रसंस्करण साझेदारियों को तेज़ करूंगा, और पुराने इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ से चुंबकों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा दूंगा। स्थायी समाधान घरेलू प्रसंस्करण है, और हर संकट उसे आगे बढ़ाने का अवसर है।

प्रश्न 2. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव के रूप में, यदि अमेरिका-चीन की कोई AI व्यवस्था ऐसे मानक तय कर दे जिन्हें विदेश में सेवाएं बेचने के लिए भारतीय कंपनियों को पूरा करना पड़े, तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारण निकायों में, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ISO-IEC की संयुक्त समिति भी शामिल है, शुरुआत से ही सक्रिय भागीदारी करूंगा, ताकि पाठ के पक्का होने से पहले ही भारतीय चिंताएं उसमें जगह पा सकें। मैं घरेलू परीक्षण और मूल्यांकन क्षमता विकसित करूंगा, ताकि भारतीय कंपनियां देश में ही अनुपालन का प्रमाणन करा सकें। मैं अन्य मध्यम शक्तियों के साथ मिलकर पारस्परिक मान्यता (mutual recognition) की कोशिश करूंगा, ताकि कोई द्विपक्षीय मानक कई स्वीकृत रास्तों में से केवल एक बनकर रह जाए। और मैं सुनिश्चित करूंगा कि केवल बड़ी ही नहीं, छोटी भारतीय कंपनियों को भी यह मार्गदर्शन मिले कि अनुपालन के लिए क्या-क्या आवश्यक है।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: जब दो महाशक्तियां भारत के सिर के ऊपर से सौदे कर सकती हैं, तब क्या सामरिक स्वायत्तता अब भी संभव है?

दृष्टिकोण (Approach): हां, पर इसे नए सिरे से परिभाषित करना होगा। सामरिक स्वायत्तता कभी भी समान दूरी (equidistance) नहीं थी; यह मामला-दर-मामला भारत के हित तय करने और हर पक्ष में साझेदार रखने की स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता अब खनिजों, चिप्स और AI में क्षमता पर निर्भर है, क्योंकि किसी देश से परामर्श वहीं होता है जहां उसका महत्व हो। BRICS और G7 आउटरीच दोनों में भारत की उपस्थिति, तथा जापान, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के साथ उसकी साझेदारियां उसे ऐसे विकल्प देती हैं जो किसी छोटे देश के पास नहीं होते।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

4.3 जयशंकर ने रुबियो के सामने SRIA का मुद्दा उठाया, सुरक्षा परिषद सुधार पर ज़ोर दिया; कश्मीर पर भारत ने OIC को खारिज किया

समाचार (THE NEWS) न्यूयॉर्क और नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार, 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly — UNGA) के 81वें सत्र के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा शुक्रवार को लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act — SRIA) पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद दोनों राजधानियों के बीच यह पहली आधिकारिक चर्चा थी। इस पत्रिका के 18 और 21 सितंबर के काडों के बाद नई बात यह है कि भारत ने सीधे अपना विरोध दर्ज कराया है। श्री जयशंकर ने पोस्ट किया कि उन्होंने “SRIA के संबंध में भारत के हितों और चिंताओं को दोहराया”। यह कानून रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक के टैरिफ का प्रावधान करता है और ईरान के साथ व्यापार पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाता है; द हिंदू के अनुसार एक निर्धारित एक महीने की अवधि के बाद इसकी मार भारत पर पड़ सकती है। ये द्वितीयक प्रतिबंध (secondary sanctions) हैं, यानी किसी लक्षित देश के साथ व्यापार करने पर तीसरे देशों पर लगाया जाने वाला दंड। दांव कितना बड़ा है, इस पर अखबारों के आंकड़े अलग-अलग हैं: द हिंदू कहता है कि रूसी यूराल्स कच्चा तेल भारत के कच्चे तेल आयात का “इस समय 51%” है, जबकि ET के अनुसार भारत ने अगस्त में रूस से प्रतिदिन 20.8 लाख बैरल तेल खरीदा, जो कुल आयात का 45% था। श्री रुबियो ने इस मुद्दे को टाल दिया और पोस्ट किया कि दोनों देश “अमेरिका-भारत सामरिक साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं”; वे अगले महीने भारत आएंगे। ट्रंप-मोदी मुलाकातों की तैयारी चल रही है, संभवतः नवंबर में आसियान (ASEAN) शिखर सम्मेलन में और दिसंबर के मध्य में मियामी में होने वाले G20 में, जिसकी मेज़बानी श्री ट्रंप कर रहे हैं; लगातार तीसरे वर्ष भारत क्वाड (Quad) शिखर सम्मेलन की मेज़बानी नहीं कर पाया है। मंगलवार को ‘समान विचारधारा वाले ग्लोबल साउथ देशों और मित्रों की उच्च-स्तरीय बैठक’ (High-Level Meeting of Like-Minded Global South Countries and Friends) की अध्यक्षता करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ “वैश्विक संकटों की अगली पंक्ति में है, पर निर्णय-निर्माण की पिछली पंक्ति में”; उन्होंने उससे आग्रह किया कि वह आपूर्ति शृंखलाओं, वित्त या संपर्क-व्यवस्था (connectivity) में अवरोध बिंदुओं (chokepoints) को “न स्वीकार करे, न वैधता दे”, और कहा कि ऊर्जा की उपलब्धता और कीमतों के साथ “राजनीतिक उद्देश्यों के लिए छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए”। G4 के विदेश मंत्रियों — भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान — ने अधिक प्रतिनिधिक सुरक्षा परिषद के प्रश्न पर बैठक की। बुधवार को विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस्लामी सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation — OIC) के जम्मू-कश्मीर संपर्क समूह (Contact Group on J&K) द्वारा जम्मू और कश्मीर के उल्लेखों को “स्पष्ट रूप से खारिज” कर दिया; समूह की विज्ञप्ति ने मई 2025 में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत के हमलों को “गैरकानूनी” बताया था। द हिंदू के अनुसार इस

समूह में अजरबैजान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये हैं; एक्सप्रेस नाइजर का नाम भी गिनाता है। तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगान ने मंगलवार को UNGA में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। विदेश मंत्रालय ने कहा, “OIC को उन मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार (locus standi) नहीं है जो पूरी तरह भारत के आंतरिक मामले हैं।” पाठ्यक्रम में इसका संबंध सामान्य अध्ययन-2 के भारत-अमेरिका संबंध, वैश्विक समूह और संयुक्त राष्ट्र वाले हिस्सों से है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

यूक्रेन पर रूस का युद्ध पांचवें वर्ष में प्रवेश करता है और रियायती रूसी कच्चा तेल बढ़कर भारत के आयात का लगभग आधा हो जाता है → अमेरिकी कांग्रेस SRIA पारित करती है और राष्ट्रपति ट्रंप उस पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें रूसी ऊर्जा के खरीदारों पर 100% तक के टैरिफ का प्रावधान है → भारत संबंधों और ऊर्जा बाजार पर “निहितार्थी” की चेतावनी देता है → जयशंकर UNGA में रबियो के सामने SRIA का मुद्दा उठाते हैं और साथ ही ऐसे नियम बनाने वाली संस्थाओं में आवाज़ पाने के लिए ग्लोबल साउथ और G4 को एकजुट करते हैं → OIC संपर्क समूह इसी सप्ताह का उपयोग कश्मीर का अंतरराष्ट्रीयकरण करने में करता है, और भारत उसके अधिकार (locus standi) को ही खारिज कर देता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. द्वितीयक प्रतिबंध तीसरे देशों तक पहुंचते हैं, और CAATSA वह पूर्व उदाहरण है जिससे भारत पहले ही निपट चुका है — प्राथमिक प्रतिबंध (primary sanctions) किसी देश के अपने नागरिकों और कंपनियों को लक्षित देश से लेन-देन करने से रोकते हैं; द्वितीयक प्रतिबंध उन तीसरे देशों की इकाइयों को दंडित करते हैं जो लक्षित देश से लेन-देन करती हैं, आमतौर पर उन्हें प्रतिबंध लगाने वाले देश के बाजार या वित्तीय प्रणाली से काटकर। भारत लगातार कहता रहा है कि वह केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से बंधा है, जो सशस्त्र बल के प्रयोग से रहित उपायों के लिए चार्टर के अनुच्छेद 41 के तहत कार्रवाई करती है। अमेरिका का काउंटरिंग अमेरिकी एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, 2017 (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act — CAATSA) अपनी धारा 231 के जरिए रूस के रक्षा और खुफिया क्षेत्रों के साथ ‘महत्वपूर्ण लेन-देन’ को निशाना बनाता है। अमेरिका ने दिसंबर 2020 में S-400 की खरीद को लेकर तुर्किये के विरुद्ध इसका प्रयोग किया, पर उसी प्रणाली के लिए 2018 में हुए भारत के अनुबंध के बावजूद भारत के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। SRIA इससे एक कदम आगे जाता है: वह किसी देश की अमेरिकी बाजार तक पहुंच को, टैरिफ के माध्यम से, उसकी ऊर्जा खरीद से जोड़ देता है।
2. सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए चार्टर संशोधन आवश्यक है, जिसे पांचों स्थायी सदस्य रोक सकते हैं — संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 23 सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 तय करता है: पांच स्थायी सदस्य और दो वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित दस अस्थायी सदस्य। इसका विस्तार केवल एक बार हुआ है — 11 से 15 सदस्य — और वह भी एक ऐसे संशोधन के जरिए जो 1965 में लागू हुआ। अनुच्छेद 108 के तहत किसी भी संशोधन को महासभा के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अंगीकृत और संयुक्त राष्ट्र के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित किया जाना चाहिए, जिनमें पांचों स्थायी सदस्य शामिल हों; इससे उनमें से प्रत्येक को सुधार पर वीटो मिल जाता है। 2009 से सुधार पर चर्चा महासभा में अंतर-सरकारी वार्ता (Intergovernmental Negotiations — IGN) में हो रही है, जो अब भी किसी सहमत वार्ता-पाठ (negotiating text) के बिना चल रही है। भारत आठ बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, सबसे हाल में 2021-22 में।
3. सुधार की बहस को तीन गुट परिभाषित करते हैं: G4, यूनाइटींग फॉर कन्सेंसस और अफ्रीकी संघ — G4 — भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान — का गठन 2004 में एक-दूसरे की स्थायी सीट की दावेदारी का समर्थन करने और सदस्यता की दोनों श्रेणियों के विस्तार के लिए हुआ था। यूनाइटींग फॉर कन्सेंसस (Uniting for Consensus), जिसका नेतृत्व इटली करता है और जिसमें पाकिस्तान, अर्जेंटीना, मेक्सिको और दक्षिण कोरिया शामिल हैं, नई स्थायी सीटों का विरोध करता है और उनके बदले लंबे कार्यकाल वाली अस्थायी सीटों का प्रस्ताव रखता है। अफ्रीकी संघ (African Union) की 2005 की एज़ुल्विनी सहमति (Ezulwini Consensus) अफ्रीका के लिए कम से कम दो स्थायी सीटों की मांग करती है, जिनके साथ वीटो सहित मौजूदा सदस्यों के सभी विशेषाधिकार हों, और साथ ही पांच अस्थायी सीटों की भी। G4 के 2005 के मसौदे में यह पेशकश थी कि नए स्थायी सदस्य पंद्रह वर्ष बाद होने वाली समीक्षा तक वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे; यही लचीलापन उसे अफ्रीकी रुख से अलग करता है।
4. OIC 57 देशों की आवाज़ है, और भारत उसे कश्मीर पर कोई भूमिका नहीं देता — इस्लामी सहयोग संगठन की स्थापना 1969 में अल-अक्सा मस्जिद पर आगज़नी के हमले के बाद खात में हुए एक शिखर सम्मेलन में हुई थी, और इसका मुख्यालय जेद्दा में है; 57 सदस्य देशों के साथ यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है। 1990 के दशक में गठित इसका जम्मू-कश्मीर संपर्क समूह ऐसे बयान जारी करता है जिनका उपयोग पाकिस्तान इस मुद्दे के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए करता है। भारत इसका सदस्य नहीं है, हालांकि 2019 में अबु धाबी में हुई OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद (Council of Foreign Ministers) की बैठक में उसे ‘सम्मानित अतिथि’ (guest of honour) के रूप में आमंत्रित किया गया था। भारत का रुख 1972 के शिमला समझौते पर टिका है, जो भारत और पाकिस्तान को अपने मतभेद द्विपक्षीय रूप से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध करता है, और अगस्त 2019 के बदलावों पर, जब अनुच्छेद 370 का प्रवर्तन समाप्त हुआ और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (Jammu and Kashmir

	Reorganisation Act, 2019) ने जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया; सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति को वैध ठहराया।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	सामान्य अध्ययन-2 में अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, उनकी संरचना और अधिदेश शामिल हैं — मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों से यह चर्चा करने को कहा गया है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पाने के प्रयास में भारत के सामने कौन-सी बाधाएं हैं। अनुच्छेद 108, IGN तथा G4, यूनाइटेड फॉर कन्सेंसस और अफ्रीकी संघ के रुख ऐसे किसी भी उत्तर का मूल हैं, और न्यूयॉर्क में हुई G4 की बैठक इन्हें ताज़ा कर देती है। भारत-अमेरिका संबंधों को प्रतिबंधों और सामरिक स्वायत्तता के नज़रिए से परखा जाता है — S-400 को लेकर CAATSA प्रकरण भारत की सामरिक स्वायत्तता (strategic autonomy) पर लिखे जाने वाले उत्तरों का मानक उदाहरण बन गया। SRIA, जो ऊर्जा खरीद को निर्यात पर टैरिफ से जोड़ता है, उसकी कहीं अधिक तीखी अगली कड़ी है, और परीक्षक इसे आर्थिक दबाव (economic coercion) या भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर प्रश्न के रूप में ढाल सकता है। प्रारंभिक परीक्षा सदस्यता और समूहों के बारे में पूछती है — G4 में कौन-कौन है, यूनाइटेड फॉर कन्सेंसस का नेतृत्व कौन करता है, क्या भारत OIC का सदस्य है और OIC का मुख्यालय कहाँ है — ये प्रारंभिक परीक्षा के क्लासिक प्रारूप हैं। संपर्क समूह को लेकर दोनों अखबारों की अलग-अलग सूचियां याद दिलाती हैं कि किसी एक दिन की रिपोर्टिंग के बजाय स्थायी तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 के तहत संशोधन तब लागू होते हैं जब उन्हें महासभा के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अंगीकृत और सुरक्षा परिषद के सभी पांच स्थायी सदस्यों सहित संयुक्त राष्ट्र के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित कर दिया जाए। 1965 में लागू हुए एक चार्टर संशोधन द्वारा सुरक्षा परिषद का विस्तार 11 से 15 सदस्यों तक किया गया। - G4 में भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं। - अफ्रीकी संघ की एजुल्विनी सहमति सुरक्षा परिषद में अफ्रीका के लिए वीटो सहित कम से कम दो स्थायी सीटों और पांच अस्थायी सीटों की मांग करती है। - इस्लामी सहयोग संगठन की स्थापना 1969 में हुई थी, इसके 57 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय जेद्दा में है; भारत इसका सदस्य नहीं है। - अमेरिका के काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैंक्शंस एक्ट, 2017 की धारा 231 रूस के रक्षा और खुफिया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन को निशाना बनाती है। - संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 41 सुरक्षा परिषद को सशस्त्र बल के प्रयोग से रहित उपायों, जिनमें आर्थिक प्रतिबंध भी शामिल हैं, पर निर्णय लेने का अधिकार देता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	SRIA भारत की रिफाइनरियों के फैसलों की कीमत उसके निर्यातकों से वसूलता है, और यही उसे दबावकारी बनाता है — रूसी तेल खरीदने की सज़ा के रूप में अमेरिका को भारत के निर्यात पर लगने वाला टैरिफ उन रिफाइनरियों पर नहीं पड़ता जिन्हें रियायती कच्चे तेल से लाभ होता है; उसकी मार वस्त्र, रत्न और इंजीनियरिंग निर्यातकों पर पड़ती है, जिनका तेल से कोई लेना-देना नहीं। यही बेमेल इस ढांचे का असली उद्देश्य है: इससे देश के भीतर अनुपालन के पक्ष में एक दबाव समूह खड़ा हो जाता है। द हिंदू कहता है कि कानून राष्ट्रपति को कार्रवाई का “आदेश” देता है, जबकि एक्सप्रेस कहता है कि वह उन्हें इसका “अधिकार” देता है; यह अंतर मायने रखता है, क्योंकि विवेकाधिकार ही वह चीज़ है जिस पर भारत एक महीने की अवधि और श्री रुबियो की यात्रा के दौरान मोलभाव कर सकता है। जैसा कि इस पत्रिका ने 19 सितंबर को उल्लेख किया था, भारत का रिकॉर्ड यह रहा है कि प्रतिबंधों का असर होने पर वह चुपचाप खरीद घटा देता है और ढील मिलते ही लौट आता है। खुले टकराव की नहीं, इसी ढेर की अपेक्षा करें। 45% और 51% का अंतर बताता है कि अनुपालन की कीमत अब कितनी होगी — ET अगस्त में रूस की हिस्सेदारी 45% बताता है; द हिंदू कहता है “इस समय” 51%। दोनों ही स्थितियों में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी ठीक इसलिए बढ़ी है क्योंकि होर्मुज़ की नाकेबंदी है और लाल सागर मार्ग पर हतियों का खतरा मंडरा रहा है, जैसा कि ET उसी दिन बताता है। जिस समय खाड़ी की आपूर्ति का गला घोंटा जा रहा है, उसी समय रूसी तेल को दंडित करने वाला प्रतिबंध कानून भारत से दोहरी कीमत मांगता है — एक बार गंववाई गई रियायतों के रूप में और दूसरी बार दुर्लभ विकल्पों के रूप में। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाज़ार पर “निहितार्थी” को लेकर भारत की चेतावनी का सार यही है। वाशिंगटन का विरोधी दृष्टिकोण, जिसे विदेश विभाग के प्रवक्ता थॉमस पिगॉट ने व्यक्त किया (PTI के हवाले से, एक्सप्रेस में), यह है कि रूस के युद्ध प्रयासों का समर्थन करने वाले देशों को खुद से पूछना चाहिए कि क्या वे “वास्तव में स्थिति को और बदतर

बना रहे हैं”; भारत का उत्तर है कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा ऐसा लीवर नहीं है जिसे वह किसी दूसरी राजधानी के हाथ में सौंप दे।

3. “अवरोध बिंदुओं” वाली बात का निशाना वाशिंगटन और बीजिंग दोनों हैं — जब श्री जयशंकर ने ग्लोबल साउथ से आपूर्ति शृंखलाओं, वित्त या संपर्क-व्यवस्था में अवरोध बिंदुओं को “न स्वीकार करने, न वैधता देने” को कहा, तो हर शब्द का एक निशाना था: चीन के दुर्लभ मृदा (rare-earth) निर्यात नियंत्रण, डॉलर-आधारित प्रतिबंध प्रणाली, और जलडमरूमध्यों का बंद किया जाना। तीनों को एक ही समस्या के रूप में प्रस्तुत करने से भारत किसी खेमे को चुने बिना ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर पाता है, और यह बात इस पंक्ति के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ती है कि ऊर्जा की कीमतों के साथ “राजनीतिक उद्देश्यों के लिए छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए”। ईमानदार विरोधी तर्क यह है कि भारत ने स्वयं भी निर्यात पर रोक लगाई है — 2022 में गेहूं पर और 2023 में गैर-बासमती सफेद चावल पर — जिसे आयातक देशों ने लगभग इन्हीं शब्दों में बयान किया था। ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में भारत की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि वह स्वीकार करे कि यह सिद्धांत उस पर भी लागू होता है।
4. सुरक्षा परिषद सुधार भारत के दावे की कमजोरी के कारण नहीं, अनुच्छेद 108 के गणित के कारण अटका है — G4 हर सितंबर में बैठक करता है और हर सितंबर IGN कोई वार्ता-पाठ तैयार नहीं कर पाती, क्योंकि किसी भी बदलाव के लिए पांचों स्थायी सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है, और पाकिस्तान सहित यूनाइटेड फॉर कन्सेंसस किसी पाठ को उभरने से रोकने में लगा रहता है। चीन ने भारत या जापान की स्थायी सदस्यता का कभी समर्थन नहीं किया। भारत का व्यावहारिक मार्ग यह है कि वह अफ्रीका की एज़ल्विनी मांग के साथ खड़ा हो, क्योंकि 54 अफ्रीकी देशों की अनदेखी करने वाला कोई सुधार पारित नहीं हो सकता, और पाठ-आधारित वार्ता पर ज़ोर दे, जिससे यह उजागर हो कि अड़ंगा कौन लगा रहा है। विरोधी तर्क यह है कि भारत को अभी लंबे कार्यकाल वाली या अर्ध-स्थायी सीट से संतोष कर लेना चाहिए; जोखिम यह है कि अंतरिम फॉर्मूला ही स्थायी बन जाए, और यूनाइटेड फॉर कन्सेंसस ठीक यही चाहता है।
5. OIC को खारिज करना सामान्य बात है, पर सूची में सऊदी अरब का नाम ही असली संकेत है — कश्मीर पर संपर्क समूह की विज्ञप्तियां एक वार्षिक रस्म हैं, और भारत द्वारा उन्हें खारिज करना भी उतनी ही रस्मी बात है। ध्यान देने योग्य है इसकी विषय-वस्तु — मई 2025 में आतंकी ठिकानों पर भारत के हमलों को “गैरकानूनी” कहना — और इसकी सदस्यता, जिसमें भारत का करीबी साझेदार सऊदी अरब भी है और तुर्किये भी, जिसके राष्ट्रपति ने मंगलवार को, जिस दिन समूह की बैठक हुई, अपने UNGA संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्रालय का यह कहना कि ऐसे बयान “OIC की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न” खड़े करते हैं, साधारण खंडन के पुराने फॉर्मूले से अधिक कड़े स्वर का संकेत है। विरोधी तर्क यह है कि अति-प्रतिक्रिया विज्ञप्ति को वह प्रचार दे देती है जो उसे अन्यथा न मिलता। विवेकपूर्ण तरीका यह है कि खाड़ी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को OIC की रटी-रटाई भाषा से अलग रखा जाए और हर बयान का संक्षिप्त तथा दृढ़ उत्तर दिया जाए।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

एकतरफा द्वितीयक प्रतिबंध और बहुपक्षीय संस्थाओं का ठप पड़ा सुधार मिलकर भारत की सामरिक स्वायत्तता को सीमित करते हैं। अमेरिका के सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए भारत के अभियान के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — 81वीं UNGA में श्री जयशंकर द्वारा श्री रुबियो के सामने SRIA का मुद्दा उठाने, और उनकी इस टिप्पणी से शुरुआत करें कि ग्लोबल साउथ संकटों की अगली पंक्ति में है पर निर्णय-निर्माण की पिछली पंक्ति में।
2. मुख्य भाग — प्रतिबंधों का शिकंजा — द्वितीयक प्रतिबंधों, SRIA के 100% तक के टैरिफ और एक महीने की अवधि, भारत के दांव (ET के अनुसार अगस्त में कच्चे तेल आयात का 45%, द हिंदू के अनुसार 51%) और CAATSA के पूर्व उदाहरण को समझाएं। दिखाएं कि इसकी कीमत निर्यातकों को चुकानी पड़ती है और खाड़ी की आपूर्ति स्वयं अवरुद्ध है।
3. मुख्य भाग — बहुपक्षीय कमी — अनुच्छेद 108, बिना वार्ता-पाठ वाली IGN, तथा G4, यूनाइटेड फॉर कन्सेंसस और अफ्रीकी संघ की एज़ल्विनी सहमति — इन तीन रुखों को समझाएं। इसे इस बात से जोड़ें कि कमजोर बहुपक्षीय साधनों द्वारा छोड़ी गई खाली जगह को एकतरफा साधन क्यों भर देते हैं।
4. मुख्य भाग — भारत का उत्तर — व्यापार समझौते और शिखर बैठकों के जरिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता, कच्चे तेल के स्रोतों का विविधीकरण, अवरोध बिंदुओं के विरुद्ध ग्लोबल साउथ में गठबंधन-निर्माण, सुधार पर अफ्रीका के साथ तालमेल, और कश्मीर के अंतरराष्ट्रीयकरण के OIC के प्रयास को दृढ़ता से खारिज करना — इन सबको शामिल करें।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दें कि सामरिक स्वायत्तता का प्रयोग अकेले मोर्चा संभालकर नहीं, बल्कि अनेक साझेदारियों के माध्यम से होता है, और सुधारक के रूप में भारत की विश्वसनीयता इस पर निर्भर है कि वह अपने ही सिद्धांतों को सुसंगत ढंग से लागू करे।

प्रश्न 1. आप विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (अमेरिका) हैं और अगले महीने श्री रुबियो की भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। SRIA पर तैयार की जाने वाली ब्रीफ में क्या-क्या होगा?

दृष्टिकोण (Approach): ब्रीफ में भारत के कच्चे तेल के मिश्रण को दोनों आंकड़ों का मिलान करते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और यह दिखाया जाना चाहिए कि होमरुज और लाल सागर के कारण खाड़ी की आपूर्ति बाधित है, इसलिए रूसी बैरलों का विकल्प आसानी से नहीं मिल सकता। इसमें यह तर्क होना चाहिए कि भारत की खरीद ने वैश्विक कीमतों को नीचे रखने में मदद की है, जिसका लाभ अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी मिलता है। इसमें राष्ट्रपति के विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए छूट (waiver) या चरणबद्ध रास्ते की मांग होनी चाहिए, और प्रगति को व्यापार समझौते तथा उस क्वाड शिखर सम्मेलन से जोड़ा जाना चाहिए जिसकी मेज़बानी भारत करना चाहता है। इसमें यह भी साफ-साफ लिखा होना चाहिए कि भारत क्या स्वीकार नहीं करेगा, ताकि बातचीत भटके नहीं।

प्रश्न 2. वाणिज्य मंत्रालय के सचिव के रूप में आप निर्यातकों को इस संभावना के लिए कैसे तैयार करेंगे कि एक महीने की अवधि के बाद SRIA के टैरिफ लागू हो जाएं?

दृष्टिकोण (Approach): मैं उन क्षेत्रों और क्लस्टरों की पहचान करूंगा जो अमेरिकी बाज़ार पर सबसे अधिक निर्भर हैं, और टैरिफ के अलग-अलग स्तरों पर इसके प्रभाव का आकलन (मॉडलिंग) करूंगा। मैं मौजूदा और नए व्यापार समझौतों का उपयोग करते हुए बाज़ार विविधीकरण के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ काम करूंगा। मैं वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर ऋण और व्याज सहायता के विकल्प तैयार करूंगा, ताकि छोटे निर्यातक पहली ही तिमाही में ढह न जाएं। और मैं पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ संवाद का एक माध्यम खुला रखूंगा, क्योंकि टैरिफ को ट्रिगर करने वाला निर्णय मेरे मंत्रालय के दायरे से बाहर है।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत को कश्मीर पर OIC के हर बयान का उत्तर देना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): भारत को उत्तर देना चाहिए, पर संक्षेप में, क्योंकि बहुपक्षीय अभिलेखों में चुप्पी को स्वीकृति माना जा सकता है। उत्तर में कानूनी स्थिति दोहराई जानी चाहिए — कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और शिमला समझौते के तहत यह मामला द्विपक्षीय है — पर विज्ञप्ति को अनावश्यक प्रचार दिए बिना। असली काम खाड़ी और अन्य मुस्लिम-बहुल देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में है, जहां भारत के रिश्ते मज़बूत हैं। ऊंचे स्तर की अपेक्षा शांत और सुसंगत रख अधिक प्रभावी होता है।

4.4 BRICS 'विश्वसनीय बहुपक्षवाद' के रूप में: दिल्ली शिखर सम्मेलन के बाद भारत BRICS के दो नए कर कार्य समूहों का नेतृत्व करेगा

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। आज के दो लेख भारत के BRICS अध्यक्षता वर्ष को इस पत्रिका के 17 सितंबर के, शिखर सम्मेलन के बाद की कूटनीति वाले कार्ड से आगे ले जाते हैं। द हिंदू में वर्गीज़ के. जॉर्ज और स्टैनली जॉनी का तर्क है कि 12-13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में हुआ 18वां BRICS शिखर सम्मेलन इसलिए सफल रहा क्योंकि नई दिल्ली ने 11 सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाई — जिनमें UAE और ईरान भी हैं, जो “एक अधोषित संघर्ष में उलझे हैं” — और दिल्ली घोषणापत्र (Delhi Declaration) तैयार किया। 28 फरवरी, 2026 को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर युद्ध छेड़ने के बाद यह पहला BRICS शिखर सम्मेलन था, और यह ईरान, रूस और चीन के राष्ट्रपतियों को दिल्ली लाया। लेखक याद दिलाते हैं कि बमबारी शुरू होने से दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज़राइल में थे और भारत ने शुरुआत में न तो हमलों की निंदा की, न ही अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की, पर बाद में हमलों की निंदा करने वाले शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation — SCO) के विश्वेक प्रस्ताव का “दृढ़ता से समर्थन” किया और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की मेज़बानी की। उनका तर्क है कि BRICS उच्च-स्तरीय यात्राओं के बिना भी भारत और चीन को एक-दूसरे से जोड़े रखता है, और इसके सदस्य इस पर सहमत हैं कि किसी भी गुट की एकतरफा कार्रवाई हानिकारक है। 16 सितंबर को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित रूस प्रतिबंध विधेयक का हवाला देते हुए वे कहते हैं कि वाशिंगटन दिल्ली को “अधिक अधीनस्थ संबंध” की ओर धकेल रहा है, और निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत को कभी भी “अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा का अग्रिम मोर्चा” नहीं बनना चाहिए। द इकोनॉमिक टाइम्स इसका व्यावहारिक पक्ष सामने रखता है। बुधवार को नई दिल्ली में BRICS कर प्राधिकरण प्रमुखों की बैठक (BRICS Heads of Tax Authorities meeting) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि “अंतरण मूल्य निर्धारण विवादों की कीमत विकासशील देशों के कर प्रशासनों को असमान रूप से अधिक चुकानी पड़ती है”, और यह कि जो राजस्व ढांचे “हमारी राजकोषीय वास्तविकताओं” से मेल नहीं खाते, वे “इस बात को विकृत कर देते हैं कि हमें कैसे देखा जाता है और हम स्वयं को कैसे देखते हैं।” अंतरण मूल्य निर्धारण (transfer pricing) वह कीमत है जिस पर एक ही बहुराष्ट्रीय समूह की कंपनियां सीमाओं के आर-पार आपस में व्यापार करती हैं; इसे गलत तय करने से मुनाफा कम कर वाले देशों में खिसक जाता है। भारत दो प्रस्तावित कार्य समूहों का नेतृत्व करेगा: पहला, अंतरराष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य निर्धारण (International Taxation and Transfer Pricing) पर, जो संधि-व्याख्या, अंतरण मूल्य निर्धारण लेखापरीक्षा, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों (advance pricing agreements) और पारस्परिक करार प्रक्रिया (Mutual Agreement Procedure) के अनुभव साझा करेगा; और दूसरा, राजस्व सांख्यिकी (Revenue Statistics) पर, जो

राजकोषीय प्रदर्शन को इस तरह मापेगा कि उसमें BRICS अर्थव्यवस्थाओं की अपनी संरचनाएं प्रतिबिंबित हों। बैठक ने BRICS कर सहायता नेटवर्क (BRICS Tax Support Network) के विचारार्थ विषयों (terms of reference) को भी मंजूरी दी। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि इन समूहों को दीर्घकालिक तंत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय कर सहयोग पर प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UN Framework Convention on International Tax Cooperation) की वार्ताओं में रुखों के समन्वय में भी मदद करेंगे; ET बताता है कि भारत अपनी वर्तमान अध्यक्षता के बाद भी इनकी निरंतरता चाहता है। पाठ्यक्रम में इसका संबंध सामान्य अध्ययन-2 के वैश्विक समूहों और सामान्य अध्ययन-3 के कराधान से है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

पश्चिम के नेतृत्व वाली संस्थाओं में वैश्विक नियम-निर्माण में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व कम रहता है → BRIC 2009 में अपना पहला शिखर सम्मेलन करता है, दक्षिण अफ्रीका को जोड़ता है और फिर 2024 से विस्तार करता है → ईरान पर अमेरिका-इजराइल युद्ध और अमेरिकी टैरिफ धमकियां समूह की एकता की परीक्षा लेती हैं → 2026 के अध्यक्ष के रूप में भारत सितंबर में 11 सदस्यों की आम सहमति से दिल्ली घोषणापत्र हासिल करता है → भारत अध्यक्षता को स्थायी तंत्र में बदलता है, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र कर कन्वेंशन वार्ताओं से जुड़े दो कर कार्य समूहों से होती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. BRICS चार अर्थव्यवस्थाओं से बढ़कर लगभग एक दर्जन देशों का ऐसा गुट बन गया है जिसका कोई सचिवालय नहीं — BRIC संक्षिप्त नाम 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने गढ़ा था, और चारों देशों ने अपना पहला शिखर सम्मेलन 2009 में येकातेरिनबर्ग में किया; दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। 2023 के जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को प्रवेश दिया गया और वे जनवरी 2024 से सदस्य बने, जबकि निमंत्रण मिलने के बाद से सऊदी अरब की स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है; इंडोनेशिया जनवरी 2025 में शामिल हुआ, और 2024 के कज़ान शिखर सम्मेलन ने 'साझेदार देशों' (partner countries) की एक श्रेणी बनाई। द हिंदू दिल्ली शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों की गिनती करता है। BRICS बारी-बारी से बदलने वाली अध्यक्षता के तहत आम सहमति से काम करता है; इसका न कोई चार्टर है, न स्थायी सचिवालय। भारत इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में इसकी अध्यक्षता कर चुका है।
2. न्यू डेवलपमेंट बैंक और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था ही BRICS की दो ठोस संस्थाएँ हैं — दोनों पर 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेज़ा शिखर सम्मेलन में सहमति बनी थी। शंघाई में मुख्यालय वाले न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank — NDB) की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 100 अरब डॉलर और अभिदत्त पूंजी 50 अरब डॉलर थी, जो पाँचों संस्थापकों में बराबर बंटी थी; इसलिए उनके मताधिकार भी बराबर हैं — IMF और विश्व बैंक के विपरीत, जहाँ मत कोटा के अनुसार तय होते हैं। इसके पहले अध्यक्ष भारत के के.वी. कामत थे, और तब से इसकी सदस्यता बढ़कर बांग्लादेश, UAE और मिस्र तक फैल गई है। आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (Contingent Reserve Arrangement — CRA) कोई कोष नहीं, बल्कि मुद्रा-विनिमय (currency swap) प्रतिबद्धताओं का 100 अरब डॉलर का ढाँचा है, जिसमें चीन की प्रतिबद्धता 41 अरब डॉलर, ब्राज़ील, भारत और रूस की 18-18 अरब डॉलर तथा दक्षिण अफ्रीका की 5 अरब डॉलर है; किसी सदस्य की पहुंच का केवल 30% हिस्सा IMF कार्यक्रम के बिना उपलब्ध है, इसलिए यह ब्रेटन वुड्स प्रणाली का स्थान नहीं लेता, बल्कि उसका पूरक है।
3. अंतरण मूल्य निर्धारण, APA और MAP सीमा-पार कर विवादों के रोज़मर्रा के औज़ार हैं — अंतरण मूल्य निर्धारण के नियम अपेक्षा करते हैं कि अलग-अलग देशों में स्थित संबद्ध कंपनियों के बीच लेन-देन का मूल्य 'आर्म्स लेंथ' (arm's length) पर तय हो — यानी वह कीमत जिस पर असंबद्ध पक्ष सहमत होते। भारत ने ये नियम 2001 में आयकर अधिनियम, 1961 (Income-tax Act, 1961) के तहत लागू किए थे; अप्रैल 2026 से इस कानून का स्थान आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) ने ले लिया है। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (APA), जिसे भारत में 2012 में लागू किया गया, किसी कंपनी के अंतरराष्ट्रीय लेन-देन का मूल्य तय करने की पद्धति को पांच वर्ष तक के लिए पहले से निर्धारित कर देता है, और 2014 से इसे पिछले चार वर्षों पर भी लागू (रोलबैक) किया जा सकता है; यह एकपक्षीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हो सकता है। पारस्परिक करार प्रक्रिया (MAP), जो OECD और संयुक्त राष्ट्र के आदर्श कर अभिसमयों (model tax conventions) के अनुच्छेद 25 में और भारत की कर संधियों में मौजूद है, दो देशों के सक्षम प्राधिकारियों को दोहरे कराधान को दूर करने के लिए आपस में बातचीत करने की अनुमति देती है।
4. संयुक्त राष्ट्र कर कन्वेंशन और OECD के दो स्तंभ वैश्विक कर नियमों के प्रतिद्वंद्वी मंच हैं — अक्टूबर 2021 में OECD/G20 समावेशी ढाँचे (Inclusive Framework) ने दो-स्तंभीय समाधान पर सहमति दी: स्तंभ एक (Pillar One) सबसे बड़ी और सबसे अधिक लाभ कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अवशिष्ट लाभ का एक हिस्सा उन देशों को पुनः आवंटित करता जहाँ उनके ग्राहक हैं, और स्तंभ दो (Pillar Two) कम से कम 75 करोड़ यूरो (€750 million) वार्षिक राजस्व वाले समूहों के लिए 15% की वैश्विक न्यूनतम प्रभावी कर दर तय करता है। स्तंभ एक ठप पड़ा है, जबकि स्तंभ दो को अनेक देशों ने अपना लिया है। दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीकी समूह की ओर से नाइजीरिया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 78/230 अंगीकृत किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय कर सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की दिशा में प्रक्रिया शुरू

	हुई, और इसके पाठ पर वार्ताएं जारी हैं। विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र का मार्ग पसंद करते हैं, क्योंकि वहां हर देश का मत बराबर होता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. BRICS और उसकी संस्थाएं प्रारंभिक परीक्षा की नियमित सामग्री हैं — प्रारंभिक परीक्षा में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में — जैसे उसकी स्थापना किसने की और उसका मुख्यालय कहां है — तथा समूहों की सदस्यता के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। 2024 और 2025 के विस्तार तथा CRA की संरचना अगले स्वाभाविक प्रश्न हैं। 2. वैश्विक कर शासन सामान्य अध्ययन-2 और सामान्य अध्ययन-3 दोनों से जुड़ता है — आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (Base Erosion and Profit Shifting) शब्द प्रारंभिक परीक्षा में आ चुका है, और वैश्विक न्यूनतम कर तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के कराधान पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न सामान्य अध्ययन-3 में सटीक बैठते हैं। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन से जुड़ा BRICS का कर-मार्ग अभ्यर्थी को सामान्य अध्ययन-2 की अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को सामान्य अध्ययन-3 के राजस्व संग्रहण से जोड़ने का अवसर देता है। 3. परीक्षक सामरिक स्वायत्तता और बहु-संरक्षण के नज़रिए की अपेक्षा करते हैं — अलग-अलग दिशाओं में खींचने वाले समूहों — क्वाड और BRICS, G7 आउटरीच और SCO — में भारत की जगह पर प्रश्न सामान्य अध्ययन-2 में बार-बार आते हैं। द हिंदू का तर्क एक तैयार थीसिस देता है: BRICS के आंतरिक मतभेद किसी एक सदस्य को हावी होने से रोकते हैं, जबकि युद्धोत्तर व्यवस्था से साझा असंतोष उसे एकजुट रखता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेज़ा में हुए BRICS शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत हुई थी, और इसका मुख्यालय शंघाई में है। ● न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रत्येक संस्थापक सदस्य के पास उसकी अभिदत्त पूंजी का बराबर हिस्सा है और इसलिए बराबर मताधिकार है। ● BRICS आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था मुद्रा-विनिमय प्रतिबद्धताओं का 100 अरब डॉलर का ढांचा है, जिससे होने वाली अधिकांश निकासी IMF कार्यक्रम से जुड़ी है। ● मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जनवरी 2024 से BRICS के सदस्य बने, और इंडोनेशिया जनवरी 2025 में शामिल हुआ। ● अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता एक निर्दिष्ट अवधि के लिए संबद्ध उद्यमों के बीच अंतरराष्ट्रीय लेन-देन का आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारित करने की पद्धति पहले से तय कर देता है। ● कर संधियों में पारस्परिक करार प्रक्रिया दो देशों के सक्षम प्राधिकारियों को संधि के अनुरूप न होने वाले कराधान, जिसमें दोहरा कराधान भी शामिल है, से जुड़े विवाद सुलझाने की अनुमति देती है। ● OECD/G20 समावेशी ढांचे का स्तंभ दो कम से कम 75 करोड़ यूरो वार्षिक राजस्व वाले बहुराष्ट्रीय समूहों के लिए 15% की वैश्विक न्यूनतम प्रभावी कर दर तय करता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. “विश्वसनीय बहुपक्षवाद” BRICS का बचाव एक सुरक्षा-कवच के रूप में करता है, और विस्तार की कीमत को कम आंकता है — जॉर्ज और जॉनी का तर्क है कि BRICS के आंतरिक मतभेद उसकी खूबी हैं, क्योंकि वे किसी एक देश को हावी नहीं होने देते। मूल पांच सदस्यों के लिए यह तर्क विश्वसनीय है, पर विस्तार ने ईरान और UAE जैसे देशों को जोड़ा है, जिनके आपसी झगड़े और पश्चिम से उनके टकराव इस जोखिम को बढ़ाते हैं कि BRICS को पश्चिम-विरोधी गुट के रूप में देखा जाए। चीन की अर्थव्यवस्था बाकी चारों संस्थापकों की संयुक्त अर्थव्यवस्था से बड़ी है, इसलिए बीजिंग द्वारा लुभाया गया हर नया सदस्य भारत के सापेक्ष वज़न को घटाता है। श्री मोदी और श्री पेजेशकियान की हाथ में हाथ डाले तस्वीर, जिसके बारे में लेखक कहते हैं कि वह वाशिंगटन में जल्दी धुंधली नहीं होगी, एक संकेत होने के साथ-साथ एक कीमत भी है। भारत के लिए BRICS सुरक्षा-कवच (hedge) के रूप में तभी काम करता है जब एजेंडा भारत तय करता रहे, और इसीलिए उसकी अध्यक्षता की टोस उपलब्धियां मायने रखती हैं। 2. कर कार्य समूह दिखाते हैं कि भारत शिखर सम्मेलन के एक वर्ष को स्थायी तंत्र में बदल रहा है — बारी-बारी से बदलने वाले अध्यक्ष आमतौर पर पीछे एक घोषणापत्र के अलावा कुछ खास नहीं छोड़ते। दो कार्य समूहों को दीर्घकालिक तंत्र के रूप में प्रस्तावित करके और अपनी अध्यक्षता के बाद भी उनकी निरंतरता चाहकर भारत एक वर्ष की भूमिका को ऐसे तकनीकी क्षेत्र में संस्थागत पदचिह्न में बदल रहा है, जिसमें उसकी वास्तविक विशेषज्ञता है। कर सहयोग में नाटकीयता भी कम है, इसलिए ईरान या यूक्रेन पर असहमत सदस्य भी लेखापरीक्षा के तौर-तरीकों पर सहमत हो सकते हैं। विरोधी तर्क यह है कि BRICS के कर हित अलग-अलग हैं: चीन एक बड़ा पूंजी निर्यातक है, जिसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवास-आधारित कराधान

(residence-based taxation) से लाभ होता है, जबकि एक बड़े बाज़ार के रूप में भारत स्रोत पर अधिक कराधान अधिकार चाहता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र में BRICS का साझा रुख घोषणा से जितना लगता है उससे कमज़ोर हो सकता है, और भारत को समूह के भीतर एक छोटे गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

3. **अंतरण मूल्य निर्धारण वह क्षेत्र है जहां विकासशील देश राजस्व भी गंवाते हैं और वर्ष भी —** सुश्री सीतारमण का यह कहना कि अंतरण मूल्य निर्धारण विवादों की कीमत विकासशील देशों के कर प्रशासनों को असमान रूप से अधिक चुकानी पड़ती है, जितना कानून के बारे में है उतना ही क्षमता के बारे में। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी समूह-आंतरिक कीमतों का बचाव करने के लिए वैश्विक सलाहकार नियुक्त कर सकती है, जबकि कर अधिकारी को तुलनीय लेन-देन खोजने और जटिल शृंखलाओं की लेखापरीक्षा का काम अकेले करना पड़ता है। BRICS कर प्रशासनों के बीच लेखापरीक्षा, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों और पारस्परिक करार के अनुभव साझा करने से यह खाई घटती है और मुकदमेबाज़ी कम होती है। विरोधी तर्क यह है कि निवेशक समन्वित लेखापरीक्षा को जोखिम के एक नए स्रोत के रूप में देख सकते हैं, और भारत की अपनी साख पर अब भी पूर्वव्यापी कराधान (retrospective taxation) की स्मृति है, जिसे कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 (Taxation Laws (Amendment) Act, 2021) के ज़रिए ही वापस लिया गया। कार्य समूह भरोसा तभी अर्जित करेगा जब वह केवल सख्त लेखापरीक्षा नहीं, बल्कि तेज़ निपटारा भी दे।
4. **राजस्व सांख्यिकी इस बात की एक शांत लड़ाई है कि दुनिया विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन कैसे करती है —** जब सुश्री सीतारमण कहती हैं कि “राजकोषीय वास्तविकताओं” की अनदेखी करने वाले ढांचे “इस बात को विकृत कर देते हैं कि हमें कैसे देखा जाता है और हम स्वयं को कैसे देखते हैं”, तो उनकी आपत्ति अमीर देशों के मानदंडों के आधार पर की जाने वाली कर-GDP अनुपात जैसी तुलनाओं पर है। ये तुलनाएं रेटिंग एजेंसियों और बहुपक्षीय ऋणदाताओं के निर्णयों को आकार देती हैं, पर बड़े अनौपचारिक क्षेत्रों, कर-मुक्त कृषि आय और संघीय राजस्व-बंटवारे की अनदेखी करती हैं। BRICS का ढांचा अधिक न्यायसंगत पैमाने और ऋणदाताओं से बहस के लिए एक साझा भाषा दे सकता है। विरोधी तर्क यह है कि घर में बने आंकड़े ऐसे लग सकते हैं जैसे कोई देश अपनी परीक्षा की कॉपी खुद जांच रहा हो; विश्वसनीयता के लिए ज़रूरी है कि कोई भी नया ढांचा पारदर्शी रहे और IMF के सरकारी वित्त सांख्यिकी (Government Finance Statistics) मानकों के साथ उसका मिलान किया जा सके।
5. **संयुक्त राष्ट्र कर कन्वेंशन ग्लोबल साउथ का मंच है, और भारत को तय करना है कि उसमें कितना निवेश करे —** सुश्री सीतारमण कहती हैं कि अगले कुछ वर्षों की वार्ताएं “एक पीढ़ी के लिए सीमा-पार कराधान को आकार देंगी”। संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया ‘एक देश, एक मत’ का सिद्धांत देती है, जबकि OECD ढांचा पूंजी-निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं की चिंताओं के इर्द-गिर्द बनाया गया था; स्तंभ एक, जो भारत जैसे बाज़ार देशों को अधिक कराधान अधिकार देता, ठप पड़ा है। एक बड़े उपभोक्ता बाज़ार के रूप में भारत का हित स्रोत-आधारित कराधान (source-based taxation) से मेल खाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र का मार्ग बढ़ावा देता है। विरोधी तर्क यह है कि प्रमुख पूंजी निर्यातकों की पूरी प्रतिबद्धता के बिना तय हुआ कन्वेंशन स्रोत देशों के बीच एक ऐसी घोषणा बनकर रह सकता है जिसमें कोई दम न हो। भारत के लिए सबसे अच्छा रुख यह है कि वह OECD ढांचे के भीतर बने रहते हुए संयुक्त राष्ट्र के पाठ को आकार देने के लिए BRICS का उपयोग करे, ताकि वह किसी खेमे का हिस्सा नहीं, बल्कि सेतु बने।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

BRICS को अक्सर आंतरिक प्रतिद्वंद्विताओं में बंटा एक ‘बातचीत का मंच’ (talk-shop) कहकर खारिज कर दिया जाता है। भारत की 2026 की अध्यक्षता के आलोक में, अंतरराष्ट्रीय कराधान के विशेष संदर्भ में, परीक्षण कीजिए कि क्या BRICS सामरिक स्वायत्तता और वैश्विक आर्थिक शासन को नया रूप देने के मामले में भारत के हितों की पूर्ति करता है। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **भूमिका —** 12-13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में हुए 18वें BRICS शिखर सम्मेलन, UAE और ईरान सहित 11 सदस्यों की आम सहमति से बने दिल्ली घोषणापत्र, और भारत के नेतृत्व वाले नए कर कार्य समूहों का परिचय दें।
2. **मुख्य भाग — सामरिक महत्व —** BRICS को अमेरिकी रूस-प्रतिबंध विधेयक जैसे दबाव के विरुद्ध सुरक्षा-कवच के रूप में, द्विपक्षीय यात्राएं रुकने पर चीन से जुड़े रहने के माध्यम के रूप में, और ईरान पर युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में भारत की संतुलनकारी मुद्रा बहाल करने के मंच के रूप में समझाएं।
3. **मुख्य भाग — संस्थागत महत्व —** NDB में समान मताधिकार और CRA के IMF से जुड़ाव से शुरू करें, फिर अंतरराष्ट्रीय कराधान और अंतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी पर नए कार्य समूहों, BRICS कर सहायता नेटवर्क, APA, MAP, और OECD के दो स्तंभों की तुलना में अंतरराष्ट्रीय कर सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को शामिल करें।

4. **मुख्य भाग — सीमाएं —** चीन के आर्थिक वज़न, विस्तार के बाद पश्चिम-विरोधी छवि के जोखिम, पूंजी निर्यातकों और बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के बीच भिन्न कर हितों, और निर्णयों को आगे ले जाने वाले सचिवालय के अभाव पर चर्चा करें।
5. **निष्कर्ष —** निष्कर्ष दें कि BRICS भारत के काम तब आता है जब एजेंडा भारत तय करता है — कराधान जैसे तकनीकी, नियम-निर्माण वाले कार्य के माध्यम से — और इसका महत्व किसी खेमे को चुनने में नहीं, बल्कि भारत के विकल्पों को व्यापक बनाने में है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. आप केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes — CBDT) के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो अंतरण मूल्य निर्धारण पर नए कार्य समूह की पहली बैठक बुलाएंगे। पहले वर्ष में आप क्या हासिल करने का लक्ष्य रखेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मेरा लक्ष्य अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों और पारस्परिक करार मामलों पर प्रत्येक सदस्य की प्रक्रियाओं का समय-सीमाओं सहित एक संकलन तैयार करना होगा, ताकि धीमी प्रक्रियाएं सामने आ सकें। मैं डिजिटल सेवाओं और जिंसों (commodities) जैसे क्षेत्रों पर, जहां विवाद अक्सर होते हैं, अंतरण मूल्य निर्धारण लेखापरीक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण चलाऊंगा। मैं संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन वातावरण के उन मुद्दों पर एक संक्षिप्त साझा पत्र तैयार करूंगा जहां BRICS के हित वास्तव में मिलते हैं। सफलता का पैमाना बैठकों की संख्या नहीं, बल्कि सदस्यों के बीच मामलों का तेज़ निपटारा होगा।

प्रश्न 2. एक विदेशी निवेशक आपसे, राजस्व सचिव के रूप में, कहता है कि BRICS कर सहयोग का अर्थ है समन्वित आक्रामक लेखापरीक्षा। आप उसे कैसे आश्वस्त करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं बताऊंगा कि कार्य समूह के अधिदेश में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते और पारस्परिक करार प्रक्रिया शामिल हैं, जिनका उद्देश्य ही करदाताओं को निश्चितता देना और दोहरे कराधान को दूर करना है। स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में मैं 2021 में भारत द्वारा पूर्वव्यापी कराधान को वापस लेने का उल्लेख करूंगा। कर प्राधिकरणों के बीच सूचना का आदान-प्रदान पहले से ही गोपनीयता संबंधी सुरक्षा उपायों के साथ संधियों के तहत होता है, और यह समूह उन नियमों को नहीं बदलता। मैं निवेशक को अपने लेन-देन के लिए APA मार्ग अपनाने का आमंत्रण दूंगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या BRICS में भारत की सक्रिय भूमिका अमेरिका के साथ उसकी साझेदारी को कमज़ोर करती है?

दृष्टिकोण (Approach): आवश्यक नहीं। BRICS भारत को अमेरिका-विरोधी एजेंडे का झंडाबरदार बने बिना अपने हित साधने देता है, और जैसा कि द हिंदू के लेखक स्वयं कहते हैं, वाशिंगटन के साथ सामरिक साझेदारी भारत की वृद्धि के लिए केंद्रीय बनी हुई है। खतरा धारणा का है, खासकर जब ईरान और रूस इस समूह में प्रमुख हों, इसलिए भारत को साफ-साफ बताना चाहिए कि BRICS क्या नहीं है। BRICS को टकराव के बजाय विकास वित्त, कराधान और संस्थाओं के सुधार पर केंद्रित रखने से दोनों संबंध सुरक्षित रहते हैं।

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

आज की दोनों खबरें ऐसे जोखिम के बारे में हैं जिसे राज्य ने ऊपर से संभालना चुना है, और इस सवाल के बारे में कि इस बीच उसकी कीमत कौन चुकाता है। एक मॉडल बताता है कि जिस अल नीनो पर भारत का कोई बस नहीं, वह उन महीनों में हज़ारों जानें लेगा जिनके लिए कोई भी लू-चेतावनी बनी ही नहीं है, और उधर पंखे चलाए रखने वाला ग्रिड कोयले की कमी से जूझ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में, जिस बाँध का बचाव चीन की ऊपरी धारा की इंजीनियरिंग के विरुद्ध बीमा के रूप में किया जा रहा है, उसे उन्हीं गाँवों के बीच से आगे धकेला जा रहा है जिन्हें इसकी कीमत सबसे पहले चुकानी होगी। दोनों ही मामलों में आँकड़े वहीं सबसे मज़बूत हैं जहाँ संस्थाएँ सबसे कमज़ोर हैं।

5.1 सुपर अल नीनो से भारत में गर्मी जनित 15,800 अतिरिक्त मौतों का अनुमान, उधर कोयले का भंडार भी घटा

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब (Climate Impact Lab) द्वारा बुधवार को सार्वजनिक की गई एक रिपोर्ट का आकलन है कि मौजूदा “सुपर अल नीनो” (Super El Niño) से पैदा हो रहे असामान्य रूप से ऊँचे तापमान के चलते सितंबर 2026 से फ़रवरी 2027 के बीच भारत में गर्मी से जुड़ी लगभग 15,800 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं, जिसमें 1,600 की घट-बढ़ संभव है। इस पत्रिका के 19 सितंबर के मानसून की कमी और बिजली की चरम माँग वाले कार्ड की तुलना में नई बात यह है कि उसी घटना के लिए अब मृत्यु का एक आँकड़ा सामने आया है। यह एक प्रक्षेपण (projection) है, गिनती नहीं। ये वे मौतें हैं जो 1996-2025 के संगत महीनों की औसत परिस्थितियों में होने वाली मौतों के ऊपर होने की आशंका है। लैब 24,378 क्षेत्रों के लिए पहले से आकलित तापमान-मृत्यु संबंधों को मौसमी तापमान पूर्वानुमानों पर लागू करती है और इसमें स्थानीय जलवायु, सुभेद्यता (vulnerability) और अनुकूलन क्षमता को ध्यान में रखती है, पर रिपोर्ट यह स्पष्ट नहीं करती कि तापमान में किसी निश्चित वृद्धि को मौतों की संख्या से जोड़ने वाले गुणांक क्या हैं। वैश्विक स्तर पर इसका प्रक्षेपण है कि इस घटना के पहले छह महीनों में गर्मी से जुड़ी 4,51,000 अतिरिक्त मौतें होंगी, जिनमें से 2,39,000 सितंबर-फ़रवरी की अवधि में होंगी — यह बँटवारा अख़बार स्पष्ट नहीं करता; इसके अनुमानों में इंडोनेशिया में 19,300, फ़िलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया में कुल 19,400, ब्राज़ील में 13,300 और साहेल में 66,800 मौतें शामिल हैं; साहेल लगभग 10 अफ़्रीकी देशों में फैली 5,000 किलोमीटर लंबी पट्टी है। अल नीनो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का आवधिक रूप से गर्म होना है, जो पूरी दुनिया में वर्षा और तापमान के प्रतिरूप बदल देता है; “सुपर अल नीनो” असाधारण रूप से प्रबल घटना के लिए एक अनौपचारिक नाम है। इस महीने की शुरुआत में आए पूर्वानुमानों ने उत्तरी गोलार्ध की शरद और शीत ऋतु के दौरान एक बहुत प्रबल घटना की संभावना 90% से अधिक बताई थी, और पूर्वी विषुवतीय प्रशांत का जल पहले ही सामान्य से 3°C से अधिक गर्म है। लैब के सह-संस्थापक, शिकागो विश्वविद्यालय के माइकल ग्रीनस्टोन ने कहा कि यह रिपोर्ट निर्णयकर्ताओं को “ठीक-ठीक यह देखने देती है कि आने वाले महीनों में दसियों हज़ार जानें बचाने के लिए अभी कहाँ आपात कदम उठाए जा सकते हैं।” एक प्रेस वक्तव्य ने इस अल नीनो को “हमारे भविष्य से आया एक पोस्टकार्ड” कहा, जो वे तापमान अभी ले आया है जिनके जलवायु परिवर्तन के चलते 20 वर्ष बाद आने का अनुमान है। देश के भीतर, 22 सितंबर तक लगभग 15% की राष्ट्रीय वर्षा कमी के साथ मानसून लौट रहा है, और दक्षिण तथा पूर्व में यह कमी इससे भी अधिक है; साथ ही, गर्मी से बिजली की माँग बढ़ने के बीच भारत के लगभग 40% कोयला-आधारित संयंत्र ईंधन के गंभीर रूप से कम भंडार की सूचना दे रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) ने अल नीनो से जुड़े व्यवधानों को भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख जोखिमों में गिना है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS1 में जलवायु विज्ञान, और GS3 में आपदा प्रबंधन तथा ऊर्जा।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

एक असाधारण रूप से प्रबल अल नीनो पूर्वी विषुवतीय प्रशांत के जल को सामान्य से 3°C से अधिक गर्म कर देता है → भारत का मानसून लगभग 15% की कमी के साथ समाप्त होता है और तापमान 1996-2025 के सामान्य स्तर से ऊपर बना रहता है → सामान्य से अधिक गर्म मौसम बिजली की माँग बढ़ाता है, जबकि लगभग 40% कोयला-आधारित संयंत्र गंभीर रूप से कम भंडार की सूचना देते हैं → क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब 24,378 क्षेत्रों के मौसमी पूर्वानुमानों पर पुराने तापमान-मृत्यु संबंध लागू करती है → वह फ़रवरी 2027 तक भारत में गर्मी से 15,800 अतिरिक्त मौतों का प्रक्षेपण करती है, वह भी उन महीनों में जिन पर नज़र रखने के लिए भारत की ताप योजनाएँ बनी ही नहीं हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. “सुपर अल नीनो” लगभग +2°C के ओशनिक नीनो सूचकांक का संक्षिप्त नाम है, और इसकी गर्मी देर से पहुँचती है — ओशनिक नीनो सूचकांक (Oceanic Niño Index, ONI), जिसका उपयोग अमेरिका का राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (National Oceanic and Atmospheric Administration) करता है, पूर्व-मध्य विषुवतीय प्रशांत के नीनो 3.4 क्षेत्र में समुद्री सतह के तापमान की विसंगतियों का तीन महीने का चल माध्य (running mean) है। जब यह +0.5°C या उससे ऊपर टिका रहता है तो अल नीनो की स्थिति घोषित की जाती है, और जब -0.5°C या उससे नीचे टिका रहता है तो ला नीना की; 1982-83, 1997-98 और 2015-16 जैसी लगभग +2°C या उससे अधिक की घटनाओं को अनौपचारिक रूप से “सुपर” कहा जाता है। दक्षिणी दोलन (Southern Oscillation) इस तंत्र का वायुमंडलीय पक्ष है — उष्णकटिबंधीय प्रशांत के आर-पार सतही वायुदाब का एक झूला — और इस युग्मित परिघटना को ENSO कहा जाता है। चूँकि गर्म हुआ महासागर महीनों तक ऊष्मा छोड़ता रहता है, इसलिए वैश्विक तापमान आमतौर पर अल नीनो के बाद चरम पर पहुँचता है; यही कारण है कि 1998 और 2016, दोनों ने अपने-अपने समय में रिकार्ड बनाया।
2. गर्मी आपदा की कानूनी परिभाषा में तो आती है, पर राहत कोष खोलने वाली सूची से गायब है — आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) की धारा 2(d) आपदा को ऐसी तबाही, दुर्घटना, विपत्ति या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित करती है जिससे जान का

भारी नुकसान, मानवीय पीड़ा या ऐसी क्षति हो जो प्रभावित समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे हो। राज्य और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधियों (SDRF और NDRF) से सहायता एक अधिसूचित सूची से बँधी है — चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला, तथा पाला और शीत लहर — और लू (Heatwave) इसमें शामिल नहीं है, हालाँकि कोई राज्य अपने SDRF आवंटन का 10% तक उन स्थानीय आपदाओं पर खर्च कर सकता है जिन्हें वह स्वयं अधिसूचित करे। इसके बजाय नियोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के 2016 में पहली बार जारी दिशानिर्देशों के तहत बनी ताप कार्य योजनाओं (Heat Action Plans) के ज़रिए होता है, जिनका आदर्श अहमदाबाद की 2013 की योजना है — दक्षिण एशिया की पहली ऐसी योजना।

3. IMD की लू की परिभाषा गर्मियों की दहलीज़ों पर टिकी है, जबकि शरीर गर्मी और नमी पर एक साथ प्रतिक्रिया करता है — भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department, IMD) लू तब घोषित करता है जब किसी केंद्र का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40°C, तटीय क्षेत्रों में 37°C या पहाड़ी क्षेत्रों में 30°C हो और सामान्य से 4.5°C से 6.4°C अधिक हो — इससे बड़ा विचलन भीषण लू (severe heatwave) माना जाता है — या जब अधिकतम तापमान सामान्य की परवाह किए बिना 45°C (भीषण लू के लिए 47°C) तक पहुँच जाए। इन निरपेक्ष, गर्मियों के हिसाब से तय दहलीज़ों का मतलब है कि उमस भरा अक्टूबर बिना कोई चेतावनी जारी हुए जानें ले सकता है। आर्द्र-बल्ब तापमान (Wet-bulb temperature), जिसे गीले कपड़े में लिपटे थर्मामीटर से पढ़ा जाता है, गर्मी और नमी दोनों को एक साथ पकड़ता है, क्योंकि शरीर पसीने के वाष्पीकरण से ठंडा होता है और नम हवा उस पसीने को बहुत कम सोख पाती है। 2010 के एक बहुचर्चित अध्ययन ने मानव जीवन की सीमा लगभग छह घंटे तक बने रहने वाले 35°C आर्द्र-बल्ब तापमान पर आँकी थी; बाद के प्रयोगशाला अध्ययन संकेत देते हैं कि वास्तविक लोगों, खासकर बुजुर्गों, के लिए यह सीमा और नीचे है।
4. कोयला भंडार के मानदंड बिजली प्रणाली का सुरक्षा-कवच हैं, और यह कवच कब पतला पड़ा, यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तय करता है — विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act, 2003) की धारा 70 के तहत गठित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority, CEA) बिजली नीति पर सरकार को सलाह देता है और यह मानदंड तय करता है कि किसी ताप विद्युत संयंत्र को कितने दिनों का कोयला रखना चाहिए — खदानों से दूर स्थित संयंत्रों के लिए यह सीमा खदान-मुहाने (pithead) पर बने संयंत्रों से अधिक होती है। इसकी दैनिक कोयला भंडार रिपोर्ट किसी संयंत्र को तब “गंभीर” (critical) श्रेणी में रखती है जब उसका भंडार मानक स्तर के एक-चौथाई से नीचे गिर जाए। बिजली संयंत्रों को कोयला लिंकेज 2017 की शक्ति (SHAKTI) नीति के तहत आवंटित किए जाते हैं। असाधारण परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 11 समुचित सरकार को यह अधिकार देती है कि वह किसी उत्पादन कंपनी को अपना संयंत्र निदेशानुसार चलाने का निर्देश दे — इस शक्ति का उपयोग केंद्र ने हाल की गर्मियों में आयातित कोयले पर चलने वाले संयंत्रों को चालू रखने के लिए किया है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. ENSO प्रारंभिक परीक्षा का स्थायी विषय है, और गर्मी उसका सबसे नया चेहरा है — प्रारंभिक परीक्षा बार-बार ENSO और मानसून को परख चुकी है, जिसमें 2017 का वह प्रश्न भी शामिल है कि क्या हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole) अल नीनो के प्रभाव को बदल सकता है। GS1 में भूभौतिकीय परिघटनाओं वाली पंक्ति और GS3 में आपदा प्रबंधन वाली पंक्ति परीक्षक को क्रियाविधि से परिणाम तक जाने का रास्ता देती हैं। ओशनिक नीनो सूचकांक, आर्द्र-बल्ब तापमान और अधिसूचित आपदाओं की सूची प्रारंभिक परीक्षा के स्वाभाविक अगले शब्द हैं।
2. मुख्य परीक्षा आपदा प्रबंधन को खतरों का नहीं, संस्थाओं का प्रश्न मानती है — GS3 के प्रश्न आमतौर पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) और चेतावनी तथा प्रतिक्रिया के बीच की खाई के बारे में पछुते हैं। गर्मी के मामले में यह खाई सबसे चौड़ी है, क्योंकि गर्मी चुपचाप मारती है, और कोयले की कमी से जूझता ग्रिड इसे और चौड़ा कर देता है। लू को अधिसूचित करने, खुले में काम करने वाले श्रमिकों पर ऊष्मा तनाव (heat stress), या अधिक गर्म जलवायु में ऊर्जा सुरक्षा पर कोई भी प्रश्न ठीक इसी साँचे में बैठता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- ओशनिक नीनो सूचकांक पूर्व-मध्य विषुवतीय प्रशांत के नीनो 3.4 क्षेत्र में समुद्री सतह के तापमान की विसंगतियों का तीन महीने का चल माध्य है; +0.5°C या उससे अधिक का लगातार बना रहने वाला मान अल नीनो की स्थिति और -0.5°C या उससे कम का मान ला नीना की स्थिति दर्शाता है।
- लू उन अधिसूचित आपदाओं में शामिल नहीं है जो राज्य और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधियों से सहायता की पात्र हैं; कोई राज्य अपने SDRF आवंटन का 10% तक उन स्थानीय आपदाओं के लिए उपयोग कर सकता है जिन्हें वह स्वयं अधिसूचित करता है।
- IMD के मानदंडों के अनुसार लू के लिए मैदानी इलाकों में कम से कम 40°C, तटीय क्षेत्रों में 37°C या पहाड़ी क्षेत्रों में 30°C का अधिकतम तापमान और साथ में सामान्य से 4.5°C

या अधिक का विचलन आवश्यक है, या फिर 45°C या उससे अधिक का वास्तविक अधिकतम तापमान।

- आर्द्र-बल्ब तापमान गर्मी और आर्द्रता के प्रभाव को एक साथ समेटता है; कई घंटों तक बना रहने वाला 35°C का आर्द्र-बल्ब तापमान मानव जीवन की सैद्धांतिक ऊपरी सीमा के रूप में व्यापक रूप से उद्धृत किया जाता है।
- अहमदाबाद की 2013 की ताप कार्य योजना दक्षिण एशिया में अपनी तरह की पहली योजना थी और ताप कार्य योजनाओं पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के लिए आदर्श बनी।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 के तहत हुआ है, और इस अधिनियम की धारा 11 समुचित सरकार को असाधारण परिस्थितियों में किसी उत्पादन कंपनी को अपना संयंत्र चलाने का निर्देश देने का अधिकार देती है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. यह प्रक्षेपण है, कारण-निर्धारण नहीं, और इसकी वास्तविक अनिश्चितता छुपे हुए दायरे से कहीं अधिक है — कारण-निर्धारण अध्ययन (Attribution studies), जैसे वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन (World Weather Attribution) के अध्ययन, पहले से घट चुकी किसी घटना से शुरू करते हैं और पृच्छते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने उसकी संभावना या तीव्रता को कितना बदला। इसके उलट लैब एक मौसमी पूर्वानुमान को पुराने आँकड़ों से आकलित मृत्यु-संबंधों से होकर गुज़ारती है; यह 1996-2025 की आधार-रेखा के सापेक्ष अतिरिक्त मौतों का एक सशर्त पूर्वानुमान है। रिपोर्ट यह नहीं बताती कि “1,600 की घट-बढ़” में इस आशंका को गिना गया है या नहीं कि तापमान का पूर्वानुमान स्वयं गलत निकले, और प्रकाशित गुणांकों के बिना कोई इसे जाँच भी नहीं सकता, इसलिए वास्तविक अनिश्चितता संभवतः इससे कहीं अधिक है। प्रतिपक्ष का तर्क मज़बूत है: योजनाकारों को आगे के अनुमान चाहिए, और मौतों के बाद आया कोई कारण-निर्धारण अध्ययन किसी की जान नहीं बचाता। 15,800 के आँकड़े का सही उपयोग ज़िलों को कार्रवाई की प्राथमिकता के क्रम में रखना है, किसी निश्चितता को सुखी बनाना नहीं।
2. अनुमान की अवधि उन महीनों में पड़ती है जिन पर नज़र रखने के लिए भारत का ताप-तंत्र बना ही नहीं है — भारत का ताप-शासन मौसमी है: IMD की दहलीज़ें, ताप कार्य योजनाएँ और स्कूलों तथा कामकाज के बदले हुए घंटे मार्च से जून के लिए बने हैं। लैब की अवधि सितंबर से फ़रवरी तक है, जब पूर्व और दक्षिण में मानसून के बाद की उमस भरी गर्मी शायद ही कभी निरपेक्ष चेतावनी-दहलीज़ों को पार करती है, फिर भी बुज़ुर्गों और बीमारों की जान ले लेती है। वैश्विक तापमान भी आमतौर पर प्रबल अल नीनो के बाद के महीनों में चरम पर पहुँचता है, और भारत की 2027 की गर्मी लैब की अवधि से बाहर पड़ती है। इसलिए 15,800 को इस घटना की पूरी कीमत के बजाय एक शुरुआती किस्त के रूप में पढ़ना बेहतर है।
3. कोयले का गंभीर रूप से कम भंडार गर्मी की समस्या को स्वास्थ्य की समस्या बना देता है — अधिकांश परिवारों के लिए गर्मी से एकमात्र बचाव पंखा या कूलर है, और दोनों को ग्रिड चाहिए। लगभग 40% कोयला-आधारित संयंत्रों का गंभीर रूप से कम भंडार पर होना बताता है कि सुरक्षा-कवच ठीक तब सबसे पतला है जब विफलता सबसे घातक होगी, और लोड-शेडिंग (बिजली कटौती) की मार आमतौर पर सबसे पहले ग्रामीण फ्रीडरों और गरीब उपभोक्ताओं पर पड़ती है — यानी उन पर जिनकी अनुकूलन क्षमता लैब के अपने मॉडल में सबसे कम है। प्रतिपक्ष यह है कि “गंभीर” एक मानक भंडार के सापेक्ष लगाया गया नियामकीय संकेत है, आसन्न बंदी नहीं; संयंत्र ऐन वक़्त पर (just-in-time) होने वाली रेल आपूर्ति पर चलते हैं, और बारिश के बाद खनन और ढुलाई आमतौर पर सँभल जाती है। पर यह संकेत होता ही समय खरीदने के लिए है, और बेड़े के दो-पाँचवें हिस्से का इससे नीचे होना योजना की विफलता है, बतियाँ जलती रहें या न रहें।
4. भारत नहीं जानता कि गर्मी कितने लोगों की जान लेती है, इसीलिए आँकड़ा एक बाहरी मॉडल दे रहा है — गर्मी शायद ही कभी मृत्यु प्रमाणपत्र पर दर्ज होती है। गर्मी के अधिकांश शिकार बुज़ुर्ग होते हैं, जिनका हृदय, फेफड़े या गुर्दे दबाव में जवाब दे जाते हैं और मौत उन्हीं कारणों के तहत दर्ज होती है, जबकि मृत्यु के कारण का चिकित्सकीय प्रमाणन पंजीकृत मौतों के केवल एक हिस्से को ही कवर करता है। इसलिए लू लगने (heatstroke) से हुई मौतों की आधिकारिक गिनती वास्तविक संख्या का छोटा-सा अंश होती है, और सरकार के पास लैब के आँकड़े के सामने रखने को अपना कोई आँकड़ा नहीं है। इसका समाधान अतिरिक्त मृत्यु (excess mortality) की निगरानी है: किसी गर्म दौर में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (Civil Registration System) के तहत दर्ज मौतों की तुलना सामान्य वर्षों के उन्हीं हफ़्तों से, ज़िलेवार, की जाए — ठीक उसी तरह का विश्लेषण, जिसके आधार पर अहमदाबाद ने 2010 की लू के बाद अपनी योजना बनाई थी। जब तक भारत गर्मी से होने वाली मौतों को मापता नहीं, हर अनुमान पर विवाद होगा और उनमें से गिने-चुने पर ही अमल होगा।
5. शीतलन एक ऐसा अनुकूलन है जो उसी बिजली को खाता है जिस पर वह टिका है — हमारे भविष्य से आया पोस्टकार्ड वाली प्रस्तुति अनुकूलन (adaptation) का तर्क है, और शहरी भारत

	में इसका अर्थ तेज़ी से एयर-कंडीशनिंग होता जा रहा है, जो सबसे गर्म घंटों में चरम माँग बढ़ाती है और कोयले पर निर्भर ग्रिड पर उत्सर्जन और भंडार के दबाव, दोनों में इज़ाफ़ा करती है। 2019 की भारत शीतलन कार्य योजना (India Cooling Action Plan) ने इसे पहचानते हुए भवन डिज़ाइन, कुशल उपकरणों और निष्क्रिय शीतलन (passive cooling) पर जोर दिया था। प्रतिपक्ष यह है कि भारत के कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को देखते हुए, उत्सर्जन के नाम पर गरीब परिवारों को यांत्रिक शीतलन से वंचित करना अन्याय होगा। उत्तर सही क्रम तय करने में है: पहले ठंडी छुटें, छायादार कार्यस्थल, कुशल पंखे और बदले हुए कामकाजी घंटे, क्योंकि ये शाम की चरम माँग बढ़ाए बिना मौतें घटाते हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“ऐसे मौसम के लिए गर्मी से मृत्यु का अनुमान, जिसे भारत लू से जोड़कर नहीं देखता, ग्रीष्मकालीन दहलीज़ों पर बनी चेतावनी प्रणाली की सीमाओं को उजागर करता है।” 2026-27 के अल नीनो से जुड़ी गर्मी जनित अतिरिक्त मौतों के प्रक्षेपणों के आलोक में, चरम गर्मी के प्रबंधन के लिए भारत के संस्थागत ढाँचे की पर्याप्तता का परीक्षण कीजिए। क्या लू को SDRF और NDRF सहायता की पात्र आपदा के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए? (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	भूमिका — क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब के उस अनुमान से शुरुआत करें जिसके अनुसार सितंबर 2026 से फ़रवरी 2027 के बीच भारत में गर्मी से जुड़ी 15,800 (1,600 की घट-बढ़ के साथ) अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं, और स्पष्ट करें कि यह 1996-2025 की आधार-रेखा के सापेक्ष एक मॉडल-आधारित प्रक्षेपण है, गिनती नहीं। मुख्य भाग — खतरा — ओशनिक नीनो सूचकांक के ज़रिए सुपर अल नीनो को समझाएँ, अल नीनो के चरम और वैश्विक तापमान के बीच के अंतराल को बताएँ, और यह भी कि आर्द्र-बल्ब तापमान के कारण मानसून के बाद के उमस भरे महीने लू की दहलीज़ से नीचे रहकर भी खतरनाक क्यों होते हैं। मुख्य भाग — ढाँचा और उसकी कमियाँ — आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2(d), अधिसूचित सूची से लू की अनुपस्थिति और SDRF की 10% की गुंजाइश, NDMA के ताप कार्य योजना दिशानिर्देश और अहमदाबाद मॉडल, IMD की निरपेक्ष दहलीज़ें, तथा मृत्यु के कारणों से जुड़े कमज़ोर आँकड़ों को शामिल करें। मुख्य भाग — अधिसूचना और ऊर्जा से जुड़ाव — अधिसूचना के पक्ष (कानूनी रूप से सटीक बैठना, एक राष्ट्रीय हक़) और विपक्ष (राजकोष पर बोझ, एक बिखरा हुआ खतरा) में तर्क दें। इसे गंभीर भंडार वाले लगभग 40% कोयला संयंत्रों, धारा 11 के निर्देशों और भारत शीतलन कार्य योजना से जोड़ें। निष्कर्ष — वस्तुनिष्ठ ट्रिगर के साथ सीमित अधिसूचना, उमस भरी गर्मी के अनुरूप ढली वर्ष भर चलने वाली ताप कार्य योजनाएँ, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के ज़रिए ज़िला-स्तरीय अतिरिक्त मृत्यु निगरानी, और गर्मी को विश्वसनीयता के जोखिम के रूप में देखने वाली ग्रिड योजना की सिफ़ारिश करें।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप पूर्वी भारत के एक उमस भरे तटीय ज़िले के ज़िलाधिकारी हैं। IMD ने लू घोषित नहीं की है, पर अस्पताल अक्टूबर में बुजुर्गों की मौतों में बढ़ोतरी की सूचना दे रहे हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं औपचारिक घोषणा का इंतज़ार नहीं करूँगा, क्योंकि दहलीज़ें गर्मियों के लिए बनाई गई थीं और नुकसान अस्पतालों के आँकड़ों में पहले से दिख रहा है। मैं ज़िले की ताप कार्य योजना को मौसम के बाहर भी सक्रिय करूँगा, सार्वजनिक भवनों में शीतलन स्थल खोलूँगा, खुले में होने वाले काम को दोपहर के समय से हटाऊँगा, और आशा कार्यकर्ताओं से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की खोज-खबर लेने को कहूँगा। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पिछले वर्षों के उन्हीं हफ़्तों की तुलना में रोज़ाना की मौतों पर नज़र रखने को कहूँगा, ताकि हमें केवल प्रमाणित लू लगने के मामले नहीं, बल्कि अतिरिक्त मौतें दिखें। यदि राज्य ने गर्मी को स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित किया है तो मैं SDRF से सहायता माँगूँगा; यदि नहीं, तो ये आँकड़े ऊपर भेजूँगा। प्रश्न 2. विद्युत मंत्रालय के सचिव के रूप में आपको पता चलता है कि अल नीनो की गर्मी के दौर में लगभग 40% कोयला-आधारित संयंत्र गंभीर भंडार पर हैं। आप बिजली कटौती को कैसे रोकेंगे? दृष्टिकोण (Approach): सबसे पहले मैं उन संयंत्रों को, जो रेल परिवहन की दिक्कतों के कारण गंभीर स्थिति में हैं, उनसे अलग करूँगा जो बकाया भुगतान न होने या खराब नियोजन के कारण इस स्थिति में पहुँचे हैं। कोयला और रेल मंत्रालयों के साथ मिलकर मैं रोक देने में उन संयंत्रों को प्राथमिकता दूँगा जिनका भंडार उनके आपूर्ति-दायित्वों (dispatch obligations) की तुलना में सबसे कम है। मैं समीक्षा करूँगा कि क्या इस मौसम के लिए आयातित कोयले वाले संयंत्रों को

विद्युत अधिनियम की धारा 11 के तहत निर्देश देने की ज़रूरत है। राज्यों के साथ मिलकर मैं दिन के समय के अनुसार शुल्क (time-of-day tariffs) और कृषि बिजली आपूर्ति के चरणबद्ध समय पर जोर दूंगा, ताकि शाम की चरम माँग प्रणाली को तोड़ न दे।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या लू को राष्ट्रीय आपदा के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): इसके पक्ष में मज़बूत तर्क है, क्योंकि गर्मी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में दी गई आपदा की परिभाषा के हर तत्व पर खरी उतरती है, और इसे अधिसूचित सूची से बाहर रखने का अर्थ है कि राहत इस बात पर निर्भर हो जाती है कि पीड़ित किस राज्य में रहता है। अधिसूचना से राहत के मानदंड, परिवारों को मुआवज़ा और तैयारी का अधिक स्पष्ट दायित्व आएगा। चिंता राजकोषीय है: गर्मी दीर्घकालिक और व्यापक है, और ढीला ट्रिगर अचानक आने वाली आपदाओं के लिए रखी गई निधियों को खाली कर सकता है। एक व्यावहारिक उत्तर वस्तुनिष्ठ ट्रिगर के साथ अधिसूचना है, जैसे IMD की चेतावनी और ज़िले के अतिरिक्त मृत्यु आँकड़ों का संयोजन, ताकि हक्क वास्तविक भी हो और सीमित भी।

5.2 स्थानीय विरोध के बीच सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना का सर्वेक्षण आगे बढ़ाने के लिए अरुणाचल मंत्रिमंडल ने अधिकार-प्राप्त समिति गठित की

समाचार (THE NEWS) गुवाहाटी। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों के बीच अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित कर प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (Siang Upper Multipurpose Project, SUMP) के पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट सर्वेक्षण और उससे जुड़ी गतिविधियों को “मार्गदर्शन और समन्वय करने” के लिए एक अधिकार-प्राप्त उच्च-स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी। पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (pre-feasibility report) वह पहला तकनीकी अध्ययन है जो यह जाँचता है कि किसी स्थल की चट्टानें और नदी का प्रवाह परियोजना का भार उठा सकते हैं या नहीं, और मोटे तौर पर किस लागत पर; यह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट या किसी भी पर्यावरणीय मंजूरी से पहले तैयार होती है। किसी बाँध के मामले में इसके पीछे का सर्वेक्षण उन गाँवों में होने वाला क्षेत्रीय कार्य है जिन्हें डूब का डर है। बहुउद्देशीय परियोजना एक से अधिक उद्देश्य पूरे करती है — यहाँ बिजली, जल-भंडारण और बाढ़ नियंत्रण। सियांग नदी पट्टी के ग्रामीण इस परियोजना की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं, जिससे अनुमानतः 11,000 मेगावाट (MW) या उससे अधिक जलविद्युत पैदा होगी। इसके तीन निर्धारित स्थलों में से दो सियांग ज़िले में हैं और एक अपर सियांग ज़िले में। मंत्रिमंडल ने याद दिलाया कि केंद्र सरकार ने 2008 में SUMP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था, जो इसके रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है, और कहा कि यह परियोजना जल और ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत कर सकती है, सियांग-ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ घटाने में मदद कर सकती है, रोज़गार पैदा कर सकती है और क्षेत्र के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास को सहारा दे सकती है। मंत्रिमंडल ने सियांग और अपर सियांग ज़िलों के लोगों के कुछ वर्गों द्वारा उठाई गई उन चिंताओं को रेखांकित किया जो कुछ निहित स्वार्थों द्वारा फैलाई जा रही “गलत सूचना और दुष्प्रचार” से जुड़ी हैं, और संकल्प लिया कि सर्वेक्षण का शांतिपूर्वक संचालन दोनों ज़िलों के निवासियों के साथ निरंतर और सार्थक संवाद पर निर्भर है। मंत्रिमंडल ने कहा, “संभावित परियोजना-प्रभावित परिवारों और स्थानीय समुदायों की आवाज़, कल्याण और आकांक्षाएँ इस प्रक्रिया के केंद्र में हमेशा रही हैं और हमेशा रहेंगी।” इस बीच, स्थानीय प्रशासन ने SUMP पर स्कूली प्रदर्शनियों की एक शृंखला आयोजित की, जिसमें सियांग ज़िले के चार स्कूलों के 640 विद्यार्थी शामिल हुए; एक आधिकारिक वक्तव्य ने इसे “विद्यार्थियों में नदी प्रबंधन और SUMP के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक लक्षित शैक्षिक पहल” बताया। रिपोर्ट में न तो समिति के सदस्यों के नाम हैं, न उसकी शक्तियाँ, न कोई समय-सीमा। तिब्बत से भारत में प्रवेश करने पर यारलुंग त्सांगपो सियांग कहलाती है, और असम में यही ब्रह्मपुत्र बन जाती है; इसीलिए इस परियोजना के पक्ष में तर्क बिजली जितने ही रणनीति और बाढ़ नियंत्रण के संदर्भ में भी दिए जाते हैं। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 में अवसंरचना (ऊर्जा), पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और आपदा प्रबंधन, तथा GS2 में कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा — यहाँ सियांग घाटी के आदि (Adi) और अन्य जनजातीय समुदाय।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

यारलुंग त्सांगपो तिब्बत से निकलती है और सियांग-ब्रह्मपुत्र पर भारत निचला तटवर्ती (downstream) राज्य है → केंद्र 2008 में SUMP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करता है, जिससे एक जलविद्युत योजना रणनीतिक और बाढ़-नियंत्रण परिसंपत्ति के रूप में नए सिरे से परिभाषित हो जाती है → चीन यारलुंग त्सांगपो के निचले मार्ग पर अपनी परियोजना को मंजूरी देकर उस पर काम शुरू करता है, जिससे जवाबी संतुलन के रूप में भारतीय भंडारण का तर्क और धारदार हो जाता है → सियांग और अपर सियांग ज़िलों के गाँव, जिनकी ज़मीन पर सर्वेक्षण सबसे पहले निशान लगाएगा, पूर्व-व्यवहार्यता कार्य का विरोध करते हैं → अरुणाचल मंत्रिमंडल “सार्थक संवाद” का वादा करते हुए सर्वेक्षण को आगे बढ़ाने के लिए एक अधिकार-प्राप्त उच्च-स्तरीय समिति गठित करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. भारत में यारलुंग त्सांगपो ही सियांग है, और दिबांग व लोहित के मिलने के बाद ही यह ब्रह्मपुत्र बनती है — यारलुंग त्सांगपो दक्षिण-पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर क्षेत्र के पास से निकलती है, पठार के आर-पार पूर्व की ओर बहती है, और नामचा बरवा पर्वत-पुंज के चारों ओर एक तीखा मोड़ — ग्रेट बेंड (Great Bend) — लेकर अरुणाचल प्रदेश में सियांग के रूप में प्रवेश करती है, जिसे दिहांग भी कहा जाता है। असम में सदिया के पास दिबांग और लोहित के मिलने पर यह ब्रह्मपुत्र बन जाती है, और बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। भारत और चीन के बीच कोई जल-बंटवारा संधि नहीं है; वे 2006 में स्थापित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (Expert Level Mechanism) और उन समझौता ज्ञापनों का सहारा लेते हैं जिनके तहत चीन बाढ़ के मौसम के जल-वैज्ञानिक आँकड़े उपलब्ध कराता है। दिसंबर 2024 में चीन ने यारलुंग त्सांगपो के निचले

मार्ग पर एक विशाल जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी, जिसका निर्माण जुलाई 2025 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ; भारत ने कहा है कि वह इस परियोजना पर नज़र रखेगा।

2. **भंडारण जलाशय बाढ़ के लिए जगह खाली रख सकता है; नदी-प्रवाह परियोजना ऐसा नहीं कर सकती** — नदी-प्रवाह (run-of-river) परियोजना बहुत कम जल-संचय (pondage) के साथ नदी के प्रवाह को टर्बाइनों से गुज़ारती है, इसलिए वह न तो बाढ़ को रोक सकती है और न ही कम पानी वाले मौसम के लिए जल जमा कर सकती है। भंडारण परियोजना एक ऊँचे बाँध के पीछे बड़ा जलाशय बनाती है, ताकि नियंत्रित रूप से पानी छोड़ा जा सके, सिंचाई हो सके और बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके — पर इसकी कीमत कहीं अधिक बड़े डूब क्षेत्र के रूप में चुकानी पड़ती है। बाढ़-कुशन (flood cushion) जलाशय का वह हिस्सा है जिसे मानसून के दौरान बाढ़ के चरम को सोखने के लिए खाली रखा जाता है, और इसलिए वह बिजली उत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं रहता। मार्च 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 MW से बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा घोषित किया और साथ में जलविद्युत खरीद दायित्व (Hydropower Purchase Obligation) तय किया। 2008 में स्वीकृत राष्ट्रीय परियोजनाओं की योजना के तहत केंद्र चुनिंदा परियोजनाओं के सिंचाई और पेयजल घटकों की लागत का 90% वहन करता है।
3. **सर्वेक्षण कोई मंजूरी नहीं है: EIA अधिसूचना, 2006 और बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 आगे के पड़ाव हैं** — पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment (Protection) Act, 1986) के तहत जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 (Environment Impact Assessment Notification, 2006) के अनुसार 50 MW या उससे अधिक की जलविद्युत परियोजनाएँ श्रेणी A में आती हैं, जिनका मूल्यांकन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (Expert Appraisal Committee) करती है, और 25 MW से 50 MW की परियोजनाएँ श्रेणी B में, जिनका मूल्यांकन राज्य स्तर पर होता है। इसके चरण हैं — स्क्रीनिंग (केवल श्रेणी B के लिए), स्कोपिंग, लोक परामर्श और मूल्यांकन — और जन सुनवाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थल पर या उसके निकट आयोजित करता है। पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण इन सबसे पहले होता है, जब आपत्तियाँ दर्ज कराने का कोई वैधानिक मंच अस्तित्व में ही नहीं होता। निर्माण के बाद, बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (Dam Safety Act, 2021) विनिर्दिष्ट बाँधों को राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति, राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण और राज्य-स्तरीय निकायों के माध्यम से विनियमित करता है।
4. **जनजातीय वन भूमि पर सहमति एक कानूनी अनिवार्यता है, और आदि समुदाय में यह एक प्रथागत अनिवार्यता भी है** — अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006) व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है, और इसकी धारा 4(5) अधिकारों की मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक वेदखली पर रोक लगाती है। पर्यावरण मंत्रालय का 2009 का एक आदेश अपेक्षा करता है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (Forest (Conservation) Act, 1980) — जिसका नाम 2023 में बदलकर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम कर दिया गया — के तहत वन भूमि के अपवर्तन (diversion) से पहले यह प्रमाणित किया जाए कि अधिकारों का निपटारा हो चुका है और ग्राम सभा ने सहमति दे दी है। नियमगिरि मामले, Orissa Mining Corporation v. Ministry of Environment and Forests (2013), में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परियोजना समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को प्रभावित करती है या नहीं, इसका निर्णय ग्राम सभा को करना होगा। अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक, आदि, सियांग घाटी में बसी है और केबांग (kebang) कहलाने वाली पारंपरिक ग्राम परिषदों के माध्यम से सामूहिक निर्णय लेती है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **प्रारंभिक परीक्षा ब्रह्मपुत्र तंत्र का नक्शा परखती है, और चीन की ऊपरी धारा की परियोजनाएँ इसे GS2 में ले आती हैं** — प्रारंभिक परीक्षा नियमित रूप से पूर्वोत्तर के नदी भूगोल को परखती है: कौन-सी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, कौन-सी सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र में कहाँ मिलती हैं, और सीमाओं के पार एक ही नदी कौन-कौन से नाम धारण करती है। सियांग-ब्रह्मपुत्र-जमुना का क्रम और सदिया के पास का संगम मानक सामग्री हैं। चीन की निचले मार्ग वाली परियोजना इसी भूगोल को भारत-चीन संबंधों के रूप में GS2 में ले आती है।
2. **GS3 अवसंरचना और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को साथ-साथ रखता है** — GS3 पाठ्यक्रम ऊर्जा अवसंरचना और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को कुछ ही पंक्तियों के अंतर पर सूचीबद्ध करता है, और विशाल हिमालयी बाँध ठीक वहीं खड़े हैं जहाँ ये दोनों मिलते हैं। उत्तर से अपेक्षा है कि वह ऊर्जा और जल की ज़रूरतों को भूकंपीय, पारिस्थितिक और सामाजिक जोखिमों के सामने तौले, और पूर्व-व्यवहार्यता से EIA और फिर बाँध सुरक्षा तक का पूरा क्रम जानता हो।
3. **GS2 और नीतिशास्त्र का प्रश्नपत्र सहमति और परियोजना-प्रभावित लोगों के अधिकारों को परखते हैं** — वन अधिकार अधिनियम, ग्राम सभा और विकास-जनित विस्थापन GS2 में कमज़ोर वर्गों के कल्याण के अंतर्गत बार-बार आते हैं। नीतिशास्त्र का प्रश्नपत्र इसी टकराव को लोकहित

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

बनाम सामुदायिक अधिकारों के रूप में रखता है, और सियांग मामले में दोनों ही पक्ष लोकहित की ओर से बोलने का दावा करते हैं।

- यारलुंग त्सांगपो अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग के रूप में भारत में प्रवेश करती है, और असम में सदिया के पास दिबांग और लोहित के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र कहलाती है; बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है।
- EIA अधिसूचना, 2006 के तहत 50 MW या उससे अधिक की जलविद्युत परियोजनाएँ श्रेणी A की परियोजनाएँ हैं जिनका मूल्यांकन केंद्र स्तर पर होता है, जबकि 25 MW से 50 MW की परियोजनाएँ श्रेणी B की हैं जिनका मूल्यांकन राज्य स्तर पर होता है।
- EIA अधिसूचना, 2006 के तहत जन सुनवाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रशासित प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा आयोजित की जाती है।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 4(5) प्रावधान करती है कि मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी वन-निवासी अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासी के किसी सदस्य को उसके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा।
- नियमगिरि मामले (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई खनन परियोजना वन-निवासी समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को प्रभावित करती है या नहीं, इसका निर्णय ग्राम सभा करेगी।
- बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करता है, और यह 15 मीटर से अधिक ऊँचे विनिर्दिष्ट बाँधों पर, या 10 से 15 मीटर ऊँचे उन बाँधों पर लागू होता है जो निर्धारित डिज़ाइन शर्तें पूरी करते हैं।
- भारत और चीन के बीच कोई जल-बँटवारा संधि नहीं है; वे सीमा-पार नदियों पर 2006 में स्थापित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र के माध्यम से चर्चा करते हैं और समझौता ज्ञापनों के तहत बाढ़ के मौसम के जल-वैज्ञानिक आँकड़े साझा करते हैं।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. **विरोध को “गलत सूचना” कहना सहमति की समस्या को संचार की समस्या में बदल देता है** — मंत्रिमंडल निहित स्वार्थों की गलत सूचना को दोष देता है और जवाब में एक समन्वय समिति और स्कूली प्रदर्शनियाँ सामने रखता है। पर ग्रामीणों का डर जल-विज्ञान की गलत समझ नहीं है; यह इस बात की सही समझ है कि इस आकार की भंडारण परियोजना को एक बड़े जलाशय की ज़रूरत होगी और सर्वेक्षण ही वह पड़ाव है जहाँ उनकी ज़मीन पर पहला निशान लगता है। डाउन टू अर्थ (Down To Earth) की जनवरी 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में चट्टानों की मज़बूती जाँचने के लिए खुदाई (drilling) और पुनर्वास के लिए गाँवों को चिह्नित करना शामिल है, और दोनों ज़िलों के कम से कम 27 गाँव सीधे प्रभावित होंगे। प्रतिपक्ष भी वज़न रखता है: सर्वेक्षण के बिना कोई भी, ग्रामीण भी, परियोजना को परख नहीं सकता। रास्ता यह है कि सर्वेक्षण इस शर्त पर हो कि किसी भी अगले कदम से पहले उसके निष्कर्ष हर ग्राम परिषद के साथ साझा किए जाएंगे।
2. **रणनीतिक तर्क वास्तविक है, और यही तर्क सबसे बड़े संभव बाँध का भी तर्क है** — मंत्रिमंडल जल और ऊर्जा सुरक्षा की बात करता है, और इसका अनकहा संदर्भ चीन की निचले मार्ग वाली परियोजना है। सियांग पर एक बड़ा जलाशय ऊपरी धारा से अचानक छोड़े गए पानी को सोख सकता है या कम पानी वाले मौसम की कमी पूरी कर सकता है, जो नदी-प्रवाह संयंत्र नहीं कर सकता। पर यह तर्क डिज़ाइन को अधिकतम भंडारण और इसलिए अधिकतम डूब की ओर धकेलता है: रणनीतिक लाभ और स्थानीय कीमत साथ-साथ बढ़ते हैं। यह एक बहुत बड़े जलाशय को दुनिया के सबसे अधिक भूकंप-सक्रिय क्षेत्रों में से एक में भी ला बिटाता है, जहाँ 1950 के 8.6 तीव्रता वाले असम-तिब्बत भूकंप ने ऐसे भूस्खलन शुरू किए थे जिन्होंने नदियों का रास्ता रोक दिया था। प्रतिपक्ष यह है कि भंडारण के बिना भारत के पास ऊपरी धारा के निर्माण का कोई जल-वैज्ञानिक उत्तर नहीं है; ईमानदार रख यह है कि बाँध का आकार एक घोषित समझौता (trade-off) होना चाहिए, पहले से मान ली गई बात नहीं।
3. **बाढ़-कुशन और बिजलीघर एक ही जलाशय से उलटी चीज़ें चाहते हैं** — बिजली के लिए जलाशय जितना हो सके भरा रहना चाहिए; बाढ़ नियंत्रण के लिए उसका एक हिस्सा पूरे मानसून खाली रहना चाहिए। इसका समाधान केवल एक प्रकाशित संचालन नियम से हो सकता है — कितना कुशन, कब रखा जाए, और बाढ़ के दौरान निर्णय कौन ले। असम की बाढ़ घाटी पर ही होने वाली बारिश से और सियांग के नीचे मिलने वाली सहायक नदियों से भी आती है, इसलिए ऊपर का एक बाँध बाढ़ के चरम के केवल एक हिस्से को ही कम कर सकता है। इसलिए बाढ़ घटाने का मंत्रिमंडल का दावा विश्वसनीय तो है, पर सशर्त है, और परियोजना रिपोर्टों को इसे आँकड़ों में मापकर बताना होगा। छोटे कुशन का अर्थ है बाढ़ में छोटा लाभ; बड़े कुशन का अर्थ है बिजली से कम राजस्व, और परियोजना के अर्थशास्त्र को साफ़ बताना होगा कि चुनाव

किसका है।

4. अठारह वर्ष से राष्ट्रीय परियोजना और अब भी पूर्व-व्यवहार्यता के स्तर पर: यह ऊपर से थोपे गए नियोजन पर एक फ़ैसला है — SUMP 2008 से राष्ट्रीय परियोजना है, फिर भी 2026 में उसके पहले चरण के सर्वेक्षण को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल के प्रस्ताव की ज़रूरत पड़ रही है। नई दिल्ली से मिले दर्जे ने परियोजना को हैसियत दी, घाटी में वैधता नहीं। अधिकार-प्राप्त समिति राज्य स्तर पर वही तरीका दोहराती है: यह विभागों के बीच समन्वय सुधारती है, और रिपोर्ट इस बारे में कुछ नहीं कहती कि प्रभावित गाँवों को इसमें जगह मिलेगी या नहीं। प्रतिपक्ष यह है कि बड़ी अवसरचना को देरी से पार पाने के लिए एक अधिकार-संपन्न प्राधिकरण चाहिए, और परामर्श का अर्थ मुट्ठी भर लोगों का स्थायी वीटो नहीं हो सकता। पर 2,000 MW की लोअर सुबनसिरी परियोजना, जिसका निर्माण असम में निचली धारा के विरोध प्रदर्शनों के कारण 2011 से लगभग आठ वर्षों तक रुका रहा, बताती है कि शुरुआत में हासिल की गई सहमति देर से लगाए गए बल से कहीं तेज़ साबित होती है।
5. स्कूली बच्चों को मनाने की कोशिश बताती है कि वयस्कों से संवाद कहाँ खड़ा है — 640 विद्यार्थियों के लिए प्रदर्शनियाँ वैध जनसंपर्क हैं, क्योंकि परियोजना के साथ सबसे लंबे समय तक युवा ही जाएँगे; पर जब नदी किनारे के वयस्क विरोध कर रहे हों, तब कक्षाओं की ओर मुड़ना संकेत देता है कि वयस्कों से संवाद टप पड़ चुका है। आदि समुदाय के पास सामूहिक निर्णय के लिए केबांग के रूप में पहले से एक संस्था है, और विश्वसनीय संवाद पूर्व-व्यवहार्यता के प्रश्नों को वहीं ले जाएगा, उन स्वतंत्र तकनीकी सलाहकारों के साथ जिन पर ग्रामीण भरोसा करते हों। डाउन टू अर्थ की मई 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने पहले सर्वेक्षण के लिए सहमति के बदले तीन वर्षों में ₹5 करोड़ के विकास पैकेज की पेशकश की थी, और यह पेशकश एक गाँव के दो निवासियों के साथ हस्ताक्षरित समझौते के ज़रिए की गई थी। गाँव-दर-गाँव तय किए गए पैकेज किसी समुदाय को मनाने के बजाय उसे बाँट सकते हैं।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“किसी बाँध को रणनीतिक राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित कर देने से उन लोगों की सहमति की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती जिन्हें उसके लिए अपनी जगह छोड़नी है।” अरुणाचल प्रदेश की सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और भारत की सीमा-पार जल सुरक्षा संबंधी चिंताओं तथा देशज समुदायों के अधिकारों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए एक ढाँचा सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — SUMP के पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण के लिए अधिकार-प्राप्त उच्च-स्तरीय समिति बनाने के अरुणाचल मंत्रिमंडल के निर्णय, परियोजना की अनुमानित 11,000 MW या उससे अधिक क्षमता, 2008 से उसके राष्ट्रीय परियोजना के दर्जे, और सियांग तथा अपर सियांग ज़िलों में हो रहे विरोध का परिचय दें।
2. मुख्य भाग — रणनीतिक पक्ष — सियांग-यारलुंग त्सांगपो-ब्रह्मपुत्र संबंध, चीन की निचले मार्ग वाली परियोजना और जल-बँटवारा संधि के अभाव को समझाएँ, और यह भी कि नदी-प्रवाह के बजाय भंडारण परियोजना ही बाढ़-कुशन और कुछ जल-वैज्ञानिक बढ़त क्यों देती है।
3. मुख्य भाग — अधिकारों का पक्ष — वन अधिकार अधिनियम, 2006 और उसकी धारा 4(5), वन भूमि के अपवर्तन से पहले ग्राम सभा की सहमति की 2009 की अनिवार्यता, 2013 का नियमगिरि निर्णय, आदि समुदाय और उनका केबांग, तथा यह तथ्य शामिल करें कि EIA की जन सुनवाई सर्वेक्षण के चरण के बाद ही आती है।
4. मुख्य भाग — जोखिम और समझौते — भूकंपीयता, डूब, बाढ़-कुशन और बिजली उत्पादन के बीच के टकराव, 2021 के अधिनियम के तहत बाँध सुरक्षा, और लोअर सुबनसिरी जैसी अटकी परियोजनाओं के सबक की चर्चा करें।
5. निष्कर्ष — साझा निष्कर्षों वाले सहमति-आधारित सर्वेक्षण, अधिकार-प्राप्त समिति में प्रभावित समुदायों की भागीदारी, और जलाशय के आकार तथा संचालन नियमों के सार्वजनिक प्रकटीकरण का प्रस्ताव रखें, ताकि राष्ट्रीय हित घाटी के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर गढ़ा जाए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. आप सियांग ज़िले के उपायुक्त हैं। ग्रामीणों ने एक निर्धारित स्थल पर सर्वेक्षण दल को रोक दिया है। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं सर्वेक्षण को ज़बरदस्ती कराने के बजाय दल को वापस बुला लूँगा, क्योंकि पुलिस के साथे में किया गया सर्वेक्षण आगे के हर चरण में ज़हर घोल देगा। मैं परियोजना के इंजीनियरों के साथ गाँव के केबांग और विरोध के नेताओं से मिलूँगा और ठीक-ठीक समझाऊँगा कि सर्वेक्षण में क्या शामिल है, खुदाई कहाँ होगी और इससे क्या तय नहीं होता। मैं आँकड़े गाँव के साथ साझा करने और ग्रामीणों की पसंद के किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ को निगरानी के लिए आमंत्रित करने की पेशकश करूँगा। हर वचन लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, ताकि

अधिकार-प्राप्त समिति उससे बँधी रहे।

प्रश्न 2. आप नई अधिकार-प्राप्त समिति के सदस्य सचिव हैं। इसके पहले तीन निर्णय क्या होने चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): पहला, प्रभावित क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और ग्राम परिषद के सदस्यों को इसमें शामिल करना, ताकि इसे बल-प्रयोग का औज़ार न समझा जाए। दूसरा, सरल भाषा में, स्थानीय भाषा सहित, यह प्रकाशित करना कि सर्वेक्षण क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, और क्या यह पुनर्वास के लिए कोई ज़मीन चिह्नित करता है। तीसरा, उत्तर देने की निश्चित समय-सीमा वाला एक शिकायत-निवारण तंत्र स्थापित करना। विश्वसनीयता के बिना समन्वय केवल टकराव की रफ़्तार बढ़ाएगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या रणनीतिक राष्ट्रीय महत्व की कोई परियोजना स्थानीय सहमति को दरकिनार कर सकती है?

दृष्टिकोण (Approach): राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहित कर सकता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा एक वैध प्रयोजन है; भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के तहत विशुद्ध सरकारी परियोजना के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन तो ज़रूरी है, पर प्रभावित परिवारों की सहमति नहीं। लेकिन अधिग्रहण की शक्ति उन अधिकारों की अनदेखी का लाइसेंस नहीं है जिन्हें संसद ने वन अधिकार अधिनियम में लिखा और सर्वोच्च न्यायालय ने नियमगिरि में लागू कराया। रणनीतिक महत्व परामर्श के दायित्व को और बढ़ा देता है, क्योंकि कीमत एक छोटा देशज समुदाय चुकाता है जबकि लाभ पूरे राष्ट्र को मिलते हैं। जहाँ सहमति नहीं मिल सकती, वहाँ बल-प्रयोग से पहले स्वयं डिज़ाइन — आकार, स्थान और जलाशय का स्तर — पर पुनर्विचार होना चाहिए।

6. स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान (Health & Life Sciences)

आज की तीनों खबरें उस नुकसान के बारे में हैं जो खुलेआम मौजूद है, फिर भी दिखाई नहीं देता: पैकेट के पीछे छिपी चीनी, नमक और वसा; दवाओं की आपूर्ति शृंखला में घुसी नकली दवाएँ; और एक बच्ची की गर्भावस्था, जिसका पता कानूनी समय-सीमा बीत जाने के बाद चला। हर मामले में उपाय बरसों से मालूम था, और राज्य तभी हरकत में आया जब किसी न्यायालय या मानवाधिकार आयोग ने उसे धकेला। सबक यह है कि लोक स्वास्थ्य में समय-सीमाएँ स्वयं स्वास्थ्य नीति होती हैं। लेबल के लिए एक साल की मोहलत, दवाओं की ट्रेसिंग का प्रस्ताव समिति के हवाले कर देना, और मेडिकल बोर्ड की जाँच तथा न्यायालय के आदेश के बीच ग्यारह दिन — इन सबकी कीमत ईसानों को चुकानी पड़ती है।

6.1 FSSAI ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा: चीनी, नमक और वसा पर लाल षट्भुज वाली चेतावनी एक ही चरण में लागू होगी

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India – FSSAI) ने बुधवार, 23 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वह पैकेटबंद खाद्य और पेय पदार्थों पर पैकेट के सामने पोषण लेबलिंग (front-of-pack nutrition labelling) चरणों में नहीं, बल्कि एक ही चरण में लागू करेगा। पैकेट के सामने लेबलिंग का अर्थ है पैकेट के उस हिस्से पर एक सरल चेतावनी, जहाँ खरीदार की नज़र सबसे पहले पड़ती है, न कि पीछे छिपी विस्तृत पोषण तालिका। अपने अनुपालन हलफनामे (compliance affidavit) में FSSAI ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act) के तहत मसौदा विनियमों को अंतिम रूप देने और जारी करने में उसे लगभग चार महीने लगेंगे, जिसके बाद खाद्य कारोबारियों (food business operators) को अनुपालन के लिए एक वर्ष मिलेगा। इकोनॉमिक टाइम्स (ET) के अनुसार यह एक वर्ष उन कंपनियों को “व्यावसायिक कठिनाइयों” से बचाने के लिए है जिनकी पैकेजिंग पहले ही थोक में छप चुकी है। द हिंदू इसे “365 दिनों की स्वैच्छिक कार्यान्वयन अवधि” कहता है। यह हलफनामा न्यायालय के 10 सितंबर के आदेश का उत्तर है, जिसमें “उचित, वैज्ञानिक रूप से न्यायसंगत और स्पष्ट रूप से परिभाषित समय-सीमा” माँगी गई थी और खाद्य सुरक्षा को “राष्ट्रीय हित” का विषय बताया गया था। प्रस्तावित प्रतीक कनाडा के प्रारूप से मिलता-जुलता है: सफ़ेद वर्गाकार पृष्ठभूमि पर एक लाल षट्भुज (hexagon), जिस पर उन पोषक तत्वों के नाम छपे होंगे जो निर्धारित सीमा से अधिक हैं। इसे पैकेट के सामने ऊपरी बाएँ कोने में लगाना होगा, और इसका फ्रॉन्ट पीछे की पोषण तालिका के फ्रॉन्ट से कम-से-कम एक पाइंट बड़ा होना चाहिए। अधिकता वाले सभी पोषक तत्व एक ही षट्भुज में दर्ज होंगे; जन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने हर पोषक तत्व के लिए अलग प्रतीक माँगा था, पर FSSAI ने यह कहकर माँग ठुकरा दी कि इससे उपभोक्ता भ्रमित हो सकते हैं। चीनी, नमक या वसा में से किसी एक की भी अधिकता हो, तो उत्पाद पर चेतावनी लगेगी। सीमाएँ भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research – ICMR) के अधीन राष्ट्रीय पोषण संस्थान (National Institute of Nutrition – NIN) की हैं। पैकेटबंद भोजन के लिए चीनी की सीमा अतिरिक्त चीनी (added sugar) से मिलने वाली ऊर्जा का 5% रखी गई है, और कुल चीनी 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए; वसा की सीमा अतिरिक्त वसा से मिलने वाली ऊर्जा का 15% और कुल वसा से 30% तक है। तरल खाद्य और पेय पदार्थों के लिए वसा की सीमाएँ वही रहेंगी, जबकि चीनी की सीमाएँ ऊर्जा का 10% और 30% हैं। इस हिसाब से जिस नींबू के रस में प्रति 100 ml 2 g से अधिक अतिरिक्त चीनी या 175 mg से अधिक नमक हो, या जिन चिप्स में प्रति 100 g 4.2 g से अधिक अतिरिक्त वसा या 625 mg से अधिक नमक हो, उन पर चेतावनी लगेगी। वसा के मामले में अखबारों के विवरण अलग हैं: ET अतिरिक्त वसा की बात करता है, जबकि द हिंदू संतृप्त वसा (saturated fat) की। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS2 में स्वास्थ्य, तथा GS3 में खाद्य प्रसंस्करण और उपभोक्ता संरक्षण।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

भारत में गैर-संचारी रोगों (non-communicable diseases – NCDs) का बोझ बढ़ने के साथ वसा, चीनी और नमक से भरपूर पैकेटबंद खाद्य पदार्थ रोज़ की खुराक बन जाते हैं → 2014 में FSSAI की एक विशेषज्ञ समिति और 2018 का एक मसौदा पैकेट के सामने चेतावनी का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे बाद के मसौदे कमज़ोर कर देते हैं → 2022 के स्टार-रेटिंग प्रस्ताव की आलोचना होती है कि वह अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों को ‘सहतमंद होने की छवि’ (health halo) दे देता है → जन स्वास्थ्य से जुड़े याचिकाकर्ता इस देरी को सर्वोच्च न्यायालय ले जाते हैं, जो 10 सितंबर को स्पष्ट समय-सीमा माँगता है → FSSAI ICMR-NIN की सीमाओं और एक वर्ष की अनुपालन अवधि के साथ एक ही चरण में लाल षट्भुज वाली चेतावनी का प्रस्ताव रखता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. FSS अधिनियम, 2006 ने FSSAI को एकमात्र खाद्य नियामक बनाया और उसे लेबल निर्धारित करने की शक्ति दी — खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ने खाद्य से जुड़े आठ पुराने कानूनों और आदेशों को, जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (Prevention of Food Adulteration Act) भी शामिल था, एक साथ लाकर उनकी जगह एक एकल, विज्ञान-आधारित ढाँचा स्थापित किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण इस अधिनियम की धारा 4 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय (statutory body) है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है, और ज़मीनी स्तर पर कानून को राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त लागू करते हैं। धारा 23 ऐसे पैकेटबंद भोजन की बिक्री पर रोक लगाती है जिस पर विनियमों के अनुसार चिह्न और लेबल न लगे हों, और ये विनियम FSSAI केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से धारा 92 के तहत बनाता है। अधिनियम धारा 52 के तहत मिथ्या छाप वाले (misbranded) भोजन को और धारा 53 के तहत भ्रामक विज्ञापनों को दंडनीय बनाता है; झूठे स्वास्थ्य दावों के विरुद्ध कार्रवाई का कानूनी आधार यही प्रावधान है।
2. भारत में पैकेट के सामने लेबल पर बहस एक दशक से अधिक पुरानी है, और हर मसौदा पिछले से कमज़ोर निकला — डाउन टू अर्थ के अनुसार FSSAI की एक विशेषज्ञ समिति ने 2014 में सिफ़ारिश की थी कि कैलोरी और चिंताजनक पोषक तत्व, जैसे चीनी, वसा और नमक, पैकेट के

सामने दिखाए जाएँ। 2018 के एक मसौदे में सीमा से अधिक पोषक तत्वों को लाल रंग में उजागर करना अनिवार्य किया गया। 2019 के संशोधन में नमक की जगह सोडियम, कुल वसा की जगह संतृप्त वसा और कुल चीनी की जगह अतिरिक्त चीनी रख दी गई, और विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (Centre for Science and Environment) ने कहा कि ये बदलाव उद्योग के अनुकूल थे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020 (FSS (Labelling and Display) Regulations), जो आज पैकेट के पीछे की पोषण जानकारी को नियंत्रित करते हैं, पैकेट के सामने की चेतावनी के बिना ही अधिसूचित कर दिए गए। 2022 में FSSAI ने 'भारतीय पोषण रेटिंग' (Indian Nutrition Rating) का प्रस्ताव रखा, एक स्टार प्रणाली जिसमें अधिक सेहतमंद उत्पादों को अधिक स्टार मिलते हैं। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसकी आलोचना की, क्योंकि स्टार चीनी, नमक या वसा से भरपूर खाद्य पदार्थों को भी सेहतमंद दिखा सकते हैं। लाइवलो के अनुसार वर्तमान कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय में 3S and Our Health Society v. Union of India मामले में चल रही है।

3. चेतावनी लेबल और रेटिंग लेबल दो अलग विचारों पर टिके हैं, और हानिकारक पोषक तत्वों के विरुद्ध चेतावनी अधिक कारगर औज़ार है — पैकेट के सामने की जो प्रणालियाँ खरीदार को आँकड़ों का अर्थ समझाती हैं, वे दो परिवारों में बैठती हैं। रेटिंग प्रणालियाँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया की स्वैच्छिक हेल्थ स्टार रेटिंग (Health Star Rating) और फ्रांस का न्यूट्री-स्कोर (Nutri-Score), पूरे उत्पाद को एक ग्रेड देती हैं और फ़ाइबर या प्रोटीन जैसे अच्छे पोषक तत्वों को बुरे पोषक तत्वों की भरपाई करने देती हैं। चेतावनी प्रणालियाँ केवल हानिकारक चीज़ों को चिह्नित करती हैं। खाद्य लेबलिंग और विज्ञापन से जुड़ा चिली का कानून 20.606, जो 2012 में बना और 2016 से लागू है, चीनी, सोडियम, संतृप्त वसा और कैलोरी में से प्रत्येक के लिए एक काला अष्टभुजाकार 'उच्च मात्रा' ('high in') लेबल अनिवार्य करता है और ऐसे खाद्य पदार्थों के बच्चों के बीच विपणन पर अंकुश लगाता है। तब से कई लैटिन अमेरिकी देशों ने ऐसी ही चेतावनियाँ अपनाई हैं। कनाडा का अनिवार्य प्रतीक, जो 2026 से ज़रूरी है, काले-सफ़ेद रंग का एक ही 'उच्च मात्रा' वाला बॉक्स है, जिसमें अधिकता वाले सभी पोषक तत्व एक साथ सूचीबद्ध होते हैं; FSSAI का कहना है कि वह इसी एक-प्रतीक वाले तरीके का अनुसरण कर रहा है।

4. WHO की सीमाएँ और अनुच्छेद 47 वह लोक-स्वास्थ्य आधार रेखा तय करते हैं जिस पर इन सीमाओं को परखा जाना चाहिए — विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization - WHO) की सिफ़ारिश है कि मुक्त शर्करा (free sugars) का सेवन कुल ऊर्जा सेवन के 10% से कम रखा जाए, और अतिरिक्त लाभ के लिए 5% से भी कम, तथा वयस्कों का नमक सेवन प्रतिदिन 5 g से कम हो। गैर-संचारी रोगों पर उसकी वैश्विक कार्य योजना ने कुछ स्वैच्छिक लक्ष्य तय किए, जिनमें 2025 तक NCDs से होने वाली समय-पूर्व मृत्यु दर में 25% की सापेक्ष कमी और आबादी के औसत नमक सेवन में 30% की सापेक्ष कमी शामिल है। वसा, चीनी और नमक से भरपूर (high in fat, sugar and salt - HFSS) खाद्य पदार्थ मोटापे, उच्च रक्तचाप और मधुमेह के प्रमुख आहार-जनित कारक हैं। भारत में ICMR का संस्थान, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद, आहार संबंधी दिशानिर्देश और पोषक तत्वों की सीमाएँ तैयार करता है। संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वह पोषण स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में माने।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- 1. GS2 का स्वास्थ्य और GS3 का खाद्य प्रसंस्करण एक ही नियामक प्रश्न में आ मिलते हैं** — पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों और भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योगों का स्पष्ट उल्लेख है। जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों और प्रसंस्कृत भोजन के विनियमन पर मुख्य परीक्षा के प्रश्नों में इस मामले को ताज़ा साक्ष्य के रूप में लिखा जा सकता है कि कोई विनियमन कारगर होगा या नहीं, यह उसकी बनावट से जुड़े चुनाव तय करते हैं: प्रतीक, सीमाएँ और समय-सीमा।
- 2. प्रारंभिक परीक्षा नियामकों को उनके मूल अधिनियम, मंत्रालय और शक्तियों के ज़रिए परखती है** — नियामकों पर प्रश्न प्रायः यह पूछते हैं कि कोई निकाय किस अधिनियम से बना है, वह किस मंत्रालय के अधीन है और उसके आदेश बाध्यकारी हैं या नहीं। FSSAI, FSS अधिनियम के तहत विनियम बनाने की शक्ति, ICMR-NIN और चीनी तथा नमक पर WHO की सीमाएँ — ये सभी संभावित सामग्री हैं, और चेतावनी लेबल तथा रेटिंग लेबल का अंतर भी। ऐसे प्रश्नों के साथ अनुच्छेद 47 जैसे संवैधानिक आधार अक्सर जोड़ दिए जाते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 को निरस्त किया और खाद्य से जुड़े कई कानूनों तथा आदेशों को एक ही कानून में समेकित किया।
- भारत में पूर्व-पैकेटबंद भोजन की लेबलिंग, जिसमें पोषण सूचना तालिका भी शामिल है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020 से नियंत्रित होती है, जिन्हें

FSSAI ने FSS अधिनियम के तहत बनाया है।

- चिली का खाद्य लेबलिंग कानून, जो 2012 में बना और 2016 से लागू हुआ, काले अष्टभुजाकार 'उच्च मात्रा' चेतावनी लेबल अनिवार्य करता है, जबकि न्यूट्री-स्कोर और हेल्थ स्टार रेटिंग सारांश रेटिंग प्रणालियाँ हैं जो पूरे उत्पाद को ग्रेड देती हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश है कि मुक्त शर्करा का सेवन घटाकर कुल ऊर्जा सेवन के 10% से कम किया जाए, और वयस्क प्रतिदिन 5 g से कम नमक का सेवन करें।
- संविधान का अनुच्छेद 47, जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है, राज्य को निर्देश देता है कि वह पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में माने।
- राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. 'एक ही चरण' सबसे बड़ी रियायत है, पर अनिवार्य चेतावनियाँ अब भी एक साल से ज्यादा दूर हैं — जन स्वास्थ्य समूहों को आशंका थी कि चरणबद्ध कार्यान्वयन में सबसे विवादित उत्पादों को टाल दिया जाएगा और हर नया चरण लॉबिंग का रास्ता फिर से खोल देगा; एक ही चरण यह जोखिम खत्म कर देता है। लेकिन नियामक की अपनी समय-सारणी ही लगभग चार महीने विनियम जारी करने की ओर फिर 365 दिनों की अवधि की है। अगर कहीं कोई देरी न भी हो, तब भी अनिवार्य चेतावनियाँ 2028 की शुरुआत से पहले दुकानों की अलमारियों तक नहीं पहुँचेंगी। यहाँ द हिंदू का शब्द 'स्वैच्छिक' मायने रखता है: यदि पूरे वर्ष अनुपालन स्वैच्छिक है, तो चेतावनी अवधि के अंत में ही बाध्यता बनेगी, और सबसे अस्वास्थ्यकर उत्पादों के निर्माताओं के पास पहले कदम उठाने का कोई कारण नहीं रहेगा। थोक में छप चुकी पैकेजिंग को लेकर उद्योग का तर्क एक संक्रमण अवधि (transition period) को उचित ठहराता है, पर ज़रूरी नहीं कि पूरे एक वर्ष को। दूसरी ओर, जल्दबाज़ी में बना नियम मुकदमों और स्थगन आदेशों को न्योता देता है, और टिकी रहने वाली एक समय-सीमा उस महत्वाकांक्षी समय-सीमा से बेहतर है जिसे कोई न्यायालय निलंबित कर दे।
2. हलफ़नामे की असली जीत स्टार रेटिंग के बजाय चेतावनी को चुनना है — 2022 की भारतीय पोषण रेटिंग में चीनी से भरपूर बिस्कुट भी अपने फ़ाइबर या प्रोटीन के दम पर स्टार कमा सकता था; आलोचक 'सहतमंद होने की इसी छवि' से आगाह कर रहे थे। लाल षट्भुज केवल अधिकता वाले पोषक तत्वों का नाम लेता है, किसी और चीज़ का श्रेय नहीं देता, और खरीदार से बस एक प्रश्न पूछता है: क्या इस उत्पाद में कोई हानिकारक चीज़ ज्यादा है? हर पोषक तत्व को अलग प्रतीक न देने का निर्णय भारत के भीड़-भरे पैकेट को देखते हुए तर्कसंगत ठहराया जा सकता है, पर इसकी एक कीमत है। तीनों पोषक तत्वों की अधिकता वाले उत्पाद पर भी एक ही षट्भुज होगा, ठीक वैसे ही जैसे केवल एक की अधिकता वाले उत्पाद पर, इसलिए नुकसान बढ़ने के साथ संकेत नहीं बढ़ता। चिली का प्रति पोषक तत्व एक अष्टभुज वाला तरीका बहुत अस्वास्थ्यकर उत्पाद को बहुत अस्वास्थ्यकर दिखाता है, और इसीलिए कार्यकर्ता उसे चाहते थे।
3. कितने उत्पाद दायरे में आएँगे, यह रंग से अधिक सीमाएँ और उनकी सटीक शब्दावली तय करेगी — ICMR-NIN की सीमाएँ भारतीय विज्ञान पर आधारित हैं, इसलिए किसी आयातित मॉडल की तुलना में न्यायालय में उन्हें चुनौती देना कठिन होगा। लेकिन ऊर्जा के हिस्से के रूप में तय की गई सीमा का पालन उत्पाद का नुस्खा बदलकर (reformulation) भी किया जा सकता है, जैसे चीनी की जगह गैर-पोषक मिठास (non-nutritive sweeteners) डालकर; इसलिए विनियमन में स्पष्ट नियम होने चाहिए कि 'अतिरिक्त' किसे माना जाएगा। अतिरिक्त और संतृप्त वसा को लेकर अखबारों के अलग-अलग विवरण देखते हुए यह बात अहम है कि डाउन टू अर्थ के अनुसार 2019 के मसौदे में कुल वसा से संतृप्त वसा और नमक से सोडियम की ओर बदलाव को उद्योग के अनुकूल माना गया था; इसलिए अंतिम शब्दावली को बारीकी से पढ़ना होगा। नमक बनाम सोडियम कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि 1 g सोडियम लगभग 2.5 g नमक के बराबर होता है, और सोडियम में लिखी गई सीमा नमक में लिखी उसी सीमा से कम दिखती है। निर्माताओं का नुस्खा बदलकर सीमा से ठीक नीचे बने रहना कोई चोर दरवाज़ा नहीं है। नीति ठीक यही करने के लिए बनी है।
4. ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्मों पर कार्रवाई दिखाती है कि लेबल वहीं मायने रखता है जहाँ खरीदार उसे सचमुच देखता है, और वह जगह अब अधिकाधिक एक स्क्रीन है — ET की रिपोर्ट के अनुसार हलफ़नामे के साथ-साथ FSSAI ने Happilo Premium Date Bites – Zesty Orange के बारे में कथित भ्रामक दावों को लेकर Amazon, Flipkart India, Swiggy Instamart, Zepto और BigBasket के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है। Swiggy Instamart और BigBasket पर Milky Mist के तीन डेयरी उत्पादों को लेकर भी कार्रवाई हो रही है, और Amazon Seller Services, Swiggy Instamart तथा BigBasket पर ज़हरीले पौधे धतूरे (Datura) के फलों और बीजों की ऑनलाइन बिक्री को लेकर। अगर ऐप पर केवल उत्पाद की तस्वीर दिखती है, तो भौतिक पैकेट पर छपा लाल षट्भुज किसी काम का नहीं; इसलिए अंतिम विनियमन में हर ऑनलाइन लिस्टिंग पर चेतावनी अनिवार्य की जानी चाहिए। प्लेटफ़ॉर्म दलील देंगे कि वे केवल

	बाज़ार-स्थल (marketplace) हैं और दायित्व विक्रेताओं का है। लेकिन अगर धतूरे वाला आरोप सही साबित होता है, तो यह दिखाता है कि प्लेटफ़ॉर्म की अपनी लिस्टिंग जाँच ही एकमात्र व्यावहारिक नियंत्रण है। 5. जब किसी नियामक को सर्वोच्च न्यायालय से समय-सीमा लेनी पड़े, तो विफलता संस्थागत है — न्यायालय की 'राष्ट्रीय हित' वाली भाषा और 'स्पष्ट रूप से परिभाषित समय-सीमा' की उसकी माँग दिखाती है कि न्यायालय वह खालीपन भर रहा है जिसे नियामक ने बरसों तक खुला छोड़ रखा। लाइवली की रिपोर्ट है कि न्यायालय ने पहले यह सवाल भी उठाया था कि कहीं चेतावनी लेबल का FSSAI द्वारा विरोध उद्योग के दबाव से तो नहीं उपजा। न्यायालय समय-सीमा तय कर सकता है, पर लेबल का डिज़ाइन नहीं बना सकता। FSS अधिनियम के तहत बने वैज्ञानिक पैनल और सार्वजनिक परामर्श ही इसके लिए सही मंच हैं, और मुकदमेबाज़ी का काम उन्हें जवाबदेह ठहराना होना चाहिए, उनकी जगह लेना नहीं। विरोधी मत सीधा है: एक दशक के मसौदे बताते हैं कि न्यायालय के बिना कुछ भी आगे न बढ़ता। स्थायी समाधान यह होगा कि किसी मसौदे के प्रकाशित होने के बाद स्वास्थ्य की दृष्टि से अहम विनियमों को अंतिम रूप देने की सांविधिक या विनियामक समय-सीमा तय कर दी जाए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“पैकेट के सामने चेतावनी लेबल गैर-संचारी रोगों के विरुद्ध एक कम लागत वाला औज़ार हैं, फिर भी भारत में इन पर एक दशक से अधिक समय से बहस चल रही है।” FSSAI द्वारा प्रस्तावित पैकेट के सामने लेबलिंग में किए गए डिज़ाइन संबंधी चुनावों का परीक्षण कीजिए और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए इसे प्रभावी बनाने की चुनौतियों की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका — भारत में गैर-संचारी रोगों के बोझ और HFSS खाद्य पदार्थों की भूमिका से शुरुआत कीजिए, फिर बताइए कि FSSAI ने 23 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि वह एक ही चरण में लाल षट्भुज वाली चेतावनी लाएगा, जिसमें विनियम अधिसूचित करने के लिए लगभग चार महीने और अनुपालन के लिए एक वर्ष का समय होगा। 2. मुख्य भाग — डिज़ाइन संबंधी चुनाव — चेतावनी बनाम रेटिंग के चुनाव को समझाइए और उसकी तुलना 2022 के स्टार-रेटिंग प्रस्ताव तथा 'सहतमंद होने की छवि' वाली आलोचना से कीजिए। अधिकता वाले सभी पोषक तत्वों को सूचीबद्ध करने वाला एक षट्भुज बनाम चिली का प्रति पोषक तत्व एक अष्टभुज, नीबू के रस और चिप्स के उदाहरणों सहित ICMR-NIN की ऊर्जा-हिस्से पर आधारित सीमाएँ, ऊपरी बाएँ कोने में स्थान और फ्रॉन्ट आकार का नियम — इन सबको शामिल कीजिए। 3. मुख्य भाग — चुनौतियाँ — समय-सीमा और 'स्वैच्छिक' वर्ष, अतिरिक्त बनाम संतुष्ट वसा तथा नमक बनाम सोडियम की अस्पष्टता, मिठास के विकल्पों से नुस्खा बदलना, धतूरे और भ्रामक दावों वाली कार्रवाइयों के उदाहरण सहित ई-कॉमर्स तथा क्विक-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्मों पर प्रवर्तन, राज्यों में खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन की क्षमता, और उपभोक्ताओं में पोषण संबंधी जागरूकता की चर्चा कीजिए। 4. मुख्य भाग — आगे की राह — विनियमन में निश्चित तिथियाँ, ऑनलाइन लिस्टिंग में अनिवार्य चेतावनी, चिली के मॉडल पर बच्चों को HFSS खाद्य पदार्थों के विपणन पर रोक, स्कूल कैंटीन के नियम, और ICMR-NIN द्वारा सीमाओं की आवधिक समीक्षा सुझाइए। 5. निष्कर्ष — तर्क दीजिए कि रेटिंग के बजाय चेतावनी का चुनाव ही ठोस उपलब्धि है, और अब इसका लोक-स्वास्थ्य मूल्य बारीक शर्तों तथा प्रवर्तन पर निर्भर है; इसे अनुच्छेद 47 से जोड़िए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप किसी राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं। छोटे सैनिक निर्माता कहते हैं कि एक वर्ष की अवधि उनके लिए बहुत कम है। आप क्या उत्तर देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं पैकेजिंग दोबारा छापने की वास्तविक कठिनाई को चेतावनी के प्रति प्रतिरोध से अलग करके देखूँगा। छोटी इकाइयों की मदद तैयार डिज़ाइन टेम्पलेट, एक हेल्पडेस्क और सीमाओं की गणना पर स्पष्ट मार्गदर्शन से की जा सकती है, पर समय-सीमा सबके लिए एक-सी होनी चाहिए, वरना बड़ी कंपनियाँ अपने उत्पाद छोटी इकाइयों के रास्ते बाज़ार में उतारने लगेंगी। मैं उन उत्पादों की सूची प्रकाशित करूँगा जिन पर चेतावनी लगने की संभावना है, ताकि कंपनियाँ पहले से योजना बना सकें। मेरा संदेश यह होगा कि नियम आकर रहेगा, और जो सबसे पहले नुस्खा बदलेंगे, वे सबसे कम ग्राहक खोएँगे। प्रश्न 2. ज़िला कलेक्टर के रूप में आपको पता चलता है कि आपके ज़िले का एक डार्क स्टोर क्विक-कॉमर्स ऐप के ज़रिए धतूरे के बीज बेच रहा है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं अभिहित अधिकारी (Designated Officer) और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से तुरंत परिसर का निरीक्षण करवाऊँगा, FSS अधिनियम के तहत स्टॉक ज़ब्त करवाकर नमूने लिवाऊँगा, और खाद्य सुरक्षा आयुक्त तथा FSSAI को सूचित करूँगा। चूँकि धतूरा ज़हरीला है, मैं अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग को विषाक्तता के मामलों पर नज़र रखने

के लिए सतर्क करूँगा। मैं प्लेटफॉर्म से यह भी कहूँगा कि वह उत्पाद को केवल मेरे ज़िले में नहीं, पूरे क्षेत्र में अपनी सूची से हटाए। अंत में मैं प्लेटफॉर्म से पूछूँगा कि उसके अपने फ़िल्टरों ने यह लिस्टिंग होने कैसे दी, क्योंकि दोबारा ऐसा होने का खतरा वही है।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृष्ठता है: क्या चेतावनी लेबल राज्य का अभिभावकवाद (paternalism) नहीं है? वयस्क स्वयं तय कर सकते हैं कि उन्हें क्या खाना है।

दृष्टिकोण (Approach): चेतावनी किसी को कुछ भी खरीदने से नहीं रोकती। वह केवल उस जानकारी को, जो कानूनन पहले से देनी होती है, चुनाव के क्षण पर पढ़ने में आसान बना देती है। वास्तविक स्वायत्तता सूचित चुनाव पर टिकी है, और छोटे पैकेट के पीछे छुपी पोषण तालिका अधिकांश खरीदारों को कुछ नहीं बताती। अभिभावकवाद की आपत्ति किसी प्रतिबंध या कर के विरुद्ध कहीं अधिक वज़नदार होती। पैकेट के सामने चेतावनी उन सबसे कम दबावकारी औज़ारों में से है जो राज्य के पास एक ऐसी समस्या के लिए हैं जिसकी भारी कीमत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था चुकाती है।

6.2 नकली दवाओं से निपटने के लिए NHRC ने राष्ट्रीय औषधि पंजीकरण प्रमाणपत्र और QR आधारित ट्रैक-एंड-ट्रेस की सिफ़ारिश की

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। इकोनॉमिक टाइम्स (ET) की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission – NHRC) ने नकली और जाली (spurious and counterfeit) दवाओं पर अंकुश लगाने के उपायों के एक व्यापक पैकेज के हिस्से के रूप में तीन प्रमुख सिफ़ारिशों की हैं: भारत में बिकने वाली दवाओं के लिए एक केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली, आपूर्ति शृंखलाओं में उनकी आवाजाही पर वास्तविक समय में नज़र रखने वाला एक पोर्टल, और उनकी प्रामाणिकता जाँचने के लिए डायनेमिक QR कोड। सरल शब्दों में, नकली दवा वह है जो किसी दूसरी दवा की नकल हो, जिस पर निर्माता का झूठा नाम हो, या जिसे पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी और चीज़ से बदल दिया गया हो। केंद्रीय प्रस्ताव एक राष्ट्रीय औषधि डेटा पंजीकरण प्रमाणपत्र (National Drug Data Registration Certificate) का है — एक केंद्रीकृत और प्रमाणित व्यवस्था, जिसके तहत हर दवा का केंद्र सरकार के पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य पंजीकरण होगा। इसमें ब्रांडेड, ब्रांडेड जेनेरिक और बिना ब्रांड वाली जेनेरिक दवाएँ शामिल हैं, चाहे वे किसी तीसरे पक्ष द्वारा बनाई गई हों या घरेलू उपयोग अथवा निर्यात के लिए। ब्रांडेड जेनेरिक वह पेटेंट-मुक्त दवा है जो किसी कंपनी के अपने ब्रांड नाम से बेची जाती है, और तृतीय-पक्ष विनिर्माण (third-party manufacturing) का अर्थ है कि एक कंपनी अनुबंध के तहत अपना उत्पाद किसी दूसरी कंपनी से बनवाती है। NHRC ने एक ट्रैक-एंड-ट्रेस पोर्टल का भी प्रस्ताव रखा है, जिसमें हर दवा के निर्माता की पहचान, संरचना, बैच की जानकारी और वितरण शृंखला दर्ज होगी, ताकि प्रत्येक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में प्रवेश करने वाली दवाओं पर वास्तविक समय में नज़र रखी जा सके; शुरुआत जीवनरक्षक और उच्च-जोखिम वाली दवाओं से होगी। केंद्र द्वारा विनियमित डिजिटल प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल के तहत दवा के पैकेटों पर QR कोड डायनेमिक और अद्वितीय क्रम संख्या वाले (uniquely serialised) होंगे, ताकि उनकी नकल रोकी जा सके और सभी निर्माताओं के बीच डेटा प्रबंधन (data governance) एक-सा हो। सीधे शब्दों में, हर पैकेट का अपना कोड होगा, इसलिए नकल किया गया कोड दोहराव के रूप में पकड़ में आ जाएगा। आयोग ने नकली दवाओं के मामलों का एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की सिफ़ारिश की है, जिसमें अपराधी, उत्पाद, उभरते पैटर्न और प्रवर्तन के नतीजे दर्ज हों; कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence – AI) उपकरणों की मदद से इसका उपयोग संगठित नेटवर्कों और बार-बार अपराध करने वालों की पहचान में किया जा सकता है। उसने फ़ॉरेंसिक प्रोटोकॉल, नमूना संग्रह, अवशेष और प्रयोगशाला विश्लेषण, आपूर्ति शृंखला की जाँच, डिजिटल साक्ष्य निकालने और कानूनी रणनीतियों के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (standard operating procedure – SOP) का भी प्रस्ताव रखा है। ये प्रस्ताव इस वर्ष की शुरुआत में 'भारत में नकली दवाओं पर अंकुश के उपाय' (Measures to Curb Spurious Medicines in India) विषय पर हुई एक खुली चर्चा (open house discussion) के बाद आए हैं, जिसकी अध्यक्षता NHRC के सदस्य न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने की थी और जिसमें केंद्र तथा राज्यों के औषधि प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया था। NHRC ने अगस्त में ये सिफ़ारिशें केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation – CDSCO) को भेजीं। नियामक ने इन्हें सलाह के लिए औषधि परामर्शदात्री समिति (drug consultative committee) के पास भेज दिया, जिसे ET CDSCO के अधीन एक विशेषज्ञ समिति बताता है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS2 में स्वास्थ्य और सांविधिक निकाय, तथा GS3 में शासन में प्रौद्योगिकी।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

भारत का दवा बाज़ार बहुत बड़ी संख्या में ब्रांडों पर चलता है, जिनका बड़ा हिस्सा अनुबंध पर बनता है, और विनियमन केंद्र तथा राज्यों में बँटा हुआ है → नकली दवा बनाने वाले एकल रजिस्टर के न होने और हर पैकेट की अलग पहचान के अभाव का फ़ायदा उठाते हैं → केंद्र टुकड़ों में ट्रेसबिलिटी (traceability) जोड़ता है: सक्रिय औषधीय घटकों (active pharmaceutical ingredients – APIs) पर QR कोड, शीर्ष 300 ब्रांडों पर बारकोड और जून 2026 में इसका विस्तार टीको, रोगाणुरोधी दवाओं (antimicrobials), स्वापक औषधियों (narcotic drugs) और कैसर-रोधी दवाओं तक → NHRC नकली दवाओं पर खुली चर्चा आयोजित करता है और अगस्त में CDSCO को एक संपूर्ण ढाँचा भेजता है → CDSCO इसे औषधि परामर्शदात्री समिति के पास भेजता है, जहाँ केंद्र और राज्यों को सहमत होना होगा

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 खराब दवाओं को तीन कानूनी श्रेणियों में बाँटता है, और जान को खतरे में डालने वाली नकली दवाओं पर सबसे कठोर दंड रखता है — औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act) की धारा 17 मिथ्या छाप वाली (misbranded) दवा को परिभाषित करती है, जैसे वह दवा जिसे खराबी छिपाने के लिए रंगा या लेपित किया गया हो या जिसके लेबल पर झूठा दावा हो। धारा 17A

अपमिश्रित (adulterated) दवा को परिभाषित करती है, जैसे अस्वच्छ परिस्थितियों में बनी या कोई हानिकारक पदार्थ युक्त दवा। धारा 17B नकली दवा को परिभाषित करती है: वह दवा जो किसी दूसरी दवा के नाम से बेची जाए, किसी दूसरी दवा की नकल में बनाई जाए, या जिस पर किसी काल्पनिक निर्माता का नाम हो। जो दवा केवल निर्धारित मानक से नीचे हो, उसे 'मानक गुणवत्ता की नहीं' (not of standard quality) कहा जाता है, जो एक अलग और कम गंभीर श्रेणी है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 ने दंड बढ़ाए। धारा 27(a) के तहत मृत्यु या घोर उपहति (grievous hurt) का कारण बन सकने वाली अपमिश्रित या नकली दवा के लिए कम-से-कम दस वर्ष का कारावास है, जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और कम-से-कम ₹10 लाख या ज़ब्त दवाओं के मूल्य का तीन गुना, जो भी अधिक हो, जुर्माना है। कुछ अपराधों को संज्ञेय और गैर-ज़मानती बनाया गया, और विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया गया।

2. **औषधि विनियमन केंद्र और राज्यों में बँटा हुआ है, और अधिनियम दो केंद्रीय सलाहकार निकाय बनाता है** — केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जिसके प्रमुख भारत के औषधि महानियंत्रक (Drugs Controller General of India – DCGI) हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services) के अधीन है। यह नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों (clinical trials) को मंजूरी देता है, आयात का विनियमन करता है और मानक तय करता है। अधिकांश दवाओं के निर्माण और बिक्री के लाइसेंस राज्य औषधि नियंत्रक देते हैं और अधिकांश प्रवर्तन भी वही करते हैं; 'औषधियाँ और विष' समवर्ती सूची की प्रविष्टि 19 है। अधिनियम की धारा 5 के तहत गठित औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (Drugs Technical Advisory Board) तकनीकी सलाह देता है। धारा 7 के तहत गठित औषधि परामर्शदात्री समिति में केंद्र और हर राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, और यह अधिनियम के प्रशासन में एकरूपता सुनिश्चित करने पर सलाह देती है। माशेलकर समिति (2003) ने नकली दवाओं की समस्या सहित औषधि विनियमन की पड़ताल की और मज़बूत केंद्रीय निगरानी तथा कठोर दंड की वकालत की।
3. **ट्रेसबिलिटी और विनिर्माण मानक पहले से ही कदम-दर-कदम कड़े किए जा रहे हैं** — 12 अगस्त, 2025 की PIB विज्ञप्ति के अनुसार औषधि नियम, 1945 (Drugs Rules) में 18 जनवरी, 2022 को संशोधन करके भारत में निर्मित या आयातित हर सक्रिय औषधीय घटक (API) पर QR कोड अनिवार्य किया गया। 17 नवंबर, 2022 के संशोधन ने अनुसूची H2 (Schedule H2) में सूचीबद्ध ब्रांडों, यानी शीर्ष 300 ब्रांडों, की प्राथमिक पैकेजिंग पर 1 अगस्त, 2023 से बारकोड या QR कोड अनिवार्य किया। उत्तम विनिर्माण प्रक्रियाएँ (Good Manufacturing Practices) निर्धारित करने वाली संशोधित अनुसूची M (Schedule M) 28 दिसंबर, 2023 को अधिसूचित हुई। यह ₹250 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले निर्माताओं पर 29 जून, 2024 से लागू हुई, जबकि छोटी कंपनियों को 31 दिसंबर, 2025 तक की सशर्त मोहलत दी गई। 25 जून, 2026 की PIB विज्ञप्ति के अनुसार अनुसूची H2 का विस्तार सभी टीकों, रोगाणुरोधी दवाओं, स्वापक और मनःप्रभावी (psychotropic) दवाओं तथा कैसर-रोधी दवाओं तक कर दिया गया है। टीकों, स्वापक दवाओं और कैसर-रोधी दवाओं के लिए समय-सीमा 1 जुलाई, 2027 और रोगाणुरोधी दवाओं के लिए 1 जुलाई, 2028 है, और कोड में बैच संख्या तथा विनिर्माण लाइसेंस संख्या सहित नौ डेटा तत्व होते हैं।
4. **NHRC एक सांविधिक, सिफ़ारिशी निकाय है, और वह सुरक्षित दवा तक पहुँच को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है** — NHRC की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act) के तहत हुई थी। इसका अध्यक्ष वही हो सकता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। इसके सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के एक वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश, और मानवाधिकारों का ज्ञान रखने वाले तीन सदस्य होते हैं, जिनमें कम-से-कम एक महिला होनी चाहिए। कई राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष इसके पदेन (ex officio) सदस्य होते हैं। धारा 12 इसे उल्लंघनों की जाँच करने, सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने और अनुसंधान को बढ़ावा देने का अधिकार देती है, और धारा 18 के तहत इसकी सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं, बल्कि सलाहकारी होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य का अधिकार पढ़ा है, विशेष रूप से Paschim Banga Khet Mazdoor Samity v. State of West Bengal (1996) में, और अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य के सुधार को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बनाता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **GS2 संस्था और सेवा, दोनों को समेटता है** — पाठ्यक्रम सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकायों के बारे में भी पृष्ठता है और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में भी। यहाँ एक मानवाधिकार निकाय एक स्वास्थ्य नियामक के लिए विनियामक ढाँचा तैयार कर रहा है — संस्थागत समन्वय और सिफ़ारिशी निकायों की सीमाओं पर प्रश्नों के लिए यह एक अच्छा उदाहरण है।
2. **प्रारंभिक परीक्षा NHRC की संरचना और औषधि कानून की श्रेणियों को नियमित रूप से**

परखती है — NHRC की संरचना, नियुक्ति और शक्तियाँ प्रारंभिक परीक्षा की मानक सामग्री हैं। यही बात औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की परिभाषाओं और CDSCO तथा DCGI की भूमिकाओं पर भी लागू होती है। हाल के संशोधनों को देखते हुए औषधि नियमों की अनुसूची M और अनुसूची H2 अगला संभावित विषय हैं।

3. GS3 इसे शासन में प्रौद्योगिकी और दवा निर्यातक के रूप में भारत की साख के नज़रिए से देखता है — क्रमांकित QR कोड, राष्ट्रीय रजिस्टर और AI की मदद से होने वाला प्रवर्तन रोज़मर्रा के जीवन में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग वाले पाठ्यक्रम विषय में सटीक बैठते हैं। सस्ती जेनरिक दवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की प्रतिष्ठा उसकी आपूर्ति शृंखला की शुचिता पर टिकी है, इसलिए दवा की गुणवत्ता एक आर्थिक प्रश्न भी है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धाराएँ 17, 17A और 17B क्रमशः मिथ्या छाप वाली, अपमिश्रित और नकली दवाओं को परिभाषित करती हैं।
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 7 के तहत गठित औषधि परामर्शदात्री समिति में केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, और यह अधिनियम के प्रशासन में एकरूपता सुनिश्चित करने पर सलाह देती है।
- औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड का गठन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 5 के तहत, अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न तकनीकी विषयों पर सलाह देने के लिए किया गया है।
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के प्रमुख भारत के औषधि महानियंत्रक हैं, और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन कार्य करता है।
- औषधि नियम, 1945 की अनुसूची M औषधीय उत्पादों के लिए उत्तम विनिर्माण पद्धतियाँ निर्धारित करती है, और अनुसूची H2 उन दवा फ़ॉर्मलेशनों को सूचीबद्ध करती है जिनकी पैकेजिंग पर बारकोड या QR कोड होना अनिवार्य है।
- 'औषधियाँ और विष' संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की एक प्रविष्टि है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत एक सांविधिक निकाय है, और जाँच के बाद की गई उसकी सिफ़ारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- केंद्रीय प्रस्ताव दिखाता है कि आज क्या नहीं है: कानूनी रूप से बिक रही दवाओं की एक पूरी राष्ट्रीय सूची —** यह सिफ़ारिश कि हर दवा का, जिसमें केवल निर्यात के लिए बनी और तीसरे पक्ष से बनवाई गई दवाएँ भी शामिल हैं, केंद्र सरकार के पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य पंजीकरण हो, यह संकेत देती है कि ऐसी कोई पूरी राष्ट्रीय सूची अभी मौजूद नहीं है। किसी मुख्य सूची के बिना QR कोड यह तो बता सकता है कि पैकेट स्वयं को क्या बताता है, पर यह नहीं कि वह उत्पाद कानूनी रूप से लाइसेंसशुदा है या नहीं। निर्यात और अनुबंध पर बने उत्पादों को दायरे में लाना एक वास्तविक खामी को भरता है, क्योंकि एक उद्देश्य के लिए लाइसेंस पाए उत्पाद दूसरे बाज़ार की ओर मोड़े जा सकते हैं। इसलिए रजिस्टर ही नींव है, और QR कोड उसी के ऊपर काम करता है। आपत्ति प्रशासनिक है: हर लाइसेंसधारी के हर उत्पाद का पंजीकरण एक बड़ा काम है, और अधूरा या पुराना पड़ चुका रजिस्टर झूठा भरोसा देगा।
- QR कोड नकल तभी रोकता है जब वह अद्वितीय हो और कोई उसे सचमुच स्कैन करे —** पैकेट पर छपे स्थिर (static) कोड की फ़ोटोकॉपी हजार नकली पैकेटों पर चिपकाई जा सकती है; इसीलिए NHRC ऐसे कोड चाहता है जो डायनेमिक हों और जिनमें हर पैकेट की अलग क्रम संख्या हो, ताकि एक ही कोड के दूसरी बार स्कैन होते ही खतरे का संकेत मिले। यह सुरक्षा तभी काम करती है जब थोक विक्रेता, फ़ार्मसी और आदर्श रूप से मरीज़ के फ़ोन पर स्कैनिंग हो, और हर स्कैन केंद्रीय रूप से दर्ज हो। जीवनरक्षक और उच्च-जोखिम वाली दवाओं से शुरुआत करना समझदारी है, और यह जून 2026 में अनुसूची H2 के उस विस्तार से मेल खाता है जिसमें केंद्र ने टीकों, कैंसर-रोधी दवाओं, रोगाणुरोधी दवाओं और स्वापक दवाओं को शामिल किया। क्रमांकन पर पैसा लगता है, और छोटे निर्माता इसका कुछ बोझ आगे खिसकाएंगे। लेकिन नकली कैंसर इंजेक्शन और रेबीज़ टीके, जिनकी खबर इस पत्रिका ने इसी महीने की शुरुआत में दी थी, दिखाते हैं कि ऐसी जाँच न होने की कीमत क्या होती है।
- सबसे कठिन हिस्सा तकनीकी नहीं, संघीय है —** चूँकि अधिकांश विनिर्माण और बिक्री लाइसेंस राज्य औषधि नियंत्रक जारी करते हैं, इसलिए केंद्रीय रजिस्टर और हर राज्य में प्रवेश करने वाली दवाओं का वास्तविक-समय नक्शा राज्यों के विभागों पर निर्भर है, जिनके कर्मचारियों की संख्या और प्रयोगशाला क्षमता में भारी अंतर है। प्रस्तावों को औषधि परामर्शदात्री समिति के पास भेजना, जिसमें हर राज्य का प्रतिनिधित्व है, सही रास्ता है। पर इसका अर्थ यह भी है कि गति सबसे धीमा राज्य तय करेगा। राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए केवल एक केंद्रीय पोर्टल नहीं,

बल्कि राज्यों की प्रयोगशालाओं और निरीक्षकों के लिए केंद्रीय वित्तपोषण भी चाहिए, वरना वह ऐसा डेटा पैदा करेगी जिस पर ज़मीन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

4. **दोषसिद्धि के मामले में फॉरेंसिक SOP प्रौद्योगिकी से भी अधिक कारगर हो सकती है —** दवाओं से जुड़े अभियोजन अक्सर प्रक्रिया पर टिकते हैं: औषधि निरीक्षक (Drugs Inspector) ने अधिनियम की धारा 23 के तहत नमूना कैसे लिया और सील किया, और धारा 25 के तहत सरकारी विश्लेषक (Government Analyst) की रिपोर्ट विधिवत तामील हुई या नहीं। नमूना संग्रह, प्रयोगशाला विश्लेषण और डिजिटल साक्ष्य के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया मुकदमों को तकनीकी खामियों के आधार पर गिरने से बचाएगी। अपराधियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस, जिसे AI उपकरण खंगाल सकें, प्रवर्तन एजेंसियों को जालसाजी को अलग-अलग ज़ब्तियों की शृंखला के बजाय उस संगठित अपराध के रूप में देखने देगा जो वह अक्सर होती है। यह सबसे कम आकर्षक सिफारिश है और शायद सबसे मूल्यवान भी, क्योंकि 2008 के दंडों का निवारक प्रभाव इस पर निर्भर है कि दोषसिद्धि वास्तव में हो।
5. **एक अधिकार निकाय का विनियमन गढ़ना NHRC की पहुँच और उसकी सीमाएँ, दोनों दिखाता है —** NHRC ने नकली दवाओं को जीवन के अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा है, जो धारा 12 के तहत सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उसके अधिदेश से मेल खाता है। उसकी खुली चर्चा ने केंद्र और राज्यों के नियामकों को एक मेज़ पर ला दिया, जो बिखरी हुई विनियामक व्यवस्था अपने-आप शायद ही कर पाती है। लेकिन उसकी सिफारिशें सलाहकारी हैं, उसके पास CDSCO से कार्रवाई करवाने की कोई शक्ति नहीं है, और उसके तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन उन्हीं नियामकों की एक समिति करेगी जिनकी खामियाँ ये प्रस्ताव उजागर करते हैं। संतुलित दृष्टि यह है कि NHRC एजेंडा तय कर सकता है और उस पर जनता का ध्यान बनाए रख सकता है, जबकि अमल की जवाबदेही स्वास्थ्य मंत्रालय और CDSCO के पास ही रहनी चाहिए।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“नकली दवाएँ जितनी आपराधिक प्रवर्तन की विफलता हैं, उतनी ही विनियामक ढाँचे की बनावट की भी।” राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की हाल की सिफारिशों के आलोक में भारत के औषधि विनियामक ढाँचे की संस्थागत खामियों का परीक्षण कीजिए और दवाओं की आपूर्ति शृंखला की शुचिता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **भूमिका —** औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 17B के तहत नकली दवाओं को परिभाषित कीजिए और NHRC के प्रस्ताव बताइए: राष्ट्रीय औषधि डेटा पंजीकरण प्रमाणपत्र, ट्रेस-एंड-ट्रैक पोर्टल, डायनेमिक और क्रमांकित QR कोड, अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस और एक समान फॉरेंसिक SOP, जिन्हें अगस्त में CDSCO को भेजा गया।
2. **मुख्य भाग — संस्थागत खामियाँ —** लाइसेंसिंग और प्रवर्तन में केंद्र-राज्य बँटवारा, उत्पादों के पूर्ण राष्ट्रीय रजिस्टर का अभाव, राज्यों में प्रयोगशालाओं और निरीक्षकों की असमान क्षमता, अनुबंध विनिर्माण और निर्यात उत्पादों का दूसरे बाज़ारों की ओर मोड़ा जाना, तथा नमूना संग्रह की प्रक्रिया में चूक के कारण विफल होने वाले अभियोजन — इन सबको शामिल कीजिए।
3. **मुख्य भाग — अब तक क्या हुआ —** 2008 के संशोधन के दंड और विशेष न्यायालय, APIs पर QR कोड, अनुसूची H2 के ब्रांडों पर बारकोड, संशोधित अनुसूची M, और जून 2026 में अनुसूची H2 का टीकों, रोगाणुरोधी दवाओं, स्वापक दवाओं और कैसर-रोधी दवाओं तक विस्तार — इनका उल्लेख कीजिए।
4. **मुख्य भाग — उपाय —** केंद्रीय रजिस्टर, फार्मेशियों पर अनिवार्य स्कैनिंग के साथ क्रमांकन, राज्य प्रयोगशालाओं के लिए केंद्रीय वित्तपोषण, राष्ट्रीय ख़फ़िया डेटाबेस, एक समान फॉरेंसिक SOP, व्हिसल-ब्लोअर संरक्षण, और मरीज़ों के लिए सार्वजनिक सत्यापन ऐप की सिफारिश कीजिए।
5. **निष्कर्ष —** दवा की गुणवत्ता को अनुच्छेद 21 और सस्ती दवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की विश्वसनीयता से जोड़िए, और तर्क दीजिए कि ट्रेसबिलिटी के साथ-साथ राज्यों में प्रवर्तन क्षमता भी बढ़नी चाहिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. ज़िला कलेक्टर के रूप में आपको बताया जाता है कि एक निजी अस्पताल में संदिग्ध नकली इंजेक्शन लगने के बाद एक मरीज़ की मृत्यु हो गई है। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं औषधि निरीक्षक से बचा हुआ स्टॉक ज़ब्त करवाऊँगा, आपूर्ति करने वाले वितरक के यहाँ तलाशी करवाऊँगा और अधिनियम में दी गई प्रक्रिया का सख्ती से पालन करते हुए नमूने लिवाऊँगा, ताकि मामला न्यायालय में न गिरे। चूँकि मृत्यु का कारण बनने वाली नकली दवाओं से जुड़े अपराध संज्ञेय हैं, मैं सुनिश्चित करूँगा कि FIR दर्ज हो और साक्ष्य की अभिरक्षा शृंखला (chain of custody) का पूरा दस्तावेज़ीकरण हो। मैं राज्य औषधि नियंत्रक और CDSCO को सूचित करूँगा ताकि दूसरे ज़िलों को सतर्क किया जा सके, और बैच का नाम लेकर

सार्वजनिक चेतावनी जारी करूंगा। मैं अस्पताल की खरीद प्रक्रिया के ऑडिट का आदेश भी दूंगा, ताकि पता चले कि नकली दवा किस रास्ते भीतर आई।

प्रश्न 2. आप एक राज्य औषधि नियंत्रक हैं और आपसे कहा गया है कि निरीक्षकों की कमी के बावजूद आप एक राष्ट्रीय ट्रेक-एंड-ट्रेस व्यवस्था में सहयोग करें। आपकी प्राथमिकताएँ क्या होंगी?

दृष्टिकोण (Approach): मैं उन श्रेणियों से शुरुआत करूंगा जिन्हें NHRC और केंद्र पहले ही प्राथमिकता दे चुके हैं, यानी जीवनरक्षक और उच्च-जोखिम वाली दवाएँ, और उन सबसे बड़े थोक विक्रेताओं से जो कारोबार का अधिकांश हिस्सा संभालते हैं। मैं बेतरतीब निरीक्षणों के बजाय स्कैन डेटा की मदद से निरीक्षणों को विसंगतियों की ओर मोड़ूंगा। मैं जाँच क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र से धन माँगूंगा, क्योंकि परीक्षण के बिना ट्रेसबिलिटी केवल अडचन को एक जगह से दूसरी जगह खिसका देती है। और मैं प्रवर्तन के नतीजे प्रकाशित करूंगा, ताकि फ़ार्मसियाँ स्कैनिंग को अपनी सुरक्षा के रूप में देखें।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: क्या किसी मानवाधिकार आयोग को औषधि विनियमन पर सलाह देनी चाहिए? क्या यह CDSCO का काम नहीं है?

दृष्टिकोण (Approach): व्यवस्था बनाना CDSCO का काम है, पर NHRC के पास अधिकारों के सुरक्षा उपायों की समीक्षा का सांविधिक अधिकार है, और नकली दवा जीवन के अधिकार को सबसे सीधे ढंग से छीनती है। उसका महत्व सभी पक्षों को एक साथ लाने और सार्वजनिक दबाव बनाने में है, तकनीकी प्राधिकार में नहीं। सही कसौटी यह है कि उसके प्रस्ताव ठोस हैं या नहीं, और रजिस्टर, ट्रेसबिलिटी तथा फ़ॉरेंसिक SOP सुविचारित प्रस्ताव हैं। दोहराव का जोखिम इस तरह दूर होता है कि उसकी सिफ़ारिशें नियामक को अपनी विशेषज्ञ समिति के पास भेजी जाएँ, जैसा हुआ भी है।

6.3 जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने यौन हमले की शिकार 11 वर्षीय बच्ची को 24 सप्ताह की सीमा के बाद भी गर्भ समापन की अनुमति दी

समाचार (THE NEWS) जम्मू। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने मंगलवार, 22 सितंबर को एक 11 वर्षीय बच्ची को गर्भ समापन की अनुमति दे दी। न्यायालय ने कहा कि केवल इस तथ्य से कि गर्भ चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम (Medical Termination of Pregnancy Act – MTP Act) के तहत निर्धारित 24 सप्ताह की वैधानिक अवधि पार कर चुका है, “बच्ची को संवैधानिक संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता”। नाबालिग की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल ने अधिकारियों को तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया और टिप्पणी की कि “लगभग 11 वर्ष की नाबालिग को उस गर्भ को ढोने के लिए विवश नहीं किया जा सकता जो उस पर किए गए यौन हमले का परिणाम है”। एक चिकित्सा बोर्ड (Medical Board) ने पाया कि निर्णय की तिथि, 22 सितंबर तक गर्भ 24 सप्ताह 2 दिन का हो चुका था। चिकित्सा बोर्ड ने 11 सितंबर को बच्ची की जाँच की थी और उसे गर्भपात के लिए शारीरिक और मानसिक, दोनों रूप से सक्षम पाया था। बोर्ड के अनुसार इस चरण पर गर्भ समापन चिकित्सकीय रूप से संभव था, हालाँकि इसमें माँ के लिए और प्रक्रिया से जुड़े जोखिम बढ़े हुए थे, जिनमें रक्तस्राव, संक्रमण और खून चढ़ाने की ज़रूरत शामिल हैं। बच्ची मार्च में अपने परिवार के साथ बारामूला आई थी; वहाँ उसे बुखार, उल्टी, ख़ाँसी और पेट दर्द की शिकायत हुई, और चिकित्सा जाँच में पता चला कि वह गर्भवती है। उसने बताया कि कश्मीर में रहने के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ यौन हमला किया था। कथित अपराधी अब तक गिरफ़्तार नहीं हुआ है। कानूनी अडचन यह है कि MTP अधिनियम गर्भावधि सीमाएँ (gestational limits) तय करता है, यानी यह कि गर्भ के कितने सप्ताह तक समापन की अनुमति है। 2021 के संशोधन के बाद से 20 सप्ताह तक गर्भ समापन एक डॉक्टर की राय पर हो सकता है। 20 से 24 सप्ताह के बीच इसके लिए दो डॉक्टरों की राय चाहिए और यह केवल निर्दिष्ट श्रेणियों तक सीमित है, जिनमें बलात्कार पीड़िताएँ और नाबालिग शामिल हैं। 24 सप्ताह के बाद अधिनियम इसकी अनुमति केवल तब देता है जब चिकित्सा बोर्ड भ्रूण में गंभीर असामान्यताओं का निदान करे, या फिर महिला की जान बचाने के लिए किसी भी समय। इस बच्ची का मामला इन दोनों में से किसी भी रास्ते में नहीं आता, इसलिए न्यायालय ने कानून से आगे जाने के लिए संविधान का सहारा लिया। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS2 में अति संवेदनशील वर्गों (vulnerable sections) का संरक्षण और स्वास्थ्य, GS1 में महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दे, तथा GS4 में नीतिशास्त्र।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

कश्मीर में एक 11 वर्षीय बच्ची पर यौन हमला होता है, और गर्भ का पता तभी चलता है जब वह बीमार पड़ती है → उसकी ओर से याचिका दायर होती है और 11 सितंबर को चिकित्सा बोर्ड उसकी जाँच करता है → निर्णय की तिथि, 22 सितंबर तक गर्भ 24 सप्ताह 2 दिन का हो जाता है, जो बलात्कार पीड़िताओं और नाबालिगों के लिए MTP अधिनियम की अंतिम सीमा से आगे है → अधिनियम 24 सप्ताह के बाद गर्भ समापन की अनुमति केवल भ्रूण की गंभीर असामान्यता में या महिला की जान बचाने के लिए देता है → उच्च न्यायालय मानता है कि वैधानिक सीमा बच्ची को संवैधानिक संरक्षण से वंचित नहीं कर सकती और गर्भ समापन के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश देता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

1. 2021 में संशोधित MTP अधिनियम समय-सीमा की तीन परतें तय करता है, और एक ऐसा अपवाद भी जिस पर कोई सीमा नहीं — चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम, 1971 (Medical Termination of Pregnancy Act), जिसे चिकित्सीय गर्भ समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021

द्वारा संशोधित किया गया, 20 सप्ताह तक एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (registered medical practitioner) की राय पर गर्भ समापन की अनुमति देता है। 20 से 24 सप्ताह के बीच दो चिकित्सा व्यवसायियों की राय आवश्यक है, और यह सुविधा नियमों में निर्धारित महिलाओं की श्रेणियों तक सीमित है। 24 सप्ताह के बाद धारा 3(2B) समय-सीमा केवल तब हटाती है जब गर्भ समापन चिकित्सा बोर्ड द्वारा निदान की गई भ्रूण की गंभीर असामान्यताओं (substantial foetal abnormalities) के कारण आवश्यक हो; हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को ऐसा बोर्ड गठित करना होता है, जिसमें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक बाल रोग विशेषज्ञ और एक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट होते हैं। धारा 5 अलग से यह अनुमति देती है कि जब गर्भवती महिला की जान बचाने के लिए तुरंत आवश्यक हो, तो गर्भ समापन किसी भी चरण पर किया जा सकता है। अधिनियम के तहत यह उपधारणा की जाती है कि बलात्कार से हुआ बताया गया गर्भ महिला के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंचाता है।

2. नियम बताते हैं कि 20 से 24 सप्ताह के बीच कौन गर्भ समापन करा सकता है, और नाबालिग तथा यौन हमले की पीड़िताएँ इनमें शामिल हैं — चिकित्सीय गर्भ समापन नियम, 2003 (MTP Rules), जिन्हें 2021 में संशोधित किया गया, का नियम 3B पात्र श्रेणियों की सूची देता है। इनमें यौन हमले, बलात्कार या परिवार के भीतर यौन शोषण (incest) की पीड़िताएँ; नाबालिग; वे महिलाएँ जिनकी वैवाहिक स्थिति गर्भावस्था के दौरान बदल गई हो, जैसे वैधव्य या तलाक के कारण; शारीरिक दिव्यांगता वाली महिलाएँ; मानसिक रोग से ग्रस्त महिलाएँ; भ्रूण विकृति के मामले; और मानवीय संकट या आपदा की स्थिति में फँसी महिलाएँ शामिल हैं। नाबालिग के मामले में धारा 3(4)(a) उसके अभिभावक की लिखित सहमति अनिवार्य करती है। धारा 5A के तहत उस महिला का नाम या अन्य विवरण उजागर करना अपराध है जिसका गर्भ समापन हुआ हो; केवल कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति को ही यह जानकारी दी जा सकती है। 2021 के संशोधन ने गर्भनिरोधक की विफलता वाले आधार में 'विवाहित महिला या उसका पति' के स्थान पर 'कोई भी महिला या उसका साथी' शब्द भी रख दिए।
3. न्यायालयों ने प्रजनन संबंधी चुनाव को अनुच्छेद 21 के दायरे में रखा है, पर जीवनक्षम भ्रूण पर एक रेखा भी खींची है — Suchita Srivastava v. Chandigarh Administration (2009) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रजनन संबंधी चुनाव करने का महिला का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम है। K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) ने अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने की स्वायत्तता (decisional autonomy) को निजता का हिस्सा माना। X v. Principal Secretary, Health and Family Welfare Department (2022) में न्यायालय ने कहा कि अविवाहित महिलाएँ भी विवाहित महिलाओं के समान आधार पर 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भ समापन की हकदार हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि MTP अधिनियम और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के बीच सामंजस्य बिटाने के लिए, यदि नाबालिग और उसके अभिभावक अनुरोध करें, तो डॉक्टर को पुलिस को दी जाने वाली अनिवार्य सूचना में नाबालिग की पहचान उजागर करने की ज़रूरत नहीं है। न्यायालयों ने एक सीमा भी खींची है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्ज़र्वर (Supreme Court Observer) के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक विवाहित महिला के 26 सप्ताह के गर्भ के समापन की अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि AIIMS को भ्रूण में कोई असामान्यता नहीं मिली थी। पीठ ने कहा कि वह एक जीवनक्षम भ्रूण (viable foetus) की धड़कन रोकने के पक्ष में नहीं है और अनुच्छेद 142 का प्रयोग हर मामले में नहीं किया जा सकता।
4. POCSO अधिनियम बारह वर्ष से कम आयु की बच्ची पर यौन हमले से हुए गर्भ को गुस्तर अपराध मानता है और सूचना देना अनिवार्य करता है — लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act) के तहत प्रवेशन लैंगिक हमला (penetrative sexual assault) तब 'गुस्तर' (aggravated) माना जाता है जब बच्चा बारह वर्ष से कम आयु का हो (धारा 5(m)) या जब हमले के कारण बच्ची गर्भवती हो जाए (धारा 5(j)(ii))। 2019 के संशोधन के बाद धारा 6 में कम-से-कम बीस वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान है, जिसे शेष प्राकृतिक जीवन तक के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, या मृत्युदंड दिया जा सकता है। धारा 19 डॉक्टरों सहित हर उस व्यक्ति को, जिसे ऐसे अपराध की जानकारी हो, पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Police Unit) को सूचना देने के लिए बाध्य करती है, और धारा 21 सूचना न देने पर दंड का प्रावधान करती है। धारा 23 मीडिया को पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर करने से रोकती है, और Nipun Saxena v. Union of India (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पीड़िताओं की पहचान परोक्ष रूप से भी उजागर नहीं की जानी चाहिए। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (Jammu and Kashmir Reorganisation Act) के बाद से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय दोनों केंद्रशासित प्रदेशों का साझा उच्च न्यायालय है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS2 और GS1 पृच्छते हैं कि कानून अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा कैसे करते हैं, और यह मामला उस संरक्षण को उसकी अंतिम सीमा पर परखता है — पाठ्यक्रम में अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा के लिए गठित तंत्र, कानूनों और संस्थाओं के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों से

जुड़े मुद्दों का स्पष्ट उल्लेख है। 2021 का MTP संशोधन मुख्य परीक्षा का स्वाभाविक विषय है, और यह निर्णय उसमें एक कठिन मामला जोड़ता है: एक बाल पीड़िता, जिसे कानून की अपनी ही श्रेणियाँ 24 सप्ताह तक तो संरक्षण देती हैं, पर उसके एक दिन बाद भी नहीं।

2. **प्रारंभिक परीक्षा MTP ढाँचे के आँकड़ों और प्राधिकारियों को परखती है** — 20 और 24 सप्ताह की सीमाएँ, आवश्यक डॉक्टरों की संख्या, भ्रूण की असामान्यता के लिए चिकित्सा बोर्ड और नियम 3B की श्रेणियाँ — ये सभी पूछे जा सकने वाले तथ्य हैं, और इसी तरह POCSO के तहत अनिवार्य सूचना तथा प्रजनन अधिकारों से जुड़े ऐतिहासिक मामले भी।
3. **GS4 ऐसे मामलों के ज़रिए कानून और अंतरात्मा के टकराव को परखता है** — यहाँ नीतिशास्त्र की कोई केस स्टडी यह पूछेगी कि जब नियम का अक्षरशः पालन अन्यायपूर्ण परिणाम दे, तब किसी डॉक्टर, कलेक्टर या न्यायाधीश को कैसे कार्य करना चाहिए। परीक्षक जिस ढाँचे की अपेक्षा करते हैं, वह है बालक का सर्वोत्तम हित (best interest of the child) — संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (UN Convention on the Rights of the Child) के अनुच्छेद 3 में निहित सिद्धांत, जिसका भारत ने 1992 में अनुसमर्थन किया था।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- 2021 में संशोधित चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम, 1971 के तहत 20 सप्ताह तक का गर्भ एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी की राय पर समाप्त किया जा सकता है, और 20 से 24 सप्ताह के बीच का गर्भ, नियमों में निर्दिष्ट श्रेणियों की महिलाओं के लिए, दो चिकित्सा व्यवसायियों की राय पर।
- संशोधित MTP अधिनियम के तहत गर्भावधि की सीमा वहाँ लागू नहीं होती जहाँ गर्भ समापन, राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा निदान की गई भ्रूण की गंभीर असामान्यताओं के कारण आवश्यक हो।
- MTP अधिनियम की धारा 5 गर्भवती महिला की जान बचाने के लिए तुरंत आवश्यक होने पर किसी भी चरण पर गर्भ समापन की अनुमति देती है।
- MTP नियमों के तहत 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भ समापन के लिए पात्र महिलाओं की श्रेणियों में यौन हमले, बलात्कार या परिवार के भीतर यौन शोषण की पीड़िताएँ और नाबालिग शामिल हैं।
- Suchita Srivastava v. Chandigarh Administration (2009) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रजनन संबंधी चुनाव करने का महिला का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम है।
- X v. Principal Secretary, Health and Family Welfare Department (2022) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अविवाहित महिलाएँ विवाहित महिलाओं के समान आधार पर 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भ समापन की माँग करने की हकदार हैं।
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 19 बच्चे के विरुद्ध लैंगिक अपराध की सूचना देना अनिवार्य बनाती है, और धारा 21 सूचना न देने पर दंड निर्धारित करती है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. **न्यायालय ने कानून को मोड़ा नहीं; उसने पाया कि कानून के पास इस बच्ची के लिए कोई उत्तर ही नहीं था** — 2021 के संशोधन ने यह मान लिया था कि बलात्कार पीड़िता या नाबालिग के लिए गर्भ का पता लगाने, किसी को बताने और मदद माँगने के लिए 24 सप्ताह पर्याप्त हैं। यह धारणा सबसे अधिक सबसे छोटी बच्चियों के मामले में विफल होती है, जो गर्भ को पहचान भी नहीं पाती और अक्सर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं कर पाती। 24 सप्ताह के बाद अधिनियम का एकमात्र रास्ता भ्रूण की असामान्यता है, जो महिला की नहीं बल्कि भ्रूण की स्थिति है; इसलिए एक बच्ची के शरीर में पल रहा स्वस्थ गर्भ कानूनी शून्य में जा गिरता है। उच्च न्यायालय ने इस रिक्ति को भरने के लिए अपने संवैधानिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया, और उसका सिद्धांत — कि कोई संख्यात्मक सीमा संवैधानिक संरक्षण को निष्फल नहीं कर सकती — ठोस है। आपत्ति यह है कि जो राहत समय पर उच्च न्यायालय तक पहुँच पाने पर निर्भर हो, वह देश भर में असमान रहेगी, और संसद को यह काम न्यायालयों पर नहीं छोड़ना चाहिए कि वे मामला-दर-मामला इस सीमा को नए सिरे से लिखें।
2. **आखिरी ग्यारह दिन दिखाते हैं कि प्रक्रिया स्वयं किसी मामले को सीमा के पार धकेल सकती है** — 22 सितंबर को 24 सप्ताह 2 दिन के बोर्ड के अपने अनुमान से सीधा हिसाब लगाएँ, तो 11 सितंबर को बोर्ड की जाँच के समय बच्ची लगभग 22 से 23 सप्ताह की गर्भवती थी। यह उसी अवधि के भीतर है जिसमें MTP अधिनियम नाबालिगों और बलात्कार पीड़िताओं के लिए दो डॉक्टरों की राय पर गर्भ समापन की अनुमति देता है। उस जाँच और निर्णय के बीच ग्यारह दिन बीत गए और वैधानिक रेखा पार हो गई। अस्पतालों को 24 सप्ताह की अवधि के भीतर आने वाली नाबालिग के मामले को ऐसा मामला मानना चाहिए जिसमें न्यायालय जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और चिकित्सा बोर्डों तथा न्यायालयों को दिनों में मापी जाने वाली समय-सीमाओं के भीतर काम करना चाहिए। प्रतिपक्ष यह है कि देर के चरण में प्रक्रिया का आदेश देने से पहले

न्यायालय को सावधानी से तैयार किया गया चिकित्सा रिकॉर्ड चाहिए, जो उचित है; पर इसका उत्तर बोर्ड की रिपोर्ट के लिए समय-सीमा तय करना है, उसे छोड़ देना नहीं।

3. **भ्रूण की जीवनक्षमता सबसे मज़बूत प्रतितर्क है, और 2023 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिखाता है कि यह वास्तविक है** — 24 सप्ताह और उसके बाद, सधन चिकित्सा देखभाल के सहारे भ्रूण जीवनक्षम हो सकता है, और अक्टूबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से इसी कारण 26 सप्ताह के गर्भ समापन से इनकार किया था। पर उस मामले में एक वयस्क महिला थी, और न कोई असामान्यता थी, न कोई हमला। यहाँ गर्भवती व्यक्ति लगभग 11 वर्ष की बच्ची है, गर्भ एक अपराध का परिणाम है, और बोर्ड ने माँ के लिए बढ़े हुए जोखिम दर्ज किए हैं, जिनमें रक्तस्राव और खून चढ़ाने की ज़रूरत शामिल हैं। इसलिए यहाँ संतुलन अलग है, और उच्च न्यायालय ने बच्ची के जीवन और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर सही किया। फिर भी ईमानदार विश्लेषण को यह स्वीकार करना होगा कि गर्भ का चरण जितना आगे का हो, नैतिक प्रश्न उतना ही कठिन होता जाता है; इसीलिए समाधान हर सीमा को हटा देना नहीं, बल्कि तेज़ी है।
4. **बच्ची की अपनी आवाज़ और उसकी निजता उसके सर्वोत्तम हित का हिस्सा है; बाद में याद आने वाली बात नहीं** — MTP अधिनियम नाबालिग के मामले में अभिभावक की लिखित सहमति माँगता है, पर Suchita Srivastava का निर्णय सहमति को प्रजनन संबंधी चुनाव के केंद्र में रखता है, और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय अपेक्षा करता है कि बच्चे को प्रभावित करने वाले मामलों में उसके विचार सुने जाएँ। 11 वर्ष की बच्ची को यह समझने के लिए कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी उम्र के अनुरूप परामर्श चाहिए। निजता भी संरक्षण का उतना ही अहम हिस्सा है। MTP अधिनियम का गोपनीयता संबंधी प्रावधान, POCSO की धारा 23 और Nipun Saxena के दिशानिर्देश — सभी ऐसी किसी भी जानकारी को उजागर करने पर रोक लगाते हैं जिससे उसकी पहचान हो सके, और इसी कारण यह पत्रिका केवल वही बताती है जो अखबार ने छपा है। जिस बच्ची की पहचान उसके समुदाय में उजागर हो जाती है, उसे दूसरी बार आघात पहुँचता है।
5. **आपराधिक मामला न्याय का अधूरा आधा हिस्सा है** — कथित अपराधी अब तक गिरफ़्तार नहीं हुआ है। बारह वर्ष से कम आयु की बच्ची पर ऐसा हमला, जिससे वह गर्भवती हो जाए, POCSO के तहत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है, जिसमें न्यूनतम बीस वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान है। ऐसे मामलों में न्यायालय प्रायः निर्देश देते हैं कि DNA प्रोफ़ाइलिंग के लिए भ्रूण ऊतक सुरक्षित रखा जाए; यहाँ ऐसा किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी रिपोर्ट में नहीं है। आपराधिक मामला ठप पड़ा रहे और केवल चिकित्सकीय रूप से बच्ची की रक्षा हो, तो यह आधा उपाय ही होगा।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“गर्भावधि पर लगी वैधानिक सीमा यौन हमले की शिकार बच्ची को मिलने वाले संवैधानिक संरक्षण पर हावी नहीं हो सकती।” जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के हाल के एक निर्णय के आलोक में चर्चा कीजिए, और चिकित्सीय गर्भ समापन के ढाँचे में सुधार सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **भूमिका** — तथ्य रखिए: 22 सितंबर को उच्च न्यायालय ने यौन हमले की शिकार 11 वर्षीय बच्ची को 24 सप्ताह 2 दिन के गर्भ के समापन की अनुमति दी और कहा कि MTP अधिनियम की 24 सप्ताह की सीमा उसे संवैधानिक संरक्षण से वंचित नहीं कर सकती।
2. **मुख्य भाग** — **वैधानिक ढाँचा और उसकी खामी** — 20 और 24 सप्ताह की सीमाएँ, नाबालिगों और बलात्कार पीड़िताओं को शामिल करने वाली नियम 3B की श्रेणियाँ, 24 सप्ताह के बाद केवल भ्रूण की असामान्यता तक सीमित चिकित्सा बोर्ड वाला रास्ता, और जान बचाने के लिए धारा 5 — इन्हें समझाइए। फिर दिखाइए कि 24 सप्ताह पार कर चुकी बच्ची के स्वस्थ गर्भ के लिए कानून में कोई रास्ता क्यों नहीं है।
3. **मुख्य भाग** — **संवैधानिक तर्क** — Suchita Srivastava, Puttaswamy और X v. Principal Secretary में व्याख्यायित अनुच्छेद 21 का, तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत का उपयोग कीजिए। जीवनक्षम भ्रूण और अनुच्छेद 142 पर अक्टूबर 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से प्रतिपक्ष प्रस्तुत कीजिए, और तथ्यों के आधार पर इस मामले को उससे अलग करके दिखाइए।
4. **मुख्य भाग** — **सुधार** — सुझाइए कि चिकित्सा बोर्डों को नाबालिगों और बलात्कार पीड़िताओं के लिए 24 सप्ताह के बाद गर्भ समापन को मंजूरी देने का अधिकार मिले; बोर्ड और न्यायालय समयबद्ध निर्णय दें; डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जाए कि 20 से 24 सप्ताह वाला रास्ता न्यायालय के आदेश के बिना उपलब्ध है; POCSO के तहत सूचना इस तरह दी जाए कि बच्ची की पहचान सुरक्षित रहे; DNA साक्ष्य संरक्षित किया जाए; और वन स्टॉप सेंटरों (One Stop Centres) के माध्यम से परामर्श दिया जाए।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि गर्भावधि सीमाएँ महिलाओं को देर से होने वाली असुरक्षित प्रक्रियाओं से बचाती हैं, और उन्हें उन्हीं लोगों के रास्ते की बाधा नहीं बनना चाहिए जिनकी रक्षा के लिए वे बनाई गई थीं; साथ ही यह कि मामला-दर-मामला मुकदमेबाज़ी से बेहतर विधायी समाधान है।

प्रश्न 1. ज़िला कलेक्टर के रूप में आपको पता चलता है कि आपके ज़िले में यौन हमले की शिकार एक 12 वर्षीय बच्ची 21 सप्ताह की गर्भवती है और उसका परिवार उच्च न्यायालय जाना चाहता है। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): सबसे पहले मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि परिवार और ज़िला अस्पताल दोनों जानें कि न्यायालय के किसी आदेश की ज़रूरत ही नहीं है। 21 सप्ताह पर एक नाबालिग और यौन हमले की पीड़िता MTP अधिनियम की 20 से 24 सप्ताह वाली अवधि के भीतर आती है, और गर्भ समापन के लिए दो पंजीकृत डॉक्टरों की राय और उसके अभिभावक की सहमति आवश्यक है। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दूँगा कि वे एक-दो दिन के भीतर जाँच की व्यवस्था करें, और वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से परामर्श दिलवाएँ। मैं सुनिश्चित करूँगा कि POCSO की अपेक्षा के अनुसार पुलिस को सूचना दी जाए, बच्ची की पहचान गोपनीय रखी जाए, और भ्रूण ऊतक को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाए। गलत मंच पर गँवाया गया हर दिन 24 सप्ताह की सीमा को और पास ले आता है।

प्रश्न 2. पुलिस अधीक्षक के रूप में, जहाँ अपराधी अज्ञात हो, आप जाँच को कैसे संभालेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): POCSO अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप मैं किसी महिला अधिकारी से बच्ची का बयान उसके घर पर या उसकी पसंद के स्थान पर, बार-बार पूछताछ किए बिना, दर्ज करवाऊँगा। मैं फ़ॉरेंसिक साक्ष्य सुरक्षित करूँगा, जिसमें संरक्षित भ्रूण ऊतक से लिया गया DNA भी शामिल है, और संबंधित अवधि में उस तक पहुँच रखने वाले हर व्यक्ति का पता लगाऊँगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के अनुसार बलात्कार और POCSO अपराधों की जाँच सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर पूरी करनी होती है, और मैं जाँच दल को इसी समय-सीमा के प्रति जवाबदेह रखूँगा। पूरी प्रक्रिया में ऐसा कोई विवरण जारी नहीं होगा जिससे उसकी पहचान हो सके।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: क्या नाबालिगों और बलात्कार पीड़िताओं के लिए 24 सप्ताह की सीमा पूरी तरह हटा दी जानी चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): मैं सीमा को पूरी तरह नहीं हटाऊँगा, क्योंकि देर से किए गए गर्भ समापन में चिकित्सकीय जोखिम अधिक होता है और भ्रूण की जीवनक्षमता से जुड़े वास्तविक प्रश्न उठते हैं, जिनका उत्तर कानून को देना चाहिए, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। पर मौजूदा ढाँचा 24 सप्ताह पार कर चुकी बच्ची के लिए, भ्रूण में असामान्यता न होने पर, कोई रास्ता ही नहीं छोड़ता। इस कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा बोर्डों को तय समय-सीमा के भीतर गुण-दोष के आधार पर ऐसे मामलों को मंजूरी देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। गहरा सुधार है बाल यौन शोषण की जल्दी पहचान और सूचना, ताकि ऐसे मामले शायद ही कभी सीमा के पास पहुँचें।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

आज की विज्ञान-खबर इस बारे में कम है कि मशीनें क्या कर सकती हैं, और इस बारे में ज्यादा कि अग्रिम पंक्ति का विज्ञान करने का अवसर किसे मिलता है। AI कंपनियाँ अब ऐसे परिणामों का दावा कर रही हैं जिनके पीछे गणितज्ञ अपना पूरा करियर लगा देते थे, लेकिन वे इनकी घोषणा प्रेस विज्ञप्ति से करती हैं, अपनी पद्धति अपने पास रखती हैं, और कॉर्पोरेट नीति से तय करती हैं कि किन देशों के वैज्ञानिक इन उपकरणों का उपयोग कर सकेंगे। भारत का सैद्धांतिक विज्ञान में प्रदर्शन लंबे समय से उसके बजट की अपेक्षा से बेहतर रहा है, पर उसके पास अपना कोई अग्रणी मॉडल (frontier model) नहीं है; ऐसे देश के लिए मॉडलों और कंप्यूट (compute) तक पहुँच अब वैज्ञानिक संप्रभुता का प्रश्न बन गई है।

7.1 OpenAI का मिलेनियम पुरस्कार समस्या के प्रमाण का दावा, जबकि भारत के संस्थान अग्रणी मॉडलों तक मुफ्त पहुँच से बाहर

समाचार (THE NEWS) बेंगलुरु। द हिंदू के विज्ञान पृष्ठ की रिपोर्ट के अनुसार, 8 सितंबर को OpenAI ने घोषणा की कि उसके एक अब तक सार्वजनिक न किए गए आंतरिक मॉडल ने नेवियर-स्टोक्स समीकरणों के हलों के अस्तित्व और सुचारुता की समस्या (Navier-Stokes existence and smoothness problem) हल कर ली है — यह उन छह अनसुलझी मिलेनियम पुरस्कार समस्याओं (Millennium Prize Problems) में से एक है, जिनमें से प्रत्येक पर 10 लाख डॉलर का इनाम है। रिपोर्ट के अनुसार, इन अफवाहों से प्रेरित होकर कि उसकी प्रतिद्वंद्वी Anthropic इस लक्ष्य के करीब पहुँच रही है, OpenAI ने 10,000 स्वायत्त AI एजेंट और दसियों लाख डॉलर मूल्य की कंप्यूटिंग शक्ति झोंक दी और 88 घंटों में हल खोज निकाला। यह दावा अभी से विवादों में है। 7 सितंबर को न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के गणितज्ञ ट्रिस्टन बकमास्टर (Tristan Buckmaster) ने बताया कि उन्होंने और लेवेंट अल्पोगे (Levent Alpöge) ने मिलती-जुलती विधियों से, दोनों कंपनियों के मॉडलों की सहायता लेते हुए, लगभग एक वर्ष तक इस समस्या के एक सरलीकृत रूप पर काम किया था; OpenAI ने विशेष रूप से उनके डेटा तक पहुँचने से इनकार किया, पर कहा कि वह इस संभावना को “खारिज नहीं कर सकता” कि उनके उपयोग से प्राप्त पहचान-रहित (de-identified) डेटा ने उसके मॉडलों को बेहतर बनाने में मदद की हो। दावों का यह सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका था। 20 मई को OpenAI ने कहा कि उसके आंतरिक तर्क मॉडल (reasoning model) ने हंगरी के गणितज्ञ पॉल एर्डोश (Paul Erdős) द्वारा 1946 में प्रस्तुत समतलीय इकाई दूरी समस्या (planar unit distance problem) हल कर दी है। 20 जुलाई को Anthropic में कार्यरत श्री अल्पोगे ने X पर लिखा कि उसके मॉडल Claude Fable 5 ने बीजीय ज्यामिति (algebraic geometry) की 87 वर्ष पुरानी खुली समस्या, जैकोबियन अनुमान (Jacobian conjecture), का एक प्रति-उदाहरण (counterexample) खोज निकाला है — यानी ऐसा एकल उदाहरण जो किसी सामान्य दावे को असत्य सिद्ध कर देता है। 1 अगस्त को OpenAI ने कहा कि उसके नवीनतम मॉडल ‘Astra’ ने दस और खुली समस्याएँ हल कर दी हैं, जिनमें से तीन एर्डोश की सूची की हैं। गणितज्ञ इस पर बंटे हुए हैं। ब्रिस्टल के एंड्रयू बुकर (Andrew Booker) बताते हैं कि जिस समस्या पर वे लगभग दस वर्ष से अटक थे, उस पर Claude Code ने एक सप्ताह में 30,000 पंक्तियों का कोड और लगभग 200 पृष्ठों का गणित लिख डाला, और MIT के एंड्रयू सदरलैंड (Andrew Sutherland) इसे “एक रोमांचक समय” कहते हैं; फिर भी डॉ. सदरलैंड आगाह करते हैं कि AI प्रमाण मुख्य अंतर्ज्ञानात्मक कदम को सरसरी तौर पर लाँच जाते हैं, और डॉ. बुकर चेताते हैं कि जाँच के बिना छोड़ दिए जाएँ तो ये “पूरी तरह समझ से परे” हो सकते हैं। कोलंबिया के माइकल हैरिस (Michael Harris) और UC सैन डिएगो के कार्तिक गणपति (Karthik Ganapathy), जिन्होंने जून 2026 के कृत्रिम बुद्धिमत्ता और गणित पर लाइडन घोषणा-पत्र (Leiden Declaration on Artificial Intelligence and Mathematics) का मसौदा तैयार करने में हाथ बँटाया, कंपनियों को इस बात के लिए दोषी ठहराते हैं कि वे पद्धति बताए बिना परिणाम घोषित कर देती हैं। 29 जुलाई को OpenAI ने 1,00,000 वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और इंजीनियरों को अपने अग्रणी मॉडलों तक मुफ्त पहुँच की पेशकश की, पर रिपोर्ट के अनुसार भारतीय, रूसी और चीनी संस्थानों को इससे बाहर रखा — सबसे अधिक संभावना यही है कि भू-राजनीतिक तनावों के कारण। रिपोर्ट चेताती है कि अपना कोई अग्रणी मॉडल न होने से भारत को सैद्धांतिक विज्ञान में गति बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास, कंप्यूटर तथा प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अग्रणी मॉडल तर्क करना और प्रमाणों को Lean जैसी मशीन-जाँच योग्य भाषाओं में औपचारिक रूप देना सीखते हैं → एंड्रयू बुकर जैसे गणितज्ञ उन्हें ‘शोध-छात्रों की सेना’ (grad student army) की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं → कंपनियों में प्रसिद्ध खुली समस्याओं पर दावा टोकने की होड़ लगती है — 20 मई को एर्डोश की इकाई दूरी समस्या से लेकर 20 जुलाई को जैकोबियन अनुमान तक → 8 सितंबर को OpenAI नेवियर-स्टोक्स मिलेनियम पुरस्कार समस्या पर दावा करता है, इस विवाद के बीच कि कहीं शोधकर्ताओं के डेटा ने तो मदद नहीं की → गणितज्ञ लाइडन घोषणा-पत्र के ज़रिए पारदर्शिता की माँग करते हैं, जबकि OpenAI की 29 जुलाई की मुफ्त-पहुँच योजना भारतीय संस्थानों को बाहर छोड़ देती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. क्ले संस्थान ने 2000 में सात समस्याओं पर 10-10 लाख डॉलर का इनाम रखा, और अब तक केवल एक हल हुई है — संयुक्त राज्य अमेरिका की एक निजी संस्था, क्ले गणित संस्थान (Clay Mathematics Institute), ने 2000 में पेरिस में सात मिलेनियम पुरस्कार समस्याओं की घोषणा की और प्रत्येक के हल के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा। ये हैं — बर्च और स्विनर्टन-डायर अनुमान, हॉज अनुमान, नेवियर-स्टोक्स अस्तित्व और सुचारुता, P बनाम NP, पॉइन्केयर अनुमान, रिमान परिकल्पना, तथा यांग-मिल्स अस्तित्व और द्रव्यमान अंतराल (mass gap)। इनमें से केवल पॉइन्केयर अनुमान हल हुआ है, जिसे रूसी गणितज्ञ ग्रिगोरी परेलमान (Grigori Perelman) ने 2002-03 में हल किया; उन्होंने 2006 में फ़ील्ड्स पदक (Fields Medal) और 2010 में प्रदान किया गया मिलेनियम पुरस्कार, दोनों लेने से इनकार कर दिया — इसीलिए रिपोर्ट शेष छह समस्याओं की बात करती है। संस्थान के नियमों के अनुसार कोई भी पुरस्कार देने से पहले हल का किसी मान्य मंच पर प्रकाशन, कम से कम दो वर्ष की

प्रतीक्षा और गणितज्ञों के बीच उसकी सामान्य स्वीकृति आवश्यक है; अतः किसी कंपनी की घोषणा एक दावा है, पुरस्कार नहीं।

2. **खबरों में आई तीनों समस्याएँ गणित की तीन अलग-अलग शाखाओं से हैं —** नेवियर-स्टोक्स समीकरण, जिनका नाम क्लॉड-लुई नेवियर (Claude-Louis Navier) और जॉर्ज गेब्रियल स्टोक्स (George Gabriel Stokes) के नाम पर पड़ा, यह बताते हैं कि वायु और जल जैसे श्यान तरल (viscous fluids) कैसे गति करते हैं, और मौसम पूर्वानुमान तथा विमान डिज़ाइन इन्हीं पर टिके हैं; पुरस्कार यह पूछता है कि इनके त्रि-आयामी हल सदा सुचारु बने रहते हैं या 'विस्फोटित' (blow up) हो सकते हैं। जैकोबियन अनुमान, जिसे जर्मन गणितज्ञ ओट्ट-हाइनरिख केलर (Ott-Heinrich Keller) ने 1939 में प्रस्तुत किया, कहता है कि जिस बहुपद प्रतिचित्रण (polynomial map) का जैकोबियन सारणिक (Jacobian determinant) एक शून्यतर अचर हो, उसका प्रतिलोम भी अनिवार्यतः बहुपद होगा; इसलिए एक ही प्रति-उदाहरण इसे असिद्ध कर देता है। पॉल एर्डोश (1913-1996) द्वारा 1946 में प्रस्तुत समतलीय इकाई दूरी समस्या पूछती है कि किसी समतल में n बिंदुओं के बीच ठीक एक इकाई की दूरी वाले बिंदु-युग्मों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। एर्डोश ऐसी सैकड़ों समस्याएँ छोड़ गए, और इसीलिए ये AI प्रणालियों को मापने का पैमाना बन गई हैं।
3. **प्रमाण-सहायक यह प्रमाणित करता है कि प्रमाण सही है, यह नहीं कि कोई उसे समझता भी है —** Lean जैसा प्रमाण-सहायक (proof assistant) — जिसे माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में लियोनार्डो डी मौरा (Leonardo de Moura) ने 2013 से विकसित किया — यह अपेक्षा करता है कि प्रमाण एक सटीक औपचारिक भाषा में लिखा जाए, ताकि एक छोटा, विश्वसनीय प्रोग्राम उसके हर चरण की जाँच कर सके; रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मॉडल प्रमाण तैयार भी कर सकते हैं और उन्हें इस तरह औपचारिक रूप भी दे सकते हैं। कंप्यूटर-सहायित प्रमाण कोई नई बात नहीं है: केनेथ एपल (Kenneth Appel) और वोल्फगांग हाकेन (Wolfgang Haken) का 1976 का चार रंग प्रमेय (Four Colour Theorem) का प्रमाण उन स्थितियों की जाँच के लिए कंप्यूटर पर निर्भर था जिन्हें कोई मनुष्य नहीं जाँच सकता था, और 2005 में जॉर्ज गोंथिए (Georges Gonthier) ने Coq प्रमाण-सहायक में इसका सत्यापन किया। उस इतिहास का सबक यह है कि मशीनें यह तय कर सकती हैं कि कोई परिणाम सत्य है या नहीं, पर वह सत्य क्यों है — इसकी समझ अब भी मनुष्यों को ही गढ़नी पड़ती है।
4. **भारत ने IndiaAI मिशन के तहत साझा कंप्यूट तो खड़ा किया है, पर कोई अग्रणी मॉडल नहीं —** अग्रणी मॉडल क्षमता की अग्रिम पंक्ति पर खड़ा एक सामान्य-उद्देश्यीय AI मॉडल होता है, जिसे अत्यधिक कंप्यूटिंग शक्ति और डेटा से प्रशिक्षित किया जाता है; यह शब्द नवंबर 2023 के ब्लेचली घोषणा-पत्र (Bletchley Declaration) में प्रयुक्त हुआ था, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए। PIB के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च, 2024 को ₹10,371.92 करोड़ के परिव्यय के साथ IndiaAI मिशन को मंजूरी दी, जिसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अधीन IndiaAI स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग (IndiaAI Independent Business Division) लागू करता है; इसके सात स्तंभ हैं, जिनमें कंप्यूट क्षमता, स्वदेशी मॉडलों के लिए एक नवाचार केंद्र, और सुरक्षित व विश्वसनीय AI शामिल हैं। इसका लक्ष्य 10,000 या उससे अधिक GPU — AI को प्रशिक्षित करने और चलाने में प्रयुक्त चिप — का था; PIB की 25 मार्च, 2026 की विज्ञप्ति कहती है कि स्टार्टअप और शैक्षणिक जगत के लिए किफ़ायती दरों पर 38,000 से अधिक GPU जोड़े जा चुके हैं। साझा कंप्यूट मॉडलों के उपयोग की लागत घटाता है, पर अग्रिम पंक्ति का मॉडल प्रशिक्षित करने के लिए कहीं बड़े और केंद्रित निवेश की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **GS3 पाठ्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास और उनके प्रभावों के बारे में पूछता है —** GS3 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास और दैनिक जीवन पर उनके प्रभाव, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर के क्षेत्र में जागरूकता, तथा प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण सूचीबद्ध हैं। प्रारंभिक परीक्षा 2020 में पूछा गया था कि विकास की वर्तमान अवस्था में AI प्रभावी रूप से क्या-क्या कर सकता है, और मुख्य परीक्षा 2023 में पूछा गया कि AI नैदानिक निदान (clinical diagnosis) में कैसे सहायक है और क्या इससे निजता को खतरा है। यह खबर प्रश्न को इस ओर ले जाती है कि AI ज्ञान के उत्पादन और उसके प्रमाणन के तरीके को कैसे बदल रहा है।
2. **अग्रणी AI तक पहुँच इस पत्रिका में लगातार चलने वाला सूत्र है —** 22 सितंबर के कार्ड में यह माँग दर्ज थी कि भारत सुरक्षा-परीक्षण के लिए अग्रणी मॉडलों तक शुरुआती पहुँच सुनिश्चित करे, और 23 सितंबर के कार्ड में शी-ट्रेंप AI संवाद की चर्चा थी। आज का कार्ड इसमें विज्ञान का पहलू जोड़ता है: अब किसी कंपनी की पहुँच-सूची यह तय करती है कि बुनियादी अनुसंधान में कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता है — यह बात प्रौद्योगिकी कूटनीति पर GS2 के उत्तरों और स्वदेशीकरण पर GS3 के उत्तरों, दोनों में काम आती है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- मिलेनियम पुरस्कार समस्याओं की घोषणा क्ले गणित संस्थान ने 2000 में की थी, जिसमें सातों समस्याओं में से प्रत्येक के हल के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार रखा गया।

- पॉइनकेयर अनुमान अब तक हल हुई एकमात्र मिलेनियम पुरस्कार समस्या है; इसे सिद्ध करने वाले गिगोरी पेरैलमान ने फ़ील्ड्स पदक (2006) और मिलेनियम पुरस्कार (2010), दोनों को अस्वीकार कर दिया।
- नेवियर-स्टोक्स समीकरण श्यान तरलों की गति का वर्णन करते हैं, और इनसे जुड़ी मिलेनियम पुरस्कार समस्या त्रि-आयामी स्थिति में इनके हलों के अस्तित्व और सुचारुता से संबंधित है।
- फ़ील्ड्स पदक अंतरराष्ट्रीय गणितीय संघ (International Mathematical Union) द्वारा हर चार वर्ष में अंतरराष्ट्रीय गणितज्ञ कांग्रेस (International Congress of Mathematicians) में 40 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है।
- Lean एक अंतःक्रियात्मक प्रमेय-सिद्धक (interactive theorem prover) या प्रमाण-सहायक है, जिसमें औपचारिक भाषा में लिखे गए प्रमाण की कंप्यूटर द्वारा चरण-दर-चरण जाँच की जाती है।
- मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹10,371.92 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूर IndiaAI मिशन को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अधीन IndiaAI स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग लागू करता है।
- भारत प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime — 2016), वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement — 2017) और ऑस्ट्रेलिया समूह (Australia Group — 2018) का सदस्य है, परंतु परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group) का नहीं।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. जब तक इसका सत्यापन न हो और इसे समझा न जाए, नेवियर-स्टोक्स परिणाम एक कॉर्पोरेट दावा है, प्रमेय नहीं — रिपोर्ट कहती है कि OpenAI ने हल की 'घोषणा' की है; वह यह नहीं कहती कि प्रमाण का औपचारिक सत्यापन हुआ है, उसकी विशेषज्ञ समीक्षा (refereeing) हुई है या वह प्रकाशित हुआ है। क्ले संस्थान के नियम प्रकाशन, दो वर्ष की प्रतीक्षा और सामान्य स्वीकृति की माँग ठीक इसीलिए करते हैं कि प्रसिद्ध समस्याएँ वृद्धिपूर्ण प्रमाणों को आकर्षित करती हैं। Lean में औपचारिकीकरण शुद्धता का प्रश्न तो सुलझा देगा, पर रिपोर्ट में उद्धृत गणितज्ञ कहते हैं कि AI प्रमाण सबसे कठिन चरणों को लॉघ जाते हैं और गढ़ी हुई शब्दावली में भटक जाते हैं, इसलिए मानवीय जाँच में वर्षों लग सकते हैं। प्रतिपक्ष भी वास्तविक है: एडोश की इकाई दूरी समस्या के हल की जाँच करने वाले विशेषज्ञों ने उसे किसी शीर्ष पत्रिका के योग्य माना, अतः ये प्रणालियाँ निरर्थक शोर पैदा नहीं कर रहीं। सही रुख न खारिज करना है, न जश्न मनाना, बल्कि 'घोषित', 'सत्यापित' और 'स्वीकृत' के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचना है।
2. प्रॉम्प्ट और पद्धति पर गोपनीयता उस मानदंड को तोड़ती है जो विज्ञान को स्वयं को सुधारने लायक बनाता है — विज्ञान स्वयं को इसलिए सुधार पाता है कि दूसरे लोग उसकी पद्धति को दोहरा सकते हैं, न कि केवल उत्तर की सराहना कर सकते हैं। हार्वर्ड की नीना जुब्रिलिना (Nina Zubrilina) प्रॉम्प्ट सार्वजनिक करने की माँग करती हैं और 'जान-बूझकर रचे गए रहस्यवाद' (intentional mysticism) पर आपत्ति करती हैं; इनके बिना कोई नहीं बता सकता कि कितना काम मॉडल ने किया और कितना कंपनी के अपने विशेषज्ञ गणितज्ञों ने। माइकल हैरिस की यह व्याख्या कि कंपनियाँ कृत्रिम सामान्य बुद्धि (artificial general intelligence) की ओर प्रगति का संकेत देने और निवेशकों को प्रसन्न करने के लिए गणित के पीछे भाग रही हैं, इस प्रोत्साहन को स्पष्ट करती है: सुखी ही उत्पाद है। प्रतिपक्ष यह है कि कंपनियों ने इतना कंप्यूट खर्च किया है जितना कोई विश्वविद्यालय वहन नहीं कर सकता, और प्रकाशित उत्तर फिर भी जाँच-परख को आमंत्रित करते हैं; लाइडन घोषणा-पत्र दिखाता है कि गणितज्ञ समुदाय इन उपकरणों को ठुकरा नहीं रहा, बल्कि उनके उपयोग की शर्तें तय कर रहा है।
3. बकमास्टर प्रकरण चेताता है कि शोधकर्ताओं के अप्रकाशित विचार प्रशिक्षण डेटा बन सकते हैं — ट्रिस्टन बकमास्टर और लैवेंट अल्पोगे ने दोनों कंपनियों के उपकरणों की मदद से नेवियर-स्टोक्स की एक सरलीकृत समस्या पर एक वर्ष तक काम किया, और OpenAI इस संभावना को 'खारिज नहीं कर सकता' कि उनके पहचान-रहित उपयोग-डेटा ने उसके मॉडलों को बेहतर बनाया। इस तरह अप्रकाशित काम पर किसी वाणिज्यिक मॉडल का उपयोग करने वाला शोधकर्ता एक ऐसी प्रणाली को सामग्री दे रहा हो सकता है जिसे उसका स्वामी उसी समस्या पर लगा सकता है। पहचान-रहित करना व्यक्ति की रक्षा करता है, विचार की नहीं, और भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) के तहत कोई शोध-विचार 'व्यक्तिगत डेटा' नहीं है। इसलिए विश्वविद्यालयों और वित्तपोषकों को अप्रकाशित काम में AI के उपयोग पर, और अनुबंध के ज़रिए मॉडल-प्रशिक्षण से बाहर रहने (opt-out) के विकल्प पर, अपने नियम बनाने होंगे। प्रतिपक्ष यह है कि उपयोग-डेटा सभी के लिए उपकरणों को बेहतर बनाता है; पर खोज की प्राथमिकता (priority) और श्रेय ही अकादमिक करियर की मुद्रा हैं, और वे संरक्षण के हकदार हैं।
4. भारतीय संस्थानों का बहिष्कार दिखाता है कि अब केवल स्वामित्व ही नहीं, पहुँच भी शक्ति

का साधन है — रिपोर्ट भारतीय संस्थानों को रूसी और चीनी संस्थानों के साथ एक ही श्रेणी में रखती है और 29 जुलाई के बहिष्कार का कारण 'सबसे अधिक संभावना' के रूप में भू-राजनीतिक तनावों को बताती है; कोई औपचारिक कारण नहीं दिया गया है। यह पैटर्न जाना-पहचाना है: जनवरी 2025 के एक अमेरिकी AI प्रसार नियम (AI diffusion rule) ने भारत को देशों की उस मध्य श्रेणी में रखा था जिस पर उन्नत चिपों की सीमा लगी थी, और फिर मई 2025 में उसे रद्द कर दिया गया। किसी कंपनी की पहुँच-सूची कानूनन निर्यात नियंत्रण नहीं है, पर किसी भारतीय डॉक्टरेट छात्र पर उसका असर वैसा ही होता है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में देशों से आग्रह किया कि वे महाशक्तियों से स्वतंत्र एक मुक्त-स्रोत (open-source) अग्रणी मॉडल में मिलकर निवेश करें — किसी मध्यम शक्ति के लिए यह एक रास्ता है। प्रतिपक्ष यह है कि सशुल्क और मुक्त मॉडल उपलब्ध हैं, इसलिए यह बहिष्कार एक लागत है, दीवार नहीं; पर जहाँ, डॉ. बुकर के अनुभव में, दो सप्ताह की AI सहायता पाँच वर्ष के प्रयास पर भारी पड़ी, वहाँ यही लागत तय कर देती है कि पहले कौन पहुँचेगा।

- 5. यदि मॉडल-पहुँच को अनुसंधान अवसंरचना नहीं माना गया, तो सैद्धांतिक विज्ञान में भारत की बढ़त घिसती जाएगी** — रिपोर्ट याद दिलाती है कि कभी सैद्धांतिक विज्ञानों में भारत को बढ़त हासिल थी — एक ऐसी बढ़त जो महुँगी प्रयोगशालाओं पर नहीं, बल्कि प्रतिभा और सीमित संसाधनों पर टिकी थी। यदि कोई मॉडल 'शोध-छात्रों की सेना' है, तो अब किसी गणितज्ञ का उत्पादन जितना उसके प्रशिक्षण पर निर्भर है, उतना ही कंप्यूट और मॉडलों तक उसकी पहुँच पर भी। IndiaAI मिशन के GPU शैक्षणिक जगत के लिए खुले हैं, पर सैद्धांतिक विभाग शायद ही कभी ऐसे संसाधनों के लिए होड़ करते हैं, और 2023 के एक अधिनियम के तहत गठित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन (Anusandhan National Research Foundation — ANRF) बुनियादी अनुसंधान के लिए मॉडल-पहुँच अलग से निर्धारित कर सकता है। जैसा डॉ. सदरलैंड सुझाते हैं, प्रशिक्षण को भी केवल समस्या-समाधान से हटाकर व्याख्या (exposition), औपचारिकीकरण और विवेक की ओर मोड़ना होगा। प्रतिपक्ष उनका यह आश्वासन है कि गणित कभी 'पूरी तरह हल' नहीं होगा; फिर भी रिपोर्ट का यह उल्लेख कि 2026 के फ़ील्ड्स पदक विजेता जैकब त्सिमेरमैन (Jacob Tsimmerman) ने शोध-छात्र लेना बंद कर दिया है, दिखाता है कि यह क्षेत्र इस जोखिम को कितनी गंभीरता से ले रहा है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियाँ उन समस्याओं को हल करने लगी हैं जिनके पीछे गणितज्ञ दशकों तक लगे रहे, पर वे किन शर्तों पर ऐसा करती हैं, यह मुट्ठी भर निगम तय करते हैं।” विज्ञान के व्यवहार के लिए इससे उत्पन्न अवसरों और जोखिमों की चर्चा कीजिए। यह सुनिश्चित करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए कि उसके शोधकर्ता अग्रणी AI तक पहुँच में पीछे न छूट जाएँ? (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

- 1. भूमिका** — OpenAI के 8 सितंबर के नेवियर-स्टोक्स मिलेनियम पुरस्कार समस्या वाले दावे, 87 वर्ष पुराने जैकोबियन अनुमान के 20 जुलाई के प्रति-उदाहरण और 20 मई के एडॉश परिणाम से आरंभ कीजिए, और स्पष्ट कीजिए कि ये सत्यापन की प्रतीक्षा कर रहे घोषित दावे हैं।
- 2. मुख्य भाग — अवसर** — लाभ समझाइए: गति (बुकर के मामले में एक सप्ताह में 30,000 पंक्तियों का कोड और लगभग 200 पृष्ठों का गणित), Lean जैसे प्रमाण-सहायकों में मशीन-जाँच योग्य औपचारिकीकरण, और साहित्य के एक-दूसरे से दूर पड़े क्षेत्रों में खोज।
- 3. मुख्य भाग — विज्ञान के लिए जोखिम** — समझ से परे प्रमाणों और 'प्रमाण-अपच' (proof indigestion), प्रॉम्प्ट पर गोपनीयता, बकमास्टर डेटा-उपयोग विवाद, माइकल हैरिस द्वारा बताए गए वाणिज्यिक उद्देश्यों तथा करियर में उथल-पुथल की चर्चा कीजिए, और जून 2026 के लाइडन घोषणा-पत्र को समुदाय द्वारा मानदंड तय करने की प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत कीजिए।
- 4. मुख्य भाग — भारत की प्रतिक्रिया** — 29 जुलाई के बहिष्कार और किसी भारतीय अग्रणी मॉडल के अभाव का उल्लेख कीजिए; IndiaAI मिशन के ₹10,371.92 करोड़ और 38,000 से अधिक GPU का व्योरा दीजिए, फिर ANRF के माध्यम से बुनियादी अनुसंधान के लिए निर्धारित मॉडल-पहुँच, संस्थागत AI-उपयोग नीतियों, स्वदेशी तर्क मॉडलों को सहायता, और मुक्त मॉडलों के लिए गठबंधनों का प्रस्ताव कीजिए।
- 5. निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि अग्रणी AI तक पहुँच अब किसी दूरबीन या सुपरकंप्यूटर की तरह अनुसंधान अवसंरचना है, और भारत को इसे सुनिश्चित भी करना होगा तथा ऐसे वैज्ञानिक भी तैयार करने होंगे जो मशीन-निर्मित परिणामों का सत्यापन और उनकी व्याख्या कर सकें।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &

प्रश्न 1. आप MeitY के सचिव हैं। वरिष्ठ गणितज्ञ लिखते हैं कि भारतीय संस्थानों को एक विदेशी कंपनी के मुफ्त अग्रणी-मॉडल कार्यक्रम से बाहर रखा गया है। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): सबसे पहले मैं कंपनी से तथ्यों की पुष्टि करूँगा, क्योंकि रिपोर्ट बहिष्कार का कारण केवल 'सबसे अधिक संभावना' के रूप में भू-राजनीति को बताती है, और यदि यह किसी

APPROACH)

नीति का परिणाम है तो इसे कूटनीतिक स्तर पर उठाऊंगा। साथ ही, मैं IndiaAI कंप्यूट पोर्टल पर बुनियादी विज्ञान विभागों के लिए एक समर्पित खिड़की खोलूंगा, जिसमें आवेदन सरल हों और उपलब्ध मॉडलों के लिए क्रेडिट मिलें। मैं IndiaAI नवाचार केंद्र से यह भी कहूंगा कि वह जिन स्वदेशी मॉडलों को सहायता देता है, उनमें गणितीय तर्क की प्राथमिकता दे। दीर्घकालिक उत्तर निर्भरता घटाना है; तात्कालिक कर्तव्य यह है कि शोधकर्ताओं का काम न रुके।

प्रश्न 2. कुलपति के रूप में आपको पता चलता है कि एक डॉक्टरेट शोध-प्रबंध का केंद्रीय प्रमाण बड़े पैमाने पर एक AI मॉडल ने तैयार किया है। आप इसे कैसे संभालेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): AI का उपयोग अपने-आप में कदाचार नहीं है, पर मैं UGC के 2018 के अकादमिक सत्यनिष्ठा संबंधी विनियमों की भावना के अनुरूप प्रयुक्त उपकरणों, प्रॉम्प्ट और मशीन के योगदान की सीमा का पूरा प्रकटीकरण अनिवार्य करूंगा। मौखिकी (viva) में यह परखा जाना चाहिए कि अभ्यर्थी समझता है या नहीं कि प्रमाण काम क्यों करता है, और इसके समर्थन में औपचारिक सत्यापन या मनुष्य के पढ़ने योग्य स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। डॉक्टरेट अभ्यर्थी के अपने योगदान को पुरस्कृत करती है, जो परिणाम की रूपरेखा बनाने और उसे समझाने में भी हो सकता है। इसके बाद मैं अकादमिक परिषद से एक नीति लिखवाऊंगा, ताकि आगे के मामले नियमों के अनुसार निपटें।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारतीय वैज्ञानिकों को अप्रकाशित या संवेदनशील अनुसंधान पर विदेशी AI मॉडलों के उपयोग से रोक दिया जाना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): पूर्ण प्रतिबंध भारतीय विज्ञान की रक्षा कम करेगा और उसे नुकसान अधिक पहुंचाएगा, क्योंकि ये उपकरण अब शोधकर्ता के उत्पादन को कई गुना बढ़ा देते हैं। समझदारी भरी रेखा जोखिम-आधारित है: सामरिक दृष्टि से संवेदनशील काम सुरक्षित, और अधिमानतः घरेलू, अवसंरचना पर चले, जबकि खुला अनुसंधान अनुबंध में प्रशिक्षण से बाहर रहने की शर्त के साथ विदेशी उपकरणों का उपयोग कर सकता है। बकमास्टर प्रकरण दिखाता है कि खुले अनुसंधान में भी खोज की प्राथमिकता का जोखिम रहता है, इसलिए शोधकर्ताओं को जानना चाहिए कि सेवा की शर्तें क्या अनुमति देती हैं। लक्ष्य सूचित उपयोग है, भयभीत परहेज़ नहीं।

8. समाज (Society)

आज की दोनों खबरें दिल्ली के उन युवाओं के बारे में हैं जिन्हें शहर ने ऐसी जगहें सौंपीं जो उनकी हिफाजत नहीं कर सकीं: एक सार्वजनिक पार्क, जिस पर अंधेरा होने के बाद किसी की नज़र नहीं थी, और पेइंग गेस्ट के कमरे तथा कोचिंग की मंज़िलें, जिन्हें कोई नियम-पुस्तिका ठीक से पहचानती ही नहीं। दोनों मामलों में राज्य नुकसान हो जाने के बाद पहुँचता है — ऑडिट, सीलिंग और बयानों के साथ — और दोनों में असली कसौटी यह है कि ऑडिट केवल प्रतिक्रिया बनकर न रह जाए, बल्कि नियमित व्यवस्था बने। राजधानी में उपराज्यपाल, निर्वाचित सरकार और नागरिक निकायों के बीच बँटी सत्ता इसे और कठिन बना देती है, क्योंकि हर सुधार के लिए कई जिम्मेदारों की सहमति चाहिए। जो सुरक्षा सुर्खियों पर टिकी हो, वह नीति नहीं है।

8.1 आस्था कुंज सामूहिक बलात्कार के बाद उपराज्यपाल ने पार्कों के सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया; 'DURGA' योजना में ई-ऑटो महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। उपराज्यपाल (Lieutenant-Governor, L-G) तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार, 23 सितंबर को दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को राजधानी भर के सार्वजनिक पार्कों का सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया। यह निर्देश उस घटना के बाद आया जिसमें सोमवार को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में पुलिसकर्मी बनकर आए तीन पुरुषों ने एक 17 वर्षीय लड़की से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया। तीनों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया और बुधवार को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया; इनमें से एक के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस दोनों ओर से हुई गोलीबारी बताती है। यह आदेश MCD आयुक्त, पुलिस आयुक्त और DDA उपाध्यक्ष के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद जारी हुआ। उपराज्यपाल के कार्यालय लोक निवास की विज्ञप्ति के अनुसार ऑडिट में प्रकाश व्यवस्था, सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर गार्डों की तैनाती, पार्कों के भीतर गश्त — विशेषकर सूर्यास्त के बाद — और साफ़-सफ़ाई की जाँच होगी, और इस पर भी विचार होगा कि कुछ पार्कों का रखरखाव निवासी कल्याण संघों (Residents' Welfare Associations – RWA) या निजी संस्थाओं को सौंप दिया जाए। DDA “डार्क स्पॉट” — यानी बिना रोशनी और बिना निगरानी वाले हिस्सों — की पहचान करेगा, वहाँ रोशनी और CCTV लगाएगा, कई द्वारों वाले पार्कों में देर शाम का प्रवेश कुछ चुनिंदा द्वारों तक सीमित कर सकता है, और पुलिस के साथ तालमेल रखेगा; इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार DDA और MCD को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देनी है। पुलिस का कहना है कि सेंट्रल रेंज में चलाए गए अभियानों में दिल्ली पुलिस अधिनियम (Delhi Police Act) की धारा 65 के तहत 379 लोगों को पकड़ा गया। सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस बताता है कि एक आरोपी पहले पुलिस का मुखबिर रह चुका था और एक बार छेड़छाड़ में पकड़ा भी गया था, पर कोई शिकायत दर्ज न होने के कारण छोड़ दिया गया। घटनास्थल के पास स्थित लेडी श्रीराम कॉलेज फ़ॉर विमेन (LSR) की छात्राओं ने बुधवार शाम मार्च निकाला; द हिंदू इसे LSR की सैकड़ों छात्राओं का केवल महिलाओं वाला मार्च बताता है, जबकि इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों के लगभग 200 विद्यार्थी शामिल थे। एक छात्रा ने कहा, “हमें बलात्कार की संस्कृति, नैतिक पुलिसिंग और पितृसत्ता से आज़ादी चाहिए।” एक ऑनलाइन बैठक में LSR की छात्राओं ने PCR वैन के न होने, पुलिस के बंद पड़े पिक बूथ और अंधेरी सड़कों का मुद्दा उठाया था। उसी दिन दिल्ली मंत्रिमंडल ने ‘DURGA’ योजना को मंजूरी दी: पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो, जिनमें 1,170 महिलाओं और 130 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए होंगे, और हर राजस्व ज़िले में इनकी अधिकतम संख्या क्रमशः 90 और 10 होगी। यह योजना 20 से 40 वर्ष आयु के उन दिल्ली निवासियों के लिए है जिनके पास मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और सार्वजनिक सेवा वाहन (Public Service Vehicle – PSV) वैज हो; तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाएँ इसके लिए पात्र नहीं हैं। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS1 में महिलाएँ और नगरीकरण, तथा GS2 में कमज़ोर वर्गों के लिए योजनाएँ।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

दिल्ली के पार्कों का रखरखाव DDA और MCD करते हैं, पर उनमें गश्त वह पुलिस बल करता है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी है → अंधेरे, कम पहर वाले हिस्से और इलाके में जाना-पहचाना एक अपराधी, जिस पर कभी औपचारिक मामला दर्ज नहीं हुआ → पुलिसकर्मी बनकर आए पुरुष आस्था कुंज पार्क में एक किशोरी से सामूहिक बलात्कार करते हैं → LSR की छात्राएँ मार्च निकालती हैं और बंद पड़ा पिक बूथ, नदारद PCR वैन और बिना रोशनी की सड़कें गिनाती हैं → उपराज्यपाल एक सप्ताह में रिपोर्ट के साथ पार्कों के सुरक्षा ऑडिट का आदेश देते हैं, और दिल्ली मंत्रिमंडल महिला और ट्रांसजेंडर चालकों के लिए आरक्षित DURGA ई-ऑटो को मंजूरी देता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. कानून बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने से रोकता है, और नाबालिग को दोहरी सुरक्षा देता है — भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) की धारा 72, जिसने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 228A का स्थान लिया है, बलात्कार और उससे जुड़े अपराधों की पीड़िता का नाम, या ऐसी कोई भी बात जिससे उसकी पहचान उजागर हो सकती हो, छापने या प्रकाशित करने पर दो वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान करती है। यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की हो, तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 23 भी मीडिया को बच्चे का नाम, पता, फ़ोटो, पारिवारिक विवरण, स्कूल या पड़ोस उजागर करने से रोकती है। Nipun Saxena v. Union of India (2018) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पहचान परीक्षण रूप से, दूर के संकेत के ज़रिए भी, उजागर नहीं की जानी चाहिए। BNS की धारा 70(2) 18 वर्ष से कम आयु की महिला से सामूहिक बलात्कार के लिए व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल तक के कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान करती है।
2. निर्भया कोष और सुरक्षित शहर परियोजनाएँ सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा के लिए केंद्र का धन हैं — दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 के सामूहिक बलात्कार के बाद केंद्रीय बजट 2013-

14 में ₹1,000 करोड़ के साथ निर्भया कोष (Nirbhaya Fund) की घोषणा की गई; उसके बाद आई न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (Justice J.S. Verma Committee) की रिपोर्ट ने दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 (Criminal Law (Amendment) Act) को आकार दिया। यह कोष व्यपगत नहीं होता (non-lapsable) और इसका प्रशासन आर्थिक कार्य विभाग करता है, जबकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वह नोडल मंत्रालय है जो परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है। इसी कोष से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2018 में आठ शहरों — अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई — के लिए सुरक्षित शहर परियोजनाएँ (Safe City Projects) स्वीकृत कीं, जिनमें प्रकाश व्यवस्था, CCTV, महिला हेल्प डेस्क और कमांड सेंटर शामिल हैं। पीड़िताओं के लिए बने वन स्टॉप सेंटर (One Stop Centres) भी इसी कोष से धन पाते हैं।

3. सुरक्षा ऑडिट और CPTED सार्वजनिक स्थानों की हिंसा को आंशिक रूप से डिज़ाइन की विफलता मानते हैं — महिला सुरक्षा ऑडिट (women's safety audit) की पद्धति 1989 में टोरंटो में मेट्रोपॉलिटन एक्शन कमिटी ऑन वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन (METRAC) ने विकसित की थी: महिलाएँ किसी स्थान में पैदल घूमकर रोशनी, दृश्यता (sightlines), सुनसानपन और मदद तक पहुँच को दर्ज करती हैं। दिल्ली में महिला संसाधन केंद्र जागोरी (Jagori) ने इस पद्धति को अपनाया, और 2010 में दिल्ली UN Women की सुरक्षित शहर वैश्विक पहल (Safe Cities Global Initiative) में शामिल होने वाले पहले शहरों में था; क्विटो, काहिरा, पोर्ट मोरेस्वी और किगाली भी इनमें थे। पर्यावरणीय डिज़ाइन के माध्यम से अपराध निवारण (Crime Prevention Through Environmental Design – CPTED) चार आधारों पर टिका है — स्वाभाविक निगरानी, प्रवेश नियंत्रण, क्षेत्र पर स्वामित्व-बोध का सुदृढीकरण और रखरखाव — और यह जेन जैकब्स की “सड़क पर निगाहें” (eyes on the street, 1961) की अवधारणा को आगे बढ़ाता है। Why Loiter? (2011) में शिल्पा फडके, समीरा खान और शिल्पा राणाडे तर्क देती हैं कि महिलाएँ तब अधिक सुरक्षित होती हैं जब वे किसी भी कारण से सार्वजनिक स्थान पर मौजूद रह सकें, न कि केवल किसी ‘उद्देश्यपूर्ण’ कारण से। बारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243W) के तहत पार्क, उद्यान और खेल के मैदान, तथा सड़कों की रोशनी नगरपालिकाओं के कार्य हैं।

4. ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019 सरकारों को ऐसी योजनाएँ बनाने के लिए बाध्य करता है जिनमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हों — उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (Transgender Persons (Protection of Rights) Act) ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता; इसमें ट्रांस पुरुष, ट्रांस महिलाएँ, अंतरलिंगी भिन्नताओं (intersex variations) वाले व्यक्ति और किन्नर तथा हिजड़ा जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले लोग शामिल हैं। धारा 3 शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुँच और आवागमन के अधिकार में भेदभाव का निषेध करती है। पहचान प्रमाणपत्र ज़िला मजिस्ट्रेट जारी करता है, और राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद (National Council for Transgender Persons) की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री करते हैं। यह अधिनियम National Legal Services Authority v. Union of India (2014) मामले की नींव पर खड़ा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना लिंग स्वयं निर्धारित करने के अधिकार को मान्यता दी और निर्देश दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में माना जाए।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS1 बार-बार महिलाओं और शहर के संबंध पर पूछता है, केवल महिलाओं और कानून पर नहीं — GS1 के पाठ्यक्रम में “महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका” तथा “नगरीकरण, उनकी समस्याएँ और उनके समाधान” शामिल हैं। 2019 में UPSC ने पूछा था, “समय और स्थान के विरुद्ध भारत में महिलाओं के लिए निरंतर चुनौतियाँ क्या हैं?” — यह खबर सीधे इसी प्रश्न का उत्तर देती है। जो उत्तर डिज़ाइन, प्रकाश व्यवस्था, परिवहन और सार्वजनिक स्थान पर मौजूद रहने के अधिकार का हवाला देते हैं, वे दंडात्मक धाराओं की सूची गिनाने वाले उत्तरों से अधिक अंक पाते हैं।

2. GS2 कमज़ोर वर्गों के लिए संस्थाओं और योजनाओं को, और दिल्ली के बँटे हुए शासन को परखता है — GS2 के पाठ्यक्रम में “कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ” और उनकी सुरक्षा के लिए गठित “तंत्र, कानून, संस्थाएँ और निकाय” शामिल हैं। निर्भया कोष का प्रशासन करने वाला मंत्रालय, ट्रांसजेंडर अधिनियम के तहत पहचान प्रमाणपत्र और NALSA निर्णय — यही वे प्रावधान-स्तर के तथ्य हैं जिन पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न बनते हैं। GS2 में बार-बार आने वाला अनुच्छेद 239AA बताता है कि पार्कों के ऑडिट का आदेश लोक निवास से क्यों आया और ई-आटो योजना दिल्ली मंत्रिमंडल से क्यों।

3. नीतिशास्त्र के प्रश्नपत्र ऐसे मामलों से निजता, गरिमा और संयम की परीक्षा लेते हैं — GS4 के केस स्टडी अक्सर अभ्यर्थी को किसी यौन हमले के बाद मीडिया के दबाव में काम कर रहे अधिकारी की भूमिका में रखते हैं; पहचान उजागर करने पर रोक और कथित मुठभेड़ — दोनों गरिमा, पारदर्शिता और बल प्रयोग में संयम की कसौटी बनते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 72, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 228A का स्थान लिया, बलात्कार और संबंधित अपराधों की पीड़िता की पहचान उजागर करने पर दो वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान करती है।
- POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 23 मीडिया को पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर करने से रोकती है, जिसमें नाम, पता, फोटो, पारिवारिक विवरण, स्कूल और पड़ोस शामिल हैं।
- केंद्रीय बजट 2013-14 में घोषित निर्भया कोष एक व्ययगत न होने वाला (non-lapsable) कोष है जिसका प्रशासन आर्थिक कार्य विभाग करता है; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।
- निर्भया कोष के अंतर्गत सुरक्षित शहर परियोजनाएँ गृह मंत्रालय ने आठ शहरों के लिए स्वीकृत कीं: अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई।
- उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत पहचान प्रमाणपत्र जिला मजिस्ट्रेट जारी करता है, और राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री करते हैं।
- अनुच्छेद 239AA(3)(a) के तहत लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि (राज्य सूची की प्रविष्टियाँ 1, 2 और 18) दिल्ली विधानसभा की विधि-निर्माण शक्ति से बाहर हैं।
- बारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243W) में पार्क, उद्यान और खेल के मैदान, तथा सड़कों की रोशनी सहित सार्वजनिक सुविधाएँ उन कार्यों में सूचीबद्ध हैं जो नगरपालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. **बतियों और गार्डों का ऑडिट उस अपराधी को नहीं खोज पाएगा जिसे सब पहले से जानते थे** — ऑडिट की जाँच-सूची समझदारी भरी है, पर खबरें किसी दूसरी विफलता की ओर इशारा करती हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एक आरोपी छेड़छाड़ में पकड़ा गया था और शिकायत दर्ज न होने के कारण छोड़ दिया गया था, पार्क के गार्ड उसे इलाके का दबंग बताते थे, और DCP (दक्षिण-पूर्व) विनीत कुमार ने कहा कि पुलिसकर्मियों के पास “सभी स्थानीय बदमाशों का ब्योरा” है, जिनमें वह भी शामिल था। जानकारी मौजूद थी; पर औपचारिक शिकायत के बिना व्यवस्था कार्रवाई नहीं कर सकी, और उत्पीड़न झेलने वाली महिलाएँ ऐसी शिकायत शायद ही दर्ज कराती हैं। जो ऑडिट बल्ब तो गिनता है पर अनौपचारिक शिकायतों के लिए कोई रास्ता नहीं बनाता — जैसे ऐसा हेल्प डेस्क जो FIR से इतर शिकायतें भी दर्ज करे — वह दिखाई देने वाली कमी को भरता है और असली कमी को जस का तस छोड़ देता है। विरोधी मत भी उचित है: साख के आधार पर की गई पुलिसिंग मनमाने उत्पीड़न में बदल सकती है, इसलिए ऐसे किसी भी माध्यम का परिणाम लिखित रूप में दर्ज चेतावनियाँ होनी चाहिए, न कि कानून से परे दंड।
2. **पुलिस बनकर आए पुरुष इसलिए सफल हुए क्योंकि नैतिक पुलिसिंग ने युवाओं को वर्दी से डरना सिखा दिया है** — अखबारों के अनुसार आरोपी पुलिसकर्मी बनकर आए और पुलिस की शब्दावली का प्रयोग किया, और इंडियन एक्सप्रेस सूत्रों के हवाले से बताता है कि उन्होंने POCSO के तहत मामला दर्ज कराने की धमकी दी। पार्क में ‘पुलिस’ द्वारा रोके गए किशोर मदद के लिए पुकारने के बजाय बात मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि पाकों में अधिकार का प्रयोग करने वाले युवाओं को परेशान करते हैं; “नैतिक पुलिसिंग” (moral policing) के विरुद्ध LSR का नारा ठीक इसी संबंध को पहचानता है। 22वें विधि आयोग ने 2023 में सहमति की आयु को 18 वर्ष से कम न करने की सलाह दी, जिससे किशोरों का आपसी साथ कानूनी रूप से जोखिम भरा बना रहता है और ऐसी ब्लैकमेलिंग का रास्ता खुला रहता है। इसलिए पाकों में नैतिकता के नाम पर होने वाली गश्त पुलिस का वेश धरकर अपराध करना कठिन नहीं, बल्कि आसान बना सकती है। विरोधी मत यह है कि दिखाई देने वाली पुलिस यौन अपराधियों को रोकती है — यह सच है, पर तभी जब पार्क में आने वाले लोग भरोसा करें कि वर्दी उनसे सवाल-जवाब करने के लिए नहीं, उनकी रक्षा करने के लिए है।
3. **अँधेरा होने पर द्वार बंद करना और पार्क RWA को सौंपना महिलाओं की उपस्थिति को ही समस्या मान लेता है** — DDA कई द्वारों वाले पाकों में देर शाम का प्रवेश सीमित कर सकता है, और अधिकारियों से कुछ पार्क RWA या निजी संस्थाओं को सौंपने पर विचार करने को कहा गया है। दोनों उपाय उपयोग घटाकर जोखिम घटाते हैं, जबकि जेन जैकब्स और Why Loiter? का तर्क यह है कि चहल-पहल वाले, खुले स्थान ही अधिक सुरक्षित होते हैं। RWA प्रबंधन का अर्थ अक्सर ताले लगे द्वार और घरेलू कामगारों, रेहड़ी-पटरी वालों तथा गरीबों का चुपचाप बहिष्कार होता है — यह उस सार्वजनिक वस्तु का निजीकरण है जिसे बारहवीं अनुसूची नगरपालिकाओं को सौंपती है। इसी तरह दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत 379 लोगों का पकड़ा जाना सक्रियता को मापता है, सुरक्षा को नहीं। विरोधी मत यह है कि मौजूदा कर्मचारियों के बल पर कुछ पाकों को रात में संभालना संभव नहीं, और RWA सचमुच रखरखाव सुधारते हैं: उचित कसौटी यह है कि ऑडिट का अंत अधिक रोशनी और अधिक आवाजाही में

होता है या अधिक तालों में।

4. दिल्ली की सुरक्षा संविधान ने बाँट रखी है, और समन्वय जवाबदेही की जगह ले रहा है — अनुच्छेद 239AA के तहत पुलिस और भूमि उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र के पास हैं, और उपराज्यपाल ही DDA के अध्यक्ष भी हैं; MCD अपने निर्वाचित सदन के प्रति उत्तरदायी है; परिवहन और महिला कल्याण निर्वाचित दिल्ली सरकार के पास हैं। एक ही दिन उपराज्यपाल के ऑडिट और मंत्रिमंडल की DURGA योजना सामने आई — दो समानांतर पटरियाँ, जिनका कोई साझा स्वामी नहीं है। दो एजेंसियों से एक सप्ताह में रिपोर्ट माँगना खानापूति को न्योता देना है; बेहतर व्यवस्था यह होगी कि हर पार्क के लिए एक जवाबदेह एजेंसी हो, नामित अधिकारी के साथ ऑडिट प्रकाशित हो, और जागोरी मॉडल पर महिला उपयोगकर्ता बार-बार ऑडिट करें। विरोधी मत यह है कि पुलिस और DDA पर उपराज्यपाल के सीधे नियंत्रण के कारण 48 घंटों के भीतर कार्रवाई हो सकी, जो पूरी तरह विकेंद्रीकृत शहर शायद न कर पाता।
5. DURGA सुरक्षा योजना के रूप में प्रस्तुत आजीविका योजना है, और इसकी पात्रता शर्तें तय करेंगी कि यह इन दोनों में से कुछ बन भी पाती है या नहीं — मुख्यमंत्री कार्यालय DURGA को “सम्मानजनक स्वरोज्जगार” और महिला सुरक्षा — दोनों के रूप में प्रस्तुत करता है। इसकी पात्रता — 20 से 40 वर्ष की आयु, ड्राइविंग लाइसेंस और PSV बैज — उन्हीं महिलाओं को चुनती है जो पहले से परिवहन के काम में हैं, जहाँ महिलाएँ बहुत कम हैं; इसलिए प्रशिक्षण की व्यवस्था के बिना 1,300 ऑटो के लिए चालक ही न मिलें, ऐसा हो सकता है। तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाओं पर रोक कानूनी रूप से बचाव योग्य है, क्योंकि Javed v. State of Haryana (2003) में सर्वोच्च न्यायालय ने पंचायत उम्मीदवारों के लिए दो-संतान मानदंड को वैध ठहराया था, पर आजीविका योजना में यह शर्त बेमेल लगती है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 130 ऑटो उस समावेशन की दिशा में वास्तविक कदम है जिसकी मांग 2019 का अधिनियम करता है। विरोधी मत मज़बूत है: महिला चालक रात में महिला यात्रियों को अधिक सुरक्षित महसूस कराती हैं, और चालक की सीट पर बैठी महिलाएँ सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं की उपस्थिति को सामान्य बनाती हैं — जो किसी भी पार्क ऑडिट से गहरा इलाज है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“भारतीय शहरों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर प्रतिक्रियाएँ मुख्यतः निगरानी और पुलिसिंग पर निर्भर रहती हैं, जबकि सार्वजनिक स्थानों के डिज़ाइन और उपयोग पर कम ध्यान दिया जाता है।” दिल्ली में हाल में उठाए गए कदमों के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों के लिए एक लैंगिक रूप से संवेदनशील ढाँचे में क्या-क्या शामिल होना चाहिए? (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — आस्था कुंज पार्क के सामूहिक बलात्कार और 23 सितंबर को उपराज्यपाल द्वारा सार्वजनिक पार्कों के सुरक्षा ऑडिट के आदेश से शुरुआत कीजिए, जिसकी रिपोर्ट एक सप्ताह में देनी है — यह अपराध हो जाने के बाद बनी नीति का उदाहरण है।
2. मुख्य भाग — निगरानी और पुलिसिंग की राह — CCTV, डाक स्पॉट पर रोशनी, बीट गश्त और क्षेत्र-प्रभुत्व (area domination) अभियानों का वर्णन कीजिए, जिनमें दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत 379 लोगों को पकड़ा गया, और इन्हें निर्भया कोष तथा सुरक्षित शहर परियोजनाओं से जोड़िए। सीमाएँ भी बताइए: शिकायत के अभाव में छोड़ा गया एक जाना-पहचाना अपराधी, बंद पड़ा पिक बूथ, और ऐसे अभियान जो सुरक्षा नहीं, केवल सक्रियता मापते हैं।
3. मुख्य भाग — डिज़ाइन और उपयोग की राह — महिला सुरक्षा ऑडिट (METRAC, जागोरी, UN Women की सुरक्षित शहर पहल), CPTED और सार्वजनिक स्थान के अधिकार के पक्ष में Why Loiter? के तर्क को समझाइए। द्वार बंद करने और पार्क RWA को सौंपने की तुलना उन उपायों से कीजिए जो आवाजाही बढ़ाते हैं, जैसे DURGA की महिला और ट्रांसजेंडर चालक, और साथ ही इसकी पात्रता की सीमाओं का भी उल्लेख कीजिए।
4. मुख्य भाग — शासन-स्तर का समाधान — अनुच्छेद 239AA के तहत दिल्ली के बँटे हुए शासन और पार्कों तथा सड़क-रोशनी से जुड़े बारहवीं अनुसूची के कार्यों की ओर ध्यान दिलाइए। हर पार्क के लिए एक जवाबदेह एजेंसी, महिला उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए ऑडिट का प्रकाशन, FIR से इतर शिकायतों के लिए एक माध्यम, परिसरों के लिए सुरक्षा-परामर्श प्रोटोकॉल, और BNS की धारा 72 तथा POCSO की धारा 23 के तहत पहचान की कठोर सुरक्षा का प्रस्ताव कीजिए।
5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि पुलिसिंग अपराध हो जाने के बाद अपराधियों को पकड़ती है, जबकि डिज़ाइन और उपयोग अपराध के अवसर ही रोकते हैं, और कोई शहर महिलाओं के लिए तभी सुरक्षित है जब वे उसके स्थानों का किसी भी समय, किसी भी कारण से उपयोग कर सकें।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं

प्रश्न 1. आप दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के ज़िला मजिस्ट्रेट हैं। ऑडिट रिपोर्ट एक सप्ताह में देनी है।

दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं ऑडिट को दो इंजीनियरिंग विभागों की मेज़ पर बैठकर की गई कवायद नहीं बनने दूंगा। हर पार्क का सूर्यास्त के बाद पैदल निरीक्षण ऐसी टीम करेगी जिसमें आस-पड़ोस की महिलाएँ, LSR की छात्राएँ और पार्क कर्मचारी हों; वे एक सरल सुरक्षा-ऑडिट पत्रक भरेंगे और डार्क स्पॉट का नक्शा बनाएँगे। तुरंत हो सकने वाले सुधार — बत्तियाँ, छँटी हुई झाड़ियाँ, ठीक से काम करते द्वार, चालू पिंक बूथ — नामित अधिकारियों की देखरेख में सप्ताह भर के भीतर पूरे किए जाएँगे। हर द्वार पर लिखा एक शिकायत नंबर यह सुनिश्चित करेगा कि जो उत्पीड़न कभी FIR नहीं बनता, वह भी दर्ज हो और उस पर आगे कार्रवाई हो।

प्रश्न 2. पुलिस उपायुक्त (DCP) के रूप में आपसे एक टेलीविज़न चैनल खबर को 'मानवीय' रंग देने के लिए पीड़िता और उसके परिवार का ब्योरा माँगता है। आप क्या उत्तर देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं मना कर दूंगा और कारण भी बताऊँगा: BNS की धारा 72 बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने को अपराध बनाती है, और चूँकि वह नाबालिग है, POCSO अधिनियम की धारा 23 मीडिया को उसका नाम, स्कूल, पड़ोस या परिवार उजागर करने से रोकती है। गिरफ्तारियों, जाँच और सुरक्षा उपायों के बारे में जानने की जनता की माँग जायज़ है, और यह जानकारी मैं नियमित ब्रीफ़िंग के ज़रिए दूँगा; साथ ही अपने कर्मचारियों को चेतावनी दूँगा कि जानकारी लीक करना दंडनीय है। मामले के बारे में पारदर्शिता और पीड़िता के बारे में चुप्पी — इन दोनों में कोई टकराव नहीं है।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: क्या DURGA जैसी आजीविका योजना से तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाओं को बाहर रखा जाना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): मेरा उत्तर होगा कि यह शर्त योजना के उद्देश्य के ही विरुद्ध जाती है। जिन महिलाओं को स्वरोज़गार की सबसे अधिक ज़रूरत है, वे अक्सर बड़े परिवारों वाली होती हैं और संतान से जुड़े फ़ैसलों में उनकी बात कम चलती है; इसलिए यह रोक किसी फ़ैसले को प्रभावित किए बिना महिला को ही दंडित करती है। न्यायालयों ने निर्वाचित पदों के लिए ऐसे मानदंडों को वैध ठहराया है, पर आजीविका योजना का उद्देश्य अवसरों का विस्तार करना है। यदि लक्ष्य छोटे परिवार हैं, तो महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ पात्रता पर रोक की तुलना में यह लक्ष्य कहीं बेहतर ढंग से हासिल करती हैं।

8.2 विधि सेंटर ने दिल्ली के PG और कोचिंग केंद्रों के लिए 'मिश्रित-उपयोग शैक्षिक भवन' की अलग श्रेणी की माँग की

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद, जिसे इस पत्रिका ने 17 सितंबर को प्रकाशित किया था, द हिंदू ने गुरुवार को उसके पीछे की नियामक खामी को दूर करने का एक नुस्खा प्रकाशित किया। इसे विधिक-नीति थिंक टैंक विधि सेंटर फ़ॉर लीगल पॉलिसी (Vidhi Centre for Legal Policy) की सीनियर रेज़िडेंट फ़ेलो कर्तवी सत्यार्थी ने लिखा है; आज की नई बात यही समाधान है। वे एक ऐसे चक्र का वर्णन करती हैं जिसमें हर हादसे के बाद जाँच, अधिकारियों के निलंबन और मकान-मालिकों की गिरफ्तारियाँ “कुछ समय तक ज़ोर पकड़ती हैं और फिर धीरे-धीरे थम जाती हैं”। “अभी सत्य निकेतन है, दो साल पहले राजिंदर नगर का पानी भरा बेसमेंट था।” वे लिखती हैं कि दिल्ली में लाखों विद्यार्थी रहते हैं जो प्रमुख संस्थानों में दाखिला लेने या प्रतियोगी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं, और इन्हीं के सहारे “काफ़ी हद तक अनियमित” पेइंग गेस्ट (PG) आवासों और कोचिंग केंद्रों का “एक फैला हुआ तंत्र” पनपता है। PG ऐसा कमरा या मंज़िल है जो आम तौर पर भोजन सहित विद्यार्थियों या कामकाजी लोगों को किराए पर दी जाती है; इनमें से कई किराए पर दिए गए एक अतिरिक्त कमरे से बढ़कर “पूरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान” बन चुके हैं। कोचिंग केंद्र भी आवासीय घोषित इमारतों की मंज़िलों से चलते हैं। दोनों किसी आवासीय इमारत को आंशिक या पूर्ण रूप से व्यावसायिक बना देते हैं, जिस पर अलग सुरक्षा मानक लागू होने चाहिए, पर प्रवर्तन तंत्र ऐसी मिली-जुली इमारतों की पहचान नहीं कर पाता, और स्कूलों तथा कॉलेज छात्रावासों के नियम इन पर लागू नहीं होते। तीन दस्तावेज़ मिलकर “कागज़ पर मौजूद कानून और उसके वास्तविक कामकाज के बीच एक अजीब बेमेल” पैदा करते हैं। वैधानिक भूमि-उपयोग योजना, दिल्ली मुख्य योजना (Master Plan of Delhi – MPD), PG का अलग से उल्लेख ही नहीं करती। एकीकृत भवन उपनियम (Unified Building Bye-Laws – UBBL) कोचिंग केंद्रों को शैक्षिक भवन तो मानते हैं, पर उनके विकास नियंत्रण (development controls) — फ़र्श क्षेत्र, ऊँचाई, सेटबैक (भूखंड की सीमा से छोड़ी जाने वाली खुली जगह) आदि की सीमाएँ — इन पर लागू नहीं होते। शिक्षा मंत्रालय के 2024 के कोचिंग केंद्र दिशानिर्देश “दंतहीन” हैं और केवल मोटे तौर पर बुनियादी ढाँचे की बात करते हैं। उनका पहला प्रस्ताव है कि DDA और MCD, PG और कोचिंग केंद्रों को “मिश्रित-उपयोग शैक्षिक भवनों” (mixed-use educational buildings) की एक अलग भूमि-उपयोग श्रेणी के रूप में मान्यता दें, जिसमें अग्नि सुरक्षा, सुरक्षित निकास, प्रति व्यक्ति न्यूनतम फ़र्श क्षेत्र और अधिकतम क्षमता के मानक हों, और मालिक अपनी इमारतें इस श्रेणी में पंजीकृत करा सकें। दूसरा, चूँकि “सुधार की बहुत कम गुंजाइश” वाले एकसमान मानक अनुचित लाभ-उगाही (rent-seeking) को न्योता देते हैं, इसलिए प्रवर्तन को मालिकों को अनुपालन में मदद करनी चाहिए: राज्य की निगरानी में शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों वाला एक भवन सुरक्षा कार्यबल या ज़िला-स्तरीय समिति, समय-समय पर ऑडिट, कमियों को श्रेणीबद्ध करने वाली अनुपालन समाधान योजना — और जहाँ कमियाँ खतरनाक हों वहाँ तुरंत बंदी — तथा बंद की गई और सुधारकर फिर उपयोग योग्य बनाई गई इमारतों पर राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS1 में नगरीकरण, GS2 में स्थानीय शासन और GS3 में आपदा प्रबंधन।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

लाखों विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में पढ़ने और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए दिल्ली आते हैं → खाली कमरे व्यावसायिक PG बन जाते हैं और कोचिंग केंद्र आवासीय इमारतों की मंज़िलों पर कब्ज़ा कर लेते हैं → MPD में PG का उल्लेख नहीं है और उपनियमों

के विकास नियंत्रण कोचिंग केंद्रों पर लागू नहीं होते, इसलिए कोई सुरक्षा मानक स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता → प्रवर्तन केवल मौतों के बाद तेज़ होता है — 2024 में राजिंदर नगर और 2026 में सत्य निकेतन — और फिर ठंडा पड़ जाता है → विधि सेंटर जिला कार्यबल, ऑडिट और अनुपालन योजनाओं के साथ 'मिश्रित-उपयोग शैक्षिक भवन' की अलग श्रेणी का प्रस्ताव रखता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

- 1. दिल्ली में भूमि उपयोग की योजना DDA एक वैधानिक मुख्य योजना के माध्यम से बनाता है** — दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की स्थापना दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (Delhi Development Act) के तहत दिल्ली मुख्य योजना (Master Plan of Delhi) तैयार करने और लागू करने के लिए हुई थी; उपराज्यपाल इसके अध्यक्ष हैं। पहली मुख्य योजना 1962 में आई, उसके बाद MPD-2001 और 2007 में अधिसूचित MPD-2021 आई, और उसकी उत्तराधिकारी के रूप में MPD-2041 तैयार की गई है। यह योजना उपयोग के आधार पर भूमि का क्षेत्र-विभाजन (zoning) करती है, और इसके मिश्रित-उपयोग विनियम तय करते हैं कि आवासीय भूखंडों से कौन-सी गैर-आवासीय गतिविधियाँ चल सकती हैं; M.C. Mehta मुकदमे में 2006 में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में आवासीय क्षेत्रों के व्यावसायिक परिसरों की सीलिंग के बाद MPD-2021 में इन विनियमों का दायरा बढ़ाया गया। अनुच्छेद 239AA(3)(a) के तहत दिल्ली में भूमि दिल्ली विधानसभा की विधि-निर्माण शक्ति से बाहर है।
- 2. उपनियम योजना को भवन-नियमों में बदलते हैं, और राष्ट्रीय भवन संहिता सुरक्षा का न्यूनतम आधार देती है** — भवन उपनियम विकास नियंत्रण — फ़र्श क्षेत्र अनुपात (FAR), भू-आच्छादन (ground coverage), ऊँचाई, सेटबैक, पार्किंग — और किसी इमारत के लिए ज़रूरी स्वीकृतियाँ तय करते हैं। दिल्ली के एकीकृत भवन उपनियम, 2016 (Unified Building Bye-Laws) ने 1983 के भवन उपनियमों का स्थान लिया और ये शहर के सभी स्थानीय निकायों पर लागू होते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रकाशित भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 (National Building Code of India) एक आदर्श संहिता है, जिसका भाग 4 अग्नि और जीवन सुरक्षा से संबंधित है; यह तभी बाध्यकारी होती है जब इसे उपनियमों में अपनाया जाए। संहिता इमारतों को अधिभोग (occupancy) के आधार पर वर्गीकृत करती है: समूह A आवासीय है, जिसमें अन्य के साथ लॉजिंग या रूमिंग हाउस और शयनागार (dormitories) आते हैं, और समूह B शैक्षिक है; दोनों के लिए निकास और अग्नि सुरक्षा की अपनी-अपनी अपेक्षाएँ हैं। जो इमारत एक समूह में स्वीकृत हो और दूसरे समूह की तरह उपयोग हो, वह अपने वास्तविक उपयोग के अनुरूप नियमों से बच निकलती है।
- 3. 2024 के कोचिंग दिशानिर्देश केवल परामर्शी हैं, क्योंकि शिक्षा और भवन विनियमन राज्यों और शहरों के अधीन हैं** — शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में कोचिंग केंद्रों के पंजीकरण और विनियमन के लिए दिशानिर्देश (Guidelines for Registration and Regulation of Coaching Centres) जारी किए। इनमें पंजीकरण का प्रावधान है, 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के नामांकन पर रोक है, कक्षा में प्रति विद्यार्थी कम से कम एक वर्ग मीटर जगह अनिवार्य है, अग्नि और भवन सुरक्षा संहिताओं का पालन ज़रूरी है, और परामर्शदाताओं की व्यवस्था की अपेक्षा है; पहले उल्लंघन पर ₹25,000, दूसरे पर ₹1 लाख का दंड और उसके बाद पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान है। PIB की एक विज्ञप्ति के अनुसार ये दिशानिर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को “उपयुक्त विधिक ढाँचे के माध्यम से” विचार के लिए भेजे गए, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है — सूची III की प्रविष्टि 25, जिसे बयालीसवें संशोधन, 1976 ने वहाँ पहुँचाया। PRS राजस्थान कोचिंग केंद्र (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 (Rajasthan Coaching Centres (Control and Regulation) Bill) पर नज़र रखता है, जो कानून बनाने की दिशा में एक राज्य का कदम है, और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority – CCPA) कोचिंग के भ्रामक विज्ञापनों पर अलग से कार्रवाई करता है।
- 4. 2024 की राजिंदर नगर मौतों ने दिखाया कि स्वीकृत उपयोग और वास्तविक उपयोग में अंतर का परिणाम क्या होता है** — 27 जुलाई, 2024 को ओल्ड राजिंदर नगर के एक कोचिंग केंद्र के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थियों की डूबकर मौत हो गई; उस बेसमेंट का उपयोग पुस्तकालय के रूप में हो रहा था, जबकि बेसमेंट की अनुमति केवल पार्किंग और भंडारण जैसे उपयोगों के लिए थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जाँच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी, और अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने कोचिंग केंद्रों में सुरक्षा मानदंडों का स्वतः संज्ञान लिया और टिप्पणी की कि इनकी अनदेखी करने वाले केंद्र “मौत के कक्ष” बन गए हैं। चौहत्तरवें संशोधन के तहत बारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243W) नगरीय योजना, भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण, तथा अग्निशमन सेवाओं को नगरपालिकाओं के कार्यों में सूचीबद्ध करती है, जिससे रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारी शहर के नागरिक निकायों पर आती है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- 1. GS1 नगरीकरण की समस्याओं के बारे में पृष्ठता है, और विद्यार्थी-केंद्र इसका सटीक उदाहरण है** — GS1 के पाठ्यक्रम में “नगरीकरण, उसकी समस्याएँ और उनके समाधान” लिखा है, और UPSC ने 2013 में भारत में तीव्र नगरीकरण से उपजी सामाजिक समस्याओं पर प्रश्न पृष्ठ था। मुखर्जी नगर और राजिंदर नगर जैसे कोचिंग केंद्र दिखाते हैं कि जिस प्रवासन की शहर ने कभी योजना नहीं बनाई, उससे आवासों का अनौपचारिक रूपांतरण, भीड़भाड़ और सुरक्षा का खतरा

पैदा होता है।

2. **GS2 और GS3 ऐसी मौतों को स्थानीय शासन और आपदा प्रबंधन की विफलता के रूप में देखते हैं** — GS2 में 74वें संशोधन पर प्रश्न पूछते हैं कि संवैधानिक दर्जे के बावजूद शहरी स्थानीय निकाय कमज़ोर क्यों हैं, और यह मामला DDA, MCD और अग्निशमन सेवा के बीच बँटी ज़िम्मेदारी की क्रीमत् दिखाता है। GS3 के आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के शहरी बाढ़ (2010) और विद्यालय सुरक्षा (2016) संबंधी दिशानिर्देश स्वाभाविक संदर्भ हैं; जो उत्तर त्रासदी से संस्थागत डिज़ाइन तक पहुँचते हैं, वे अलग दिखते हैं।
3. **साक्षात्कार बोर्ड अभ्यर्थियों से स्वयं कोचिंग अर्थव्यवस्था के बारे में पूछते हैं** — जो अभ्यर्थी दिल्ली के कोचिंग केंद्रों में रह चुके हैं, उनसे अक्सर पूछा जाता है कि प्रशासक के रूप में वे वहाँ क्या बदलेंगे; वर्गीकरण, श्रेणीबद्ध प्रवर्तन और विद्यार्थी-सुरक्षा पर स्पष्ट दृष्टि एक मज़बूत उत्तर है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) का गठन दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के तहत हुआ; यह दिल्ली की मुख्य योजना (Master Plan) तैयार करता है और उपराज्यपाल इसके अध्यक्ष होते हैं।
- भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रकाशित करता है; इसका भाग 4 अग्नि और जीवन सुरक्षा से संबंधित है, और यह एक आदर्श संहिता है जो स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अपनाए जाने पर बाध्यकारी होती है।
- 74वें संशोधन, 1992 द्वारा जोड़ी गई संविधान की बारहवीं अनुसूची में नगर नियोजन, भूमि उपयोग और भवन निर्माण का विनियमन, तथा अग्निशमन सेवाएँ नगरपालिकाओं के कार्यों में सूचीबद्ध हैं।
- 42वें संशोधन, 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, और यह सूची III की प्रविष्टि 25 है।
- शिक्षा मंत्रालय के कोचिंग केंद्रों के पंजीकरण और विनियमन संबंधी दिशानिर्देश, 2024 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए परामर्शी हैं और 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के नामांकन पर रोक लगाते हैं।
- राष्ट्रीय भवन संहिता के अंतर्गत भवनों का वर्गीकरण उपयोग (occupancy) के आधार पर होता है; समूह A में आवासीय भवन और समूह B में शैक्षिक भवन आते हैं।
- अनुच्छेद 239AA(3)(a) के अंतर्गत भूमि (राज्य सूची की प्रविष्टि 18) दिल्ली विधानसभा की विधि-निर्माण शक्ति से बाहर है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. **मूल विफलता वर्गीकरण की है: भवनों का विनियमन इस आधार पर होता है कि वे किस रूप में स्वीकृत हुए, न कि वे वास्तव में क्या हैं** — तीस बिस्तरों वाले PG में बदला गया मकान या दो सौ सीटों वाली कक्षा बन चुकी मंज़िल कागज़ पर आवासीय भवन ही रहती है, इसलिए छात्रावासों या शैक्षिक भवनों के लिए बने अग्नि-निकास, क्षमता-सीमा और संरचनात्मक जाँच के नियम कभी लागू ही नहीं होते। इसीलिए लेखिका का केंद्रीय प्रस्ताव अधिक निरीक्षण नहीं, बल्कि एक नई श्रेणी है: निरीक्षक केवल वहीं नियम लागू कर सकते हैं जो किसी भवन से जुड़े हों। 'मिश्रित-उपयोग शैक्षिक भवन' की श्रेणी नियामकों को कार्रवाई का आधार देती है और मालिकों को एक मानक, जिसे उन्हें पूरा करना है। विपरीत मत यह है कि महँगे मानकों वाली नई श्रेणी छोटे मकान-मालिकों को और अनौपचारिकता की ओर धकेल सकती है, जहाँ वे बिना पंजीकरण के कमरे किराए पर देंगे; लेखिका यह जोखिम स्वीकार करती है, इसलिए वे मानकों के साथ अनुपालन में सहायता को जोड़ती है।
2. **PG को एक भूमि-उपयोग के रूप में मान्यता देना निवासियों, संपत्ति-मूल्यों और मुख्य योजना के तर्क से टकराएगा** — PG और कोचिंग केंद्रों को मिश्रित-उपयोग के रूप में औपचारिक मान्यता देना आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक रूपांतरण को वैध बनाता है, जिसका पड़ोसी और निवासी कल्याण संघ (RWA) भीड़, पार्किंग और शोर के कारण अक्सर विरोध करते हैं। दिल्ली में मिश्रित उपयोग का इतिहास — 2006 का सीलिंग अभियान और MPD-2021 में मिश्रित-उपयोग नियमों का विस्तार — दिखाता है कि ऐसे परिवर्तन राजनीतिक रूप से कठिन और धीमे होते हैं। फिर भी मान्यता न देने से बाज़ार रुका नहीं; वह केवल सुरक्षा नियमों के दायरे से बाहर बना रहा। विपरीत मत को महत्त्व देना चाहिए: बेहतर समाधान आपूर्ति हो सकता है — उद्देश्य से निर्मित विद्यार्थी आवास और अधिक विश्वविद्यालय छात्रावास — जो पारिवारिक घरों को बदलने का दबाव ही हटा दे। गंभीर सुधार को दोनों की ज़रूरत है: जो मौजूद है उसके लिए एक श्रेणी, और जो उसकी जगह लेना चाहिए उसकी योजना।
3. **संकट के बाद प्रवर्तन अपने-आप में एक नीति है, और वह भी बुरी नीति** — लेखिका जिस ढ़ेर का वर्णन करती है — निलंबन, मकान-मालिकों की गिरफ्तारी, सीलिंग अभियान और फिर चुप्पी — वह घटना के बाद दंड देता है और सबको यह सिखाता है कि प्रवर्तन का जोखिम कभी-कभार ही

आता है। आपदा के बाद की सीलिंग तैयारी के बीच में विद्यार्थियों को विस्थापित करती है और बची हुई इमारतों में किराया बढ़ा देती है, जिससे लागत उन्हीं पर पड़ती है जिनकी रक्षा के लिए अभियान चलाया गया। बंद की गई और सुधारकर फिर उपयोग योग्य बनाई गई इमारतों पर प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट के साथ आवधिक ऑडिट प्रवर्तन को प्रतिक्रिया से बदलकर एक मापने योग्य नियमित प्रक्रिया बनाते हैं। विपरीत मत यह है कि दिल्ली में पहले से ही अनेक एजेंसियाँ एक-दूसरे पर चढ़ी हुई हैं, और वैधानिक शक्तियों या बजट के बिना एक और कार्यबल वही विफलता दोहराएगा; प्रस्ताव तभी काम करेगा जब समिति को कानूनी आधार और एक जवाबदेह अध्यक्ष मिले।

4. **अनुपालन समाधान योजना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कम आकर्षक विचार है** — यह सुझाव कि प्रवर्तन को मालिकों की मदद करनी चाहिए — कमियों की पहचान करना, यह आँकना कि वे दूर हो सकती हैं या नहीं, और केवल खतरनाक स्थिति में बंद करना — इयान एयर्स और जॉन ब्रेथवेट (1992) द्वारा वर्णित उत्तरदायी विनियमन (responsive regulation) के तर्क पर चलता है, जिसमें नियामक समझाने से शुरू करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही दंड तक जाते हैं। सुधार का कोई रास्ता न देने वाले एकसमान नियम रिश्वत को न्योता देते हैं, जिसे लेखिका अनुचित लाभ-उगाही (rent-seeking) कहती हैं, जबकि श्रेणीबद्ध प्रवर्तन कैमरों के लिए कुछ इमारतें सील करने के बजाय अधिकांश इमारतों को मानक तक पहुँचाता है। इसका जोखिम अनिश्चितकालीन ढील है, जिसमें हर कमी “दूर की जा सकने वाली” मान ली जाए; इसलिए योजना में समय-सीमाएँ, सार्वजनिक प्रकटीकरण और अवरुद्ध निकास तथा आबाद तहखाने जैसी गैर-समझौता योग्य सीमाएँ होनी चाहिए।
5. **विद्यार्थी बिना जानकारी वाले उपभोक्ता हैं, और प्रकटीकरण वह कर सकता है जो निरीक्षण नहीं कर पाता** — छोटे शहर से आया विद्यार्थी कीमत, दूरी और सुनी-सुनाई बातों के आधार पर PG या कोचिंग केंद्र चुनता है, और उसके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं होता कि इमारत में दो निकास हैं या प्रमाणित क्षमता क्या है। अलग श्रेणी में इमारतों का पंजीकरण एक सार्वजनिक रजिस्टर संभव करेगा जिसमें हर इमारत की ऑडिट स्थिति दिखे, जिसे विद्यार्थी और अभिभावक भुगतान से पहले देख सकें। राज्य पहले से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के माध्यम से भ्रामक कोचिंग विज्ञापनों पर कार्रवाई करता है; सुरक्षा का प्रकटीकरण उपभोक्ता संरक्षण का छूटा हुआ आधा हिस्सा है। विपरीत मत यह है कि कीमत के प्रति संवेदनशील विद्यार्थी फिर भी सस्ते और असुरक्षित कमरे चुनेंगे, इसलिए प्रकटीकरण न्यूनतम मानकों का विकल्प नहीं, उनका पूरक है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

“दिल्ली के कोचिंग केंद्रों में बार-बार होने वाली मौतों नियमों के अभाव से अधिक वर्गीकरण और प्रवर्तन की विफलता को दर्शाती हैं।” भारतीय शहरों में पेइंग गेस्ट आवासों और कोचिंग केंद्रों के विनियमन के संदर्भ में चर्चा कीजिए, और एक ऐसा प्रवर्तन ढाँचा सुझाइए जो लापरवाही और अनुचित लाभ-उगाही दोनों से बचे। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

1. **परिचय** — विधि सेंटर द्वारा वर्णित चक्र से शुरू कीजिए — 2024 में राजिंदर नगर का पानी भरा तहखाना, 2026 में सत्य निकेतन का दहना — और उन लाखों विद्यार्थियों का उल्लेख कीजिए जिनके आवास और कक्षाएँ बदली हुई आवासीय इमारतों में हैं।
2. **मुख्य भाग — वर्गीकरण की खामी** — बताइए कि MPD में PG का उल्लेख नहीं है; UBBL कोचिंग केंद्रों को शैक्षिक भवन मानते हैं पर उनके विकास नियंत्रण इन पर लागू नहीं होते, और शिक्षा मंत्रालय के 2024 के दिशानिर्देश केवल परामर्शी हैं। राष्ट्रीय भवन संहिता के उपयोग-समूह जोड़कर दिखाइए कि आवासीय रूप में स्वीकृत भवन शैक्षिक और छात्रावास मानकों से क्यों बच निकलता है।
3. **मुख्य भाग — प्रवर्तन की खामी** — संकट के बाद प्रवर्तन का वर्णन कीजिए: मौतों के बाद निलंबन और सीलिंग, विद्यार्थियों का विस्थापन, फिर घटता ध्यान। DDA, MCD और अग्निशमन सेवा के बीच बँटी ज़िम्मेदारी और बारहवीं अनुसूची के उन कार्यों का उल्लेख कीजिए जो ज़िम्मेदारी नागरिक निकायों पर डालते हैं।
4. **मुख्य भाग — एक ढाँचा** — अग्नि सुरक्षा, निकास, प्रति व्यक्ति फ़र्श क्षेत्र और क्षमता के मानकों वाली ‘मिश्रित-उपयोग शैक्षिक भवन’ श्रेणी; वैधानिक आधार वाला ज़िला कार्यबल; आवधिक ऑडिट; समय-सीमाओं और गैर-समझौता योग्य सीमाओं वाली श्रेणीबद्ध अनुपालन योजनाएँ; वार्षिक सार्वजनिक रिपोर्ट; विद्यार्थियों के लिए सार्वजनिक रजिस्टर; और आपूर्ति-पक्ष पर विद्यार्थी आवास का प्रस्ताव रखिए।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि सुरक्षा उस श्रेणी में ही निहित होनी चाहिए जिसमें भवन आता है, और प्रकाशित परिणामों के साथ नियमित प्रक्रिया के रूप में लागू होनी चाहिए, ताकि अगली रिपोर्ट खोई हुई जाने नहीं, सुरक्षित बनाई गई इमारतें गिने।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. आप एक बड़े कोचिंग केंद्र वाले क्षेत्र के MCD उपायुक्त हैं। अभी कोई नई श्रेणी नहीं बनी है। इस महीने आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं PG और कोचिंग केंद्रों के रूप में प्रयुक्त इमारतों के त्वरित सर्वेक्षण से शुरुआत करूंगा, जिसमें तहखानों, एक ही सीढ़ी वाली इमारतों और अधिक भीड़ वाली इमारतों को प्राथमिकता मिलेगी। दिल्ली अग्निशमन सेवा के साथ मिलकर मैं केवल उन्हीं को तुरंत बंद करूंगा जहाँ आबाद तहखाने या अवरुद्ध निकास जैसी जानलेवा स्थितियाँ हों, और बाकी को समय-सीमा के साथ लिखित अनुपालन सूची दूंगा। मैं निरीक्षित इमारतों और उनकी स्थिति की सूची प्रकाशित करूंगा ताकि विद्यार्थी भुगतान से पहले देख सकें। मासिक प्रगति रिपोर्ट आयुक्त को जाएगी, ताकि अभियान पहले सप्ताह के बाद ठंडा न पड़े।

प्रश्न 2. किसी त्रासदी के बाद सीलिंग अभियान परीक्षा से कुछ सप्ताह पहले दो हजार विद्यार्थियों को बिना कमरों के छोड़ देगा। आप सुरक्षा और उनकी कठिनाई के बीच संतुलन कैसे बनाएँगे?

दृष्टिकोण (Approach): जीवन-सुरक्षा पहले है, इसलिए गंभीर खतरे वाली इमारतें खाली करानी होंगी। पर मैं कार्रवाई को चरणबद्ध करूंगा: विद्यार्थियों को नोटिस दूंगा, अस्थायी आवास के लिए विश्वविद्यालयों और आसपास के छात्रावासों से तालमेल करूंगा, और यह सुनिश्चित करूंगा कि मकान-मालिक जमा राशि लौटाएँ। सुधारी जा सकने वाली कमियों वाली इमारतों को तुरंत सील करने के बजाय छोटी समय-सीमा दी जाएगी। लक्ष्य यह है कि खतरा हटे, पर विद्यार्थी उसी प्रवर्तन के शिकार न बनें जो उनकी रक्षा के लिए है।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: क्या समस्या स्वयं कोचिंग उद्योग है?

दृष्टिकोण (Approach): कोचिंग उद्योग इसलिए है क्योंकि विद्यालय और विश्वविद्यालय की पढ़ाई तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की माँग के बीच का अंतर बढ़ा है, इसलिए वह एक वास्तविक माँग पूरी करता है। समस्या यह है कि यह शहर के नियमों और राज्य की प्रवर्तन क्षमता से तेज़ी से बढ़ा, और परिवारों के लिए बनी इमारतों में बढ़ा। विनियमन को कोचिंग खत्म करने के बजाय सुरक्षा, निष्पक्ष विज्ञापन, शुल्क और विद्यार्थियों के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। लंबे समय में बेहतर सार्वजनिक शिक्षण और अधिक पूर्वानुमेय परीक्षाएँ उस निर्भरता को घटाएँगी जो इस बाज़ार को पोषित करती है।

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

भारत की रक्षा खरीद दो पटरियों पर चलती है, और एक ही दिन दोनों पर हलचल हुई। पनडुब्बियों जैसे सबसे कठिन प्लेटफॉर्मों के लिए भारत को अब भी विदेशी डिज़ाइनर चाहिए, और अब वह उस साझेदार को सरकार-से-सरकार समझौते के जरिए बाँधने का रास्ता चुन रहा है; जिन हथियारों को उसकी अपनी प्रयोगशालाओं ने डिज़ाइन किया है, उन्हें वह सर्वोच्च स्वदेशी श्रेणी के तहत भारतीय उत्पादकों से खरीदता है। पहली पटरी अभी सफल मानी जाएगी जब वह अंततः स्वयं को अनावश्यक बना दे।

9.1 जर्मनी 8 अरब डॉलर के छह-पनडुब्बी सौदे पर हस्ताक्षर को तैयार; रक्षा मंत्रालय ने 160 SAT-SAAW ग्लाइड बम खरीदे

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में जर्मनी के नए राजदूत जैस्पर वीक (Jasper Wieck) ने बुधवार, 23 सितंबर को पत्रकारों से कहा कि जर्मनी भारत के साथ 8 अरब डॉलर मूल्य की छह पनडुब्बियों के एक “आगे बढ़कर किए गए” (forward leaning) सौदे पर हस्ताक्षर के लिए तैयार है। सौदे को अंतिम चरण में बताते हुए श्री वीक ने कहा, “जर्मन पक्ष की ओर से तो हमें कल ही हस्ताक्षर कर देने चाहिए।” उन्होंने कहा, “सरकार उन सभी दस्तावेजों पर सहमत हो चुकी है जिन पर काम हुआ है, विशेषकर G2G समझौते पर — वह अंतर-सरकारी समझौता जो बहुत महत्वाकांक्षी है और भारतीय मांगों के प्रति बहुत आगे बढ़कर लचीलापन दिखाता है।” G2G यानी सरकार-से-सरकार (government-to-government) समझौता दो राज्यों के बीच होने वाला ऐसा सौदा है जिसमें विक्रेता देश की सरकार आपूर्ति की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है; यह कंपनियों के बीच होने वाले विशुद्ध वाणिज्यिक अनुबंध से भिन्न है। जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (Thyssenkrupp Marine Systems — TKMS) और भारत की मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स (Mazagon Dock Shipbuilders) भारत के लिए छह पनडुब्बियाँ बनाने के लिए बातचीत कर रही हैं, और राजदूत ने कहा कि जर्मनी ने वे बाधाएँ कम कर दी हैं जो भारत के साथ रक्षा सहयोग में चुनौती बनी हुई थीं। उन्होंने कहा कि यह सौदा भारत-जर्मनी साझेदारी को “बड़ा प्रोत्साहन” देगा, और दोनों देशों ने, उनके शब्दों में, “अमैत्रीपूर्ण भू-सामरिक परिवेश” के कारण अपनी सैन्य क्षमताओं में निवेश बढ़ाया है। श्री वीक ने यूक्रेन में रूस को “आक्रांता” बताया, पर कहा कि भारत इस संकट को समाप्त करने में मदद कर सकता है, क्योंकि कीव और मॉस्को, दोनों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। रिपोर्ट में किसी भारतीय अधिकारी का कथन नहीं है और न ही भारत की ओर से हस्ताक्षर की कोई तारीख दी गई है। उसी दिन रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी-एयरफ़ील्ड वेपन (Satellite Smart Anti-Airfield Weapons — SAT-SAAW) और संबद्ध उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (Bharat Dynamics Limited — BDL) के साथ ₹810.79 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। SAT-SAAW हवा से ज़मीन पर मार करने वाला सटीक-निर्देशित ग्लाइड बम है, जिसे शत्रु के हवाई अड्डों को ‘स्टैंड-ऑफ़’ (stand-off) दूरी से — यानी शत्रु की वायु रक्षा की पहुँच से बाहर की दूरी से — निष्क्रिय करने के लिए बनाया गया है; ग्लाइड बम में इंजन नहीं होता, और छोड़े जाने के बाद वह अपने संवेग और नियंत्रण सतहों के सहारे लक्ष्य तक उड़ता है। मंत्रालय के अनुसार, अनुबंध पर नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में Buy (Indian-IDDMM) श्रेणी — यानी किसी भारतीय विक्रेता से स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित (Indigenously Designed, Developed and Manufactured) उत्पाद की खरीद — के तहत हस्ताक्षर हुए, और इस हथियार से स्टैंड-ऑफ़ सटीक प्रहार क्षमता बढ़ने की आशा है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 में सुरक्षा और प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, तथा GS2 में भारत की द्विपक्षीय साझेदारियाँ।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1999 में स्वीकृत 30-वर्षीय योजना 2030 तक 24 पारंपरिक पनडुब्बियों का लक्ष्य रखती है → प्रोजेक्ट-75 के तहत 2017 से 2025 के बीच छह कलवरी-श्रेणी पनडुब्बियाँ मिलती हैं, पर वायु-स्वतंत्र प्रणोदन (air-independent propulsion) के बिना, जबकि पुरानी रूसी और जर्मन पनडुब्बियाँ बूढ़ी होती जाती हैं → सामरिक साझेदारी (Strategic Partnership) मॉडल के पहले कार्यक्रम प्रोजेक्ट-75 (इंडिया) के लिए जुलाई 2021 में प्रस्ताव अनुरोध (Request for Proposal — RFP) जारी होता है, जिसमें मझगाँव डॉक और TKMS दावेदारों में हैं → जर्मनी निर्यात-बाधाएँ ढीली करता है, G2G ढाँचे पर सहमत होता है और 23 सितंबर को कहता है कि वह 8 अरब डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर को तैयार है → निर्णय अब नई दिल्ली के हाथ में है, जो उसी दिन Buy (Indian-IDDMM) के तहत DRDO द्वारा डिज़ाइन किए गए 160 SAT-SAAW खरीदती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. प्रोजेक्ट-75 (इंडिया) सामरिक साझेदारी मॉडल के तहत शुरू किया गया पहला अधिग्रहण था — सामरिक साझेदारी मॉडल — जिसे 2017 में रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 (Defence Procurement Procedure 2016) के तहत लाया गया और DAP 2020 में बरकरार रखा गया — रक्षा मंत्रालय को यह अनुमति देता है कि वह किसी भारतीय ‘सामरिक साझेदार’ को चुने, जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने वाले किसी विदेशी मूल उपकरण निर्माता (original equipment manufacturer — OEM) के साथ मिलकर भारत में कोई बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए; इसके चार खंड हैं: लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर, पनडुब्बियाँ, तथा बख्तरबंद वाहन या मुख्य युद्धक टैंक। 20 जुलाई, 2021 की PIB विज्ञप्ति के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने ईंधन-सेल-आधारित वायु-स्वतंत्र प्रणोदन से युक्त छह पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए प्रस्ताव अनुरोध जारी किया, जिसे प्रोजेक्ट 75 (इंडिया) नाम दिया गया और जिसकी अनुमानित लागत ₹40,000 करोड़ से अधिक थी, और इसे इस मॉडल के तहत पहला कार्यक्रम बताया। चयनित भारतीय साझेदार मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स और लासैन एंड टुब्रो थे; विदेशी OEM थे — नेवल ग्रुप (फ्रांस), TKMS (जर्मनी), JSC ROE (रूस), देवू (दक्षिण कोरिया) और नवांतिया (स्पेन)।
2. भारत की पनडुब्बी-कमी 1999 की उस योजना से उपजी है जो एक दशक से अधिक पिछड़ चुकी है — 1999 में स्वीकृत 30-वर्षीय योजना में 2030 तक 24 पारंपरिक पनडुब्बियों की परिकल्पना थी — विदेशी सहयोग से बनने वाली छह-छह पनडुब्बियों की दो शृंखलाएँ, जिनके

बाद स्वदेशी डिज़ाइन आने थे। पहली शृंखला, प्रोजेक्ट-75, के तहत 2005 के अनुबंध के अंतर्गत नेवल ग्रुप के सहयोग से मुंबई के मझगाँव डॉक में फ्रांसीसी स्कोर्पेन (Scorpène) डिज़ाइन की छह कलवरी-श्रेणी पनडुब्बियाँ बनीं — दिसंबर 2017 में INS कलवरी से लेकर जनवरी 2025 में INS वागशीर तक। शेष पारंपरिक बेड़े में 1980 और 1990 के दशक की रूसी मूल की सिंधुघोष (किलो) श्रेणी और जर्मन मूल की शिशुमार (HDW टाइप 209) श्रेणी की पनडुब्बियाँ हैं; दो शिशुमार पनडुब्बियाँ मझगाँव डॉक में बनी थीं, और यही भारत में पनडुब्बी निर्माण की शुरुआत थी। HDW अब TKMS का हिस्सा है, इसलिए नया सौदा एक पुराने औद्योगिक संबंध को फिर से जीवित करता है।

3. वायु-स्वतंत्र प्रणोदन ही आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बी को पुरानी पनडुब्बी से अलग करता है — डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को हर कुछ दिनों में अपने डीज़ल इंजन चलाने और बैटरियाँ चार्ज करने के लिए स्नॉर्कल गहराई तक ऊपर आना पड़ता है, और इसी समय उसके पकड़े जाने की आशंका सबसे अधिक होती है। वायु-स्वतंत्र प्रणोदन (AIP) वायुमंडलीय ऑक्सीजन के बिना — ईंधन सेल, बंद-चक्र इंजन या स्टर्लिंग इंजन के ज़रिए — ऊर्जा पैदा करता है, जिससे पनडुब्बी दो सप्ताह या उससे अधिक समय तक जलमग्न रह सकती है, और वह भी नाभिकीय प्रणोदन की तुलना में कहीं कम लागत पर। कलवरी श्रेणी में AIP नहीं है; DRDO की नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (Naval Materials Research Laboratory) ने ईंधन-सेल-आधारित प्रणाली विकसित की है, और 30 दिसंबर, 2024 की PIB विज्ञप्ति के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने मझगाँव डॉक के साथ ₹1,990 करोड़ का अनुबंध किया, ताकि एक AIP 'प्लग' — पतवार (hull) का एक अतिरिक्त खंड — बनाकर उसे भारतीय पनडुब्बियों में एकीकृत किया जा सके। P-75(I) की पनडुब्बियों में शुरू से ही AIP होगा।
4. DAP 2020 खरीद श्रेणियों का वरीयता-क्रम तय करती है, और Buy (Indian-IDDM) शीर्ष पर है — 1 अक्टूबर, 2020 से लागू रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 (Defence Acquisition Procedure 2020) पूँजीगत अधिग्रहण की श्रेणियों को वरीयता के क्रम में रखती है: Buy (Indian-IDDM), Buy (Indian), Buy and Make (Indian), Buy and Make, Buy (Global – Manufacture in India) और Buy (Global)। Buy (Indian-IDDM) में वे उत्पाद आते हैं जिन्हें किसी भारतीय विक्रेता ने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित किया हो और जिनमें लागत के आधार पर कम से कम 50% स्वदेशी सामग्री हो। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council) आवश्यकता की स्वीकृति (Acceptance of Necessity) देती है, जिससे हर पूँजीगत खरीद की शुरुआत होती है; अंतर-सरकारी समझौते एक अनुमत मार्ग हैं, जिसका उपयोग 2016 में फ्रांस से 36 राफ़ेल विमानों के लिए हुआ था। स्मार्ट एंटी-एयरफ़्रील्ड वेपन (SAAW) को DRDO के हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत (Research Centre Imarat) ने 125 किरा श्रेणी के ऐसे हथियार के रूप में डिज़ाइन किया है जो 100 किमी दूर तक रनवे, रडार और बंकरों पर प्रहार कर सके; IAF के जगुआर और HAL के हॉक-i से इसका उड़ान-परीक्षण हो चुका है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS3 सुरक्षा को प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण के साथ जोड़ता है, और यह खबर दोनों पटरियाँ दिखाती है — GS3 पाठ्यक्रम में सुरक्षा चुनौतियों और उनके प्रबंधन के साथ-साथ प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण भी सूचीबद्ध है। रक्षा खरीद सुधार — DAP 2020, सामरिक साझेदारी मॉडल, अगस्त 2020 में पहली बार अधिसूचित सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ (positive indigenisation lists) — आत्मनिर्भरता पर उत्तरों का स्थायी विषय है, और आज की दोनों खबरें विदेशी साझेदार के साथ सह-उत्पादन और सीधी स्वदेशी खरीद के बीच का अंतर सामने रखती हैं।
2. GS2 रक्षा सौदों को सामरिक साझेदारी के संकेतक के रूप में पढ़ता है — सरकार-से-सरकार समझौते पर टिका पनडुब्बी सौदा इस बात का अब तक का सबसे बड़ा संकेत होगा कि भारत-जर्मनी संबंध रक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन पर राजदूत की टिप्पणियाँ दिखाती हैं कि एक यूरोपीय साझेदार मॉस्को के साथ भारत के संबंधों को स्वीकार करते हुए स्वयं को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है — यह रक्षा आयात के विविधीकरण पर उत्तरों के लिए उपयोगी है।
3. प्रारंभिक परीक्षा परिभाषाएँ और संस्थाएँ परखती है, सौदों का मूल्य नहीं — संभावित प्रश्न-बिंदु ये हैं: AIP क्या करता है, DAP 2020 की कौन-सी श्रेणी सर्वोच्च है और उसमें कितनी स्वदेशी सामग्री चाहिए, किस हथियार को DRDO की किस प्रयोगशाला ने डिज़ाइन किया, और किस शिपयार्ड ने किस श्रेणी की पनडुब्बी बनाई। 8 अरब डॉलर और ₹810.79 करोड़ के आँकड़े मुख्य परीक्षा के उदाहरण हैं, प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य नहीं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत 'Buy (Indian-IDDM)' सर्वोच्च वरीयता वाली पूँजीगत अधिग्रहण श्रेणी है और इसमें न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री अनिवार्य है।
- सामरिक साझेदारी मॉडल रक्षा मंत्रालय को भारतीय कंपनियों का चयन करने में सक्षम

बनाता है, ताकि वे विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं के सहयोग से भारत में बड़े प्लेटफ़ॉर्म — लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर, पनडुब्बियाँ और बख़्तरबंद वाहन — बना सकें।

- वायु-स्वतंत्र प्रणोदन से युक्त छह पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए प्रोजेक्ट-75 (इंडिया) सामरिक साझेदारी मॉडल के तहत पहला अधिग्रहण कार्यक्रम था।
- वायु-स्वतंत्र प्रणोदन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा उत्पन्न करके पारंपरिक पनडुब्बी को कहीं अधिक समय तक जलमग्न रहने में सक्षम बनाता है, जिससे बैटरियाँ चार्ज करने के लिए स्नॉकल करने की आवश्यकता घटती है।
- प्रोजेक्ट-75 की कलवरी-श्रेणी पनडुब्बियाँ फ्रांसीसी स्कॉपीन डिज़ाइन की हैं और इन्हें मुंबई स्थित मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है।
- स्मार्ट एंटी-एयरफ़ील्ड वेपन (SAAW) एक सटीक-निर्देशित ग्लाइड हथियार है, जिसे DRDO के हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत ने स्टैंड-ऑफ़ दूरी से हवाई अड्डों की परिसंपत्तियों पर प्रहार करने के लिए डिज़ाइन किया है।
- रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद सशस्त्र बलों के पूँजीगत अधिग्रहणों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) प्रदान करती है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. G2G आवरण कीमत से अधिक मायने रखता है, क्योंकि यह आपूर्ति का जोखिम कंपनी से हटाकर राज्य पर डाल देता है** — P-75(I) की परिकल्पना एक वाणिज्यिक खरीद के रूप में की गई थी, जिसमें कोई भारतीय शिपयार्ड किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर काम करे; राजदूत के 'G2G समझौते' पर जोर का अर्थ है कि अब जर्मन राज्य इसकी ज़मानत ले रहा है। जर्मनी हथियार-निर्यात के लाइसेंस कड़ाई से देता है और अपने सहयोगी देशों से बाहर बिक्री को लेकर ऐतिहासिक रूप से सतर्क रहा है; इसलिए जिस कार्यक्रम को तीन दशकों तक जर्मन पुर्जों और उन्नयन की ज़रूरत हो, उस पर भविष्य में लाइसेंस से इनकार का ख़तरा बना रहता है। सरकार के स्तर की प्रतिबद्धता यह जोखिम घटाती है, और 'बाधाएँ कम करने' को पहले से दी गई मंजूरी के रूप में पढ़ा जा सकता है। इसकी कीमत मोल-भाव की ताकत है: G2G प्रतिस्पर्धा और मूल्य-निर्धारण की खुली प्रक्रिया (price discovery) को सीमित करता है, और 2016 के राफ़ेल समझौते को राजनीतिक और कानूनी चुनौती झेलनी पड़ी थी, यद्यपि दिसंबर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने जाँच का आदेश देने से इनकार कर दिया। G2G लंबे जीवन-चक्र वाले प्लेटफ़ॉर्मों के लिए उपयुक्त है, बशर्ते उसकी कीमत और प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण की शर्तों की उतनी ही कड़ी जाँच हो जितनी किसी निविदा की होती।
- 2. हस्ताक्षर से इस दशक में पनडुब्बियों की कमी दूर नहीं होगी; वह केवल अगले दशक में इसे और बढ़ने से रोकेगा** — प्रोजेक्ट-75 के रिकॉर्ड के अनुसार अनुबंध से पहली पनडुब्बी के कमीशन होने तक लगभग 12 वर्ष लगे — 2005 से दिसंबर 2017 तक। तेज़ी से चलने पर भी P-75(I) की आपूर्ति 2030 के दशक में ही होगी, जब 1980 और 1990 के दशक की किलो और टाइप 209 पनडुब्बियाँ सेवानिवृत्ति के करीब होंगी; इसलिए 2030 तक 24 पनडुब्बियों का 1999 का लक्ष्य चूक जाएगा। नौसेना को बीच के सेतु चाहिए होंगे: सेवा-अवधि का विस्तार, कलवरी-श्रेणी पनडुब्बियों में DRDO का AIP रेट्रोफ़िट, और आगे के ऑर्डरों पर तेज़ निर्णय। प्रतिपक्ष यह है कि संख्या से अधिक क्षमता मायने रखती है, क्योंकि हफ़्तों तक पानी के नीचे रहने वाली AIP पनडुब्बी वह काम कर देती है जिसके लिए पहले कई पुरानी पनडुब्बियाँ चाहिए होती थीं। यह आंशिक रूप से सही है, पर पनडुब्बियाँ लंबे समय तक मरम्मत और नवीनीकरण (refit) में रहती हैं, और एक छोटा बेड़ा पर्याप्त पनडुब्बियों को समुद्र में तैनात नहीं रख सकता।
- 3. राजदूत की रूस संबंधी टिप्पणी दिखाती है कि यूरोप भारत को उसकी अपनी शर्तों पर लुभा रहा है** — श्री वीक ने रूस को 'आक्रांता' कहा, फिर भी कीव और मॉस्को दोनों के साथ भारत के संबंधों को साराहा — यह ऐसा सूत्रीकरण है जो किसी खेमे में शामिल होने की माँग करने के बजाय भारत की सामरिक स्वायत्तता को स्वीकार करता है। बर्लिन का हित स्पष्ट है: हर बड़ा यूरोपीय प्लेटफ़ॉर्म रूसी उपकरणों, जैसे किलो-श्रेणी की पनडुब्बियों, पर भारत की निर्भरता घटाता है। भारत के लिए इससे CAATSA — रूस के रक्षा क्षेत्र के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन को निशाना बनाने वाला 2017 का अमेरिकी कानून — के तहत प्रतिबंधों का जोखिम भी कम होता है। प्रतिपक्ष यह है कि भारत एक निर्भरता की जगह दूसरी नहीं अपनाना चाहता, और यूरोपीय आपूर्तिकर्ता भी शर्तें जोड़ते हैं; सौदे का मूल्य इस बात में है कि डिज़ाइन और उत्पादन क्षमता का कितना हिस्सा भारत में रहता है।
- 4. SAT-SAAW दिखाता है कि Buy (Indian-IDD) तब सबसे अच्छा काम करता है जब डिज़ाइन किसी भारतीय प्रयोगशाला का हो** — SAAW की कड़ी DRDO के डिज़ाइन से एक रक्षा सार्वजनिक उपक्रम उत्पादक से होते हुए वायु सेना रूपी उपयोक्तृता तक जाती है, और बीच में डिज़ाइन पर अधिकार रखने वाला कोई विदेशी लाइसेंसदाता नहीं है — इसीलिए यह सर्वोच्च स्वदेशी श्रेणी के योग्य है। स्टैंड-ऑफ़ दूरी से हवाई अड्डों पर प्रहार कोई सीमित-उपयोग वाली क्षमता नहीं है; मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर पर आधिकारिक ब्रीफ़िंग में पाकिस्तान के कई हवाई ठिकानों पर सटीक प्रहारों का वर्णन किया गया था। द हिंदू ₹810.79 करोड़ का हथियारों

	और संबद्ध उपकरणों के बीच कोई विभाजन नहीं देता, इसलिए प्रति इकाई लागत नहीं निकाली जा सकती। प्रतिपक्ष गहराई का है: उच्च-तीव्रता वाले संघर्ष के लिए 160 का भंडार मामूली है, और IDDM के लिए केवल 50% स्वदेशी सामग्री चाहिए, इसलिए सीकर और इलेक्ट्रॉनिक्स अब भी आयात हो सकते हैं। यदि, जैसा इसके नाम से संकेत मिलता है, यह हथियार उपग्रह नेविगेशन पर निर्भर है, तो जैमिंग-प्रतिरोध और भारत की अपनी NavIC प्रणाली उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितना इसका ढाँचा। 5. P-75(I) का मूल्यांकन इस पर होगा कि क्या भारत अगली पनडुब्बी स्वयं डिज़ाइन कर पाता है — प्रोजेक्ट-75 ने भारत में छह पनडुब्बियाँ बनाईं, फिर भी अगली शृंखला के लिए भारत को विदेशी डिज़ाइन की ज़रूरत है — यह दिखाता है कि किसी और के नक्शों पर निर्माण करने से अपने-आप डिज़ाइन क्षमता पैदा नहीं होती। 1999 की योजना का अंत स्वदेशी डिज़ाइन में होना था, और सामरिक साझेदारी मॉडल का उद्देश्य असेंबली से आगे जाना था। कसौटी यह है कि पतवार डिज़ाइन, युद्ध-प्रणाली एकीकरण और AIP की जानकारी मापने योग्य पड़ावों के साथ अनुबंध में लिखी जाती है या नहीं। प्रतिपक्ष यथार्थवाद का है: कोई OEM अपनी मूल डिज़ाइन क्षमता नहीं सौंपता, इसलिए गहरी स्थानीय आपूर्ति शृंखलाएँ और रख-रखाव में आत्मनिर्भरता ही प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हैं। फिर भी, जर्मन साझेदारी भारतीय डिज़ाइन तक पहुँचने का सेतु होनी चाहिए, कोई नई स्थायी निर्भरता नहीं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“भारत का पारंपरिक पनडुब्बी कार्यक्रम विदेशी सहयोग के माध्यम से सैन्य क्षमता हासिल करने की संभावनाओं और सीमाओं, दोनों को दर्शाता है।” प्रोजेक्ट-75 और प्रोजेक्ट-75 (इंडिया) के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए। स्वदेशी डिज़ाइन क्षमता का निर्माण करते हुए पनडुब्बी क्षमता के अंतराल को पाटने के लिए सामरिक साझेदारी मॉडल और अंतर-सरकारी समझौतों का उपयोग कैसे किया जा सकता है? (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका — 23 सितंबर के जर्मन राजदूत के इस बयान से आरंभ कीजिए कि बर्लिन TKMS और मंझगाँव डॉक द्वारा बनाई जाने वाली छह पनडुब्बियों के 8 अरब डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर को तैयार है, और इसे 2030 तक 24 पारंपरिक पनडुब्बियों की 1999 की योजना के सामने रखिए। 2. मुख्य भाग — अब तक का रिकॉर्ड — प्रोजेक्ट-75 की छह कलवरी-श्रेणी स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का क्रम बताइए (2005 का अनुबंध, दिसंबर 2017 से जनवरी 2025 तक कमीशन, AIP के बिना), फिर P-75(I) का: जुलाई 2021 का RFP, सामरिक साझेदारी मॉडल के तहत पहला कार्यक्रम, और वर्षों की देरी, जबकि किलो और टाइप 209 पनडुब्बियाँ पुरानी होती गईं। 3. मुख्य भाग — नया सौदा क्या जोड़ता है और उसकी सीमाएँ — AIP को समझाइए, और बताइए कि G2G समझौता कैसे निर्यात-लाइसेंस और जीवन-चक्र के जोखिम को घटाता है, साथ ही भारत-जर्मनी संबंधों को गहरा करता है और रूसी उपकरणों से विविधीकरण में सहायक है। सीमाएँ भी बताइए: मोल-भाव की कमज़ोर ताकत, पनडुब्बियों का केवल 2030 के दशक में आना, और डिज़ाइन की जानकारी हस्तांतरित न होने पर एक नई निर्भरता। 4. मुख्य भाग — स्वदेशी पटरी — DAP 2020 की Buy (Indian-IDDM) श्रेणी, दिसंबर 2024 के DRDO AIP प्लग अनुबंध और BDL को दिए गए ₹810.79 करोड़ के SAT-SAAW ऑर्डर के उदाहरण से दिखाइए कि डिज़ाइन का स्वामित्व उपयोगकर्ता तक पहुँचने का रास्ता छोटा कर देता है। पड़ावों से जुड़े प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, छह पनडुब्बियों में क्रमशः बढ़ती स्वदेशी सामग्री, और वित्तपोषित स्वदेशी डिज़ाइन कार्यक्रम का प्रस्ताव कीजिए। 5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि विदेशी सहयोग से समय और कौशल खरीदे जाने चाहिए, स्थायित्व नहीं, और P-75(I) का मूल्यांकन इस पर होगा कि उसके बाद की पनडुब्बी भारत में डिज़ाइन होती है या नहीं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप रक्षा मंत्रालय में पनडुब्बी अनुबंध देख रहे संयुक्त सचिव हैं। हस्ताक्षर से पहले आप किन बातों पर ज़ोर देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं इस पर ज़ोर दूँगा कि भुगतान निर्माण के पड़ावों से जुड़े हों, आपूर्ति की तारीखें पक्की हों और परिनिर्धारित नुकसानी (liquidated damages) से समर्थित हों, और हस्तांतरित की जाने वाली प्रौद्योगिकियों की एक नामित सूची हो, जिसके साथ हस्तांतरण के सत्यापन का तरीका भी तय हो। स्वदेशी सामग्री पहली पनडुब्बी से छठी तक बढ़नी चाहिए, और पुर्जों व उन्नयन की गारंटी G2G समझौते के तहत होनी चाहिए, ताकि बाद में निर्यात लाइसेंस रोके न जा सकें। स्वतंत्र लागत-तुलना (cost benchmarking) उस आरोप का उत्तर देगी कि G2G मार्ग ने मूल्य-निर्धारण की खुली प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया। प्रश्न 2. भारत डायनेमिक्स के प्रमुख के रूप में आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 160 SAT-SAAW समय पर और निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार सौंपे जाएँ? दृष्टिकोण (Approach): मैं IAF और DRDO के साथ एक संयुक्त उत्पादन योजना तय करूँगा,

जिसकी हर महीने समीक्षा हो, ताकि डिज़ाइन से जुड़े प्रश्न जल्दी सुलझें। मैं हर आयातित पुर्जे का ब्योरा तैयार करूँगा और जहाँ संभव हो वहाँ भारतीय MSME आपूर्तिकर्ता विकसित करूँगा, क्योंकि देरी का सामान्य कारण आपूर्ति में व्यवधान होता है। गुणवत्ता आश्वासन अंतिम स्वीकृति पर नहीं, पहले ही लॉट से शुरू होगा। किसी स्वदेशी हथियार की समय पर आपूर्ति सेनाओं के लिए यह संकेत भी है कि IDDM मार्ग पर भरोसा किया जा सकता है।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: चार दशकों के पनडुब्बी सहयोग के बाद भी भारत विदेशी डिज़ाइनों पर निर्भर है। क्या रक्षा में 'मेक इन इंडिया' विफल हो गया है?

दृष्टिकोण (Approach): यह विफल नहीं हुआ है, पर सबसे जटिल प्लेटफॉर्मों में इसकी गति धीमी रही है। जहाँ डिज़ाइन भारतीय प्रयोगशालाओं का है, जैसे SAAW में, वहाँ डिज़ाइन से ऑर्डर तक का रास्ता अब काम करता है, और मझगाँव डॉक आधुनिक पनडुब्बियों की एक पूरी श्रेणी बना चुका है। कमी डिज़ाइन क्षमता की है, जो केवल निरंतर, वित्तपोषित डिज़ाइन कार्यक्रमों और डिज़ाइन-स्तर के हस्तांतरण की माँग करने वाले अनुबंधों से आती है। मैं जश्न या निराशा के बजाय कठोर पड़ावों के साथ धैर्य रखने का पक्ष रखूँगा।

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

केस 1 — फ़ाइल पर दर्ज अंतरात्मा

परिदृश्य (SCENARIO) भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के तीन सदस्य हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 [Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023] की धारा 18 कहती है कि आयोग का कामकाज यथासंभव सर्वसम्मति से चलाया जाएगा, और सदस्यों में मतभेद होने पर बहुमत की राय से। इस सप्ताह द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कम से कम 14 बार उन निर्णयों पर लिखित आपत्ति दर्ज की, जो उनके अनुसार उनकी जानकारी के बिना लिए गए थे। 16 मई को श्री जोशी ने फ़ाइल पर लिखा कि फ़ॉर्म 6 में “निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) में संशोधन किए बिना बदलाव नहीं किया जा सकता”; श्री संधू ने इससे सहमति जताई। इसके बावजूद जुलाई में ऑनलाइन फ़ॉर्म पर नई घोषणा जुड़ गई, और श्री संधू को इसका पता एक अख़बार से चला। 13 अगस्त को उन्होंने इस बदलाव को “अनधिकृत/अवैध” बताया और उसे हटाने का निर्देश दिया; फिर भी इस सप्ताह तक वह घोषणा फ़ॉर्म पर मौजूद थी। 29 जुलाई को दोनों ने आयोग की स्वीकृति के बिना जारी किए गए एक कार्य-आवंटन आदेश के बारे में कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखे। एक उप निर्देशक के हस्ताक्षर से जारी आयोग के प्रेस नोट में कहा गया है कि “भिन्न विचार और टिप्पणियां विचार-विमर्श का सामान्य हिस्सा हैं” और सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ.पी. रावत का कहना है कि दोनों को दस महीने तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी: “आप तुरंत सार्वजनिक रूप से अपनी बात रख सकते हैं।” पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी लिखते हैं कि “फ़ाइल पर दर्ज अंतरात्मा भी आख़िरकार अंतरात्मा ही है।” द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि स्थानांतरित किए गए लगभग 50 अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें अटकी पड़ी हैं, क्योंकि तीनों सदस्य उन पर एक साथ हस्ताक्षर नहीं कर पाए। अब कल्पना कीजिए कि आप अगस्त में ऐसे ही किसी आयोग के सदस्य हैं और अभी इनमें से कुछ भी सार्वजनिक नहीं हुआ है। आपकी टिप्पणियों का कोई उत्तर नहीं आता, मतदाता हर दिन वह फ़ॉर्म भर रहे हैं जिसे आप अवैध मानते हैं, जिस अधिकारी की रिपोर्ट लंबित है वह आपसे मदद मांग रहा है, और एक अख़बार ने आपको प्रश्न भेजे हैं। आयोग के प्रति आपका क्या दायित्व है, और मतदाता के प्रति क्या?

प्रश्न 1. हितधारकों और परस्पर टकराते मूल्यों की पहचान कीजिए। दस महीने तक असहमति को केवल फ़ाइल पर दर्ज रखना संस्थागत निष्ठा थी, विवेकशीलता थी या मिलीभगत?

प्रश्न 2. अगस्त में आयोग के सदस्य के रूप में, विवादित फ़ॉर्म 6, रुकी हुई गोपनीय रिपोर्टें और अख़बार के प्रश्नों के संबंध में आप क्या करेंगे और किस क्रम में करेंगे, स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 3. किसी लोक सेवक का कर्तव्य असहमति दर्ज करने से आगे बढ़कर उसे सार्वजनिक करने तक कब पहुंचता है? ऐसे संस्थागत सुरक्षा उपाय सुझाइए जिनसे इस तरह का चुनाव करने की नौबत ही न आए।

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- 1. दांव पर मतदाता का भरोसा है, तीन व्यक्तियों का आपसी झगड़ा नहीं** — हितधारकों में फ़ॉर्म 6 भरने वाले लाखों मतदाता हैं, जिनमें पहली बार मतदान करने वाले और मतदाता सूची में दोबारा नाम जुड़वाने का प्रयास कर रहे लोग भी शामिल हैं; मतदाता सूचियों का काम संभालने वाले अधिकारी, जिनमें वे लगभग 50 अधिकारी भी हैं जिनकी गोपनीय रिपोर्टें अटकी हैं; आयोग के तीनों सदस्य; राजनीतिक दल; और न्यायालय, जिन्होंने आयोग के कथन पर भरोसा किया है। एक ओर सामूहिकता (collegiality) और गोपनीय विचार-विमर्श के मूल्य हैं, तो दूसरी ओर वैधता, पारदर्शिता और नागरिक का जानने का अधिकार। एक तीसरा मूल्य इन दोनों पर समान रूप से लागू होता है। जैसा कि न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने इसी सप्ताह निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले में कहा, आयोग का स्वतंत्र होना ही पर्याप्त नहीं है; उसे स्वतंत्र दिखना भी चाहिए। सदस्यों के हर कदम को इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए कि उसका आयोग की इस छवि पर क्या असर पड़ता है।
- 2. असहमति को फ़ाइल पर दर्ज करना सही पहला कदम था** — भारतीय प्रशासन में जवाबदेही (accountability) फ़ाइल के माध्यम से ही काम करती है: टिप्पणी यह दर्ज करती है कि किसने, कब, क्या और क्यों कहा, और बाद में कोई न्यायालय, संसद या लेखा परीक्षक उसकी जांच कर सकता है। टिप्पणियां लिखकर, फ़ाइल मंगवाकर और 30 जुलाई को 28 जुलाई के कार्य-आवंटन आदेश को संयुक्त रूप से रद्द करके दोनों आयुक्तों ने पहले आंतरिक माध्यमों का उपयोग किया। सत्यनिष्ठा (integrity) किसी भी अन्य कदम से पहले यही मांगती है। पहली ही असहमति पर बात सार्वजनिक कर देने से कोई भी बहु-सदस्यीय निकाय काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सदस्य एक-दूसरे से खुलकर बात करना बंद कर देंगे। अल्बर्ट हर्शमेन की ‘निकास, आवाज़ और निष्ठा’ (exit, voice and loyalty) की अवधारणा यहां सटीक बैठती है: संस्था के भीतर आवाज़ उठाना ही निष्ठावान विकल्प है, और त्यागपत्र देने या सार्वजनिक होने से पहले इसे आजमाया जाना चाहिए। कुरैशी का यह कहना ठीक है कि यह अंतरात्मा की आवाज़ थी, मौन स्वीकृति नहीं।
- 3. पर जिस टिप्पणी को अनुसूना कर दिया जाए, वह अंतिम कदम नहीं हो सकती** — इससे आगे बढ़ना तब उचित है जब ग़लती गंभीर हो, लगातार जारी हो और उसे पलटना कठिन हो, तथा आंतरिक उपाय समाप्त हो चुके हों। 13 अगस्त तक एक आयुक्त फ़ॉर्म 6 का बदलाव हटाने का निर्देश दे चुके थे, दूसरे पहले ही उसके विरुद्ध लिखित राय दर्ज कर चुके थे, और फिर भी वह फ़ॉर्म पर बना रहा। जब तीन में से दो सदस्यों की राय को सीधे अनदेखा कर दिया जाए, तो आंतरिक माध्यम विफल हो चुका होता है। कुरैशी जिस टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (T.N. Seshan v. Union of India, 1995) मामले का उल्लेख करते हैं, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने चेताया था कि “व्यक्ति को आगे रखकर निर्वाचन आयोग को ओझल कर देना ग़लत होगा”। इसलिए ओ.पी. रावत की आलोचना में दम है: आयोग को स्वतंत्रता

इसीलिए मिली है कि उसके सदस्य बोल सकें। इसके विपरीत मत यह है कि देशव्यापी पुनरीक्षण के बीच आयोग में सार्वजनिक फूट स्वयं चुनावों के प्रति जनविश्वास को चोट पहुंचा सकती है। यह जोखिम वास्तविक है, पर कोई अवैध कार्य जितने लंबे समय तक चलता रहता है, यह जोखिम घटता नहीं, बल्कि बढ़ता ही जाता है।

4. **हर विकल्प को उसके परिणामों की कसौटी पर तौलें** — टिप्पणियां लिखते रहना सदस्य के लिए सुरक्षित है, पर इसकी कीमत मतदाता चुकाते हैं। विरोध में त्यागपत्र देने से अपनी सत्यनिष्ठा तो अक्षुण्ण रहती है, पर आयोग अकेले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हाथ में चला जाता है और धारा 18 द्वारा दिया गया बहुमत भी व्यर्थ हो जाता है। जैसा दोनों ने जुलाई में किया, कैबिनेट सचिव को पत्र लिखना समझ में आता है, पर इसका अर्थ है कार्यपालिका से एक ऐसी संवैधानिक संस्था के विवाद में निर्णायक बनने को कहना, जिसका पूरा मूल्य ही कार्यपालिका से उसकी स्वतंत्रता में निहित है। फ़ाइल लीक करने से नागरिकों को जानकारी तो मिलेगी, पर वह भरोसा नष्ट हो जाएगा जिस पर खुला विचार-विमर्श टिका है, और पक्षपात के आरोपों को न्योता मिलेगा। सदस्य इतने सतर्क क्यों रहते हैं, इसका कारण स्वयं संविधान में है: अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाए जाने के विरुद्ध वही संरक्षण प्राप्त है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, जबकि किसी निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफ़ारिश पर हटाया जा सकता है। इससे साहस महंगा पड़ता है, पर इससे मौन सही नहीं हो जाता।
5. **सुझाया गया मार्ग: पहले बहुमत के रूप में कार्य करें, फिर उसे अभिलेख पर लाएं** — सदस्य को सबसे पहले आयोग की पूर्ण बैठक बुलाने की मांग करनी चाहिए और यह लिखित प्रस्ताव रखना चाहिए कि फ़ॉर्म 6 को नियमों के अनुरूप वापस लाया जाए और धारा 18(1) के अंतर्गत कार्य-संचालन नियम (rules of business) अपनाए जाएं। यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त बैठक बुलाने या कार्रवाई करने से मना कर दें, तो दोनों सदस्यों को एक संयुक्त बहुमत निर्णय अभिलेख में दर्ज करके उसे उन अधिकारियों को भेज देना चाहिए जिन्हें उसे लागू करना है। यदि उसे भी अनदेखा किया जाए, तो उन्हें हस्ताक्षरित सार्वजनिक वक्तव्य जारी करना चाहिए कि अमुक विशिष्ट निर्णयों को आयोग की स्वीकृति प्राप्त नहीं है; उसमें केवल तथ्य हों और उतना ही कहा जाए जितना आवश्यक है। स्थानांतरित अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्टों जैसे नियमित मामलों को तुरंत निपटाकर विवाद से अलग रखना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठों के आपसी झगड़े में अधीनस्थों के करियर को बंधक बनाना अनुचित है। अखबार को या तो ईमानदार उत्तर मिलना चाहिए या उत्तर देने से ईमानदार इनकार, पर झूठा खंडन कभी नहीं।
6. **ऐसे संस्थागत सुधार जो असहमति को दृश्यमान बनाएं, पर निकाय को पंगु न करें** — आयोग को अपने कार्य-संचालन नियम प्रकाशित करने चाहिए और हर बड़े निर्णय के साथ यह बताना चाहिए कि वह सर्वसम्मति से लिया गया या बहुमत से, जैसा कि कुरैशी और पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा आग्रह करते रहे हैं। किसी निर्णय के लागू हो जाने के बाद असहमति-टिप्पणियां जारी की जा सकती हैं। इसका आदर्श सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) की धारा 8(1)(i) का परंतुक है, जिसके अंतर्गत मंत्रिमंडल के निर्णय और उनके आधार बनी सामग्री मामला पूरा हो जाने के बाद सार्वजनिक कर दी जाती है। मतदाता सूची के सॉफ़्टवेयर का स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए, ताकि सांविधिक अधिकारियों के पास वे शक्तियां बनी रहें जो क़ानून उन्हें देता है। निर्वाचन आयुक्तों को भी पद से हटाए जाने के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसा संरक्षण देने से सदस्य अपनी नौकरी की चिंता किए बिना संस्था के भीतर बोल सकेंगे। नोलन सिद्धांतों (Nolan principles) में वर्णित खुलेपन और जवाबदेही का सबसे अच्छा निर्वाह ऐसे नियमों से होता है, व्यक्तिगत वीरता के भरोसे रहने से नहीं।

केस 2 — निरोध आदेश के नीचे एक हस्ताक्षर

परिदृश्य (SCENARIO) 10 से 18 अप्रैल तक नोएडा में औद्योगिक और ठेका मज़दूरों ने अधिक वेतन और हरियाणा के बराबर मज़दूरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया; 13 अप्रैल को यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। लगभग एक महीने बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act — NSA) लगा दिया, इस आरोप के साथ कि उन्होंने पत्थरबाज़ी और आगज़नी के लिए उकसाया था। निरोध आदेश पर गौतम बुद्ध नगर की ज़िलाधिकारी मेधा रूपम ने हस्ताक्षर किए थे। कासना जेल में लगभग पांच महीने के निरोध के बाद 2 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुश्री चौधरी की बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने इस बात की आलोचना की कि ज़िलाधिकारी ने पुलिस रिपोर्ट पर अपने विवेक का प्रयोग (application of mind) नहीं किया, और राज्य के पक्ष को “गढ़ी हुई कहानी” बताया। उसने कहा कि ज़िलाधिकारी का आचरण “उपहास के योग्य” था और संविधान के प्रति निष्ठा की उनकी शपथ का उल्लंघन था। उसने चेताया कि पथभ्रष्ट नौकरशाही राज्य को “ऑरवेलियन दुःस्वप्न-लोक” (Orwellian Dystopia) में बदल सकती है, और आदेश दिया कि ₹5 लाख का मुआवज़ा ज़िलाधिकारी के वेतन से दिया जाए। 23 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने 7 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई तक फ़ैसले के उन अनुच्छेदों पर रोक लगा दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि ये कठोर टिप्पणियां ज़िलाधिकारी को नोटिस दिए बिना की गईं, और यह भी कि किसी ज़िलाधिकारी के राय बनाने से पहले “कई प्रशासनिक, पदानुक्रमिक स्तर होते हैं”। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि आदेश का उद्देश्य लोक व्यवस्था बनाए रखना था, क़ानून-व्यवस्था नहीं। छात्रा की ओर से कॉलिन गॉज़ाल्विस ने कहा कि हिंसा शुरू होने से पहले ही वे पुलिस हिरासत में थीं, और राज्य ने वह भाषण कभी प्रस्तुत ही नहीं किया जिसके आधार पर वह चल रहा था: “एक माइक्रोग्राम सबूत भी नहीं।” आप इसी राज्य के एक अन्य औद्योगिक ज़िले के ज़िलाधिकारी हैं। ठेका मज़दूरों ने अगले सप्ताह वेतन समानता के लिए एक मार्च की घोषणा की है। आज सुबह पुलिस अधीक्षक ने आपको एक युवा महिला संगठनकर्ता को NSA के अंतर्गत निरुद्ध करने का प्रस्ताव भेजा है, जिसका आधार एक खुफ़िया नोट है कि वह हिंसा भड़का सकती है। किसी भाषण की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि राज्य सरकार तो आदेश की पुष्टि कर ही देगी।

प्रश्न 1. नोएडा के निरोध और उसके बाद आए न्यायालयी आदेशों से कौन-से नैतिक और विधिक प्रश्न उठते हैं? किनके अधिकार और हित दांव पर हैं?

प्रश्न 2. ज़िलाधिकारी के रूप में आप निरोध के इस प्रस्ताव पर क्या करेंगे, और मार्च के दौरान शांति कैसे बनाए रखेंगे?

प्रश्न 3. क्या अवैध निरोध के लिए अधिकारियों को अपने वेतन से मुआवज़ा चुकाना चाहिए? व्यक्तिगत जवाबदेही के पक्ष के तर्कों को इस जोखिम के सामने तौलिए कि अधिकारी कार्रवाई करने से ही डरने लगे।

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- 1. स्वतंत्रता नियम है और निवारक निरोध अपवाद** — अनुच्छेद 22 निवारक निरोध (preventive detention) की अनुमति तो देता है, पर उसके चारों ओर रक्षोपायों का घेरा भी खींचता है। निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार बताए जाने चाहिए और अभ्यावेदन करने का शीघ्रतम अवसर दिया जाना चाहिए, और तीन महीने से अधिक के निरोध के लिए सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) की राय आवश्यक है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 किसी व्यक्ति को राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था अथवा आवश्यक आपूर्तियों और सेवाओं के प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के लिए बारह महीने तक निरुद्ध रखने की अनुमति देता है, और राज्य सरकार ज़िलाधिकारी को यह आदेश देने का अधिकार सौंप सकती है। चूंकि इसमें पहले कोई मुकदमा नहीं चलता, इसलिए ज़िलाधिकारी की “व्यक्तिपरक संतुष्टि” (subjective satisfaction) प्रासंगिक, विशिष्ट और हाल की सामग्री पर आधारित होनी चाहिए। हितधारक हैं: निरुद्ध व्यक्ति और उसका परिवार, वे मज़दूर जिनके आंदोलन में वह शामिल हुई, वह जनता जिसकी सुरक्षा दांव पर है, पुलिस, और ज़िला प्रशासन की विश्वसनीयता।
- 2. लोक व्यवस्था और क़ानून-व्यवस्था एक ही चीज़ नहीं हैं** — राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य (Ram Manohar Lohia v. State of Bihar, 1966) में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन संकेंद्रित वृत्तों का वर्णन किया: क़ानून-व्यवस्था सबसे बड़ा वृत्त है, लोक व्यवस्था उसके भीतर का एक छोटा वृत्त, और राज्य की सुरक्षा सबसे छोटा। किसी मज़दूर आंदोलन में हुई हिंसा प्रायः क़ानून-व्यवस्था की समस्या होती है, जिससे सामान्य आपराधिक क़ानून के तहत गिरफ्तारी और अभियोजन द्वारा निपटा जाना चाहिए। निवारक निरोध तभी उचित है जब गडबडी पूरे समुदाय के जीवन की सहज गति (even tempo of life) को प्रभावित करे। यह दलील देकर कि आदेश “लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए था, क़ानून-व्यवस्था के लिए नहीं”, श्री रोहतगी स्वयं स्वीकार करते हैं कि यही भेद इस मामले का फ़ैसला करता है। जो ज़िलाधिकारी लिखित रूप में यह न बता सके कि सामान्य क़ानून पर्याप्त क्यों नहीं है, वह उस संतुष्टि तक पहुंचा ही नहीं जिसकी अपेक्षा NSA करता है।
- 3. कई स्तरों वाली प्रक्रिया व्यक्तिगत हस्ताक्षर की ज़िम्मेदारी को हल्का नहीं करती** — सॉलिसिटर जनरल का यह कहना सही है कि निरोध का मामला कई स्तरों से होकर गुज़रता है: पुलिस का प्रस्ताव, ज़िलाधिकारी का आदेश, बारह दिनों के भीतर राज्य सरकार का अनुमोदन, और सलाहकार बोर्ड। पर क़ानून संतुष्टि का दायित्व हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी पर डालता है, और हर स्तर अपने से नीचे वाले स्तर पर भरोसा करता है। यदि हर अधिकारी अगले स्तर को ही असली जांच मान ले, तो जांच कोई नहीं करता। कर्तव्य-नीतिशास्त्र (duty ethics) इस पर स्पष्ट है: किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रशासनिक सुविधा का साधन नहीं बनाया जा सकता। यह परिणामवादी चिंता गंभीर है कि किसी वास्तविक उकसाने वाले को निरुद्ध न करने से जानें जा सकती हैं, पर यह बेहतर साक्ष्य मांगने का तर्क है, साक्ष्य के बिना हस्ताक्षर कर देने का नहीं। सत्यनिष्ठा का अर्थ है अपने नाम से होने वाले हर निर्णय की ज़िम्मेदारी लेना।
- 4. निष्पक्षता अधिकारी के प्रति भी बरती जानी चाहिए** — सॉलिसिटर जनरल के अनुसार उच्च न्यायालय ने ज़िलाधिकारी को नोटिस दिए बिना ही कठोर टिप्पणियों की और वेतन से वसूली का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नईम (State of U.P. v. Mohammad Naim, 1964) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि न्यायालय को किसी व्यक्ति के बारे में अपमानजनक टिप्पणी तभी करनी चाहिए जब वह व्यक्ति उसके समक्ष हो या उसे अपना पक्ष रखने का अवसर मिल चुका हो, टिप्पणियां अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से समर्थित हों, और वे मामले के निर्णय के लिए आवश्यक हों। प्राकृतिक न्याय (natural justice), अर्थात् दूसरे पक्ष को सुनने का सिद्धांत, नागरिकों की ही तरह अधिकारियों की भी रक्षा करता है। न्यायालय लंबे समय से अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के लिए राज्य से मुआवज़ा दिलवाते रहे हैं, जैसे नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (Nilabati Behera v. State of Orissa, 1993) में, और उन्होंने राज्य को यह राशि दोषी पाए गए अधिकारियों से वसूलने की छूट भी दी है। न्यायसंगत क्रम यह है कि राज्य पहले पीड़ित को तुरंत मुआवज़ा दे, फिर ऐसी जांच कराए जिसमें अधिकारी का पक्ष सुना जाए, और राशि तभी वसूल जब दुर्भावना या घोर लापरवाही सिद्ध हो जाए।
- 5. ज़िलाधिकारी को आज सुबह क्या करना चाहिए** — उन्हें प्रस्ताव लौटा देना चाहिए और लिखित रूप में वास्तविक सामग्री मांगनी चाहिए: किसी भाषण की रिकॉर्डिंग या प्रतिलिपि, गवाहों के बयान, संगठनकर्ता पर आरोपित विशिष्ट कृत्य, और यह कारण कि सामान्य क़ानून पर्याप्त क्यों नहीं है। उन्हें पुलिस अधीक्षक से मिलकर कम कठोर उपायों पर विचार करना चाहिए: आयोजकों से बातचीत, मार्च के लिए अधिसूचित मार्ग और समय, वीडियो रिकॉर्डिंग, मौके पर पर्याप्त पुलिस बल, और आवश्यकता पड़ने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) की निवारक शक्तियां, जैसे धारा 163 के अंतर्गत आदेश, जिसने पुरानी धारा 144 का स्थान लिया है। यदि सामग्री से तब भी लोक व्यवस्था के लिए ख़तरा सिद्ध न हो, तो उन्हें लिखित रूप में प्रस्ताव अस्वीकार कर देना चाहिए। यदि ख़तरा सिद्ध हो, तो उन्हें निरोध के आधार स्वयं तैयार करने चाहिए, उन्हें NSA की धारा 8 द्वारा अनुमत समय-सीमा (पांच दिन, या असाधारण परिस्थितियों में दस दिन) के भीतर निरुद्ध व्यक्ति की समझ में आने वाली भाषा में तामील कराना चाहिए, और उसे अभ्यावेदन के अधिकार की जानकारी देनी चाहिए। इस बीच श्रम विभाग को वेतन-समानता की मांग पर सुलह की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, क्योंकि यही शिकायत आंदोलन को ईंधन दे रही है।
- 6. संस्थागत सुधार: फ़ाइल स्वयं अपनी बात कहे** — हर ज़िले में एक विधि अधिकारी द्वारा जांची गई निरोध जांच-सूची (checklist) का उपयोग होना चाहिए, जिसमें उस विशिष्ट सामग्री का उल्लेख हो जिस पर भरोसा किया गया और यह स्पष्ट किया जाए कि सामान्य क़ानून पर्याप्त क्यों नहीं है। राज्यों को इसका हिसाब रखना चाहिए कि सलाहकार बोर्डों ने कितने NSA आदेश निरस्त किए या न्यायालयों ने कितने आदेश रद्द किए, और ऊंची दर को दुर्भाग्य नहीं, बल्कि किसी ज़िले की कार्यप्रणाली के बारे में चेतावनी मानना चाहिए। न्यायालयों को भी नामित अधिकारियों पर कठोर टिप्पणी करने से पहले नोटिस जारी करना चाहिए। यह नियम कि वेतन से वसूली केवल दुर्भावना या घोर लापरवाही सिद्ध होने के बाद ही होगी, लापरवाही से किए गए निरोधों को हतोत्साहित करेगा और ईमानदार अधिकारियों को डराकर निष्क्रिय भी नहीं बनाएगा। गांधीजी का जंतर पूछता है कि किसी निर्णय से किसका भला होता है। यहां इस कहानी का सबसे कमज़ोर व्यक्ति एक युवा छात्रा है, जिसने लगभग पांच महीने ऐसे साक्ष्य के आधार पर जेल में बिताए जिसे न्यायालय खोज ही नहीं पाया।

केस 3 — ₹862 की दिहाड़ी और बसों की राह देखता शहर

परिदृश्य (SCENARIO) दिल्ली परिवहन निगम (Delhi Transport Corporation — DTC) की बसों के ठेका चालक बेहतर वेतन, सवेतन अवकाश और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर 15 सितंबर से हड़ताल पर हैं। वे उन सात निजी कंपनियों द्वारा नियोजित हैं जो दिल्ली की क्लस्टर बसें चलाती हैं, और उन्हें ₹862 प्रतिदिन मिलते हैं, न सवेतन अवकाश है, न सामाजिक सुरक्षा। इसकी सबसे अधिक मार

दिहाड़ी मजदूरों, घरेलू कामगारों और विद्यार्थियों पर पड़ी है। 16 से 22 सितंबर तक दिल्ली मेट्रो ने प्रतिदिन आठ से दस अतिरिक्त ट्रेनें लगाईं और 20 से 50 अतिरिक्त फेरे चलाए। कथित तोड़फोड़ और रिश्ति (mischief) के मामलों में FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने सैकड़ों चालकों को हिरासत में लिया है; चालकों का कहना है कि आरोप झूठे हैं। बुधवार को DTC के वज्जिराबाद डिपो के 37 चालकों को 16 से 22 सितंबर के बीच बस सेवाओं में कथित रूप से बाधा डालने के लिए कारण बताओ नोटिस थमाए गए। उन्हें लिखित उत्तर देने के लिए 24 घंटे दिए गए, ऐसा न करने पर डिपो उनकी सुनवाई किए बिना उनके मामलों का निर्णय कर सकता है, और आठ चालकों को काली सूची में डाल दिया गया है। कुछ चालक नौकरी जाने के डर से काम पर लौट आए हैं; कुछ के बारे में खबर है कि वे कार्रवाई की आशंका से अपने गांव-घर चले गए हैं। DTC ने उपस्थिति अनिवार्य कर दी है, और कालकाजी डिपो में कर्मचारियों से 24 से 30 सितंबर के बीच हाज़िर होने को कहा गया है। DTC कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी कहते हैं, “हम पीछे नहीं हटेंगे”; यूनियन ने 28 सितंबर को सभी ठेका कर्मचारियों की पूर्ण हड़ताल का आह्वान किया है। बुधवार को ही मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा कि उसने अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (Essential Services Maintenance Act — ESMA) क्यों लागू नहीं किया, और उसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि बसें चलती रहें। आप कालकाजी डिपो के प्रबंधक हैं। आपके आधे से भी कम चालक ड्यूटी पर आए हैं। वर्षों से आपके रूटों पर बस चलाने वाला एक चालक आपसे कहता है कि वह नौकरी खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, पर अपने साथियों से नज़रें भी नहीं मिला सकता। गेट पर एक घरेलू कामगार आपको बताती है कि पैदल काम पर जाने के चक्कर में उसकी दो दिन की मजदूरी जा चुकी है।

प्रश्न 1. हितधारकों और परस्पर टकराते नैतिक मूल्यों की पहचान कीजिए। क्या किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा में कम वेतन पाने वाले ठेका चालकों की हड़ताल उचित है?

प्रश्न 2. डिपो प्रबंधक के रूप में आने वाले सप्ताह में आप अनिवार्य उपस्थिति के आदेश, काम पर न आने वाले चालकों और फंसे हुए यात्रियों के मामले को कैसे संभालेंगे?

प्रश्न 3. क्या सरकार को अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम लागू करना चाहिए? आउटसोर्स की गई सार्वजनिक सेवाओं में ऐसे विवादों की रोकथाम के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं सुझाइए।

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- डिपो के गेट के दोनों ओर मेहनतकश गरीब ही खड़े हैं** — चालकों को ₹862 प्रतिदिन मिलते हैं, न सवेतन अवकाश है न सामाजिक सुरक्षा। सबसे अधिक पीड़ित यात्री दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार और विद्यार्थी हैं, यानी वे लोग जो टैक्सी का सहारा नहीं ले सकते। अन्य हितधारक हैं: चालकों को नियोजित करने वाले सात निजी ऑपरेटर, DTC, दिल्ली सरकार, पुलिस और उच्च न्यायालय। यहां कई मूल्य परस्पर टकराते हैं: श्रम की गरिमा और उचित वेतन बनाम अत्यावश्यक सेवा पर जनता का दावा, विरोध का अधिकार बनाम विधि का शासन, और हड़तालियों के प्रति सहानुभूति बनाम काम पर लौट आए लोगों के प्रति निष्पक्षता। गांधीजी का जंतर (Gandhi's talisman), जो हमें सबसे गरीब व्यक्ति को याद करके यह पुच्छने को कहता है कि हमारा कदम उसके किसी काम आएगा या नहीं, यहां गुंथी नहीं सुलझाता, क्योंकि सबसे गरीब लोग दोनों ओर हैं। ठीक इसी कारण प्रबंधक को ऐसा रास्ता खोजना चाहिए जो दोनों के हित में हो, न कि किसी एक पक्ष का साथ दे।
- हड़ताल का अधिकार वास्तविक है पर सीमित, और हिंसा उसके दायरे से बाहर है** — सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हड़ताल करना कोई मूल अधिकार नहीं है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन बनाम नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल (All India Bank Employees' Association v. National Industrial Tribunal, 1962) में न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत संघ बनाने के अधिकार में हड़ताल का गारंटीशुदा अधिकार शामिल नहीं है। टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार (T.K. Rangarajan v. Government of Tamil Nadu, 2003) में उसने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी हड़ताल औद्योगिक कार्रवाई का एक मान्य रूप है, जिसे श्रम कानून नियंत्रित करता है, और सरकारें अधिसूचित अत्यावश्यक सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। नैतिक दृष्टि से, किसी वास्तविक शिकायत पर ज़ोर देने के लिए शांतिपूर्वक काम से दूर रहना, बसें रोकने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बिल्कुल अलग बात है। वज्जिराबाद के कारण बताओ नोटिस कथित बाधा से संबंधित हैं, इसलिए उन्हें सब पर लागू मान लेने के बजाय हर चालक के मामले में साक्ष्य की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।
- डिपो पर निष्पक्ष प्रक्रिया ही प्रबंधक का सबसे मजबूत साधन है** — 24 घंटे की समय-सीमा, बिना सुनवाई निर्णय की धमकी, और किसी जांच से पहले ही काली सूची में डालना, यह सब 'पहले सज़ा, सुनवाई बाद में' जैसा लगता है, जो प्राकृतिक न्याय (natural justice) और आनुपातिकता (proportionality), दोनों के विरुद्ध है। प्रबंधक को चालकों को उत्तर देने के लिए उचित समय देना चाहिए, और लॉगबुक तथा CCTV फुटेज के सहारे बसें रोकने वालों को उन लोगों से अलग करना चाहिए जो केवल काम पर नहीं आए। उसे लिखकर स्पष्ट करना चाहिए कि किसी को भी मौखिक आदेश से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। काम पर लौटने वाले चालकों को डराने-धमकाने से बचाया जाना चाहिए, और शांतिपूर्वक हड़ताल करने वालों को बाद में ड्यूटी-रोस्टर या रूट के ज़रिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। प्रबंधक को यूनियन के प्रतिनिधियों से भी मिलना चाहिए, उनकी मांगें लिखित रूप में दर्ज करनी चाहिए और अपने आकलन के साथ उन्हें DTC मुख्यालय तथा ऑपरेटरों को भेजना चाहिए। डिपो क्या तय कर सकता है और क्या नहीं, इस बारे में ईमानदारी वह भरोसा पैदा करती है जिससे हड़तालें खत्म होती हैं।
- न कानून टूटे, न मजदूर, और शहर चलता रहे** — यात्रियों को मदद अभी चाहिए। प्रबंधक अस्पतालों, औद्योगिक क्षेत्रों और स्कूलों तक जाने वाले रूटों को प्राथमिकता दे सकता है, दिल्ली मेट्रो से समन्वय कर सकता है, जो पहले ही अतिरिक्त ट्रेनें और फेरे बढ़ा चुकी है, और कौन-सी बसें चल रही हैं, इसकी सटीक जानकारी प्रकाशित कर सकता है। उसे केवल संख्या दिखाने के लिए अप्रशिक्षित या बिना लाइसेंस वाले चालकों को सड़क पर नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि इससे श्रम विवाद की जगह सुरक्षा का जोखिम खड़ा हो जाएगा। नियमित कर्मचारियों को सबसे महत्वपूर्ण रूटों पर लगाया जा सकता है। इनमें से कोई भी कदम पिछले दरवाज़े से हड़ताल तोड़ना नहीं है: ये कदम उन लोगों का नुकसान सीमित करते हैं जिनका चालकों के वेतन पर कोई बस नहीं है। उपयोगितावादी (utilitarian) तर्क इन कदमों का समर्थन करता है, और कर्तव्य-नीतिशास्त्र (duty ethics) इनकी सीमाएं तय करता है। जनता की सेवा होनी ही चाहिए, पर चालकों की सुरक्षा या अधिकारों की क्रीम पर नहीं।
- ESMA अंतिम उपाय हो, और प्रधान नियोजक ठेकेदारों की आड़ नहीं ले सकता** — अत्यावश्यक सेवा कानून लागू करने से बसें सबसे जल्दी बहाल होंगी, पर इससे उन कम वेतन वाले मजदूरों का अपराधीकरण होगा जिनकी शिकायत वास्तविक है, अविश्वास और गहरा

होगा, और विवाद संभवतः बस कहीं और खिसक जाएगा। इसे लागू न करके केवल प्रतीक्षा करते रहने का अर्थ है कि उसकी क्रीमत शहर के सबसे गरीब लोग चुकाएं। बेहतर रास्ता है समय-सीमा के साथ वार्ता, और वेतन, अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा पर एक विश्वसनीय प्रस्ताव। अधिनियम को आरक्षित रखा जाना चाहिए, ताकि वार्ता विफल होने और सेवा ठप होने से जीवन खतरे में पड़ने लगे, उदाहरण के लिए अस्पतालों तक पहुंच कट जाए, तब इसका उपयोग किया जा सके। सरकार को अपने उत्तर में उच्च न्यायालय के सामने यही कारण रखने चाहिए। टेका श्रम कानून लंबे समय से यह मानता आया है कि ठेकेदार के वेतन न चुकाने पर प्रधान नियोजक (principal employer) उत्तरदायी है। काम सात कंपनियों को सौंप देने से सार्वजनिक प्राधिकरण इस नैतिक ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं होता कि उसकी बसें चलाने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है।

6. **संस्थागत सुधार: अनुबंध में ही निष्पक्षता परोएं** — ऑपरेटरों के अनुबंधों में उस काम के लिए अधिसूचित न्यूनतम मज़दूरी से जुड़ा न्यूनतम वेतन तय होना चाहिए, सवेतन अवकाश का प्रावधान होना चाहिए, और कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Fund) तथा कर्मचारी राज्य बीमा (Employees' State Insurance) योजना के अंतर्गत कवरेज अनिवार्य होना चाहिए, साथ ही उल्लंघन पर दंड और नियमित ऑडिट की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी इसी दिशा में संकेत करते हैं। अनुच्छेद 39(d) समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, अनुच्छेद 43 निर्वाह मज़दूरी की, और पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह (State of Punjab v. Jagjit Singh, 2016) में सर्वोच्च न्यायालय ने "समान कार्य के लिए समान वेतन" का सिद्धांत उन अस्थायी कर्मचारियों पर लागू किया जो नियमित कर्मचारियों जैसा ही काम करते हैं। यूनियन प्रतिनिधियों को शामिल करने वाली एक स्थायी शिकायत निवारण समिति, हड़ताल शुरू होने से पहले ही आरंभ होने वाली सुलह प्रक्रिया, और अत्यावश्यक सेवाओं के लिए प्रकाशित आकस्मिक योजना अगले संकट को टालने में मदद करेंगी। जिन मज़दूरों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, उन्हें ध्यान खींचने के लिए शायद ही कभी बसें रोकनी पड़ती हैं।

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तथ्य सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
अनुच्छेद 3 — नए राज्यों का गठन	अनुच्छेद 3 संसद को साधारण विधि द्वारा नया राज्य बनाने या किसी मौजूदा राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। ऐसा विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश हो सकता है, और तभी जब राष्ट्रपति उसे प्रभावित राज्य के विधानमंडल को एक निश्चित अवधि में अपने विचार देने के लिए भेज चुके हों; ये विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं होते। अनुच्छेद 4 कहता है कि ऐसी विधियाँ अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं मानी जाती, इसलिए साधारण बहुमत पर्याप्त है, और 18वें संशोधन (1966) ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3 के खंड (a) से (e) में 'राज्य' में केंद्रशासित प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि राज्य चार भागों में बँटेगा; नवंबर 2011 में मायावती सरकार ने विधानसभा से पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश बनाने का प्रस्ताव पारित कराया था।
अनुच्छेद 371 शृंखला — लद्दाख के लिए प्रस्तावित अनुच्छेद 371(K)	अनुच्छेद 371 से 371J कुछ विशेष राज्यों के लिए विशेष उपबंध करते हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 371 के तहत विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए विकास बोर्ड; अनुच्छेद 371A के तहत नगा प्रथागत विधि और भूमि-स्वामित्व का संरक्षण (और अनुच्छेद 371G के तहत मिज़ो प्रथाओं का); तथा 2012 के 98वें संशोधन से जोड़े गए अनुच्छेद 371J के तहत हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए आरक्षण। इस शृंखला का अब तक का हर उपबंध किसी राज्य पर लागू होता है, जबकि लद्दाख जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से बिना विधानमंडल वाला केंद्रशासित प्रदेश है; नए अनुच्छेद 371(K) के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन आवश्यक होगा। लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा लिखते हैं कि केंद्र ने अनुच्छेद 371 के तहत विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों वाली एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित केंद्रशासित प्रदेश-स्तरीय संस्था की पेशकश की है, जिसे वे 'अपनी तरह का अनूठा' (sui generis) मॉडल कहते हैं, जबकि आंदोलनकारी राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची माँगते रहे हैं।
छठी अनुसूची और अभियोजन से वापसी	अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के अंतर्गत छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त ज़िला परिषदों का प्रावधान करती है। हर परिषद में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से चार से अधिक राज्यपाल द्वारा मनोनीत नहीं होते और शेष वयस्क मताधिकार से चुने जाते हैं, और यह भूमि, वन, उत्तराधिकार, विवाह और सामाजिक रीति-रिवाजों पर विधि बना सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 360 (पुरानी CrPC की धारा 321) के तहत लोक अभियोजक न्यायालय की सहमति से और पीड़ित को सुनने के बाद ही अभियोजन से पीछे हट सकता है; State of Kerala v. K. Ajith (2021) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वापसी न्याय के हित में सद्भावना से होनी चाहिए, विधि की प्रक्रिया को दबाने के लिए नहीं। 24 सितंबर 2025 को लेह में राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची की माँग पर हुए प्रदर्शन में पुलिस गोलीबारी में चार प्रदर्शनकारियों की मौत और 44 के घायल होने के एक वर्ष बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नामजद 87 लोगों में से 20 के विरुद्ध मामले वापस लेने की घोषणा की है; प्रशासन की विज्ञप्ति BNSS की धारा 360 का हवाला देती है।
अनुच्छेद 44 — समान नागरिक संहिता	नीति निदेशक तत्व के रूप में अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का 'प्रयास करेगा'। विवाह, तलाक़, दत्तक-ग्रहण, वसीयत और उत्तराधिकार समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 में आते हैं; इसलिए संसद और राज्य दोनों इन पर विधि बना सकते हैं। गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 से विरासत में मिली साझा नागरिक संहिता लंबे समय से लागू है; और सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार उत्तराखंड की UCC 27 जनवरी 2025 से लागू हुई; 21वें विधि आयोग के 2018 के पारिवारिक विधि सुधार संबंधी परामर्श-पत्र ने कहा था कि UCC 'इस चरण में न आवश्यक है, न वांछनीय'। बॉम्बे उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.सी. चव्हाण ने महाराष्ट्र की सात-सदस्यीय UCC समिति से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी अध्यक्ष भी न्यायमूर्ति देसाई हैं; ऐसा उसकी 19 सितंबर की बैठक में एक गैर-सदस्य के सलाहकार के रूप में शामिल होने के बाद हुआ, और दो दिन बाद सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को सदस्य-सह-वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त कर दिया गया।
दसवीं अनुसूची — अध्यक्ष की तीन महीने की घड़ी	1985 के 52वें संशोधन से जोड़ी गई दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के तहत अध्यक्ष या सभापति तय करते हैं कि कोई सदस्य दल-बदल के कारण अयोग्य हुआ है या नहीं। किहोतो होलोहन (1992) ने यह शक्ति बरकरार रखी, पर निर्णय को न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन कर दिया। Keisham Meghachandra Singh v. Speaker, Manipur Legislative Assembly (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अयोग्यता याचिकाओं का निपटारा सामान्यतः तीन महीने में होना चाहिए, और सुझाव दिया कि संसद अध्यक्ष के स्थान पर एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण पर विचार करे। अब NCPI के साथ खड़े 20 बागी सांसदों के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका सुनते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने माना कि तीन महीने बीत चुके हैं, पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के लिए समय-सीमा तय करने से इनकार किया; न्यायमूर्ति

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
	जॉयमाल्य बागची ने अध्यक्ष की भूमिका को 'उभयचर' कहा — सदन के पीठासीन अधिकारी भी और दसवीं अनुसूची के तहत न्यायाधिकरण भी।
धारा 17A, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 से जोड़ी गई धारा 17A किसी भी पुलिस अधिकारी को लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिश या लिए गए निर्णय से जुड़े अपराध की जाँच या अन्वेषण करने से रोकती है, जब तक उस लोक सेवक को हटाने में सक्षम सरकार या प्राधिकारी की पूर्व अनुमति न हो। अनुचित लाभ लेते या लेने का प्रयास करते मौके पर गिरफ्तारी होने पर अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इंडियन एक्सप्रेस बताता है कि धारा 17A पर इस वर्ष की शुरुआत में आया खंडित फ़ैसला बड़ी पीठ को भेजा गया, ठीक वैसे ही जैसे कर्नाटक हिजाब मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ का अक्टूबर 2022 का खंडित फ़ैसला भेजा गया था, और हिजाब वाला संदर्भ चार वर्ष बाद भी लंबित है।
धारा 77, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 — चुनाव व्यय	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 हर उम्मीदवार से नामांकन से परिणाम की घोषणा तक चुनाव व्यय का अलग और सही हिसाब रखने की अपेक्षा करती है, जो निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 90 के तहत तय सीमा के भीतर हो: बड़े राज्यों में लोकसभा सीट के लिए ₹95 लाख और विधानसभा सीट के लिए ₹40 लाख। सीमा पार करना धारा 123(6) के तहत भ्रष्ट आचरण है। धारा 77(1) का स्पष्टीकरण 1 दल के नेताओं (स्टार प्रचारकों) के यात्रा-व्यय को बाहर रखता है, कोई विधि यह सीमित नहीं करती कि स्वयं राजनीतिक दल कितना खर्च करे, और जो उम्मीदवार 30 दिनों के भीतर ज़िला निर्वाचन अधिकारी के पास हिसाब जमा नहीं करता (धारा 78), उसे धारा 10A के तहत तीन वर्ष के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। निर्वाचन आयोग को दी गई भाजपा की व्यय रिपोर्टें दिखाती हैं कि उसने मई में संपन्न पाँच विधानसभा चुनावों पर ₹529.38 करोड़ खर्च किए, जिनमें से ₹286 करोड़ पश्चिम बंगाल में।
प्रपत्र 6 और धारा 31, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950	प्रपत्र 6, अर्थात् निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने का आवेदन, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules) द्वारा निर्धारित है। केंद्र ये नियम निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 के तहत बनाता है, इसलिए प्रपत्र बदलने का अर्थ नियमों में संशोधन है — यही बात निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी ने मई में फ़ाइल पर दर्ज की थी। 1950 के अधिनियम की धारा 31 निर्वाचक नामावली से संबंधित झूठी घोषणा को एक वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडनीय बनाती है। दिल्ली के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में मसौदा नामावली से छूटे 47.56 लाख नामों के मुकाबले 31 अगस्त से 22 सितंबर के बीच नाम शामिल करने के 1,06,937 दावे दायर हुए, और प्रपत्र 6 में अब भी यह घोषणा है कि आवेदक 'पहली बार' आवेदन कर रहा है।
अर्हता तिथियाँ — धारा 14, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950	निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 के बाद से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14(b) वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ देती है: 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। इसलिए 18 वर्ष का होने वाले व्यक्ति को पंजीकरण के लिए अब एक वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, जैसा तब होता था जब केवल 1 जनवरी ही कट-ऑफ थी। धारा 21 हर आम चुनाव से पहले और किसी भी वर्ष जब निर्वाचन आयोग निर्देश दे, नामावली के पुनरीक्षण का प्रावधान करती है, और धारा 21(3) उसे 'जैसा वह उचित समझे' उस रीति से विशेष पुनरीक्षण का आदेश देने देती है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार 2024 के चक्र के बाद से कोई वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण नहीं हुआ है, जिससे 1958 से चली आ रही परिपाटी टूटी है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्त इसे फिर शुरू करने पर सहमत नहीं हो पाए हैं।
भारतीय विधिज्ञ परिषद — अधिवक्ता अधिनियम, 1961	भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India, BCI) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है। इसके सदस्य महान्यायावादी और महाधिवक्ता (पदेन) तथा हर राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा चुना गया एक सदस्य होते हैं। धारा 7(1)(h) के तहत BCI विश्वविद्यालयों और राज्य विधिज्ञ परिषदों से परामर्श करके विधि-शिक्षा को बढ़ावा देती है और उसके मानक तय करती है; धारा 7(1)(i) के तहत यह उन विश्वविद्यालयों को मान्यता देती है जिनकी विधि-उपाधि अधिवक्ता के रूप में नामांकन के योग्य बनाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने BCI-PEARL ट्रस्ट और गोवा के इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च को चुनौती देने वाली याचिका पर विधि-शिक्षा पर BCI के अधिकार की जाँच करने पर सहमति दी है; पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि BCI पाठ्यक्रम की अवधि जैसे सामान्य मानक तय कर सकती है, पर विधि-शिक्षा की बारीकियाँ निर्धारित नहीं कर सकती।
आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025	आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (Immigration and Foreigners Act) ने विदेशियों के प्रवेश, ठहराव और निकास पर चार पुराने कानूनों की जगह एक संहिता बनाई: पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939, विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 और आप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000। अधिनियम की धारा 21 अनधिकृत प्रवेश को और धारा 23 वीज़ा अवधि से अधिक ठहरने तथा सामान्य उल्लंघनों को दंडनीय बनाती है; ज़मीनी स्तर पर विदेशियों का पंजीकरण विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) करते हैं। दिल्ली के राउज़ एवेन्यू परिसर की एक विशेष अदालत ने म्यांमार के जातीय सशस्त्र समूहों से जुड़े कथित सीमापार षड्यंत्र में मार्च में NIA द्वारा गिरफ्तार छह यूक्रेनी नागरिकों को डिफ़ॉल्ट ज़मानत दी है, और धारा 21 व 23 के आरोपों से उन्हें मुक्त किया है क्योंकि FRRO ने उन अपराधों का शमन (compounding) कर दिया था।
CSR — धारा 135, कंपनी अधिनियम, 2013	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 उस हर कंपनी पर लागू होती है जिसकी निवल संपत्ति ₹500 करोड़ या अधिक, कारोबार ₹1,000 करोड़ या अधिक, या शुद्ध लाभ ₹5 करोड़ या अधिक हो। ऐसी कंपनी को बोर्ड द्वारा अनुमोदित CSR नीति के तहत पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2%

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
	अनुसूची VII में सूचीबद्ध गतिविधियों पर खर्च करना होता है। 2019 के संशोधन के बाद से बिना खर्च हुई राशि अनुसूची VII में सूचीबद्ध किसी कोष में, या चालू परियोजनाओं के लिए 'अव्ययित CSR खाते' में, भेजनी पड़ती है, जिससे पुराना 'पालन करो या कारण बताओ' नियम एक बाध्यकारी दायित्व बन गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा मामले में रायपुर की विशेष अदालत में अपनी पहली अभियोजन शिकायत में प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने 2021 की राज्य सेवा परीक्षा में एक व्यवसायी के बेटे और बहू को लाभ पहुंचाने के बदले ₹45 लाख लिए, जिन्हें उनके नियंत्रण वाली एक संस्था को CSR निधि के रूप में दिखाया गया।
वार्षिक आम बैठक — धारा 96 और 97, कंपनी अधिनियम, 2013	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर हर कंपनी से हर वर्ष वित्त वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर वार्षिक आम बैठक (AGM) करने की अपेक्षा करती है, और दो AGM के बीच 15 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता; पहली AGM को छोड़कर कंपनी रजिस्ट्रार समय-सीमा तीन महीने तक बढ़ा सकता है। चूक होने पर धारा 97 किसी सदस्य के आवेदन पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) को AGM बुलाने या बुलवाने और उसके संचालन के निर्देश देने की शक्ति देती है, जिसमें यह निर्देश भी शामिल है कि स्वयं या प्रॉक्सी से उपस्थित एक सदस्य को भी बैठक माना जाएगा। टाटा संस की 18 अगस्त की AGM कोरम के अभाव में टल गई, क्योंकि सर दाराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट का संयुक्त नामित व्यक्ति SRTT पर महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के प्रतिबंध लागू रहने तक भाग नहीं ले सकता था। कंपनी को रजिस्ट्रार से तीन महीने का विस्तार मिला है, और वकीलों का कहना है कि वह अब धारा 97 के तहत NCLT जा सकती है।
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 — UPI कौन चलाता है	भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act) भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान प्रणालियों का विनियामक और पर्यवेक्षक बनाता है, जो यह काम भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड के माध्यम से करता है; RBI की अनुमति के बिना कोई भुगतान प्रणाली नहीं चला सकता। 2008 में RBI और भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रवर्तित गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) UPI चलाता है, जो 2016 में शुरू हुआ। 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) UPI भुगतानों पर 0.4% की मर्चेन्ट डिस्काउंट दर (MDR) लगेगी, जो 2020 के बाद UPI पर पहला ऐसा शुल्क है। ET के अनुसार यह शुल्क संभवतः 40% भुगतानकर्ता के (जारीकर्ता) बैंक, 30% व्यापारी के (अधिग्रहणकर्ता) बैंक, 20% भुगतान गेटवे और 10% UPI ऐप में बँटेगा।
आयकर अधिनियम, 2025 — अनिवासी से संपत्ति खरीदने पर TDS	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत गठित, प्रत्यक्ष करों का प्रशासन करता है। 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेने वाला आयकर अधिनियम, 2025 पुराने 'पिछला वर्ष' और 'निर्धारण वर्ष' के स्थान पर एक ही 'कर वर्ष' का प्रयोग करता है। पुराने कानून में किसी निवासी से संपत्ति खरीदने वाला निवासी PAN-आधारित प्रपत्र से TDS काटता था (धारा 194-IA), पर अनिवासी से खरीदने वाला धारा 195 के तहत कर काटता था और उसे कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (TAN) लेनी पड़ती थी। CBDT ने आयकर नियम, 2026 में संशोधन किया है ताकि 1 अक्टूबर 2026 से अनिवासियों से अचल संपत्ति खरीदने वाले निवासी व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) 2025 के अधिनियम की धारा 393(2) के तहत TDS को नई अनुसूची E वाले प्रपत्र 141 में PAN-आधारित चालान-सह-विवरण से जमा और रिपोर्ट कर सकें, TAN लिए बिना।
IBC के तहत परिसमापन — हितधारकों की सूची	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI), दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत 1 अक्टूबर 2016 को स्थापित, दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं का विनियमन करता है और संहिता के तहत विनियम बनाता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी कंपनियों और LLP के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (धारा 60) और व्यक्तियों तथा साझेदारी फ़र्मों के लिए ऋण वसूली अधिकरण है। जब धारा 33 के तहत किसी कंपनी के परिसमापन का आदेश होता है, तो परिसमापक दावों का सत्यापन करके हितधारकों की सूची बनाता है, जो तय करती है कि किसके दावे मान्य होंगे और परामर्श में कौन भाग लेगा। बुधवार से प्रभावी एक राजपत्र अधिसूचना से IBBI ने परिसमापक को अतिरिक्त जानकारी मिलने पर इस सूची की किसी प्रविष्टि में बदलाव की अनुमति दी है, बशर्ते 30 दिनों के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सूचित किया जाए; पहले परिसमापक को पहले NCLT में आवेदन करना पड़ता था।
म्यूचुअल फंड की विदेशी निवेश सीमा — FEMA, 1999	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (FERA) की जगह लेने वाले विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) की धारा 6 के तहत विदेश में निवेश सहित पूंजी खाता लेनदेन का विनियमन RBI केंद्र सरकार से परामर्श करके करता है। अलग से, उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत निवासी व्यक्ति हर वित्त वर्ष में 2,50,000 डॉलर तक विदेश भेज सकते हैं। भारतीय म्यूचुअल फंडों का विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश RBI द्वारा तय उद्योग-व्यापी सीमा के अधीन है, और SEBI अलग-अलग फंड हाउसों को सीमाएँ आवंटित करता है। उद्योग ने अपनी पूरी 7 अरब डॉलर की सीमा इस्तेमाल कर ली है, इसलिए फंड हाउस अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज-ट्रैडेड फंडों की नई यूनितें नहीं बना सकते, और ET बताता है कि ये फंड अपने अंतर्निहित पोर्टफोलियो के मूल्य से काफ़ी ऊपर कारोबार कर रहे हैं।
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 — 'प्रतिषिद्ध माल'	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2(33) 'प्रतिषिद्ध माल' (prohibited goods) को ऐसे माल के रूप में परिभाषित करती है जिसका आयात या निर्यात इस अधिनियम या किसी अन्य लागू विधि के तहत प्रतिबंधित हो, सिवाय उस माल के जिसके अनुमत आयात या निर्यात की शर्तें पूरी हो चुकी हों। धारा 11 केंद्र को मानव स्वास्थ्य की रक्षा सहित अनेक प्रयोजनों के लिए आयात और निर्यात प्रतिबंधित करने की

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
	शक्ति देती है। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत औषधियों के आयात और बिक्री के लिए लाइसेंस चाहिए, और भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी हैं। न्यायमूर्ति सुमन श्याम और अद्वैत सेठना की बॉम्बे उच्च न्यायालय की पीठ ने मुंबई हवाई अड्डे की ड्यूटी-फ्री दुकानों पर आयातित निकोटीन पाउच 'Zyn' और 'Fox' की बिक्री पर लाइसेंस के अभाव में औषधि महानियंत्रक का प्रतिबंध बरकरार रखा है, यह मानते हुए कि भंडारण या पुनर्निर्यात के लिए आयातित माल भी घरेलू विधि से मुक्त नहीं है।
पवन ऊर्जा — 100 GW और 400 GW के लक्ष्य-चिह्न	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पवन ऊर्जा का नोडल मंत्रालय है, और चेन्नई स्थित राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान पवन संसाधनों के आकलन के लिए उसकी तकनीकी संस्था है; भारत ने 2015 में राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति अधिसूचित की थी। भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC, 2022) 2030 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से करने की प्रतिबद्धता करता है। सुजलान के सह-संस्थापक गिरीश तांती कहते हैं कि उद्योग 2030 तक 100 GW पवन ऊर्जा के सरकारी लक्ष्य की ओर मोटे तौर पर सही रास्ते पर है, और अगले चरण का लक्ष्य 2047 तक 400 GW होना चाहिए। पर वे चेताते हैं कि ग्रिड नई उत्पादन क्षमता से पीछे चल रहा है और ग्रिड की बाधाओं के कारण नवीकरणीय बिजली में कटौती (curtailment) हो रही है।
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट — CAQM अधिनियम, 2021	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 ने एक वैधानिक आयोग बनाया, जिसने सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर 1998 में गठित पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण की जगह ली। आयोग पूरे NCR और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में बाध्यकारी निर्देश दे सकता है, और अधिनियम की धारा 14 उसके आदेशों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बने पर्यावरण (निर्माण और विध्वंस) अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2025 ने निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट पर 2016 के नियमों की जगह ली। गुरुग्राम नगर निगम ने आदेश दिया है कि जब तक ऑनलाइन रसीद यह न दिखाए कि मलबा उसके बसई संयंत्र में जमा किया गया, कोई अधिभोग या पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं होगा; 20,000 वर्ग मीटर या उससे बड़ी परियोजनाएँ 30 दिनों में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना देंगी; और इमारतों में पुनर्चक्रित सामग्री 2026 के 5% से बढ़कर 2030 तक 25% होगी; गंभीर उल्लंघन धारा 14 के तहत अभियोजन के लिए CAQM को भेजे जाएंगे।
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य और घड़ियाल	1979 में घोषित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य चंबल नदी के किनारे तीन राज्यों — राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश — में फैला संरक्षित क्षेत्र है। इसे मुख्य रूप से घड़ियाल (Gavialis gangeticus) को बचाने के लिए बनाया गया, जो मछली खाने वाला मगरमच्छ-वर्गीय जीव है, IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूचीबद्ध है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में संरक्षित है; यह गंगा नदी डॉल्फिन और मीठे पानी के कछुओं को भी आश्रय देता है। चंबल मध्य प्रदेश में महू के पास विन्ध्य श्रेणियों से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है। अभयारण्य में अवैध रेत खनन पर अपने स्वतः संज्ञान मामले में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की सर्वोच्च न्यायालय पीठ ने वन रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत की मौत का संज्ञान लिया, जिन्हें राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले में अवैध रूप से खोदी गई मिट्टी ले जा रहे डंपर ने कुचल दिया; पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में निवारक निरोध का प्रयोग होना चाहिए और मामला 6 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया; राजस्थान ने अदालत को बताया कि इस घटना का अभयारण्य से कोई संबंध नहीं है।
घरेलू पर्यटन व्यय सर्वेक्षण — सांख्यिकी मंत्रालय	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय घरेलू पर्यटन व्यय सर्वेक्षण जैसे पारिवारिक सर्वेक्षण करता है, जो उद्देश्य के अनुसार यात्राओं और व्यय को मापता है। इसके अनुमान पर्यटन उपग्रह खाते (Tourism Satellite Account) में जाते हैं, जो GDP में पर्यटन के योगदान को मापने की मानक पद्धति है; पिछला घरेलू पर्यटन सर्वेक्षण जुलाई 2014 से जून 2015 तक हुआ था। जुलाई 2025 से जून 2026 तक 2.46 लाख परिवारों में किए गए नए सर्वेक्षण के अनुसार रात्रि-ठहराव वाली यात्राओं का सबसे बड़ा एकल उद्देश्य तीर्थयात्रा और धार्मिक यात्रा है। MoSPI सावधान करता है कि परिणाम 2014-15 से पूरी तरह तुलनीय नहीं हैं, क्योंकि पिछला सर्वेक्षण धार्मिक यात्राओं के बारे में पिछले 30 दिनों का पृच्छता था, जबकि नया पिछले 365 दिनों का पृच्छता है।
नाउरु अब नाओरो	नाउरु, माइक्रोनेशियाई प्रशांत क्षेत्र में लगभग 21 वर्ग किमी का एक उठा हुआ प्रवाल द्वीप, दुनिया के सबसे छोटे गणराज्यों में से एक है। यह पहले जर्मन उपनिवेश और फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और ब्रिटेन की ओर से ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रशासित न्यास क्षेत्र रहा, 1968 में स्वतंत्र हुआ और 1999 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ; इसकी अर्थव्यवस्था लंबे समय तक फ़ॉस्फेट खनन पर टिकी रही। राष्ट्रपति डेविड अडोयांग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में कहा कि देश अपने नाम और उच्चारण 'नाओरो' (Naoero) पर लौट रहा है; उसका अंतरराष्ट्रीय कोड NRU से बदलकर NRO होगा, और उसके लोग 'नाउरुअन' के बजाय 'देई-नाओरो' कहलाएंगे।
WHO — सदस्यता और वापसी	विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ, जिसे अब विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिनेवा में बैठक करने वाली सभी सदस्य देशों की विश्व स्वास्थ्य सभा इसकी सर्वोच्च संस्था है और कार्यकारी बोर्ड के नामांकन पर महानिदेशक की नियुक्ति करती है। संविधान में वापसी का कोई खंड नहीं है, पर अमेरिका 1948 में इस आरक्षण के साथ शामिल हुआ था कि वह अपना बकाया चुकाकर एक वर्ष के नोटिस पर हट सकता है। कोविड-19 से निपटने के तरीके को लेकर जनवरी 2026 में औपचारिक हुई अमेरिकी वापसी से WHO ने अपना सबसे बड़ा ऐतिहासिक दाता खो दिया, जिसने 2022-23

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
	में 1.284 अरब डॉलर दिए थे; महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस अब कहते हैं कि अमेरिका की वापसी 'बस समय की बात' है।
गोलन पहाड़ियाँ	इजराइल ने 1967 के युद्ध में सीरिया से गोलन पहाड़ियाँ छीनीं और 1981 में उनका विलय कर लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 497 (1981) ने इस विलय को 'अमान्य, शून्य और अंतरराष्ट्रीय विधिक प्रभाव से रहित' घोषित किया, और संयुक्त राष्ट्र तथा अधिकांश देश इस क्षेत्र को कब्जे वाली सीरियाई भूमि मानते हैं। 1974 में गठित संयुक्त राष्ट्र पृथक्करण पर्यवेक्षक बल (UNDOF) इजराइली और सीरियाई सेनाओं के अलगाव की निगरानी करता है, और भारतीय सैनिक इसमें सेवा दे चुके हैं। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि 'गोलन सीरियाई भूमि ही रहेगा', और बताया कि लगभग दो वर्ष पहले उनके सत्ता संभालने के बाद से इजराइल सीरिया पर 500 से अधिक हवाई और तोपखाना हमले कर चुका है।
बद्रीनाथ और ज्योतिर्मठ	उत्तराखंड के चमोली ज़िले में अलकनंदा के तट पर स्थित बद्रीनाथ भगवान विष्णु को बद्रीनारायण रूप में समर्पित है। यह उत्तराखंड की चार धाम यात्रा (यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के साथ) के चार मंदिरों में से एक है, और द्वारका, पुरी तथा रामेश्वरम के साथ अखिल भारतीय तीर्थयात्रा के चार धामों में भी शामिल है। बद्रीनाथ के पास स्थित ज्योतिर्मठ परंपरा से आदि शंकराचार्य से जोड़े जाने वाले चार प्रमुख मठों में से एक है; अन्य हैं दक्षिण में शृंगेरी, पश्चिम में द्वारका और पूर्व में पुरी। बद्रीनाथ मंदिर के पास ट्रिस्ट अराइवल प्लाज़ा में 19-20 सितंबर को हुए दो दिवसीय उत्सव की, जिसे अधिकारियों के अनुसार सेना ने अपने सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित किया, संगीत-समारोह जैसे 'भजन जैमिंग' सत्र को लेकर आलोचना हुई है; ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने कहा कि भगवान विष्णु के ध्यान में बाधा न पड़े, इसलिए इस क्षेत्र में शंख बजाना तक वर्जित है।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 24 सितंबर 2026 से ली गई है, जहां संकेतित हैं वहां आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरक। तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

11. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 • निबंध • खंड A • 6 मिनट पठन (min read)

अंपायर पर भरोसा इसलिए नहीं किया जाता कि वह सदा सही होता है, बल्कि इसलिए कि वह किसी पक्ष का नहीं होता।

विषय (Themes): संस्थाएं • नीतिशास्त्र • संवैधानिक मूल्य

नवंबर 1986 में पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने एक ऐसा प्रयोग किया जो टेस्ट क्रिकेट ने दशकों से नहीं देखा था। वे यह सुन-सुनकर थक चुके थे कि उनकी टीम की घरेलू जीतें घरेलू अंपायरों की देन हैं। इसलिए उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध लाहौर टेस्ट में अंपायरिंग के लिए दो भारतीय अंपायरों, पीलू रिपोर्टर और वी.के. रामास्वामी, को आमंत्रित किया। पाकिस्तानी अंपायरों की बेईमानी कभी सिद्ध नहीं हुई थी; पर असल मुद्दा यह था ही नहीं। घरेलू अंपायर सही निर्णय देकर भी अविश्वसनीय बना रह सकता था, क्योंकि हारने वाला पक्ष हमेशा कह सकता था कि वह तो दूसरी टीम का आदमी है। 1994 तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (International Cricket Council) ने हर टेस्ट में एक तटस्थ अंपायर अनिवार्य कर दिया, और 2002 से दोनों। अंपायरिंग अचानक बेहतर नहीं हो गई थी; बदली थी हारने वाले की उसे स्वीकार करने की तत्परता।

इस सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने भी यही उपमा उठाई। 2023 के उस कानून की पड़ताल करते हुए, जिसके तहत प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता मिलकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का चयन करते हैं, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने लिखा कि जब अंपायर को एक पक्ष का कप्तान चुनता है, तो “ऐसे अंपायर के निर्णय सही होने पर भी उन पर संदेह की परत चढ़ी रहती है।” और उन्होंने जोड़ा: “निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र होना पर्याप्त नहीं है, उसे स्वतंत्र दिखाना भी चाहिए।” किसी निर्णायक का अधिकार इस पर नहीं टिका होता कि वह सदा सही हो, बल्कि हारने वाले के इस विश्वास पर टिका होता है कि फ़ैसला ऐसे व्यक्ति ने दिया जिसका परिणाम में कोई दांव नहीं था। यह निबंध तर्क देता है कि यह विश्वास स्वतंत्रता का ही अंग है, उस पर चढ़ाया गया कोई अलंकरण नहीं; कि यह तीन दिखाई देने वाली बातों पर टिका है: निर्णायक का चयन कैसे होता है, संस्था के भीतर असहमति खुलकर कही जा सकती है या नहीं, और निर्णयों के कारण खुले तौर पर बताए जाते हैं या नहीं; और यह कि इनमें सबसे अधिक उजागर करने वाली कसौटी दूसरी है।

कानून ने यह सबक बहुत पहले सीख लिया था। 1999 में हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स (House of Lords) ने पिनोशे प्रत्यर्पण की कार्यवाही में अपना ही एक निर्णय रद्द कर दिया, क्योंकि उसके एक न्यायाधीश, लॉर्ड हॉफ़मैन, एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े एक धर्मार्थ संगठन के निदेशक थे, और एमनेस्टी ने उस मामले में हस्तक्षेप किया था। किसी ने यह आरोप नहीं लगाया कि वे वास्तव में पक्षपाती थे; इतना ही पर्याप्त था कि वे एक पक्ष के बहुत निकट खड़े थे। भारतीय कानून भी यही प्रश्न पूछता है। रणजीत ठाकुर बनाम भारत संघ (Ranjit Thakur v. Union of India, 1987) में सर्वोच्च न्यायालय ने एक कोर्ट मार्शल को रद्द कर दिया, जिसमें वही कमांडिंग अफ़सर बैठा था जिसकी शिकायत उस सैनिक ने की थी। न्यायालय ने कहा कि कसौटी यह है कि क्या किसी विवेकशील व्यक्ति के मन में पक्षपात की आशंका उठेगी, न कि यह कि पक्षपात सिद्ध हुआ या नहीं।

जनता को सबसे पहले नियुक्ति दिखाई देती है। अनुच्छेद 324(5) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यह संरक्षण देता है कि उन्हें केवल उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, पर सात दशकों तक संसद ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जो बताए कि उनका चयन कैसे हो। अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (Anoop Baranwal v. Union of India, 2023) में एक संविधान पीठ ने इस रिक्तता को प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की एक समिति से भरा। 2023 के अधिनियम ने मुख्य न्यायाधीश की जगह एक कैबिनेट मंत्री को बिठा दिया। संसद को कानून बनाने का अधिकार था, पर जिस समिति के तीन में से दो सदस्य एक ही मंत्रिमंडल में बैठते हों, वह जनता के प्रश्न का सबसे कमज़ोर संभव उत्तर देती है।

दूसरा संकेत अधिक सूक्ष्म है। जो निकाय कभी असहमत होता दिखाई ही न दे, वह यह सिद्ध नहीं कर सकता कि वह विचार-विमर्श करता है। तालमुद में एक चौंकाने वाला नियम दर्ज है: यदि मृत्युदंड वाले किसी मामले में सैनहेड्रिन (Sanhedrin) के सभी न्यायाधीश दोषसिद्धि के पक्ष में मत देते, तो अभियुक्त छोड़ दिया जाता, क्योंकि जिस न्यायालय में किसी ने उसके पक्ष में तर्क ही नहीं दिया, उसने मामले को सचमुच तौला ही नहीं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 145(5) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के असहमति व्यक्त करने के अधिकार को बनाए रखता है, और असहमतियां ही वह माध्यम हैं जिनसे कोई न्यायालय अपने भविष्य से बहस करता है: खडक सिंह

(Kharak Singh, 1962) में न्यायमूर्ति सुब्बा राव का यह एकाकी मत कि निजता दैहिक स्वतंत्रता का अंग है, पचपन वर्ष बाद पुट्टस्वामी (Puttaswamy) में सही सिद्ध हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (RBI Act) की धारा 45ZL के तहत मौद्रिक नीति समिति के प्रकाशित कार्यवृत्त में हर सदस्य का मत और वक्तव्य दर्ज होता है। अल्पमत का खुलकर दिखाई देने वाला मत रिज़र्व बैंक को कमज़ोर नहीं करता; वह बाज़ारों को बताता है कि सोचने वाला एक व्यक्ति नहीं, छह लोग हैं।

इसीलिए निर्वाचन आयोग में चल रहे मौजूदा विवाद का महत्व है। समाचारों के अनुसार दो निर्वाचन आयुक्तों ने दस महीनों में कम से कम चौदह बार आपत्तियां दर्ज कीं, यह कहते हुए कि आयोग के नाम पर उनकी जानकारी के बिना निर्णय लिए गए। आयोग का उत्तर है कि “किसी भी संस्था में विचार-विमर्श के दौरान भिन्न मत और टिप्पणियां सामान्य बात हैं” और उसके निर्णय सर्वसम्मति थे; सत्तारूढ़ दल इसमें जोड़ता है कि यदि तीनों आयुक्त केवल “हां, हां” कहते, तो विपक्ष तानाशाही का शोर मचाता। दोनों का यह कहना सही है कि असहमति स्वस्थ है, और दोनों ही उसका प्रयोजन चूक जाते हैं। असहमति तभी भरोसा जगाती है जब उसे सुना जाए, उसका उत्तर दिया जाए और समय आने पर उसे सार्वजनिक किया जाए; 2023 का अधिनियम स्वयं यह प्रावधान करता है कि यथासंभव सर्वसम्मति हो, और सदस्यों में मतभेद होने पर बहुमत से निर्णय हो। दर्ज आपत्तियों के ऊपर से घोषित की गई सर्वसम्मति किसी को आश्वस्त नहीं करती। 2019 में जब निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा ने मांग की कि आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) से जुड़ी शिकायतों पर उनकी असहमति आयोग के आदेशों में दर्ज की जाए, तो बहुमत ने उसे फ़ाइलों तक सीमित रखा। फ़ाइलों ने असहमति को सहेज लिया; जनता के हाथ से प्रमाण निकल गया।

असहमति केवल बाहर वालों के लिए संकेत भर नहीं है; यही वह तरीका है जिससे संस्थाएं भूलों से बचती हैं। ‘विक्टिम्स ऑफ़ ग्रुपथिंक’ (Victims of Groupthink, 1972) में इरविंग जैनिस ने दिखाया कि राष्ट्रपति कनेडी के सलाहकार 1961 में ‘बे ऑफ़ पिग्स’ की विफलता की ओर इसलिए फिसलते चले गए, क्योंकि सहमति को सर्वोपरि मानने वाले उस कमरे में संदेह करने वाले चुप रहे; अटारह महीने बाद क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान कनेडी कुछ बैठकों से दूर रहे, ताकि उनके सलाहकार खुलकर बहस कर सकें। 1986 में जिन इंजीनियरों ने चेतावनी दी थी कि टंड में चैलेंजर यान की सीलें विफल हो सकती हैं, उनकी राय दरकिनार कर दी गई, और सात अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई। जांच रिपोर्ट में जोड़े गए रिचर्ड फ़ाइनमैन के परिशिष्ट की अंतिम पंक्ति है: “किसी सफल प्रौद्योगिकी के लिए वास्तविकता को जनसंपर्क से ऊपर रखना होगा, क्योंकि प्रकृति को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता।”

विरोधी पक्ष की भी निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। धारणा को हथियार भी बनाया जा सकता है। हारने वाले पक्ष सदा से अंपायर को दोष देते आए हैं, और जो धारणा-कसौटी सबसे ऊंची आवाज़ वाले पक्षधर के आगे झुक जाए, वह हर पराजित दल को हर परिणाम पर कीचड़ उछालने की छूट दे देगी। असहमति पंगु भी बना सकती है: 1958 से होता आ रहा वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण (summary revision), जिसके ज़रिए अटारह वर्ष के युवा मतदाता सूची में जुड़ते हैं, समाचारों के अनुसार अब तक फिर से शुरू नहीं हुआ है, और लगभग पचास अधिकारियों की मूल्यांकन रिपोर्टें अटकी पड़ी हैं, क्योंकि तीनों आयुक्त एक साथ हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे। और यह कसौटी दोधारी है: जिस कॉलेजियम का न्यायमूर्ति दत्ता ने इस सप्ताह बचाव किया, उसकी बहुत से लोग “न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति” कहकर आलोचना करते हैं।

ये आपत्तियां तर्क को और धारदार बनाती हैं; उसे परास्त नहीं करतीं। सही कसौटी वही है जो हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स ने पोर्टर बनाम मैगिल (Porter v. Magill, 2001) में तय की थी: किसी निष्पक्ष और जानकार पर्यवेक्षक का दृष्टिकोण, सबसे क्रुद्ध दर्शक का नहीं। स्वतंत्र दिखना ढांचे से उपजना चाहिए, जनसंपर्क से नहीं: ऐसे निकाय द्वारा चयन जिस पर किसी एक पक्ष का नियंत्रण न हो, सुरक्षित कार्यकाल, असहमति दर्ज कराने का ऐसा अधिकार जिसे एक उचित अंतराल के बाद सार्वजनिक किया जाए, और हर बड़े निर्णय के साथ उसके कारणों का प्रकाशन। पंगुता असहमति से नहीं, निर्णय न ले पाने से आती है, और कानून में इसका उपचार पहले से मौजूद है: बहुमत का मत, जिसे बहुमत के मत के रूप में ही दर्ज किया जाए। खुलेपन का जो मानदंड मंत्रिमंडल पर लागू हो, वही कॉलेजियम पर भी लागू होना चाहिए।

क्रिकेट एक अंतिम सबक भी देता है। 2008 में जब किसी टेस्ट में पहली बार निर्णय समीक्षा प्रणाली (Decision Review System) का प्रयोग हुआ, तो बहुतों को डर था कि खिलाड़ियों को कैमरे के सामने अंपायरों को चुनौती देने की छूट उनका अधिकार नष्ट कर देगी। ऐसा नहीं हुआ। आज अंपायरों के निर्णय सबके सामने पलटे जाते हैं, फिर भी उन्हें स्वीकार करना पहले से आसान हो गया है, क्योंकि सब देख सकते हैं कि गलत निर्णय सुधारा जा सकता है। किसी गणराज्य के अंपायर भी इससे भिन्न नहीं हैं। मतदाताओं को ऐसा निर्वाचन आयोग नहीं चाहिए जो कभी गलत न हो। उन्हें ऐसा आयोग चाहिए जो किसी पक्ष का न हो, अपने सदस्यों को असहमत होने दे और यह दिखाए कि वह अपने निर्णय तक कैसे पहुंचा, ताकि हारने वाला कप्तान भी इस विश्वास के साथ मैदान से लौटे कि खेल निष्पक्ष था।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards): मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति अधिनियम को संविधान पीठ के पास भेजने पर खंडित फ़ैसला; न्यायमूर्ति दत्ता की “धारणा की कसौटी” (perception test) और कॉलेजियम का उनका बचाव: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही आयोग नहीं है: 2023 के अधिनियम की धारा 18 और निर्वाचन आयुक्तों की असहमति के बाद का दिन

निबंध (ESSAY) 2 • निबंध • खंड B • 6 मिनट पठन (min read)

ज्ञान सबका है; ज्ञान पाने के साधन कुछ ही लोगों के।

विषय (Themes): विज्ञान और प्रौद्योगिकी • अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था • ज्ञान और शक्ति

जनवरी 1913 में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के एक क्लर्क ने, जिसके पास न कोई डिग्री थी, न कोई प्रयोगशाला, सूत्रों से ठसाठस भरा एक पत्र कैम्ब्रिज में जी.एच. हार्डी को भेजा। जे.ई. लिटिलवुड के साथ उसका अध्ययन करने के बाद हार्डी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह पत्र केवल सर्वोच्च कोटि के किसी गणितज्ञ का ही हो सकता है। श्रीनिवास रामानुजन को दुनिया से कागज़, एक डाक टिकट और उनके काम को जांच सकने वाले एक पाठक के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए था। इसीलिए गणित सभी विज्ञानों में सबसे लोकतांत्रिक रहा है। कोई गणितीय प्रमाण (proof) कुंभकोणम में भी उतना ही वैध है जितना कैम्ब्रिज में; पर्याप्त धैर्य रखने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी जांच कर सकता है; और वह जो सिद्ध करता है, वह सबका होता है।

इस वर्ष गणित की सबसे प्रसिद्ध समस्याएं मशीनों के आगे ढहने लगी हैं। इस सप्ताह की खबरों के अनुसार, AI कंपनी Anthropic द्वारा बनाए गए एक मॉडल ने जुलाई में जैकोबियन अनुमान (Jacobian conjecture) का एक प्रति-उदाहरण (counterexample) प्रस्तुत किया; यह अनुमान सत्तासी वर्षों से अडिग खड़ा था। 8 सितंबर को OpenAI ने घोषणा की कि उसके एक आंतरिक मॉडल ने, जिसे अभी जारी नहीं किया गया है, 10,000 स्वायत्त AI एजेंटों को 88 घंटे तक चलाकर नेवियर-स्टोक्स समीकरणों के हलों के अस्तित्व और सुचारुता (existence and smoothness) की समस्या सुलझा ली है, जो क्ले इंस्टीट्यूट की दस लाख डॉलर के पुरस्कार वाली मिलेनियम प्राइज़ समस्याओं (Millennium Prize Problems) में से एक है। इन दावों की अभी जांच चल रही है, और इनमें से एक पर पहले ही विवाद खड़ा हो चुका है। सत्य भले अब भी सबके हों; उन्हें खोजने के साधन अब दो देशों की मुट्ठी भर कंपनियों के हाथ में हैं। जब OpenAI ने 29 जुलाई को घोषणा की कि 1,00,000 वैज्ञानिक, गणितज्ञ और इंजीनियर उसके अग्रणी मॉडलों (frontier models) का निःशुल्क उपयोग कर सकेंगे, तो भारतीय, रूसी और चीनी संस्थान इससे बाहर रखे गए; रिपोर्ट के अनुसार, इसका सबसे संभावित कारण भू-राजनीतिक तनाव थे। और जब राष्ट्रपति ट्रंप वॉशिंगटन में राष्ट्रपति शी की अगवानी कर रहे हैं, इस प्रौद्योगिकी के नियमों पर दो राजधानियां चर्चा कर रही हैं, जबकि शेष विश्व, एक टिप्पणीकार के शब्दों में, “नियम-पालक” (rule-taker) बनकर रह जाने के जोखिम में है।

यह विषय उतने ही पुराने एक तनाव की ओर संकेत करता है जितनी पुरानी स्वयं विद्या है। ज्ञान, एक बार खोज लिए जाने के बाद, साझी संपदा (commons) बनने की ओर झुकता है: उसकी नकल की जा सकती है, और इससे वह घटता नहीं। पर उसे पैदा करने के साधन, चाहे उपकरण हों, धन हो, संस्थाएं हों या अब कंप्यूटिंग शक्ति, कुछ हाथों में सिमटने की ओर झुकते हैं। जब ये दोनों एक-दूसरे से दूर खिसकते हैं, तो ज्ञान उन लोगों पर सत्ता बन जाता है जिनके पास साधन नहीं हैं। यह निबंध तर्क देता है कि यह खाई आज परमाणु युग के बाद किसी भी समय से अधिक चौड़ी है; कि इससे केवल खोज में भारत की हिस्सेदारी ही नहीं, स्वयं ज्ञान का स्वरूप भी संकट में है; और कि इसका उत्तर आक्रोश में नहीं, बल्कि क्षमता-निर्माण में, सत्यापनीयता पर आग्रह में और जहां नियम लिखे जाते हैं वहां अपनी सीट का दावा करने में है।

यह ढर्रा पुराना है। मुद्रण यंत्र ने पुस्तकों को सस्ता कर दिया; लगभग एक सदी बाद चर्च ने अपनी ‘प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची’ (Index of Prohibited Books) जारी की। परमाणु युग ने इस ढर्रे को खुलकर सामने रख दिया। 1968 की परमाणु अप्रसार संधि (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) ने परमाणु-शस्त्र संपन्न राष्ट्र की परिभाषा ऐसे राष्ट्र के रूप में की जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले कोई परमाणु उपकरण विस्फोटित किया हो, और इस तरह उस क्षण की ऊंच-नीच को कानून में जड़ दिया। भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, और 1974 के परीक्षण के बाद उसे नवगठित परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group) और दशकों लंबे प्रौद्योगिकी-निषेध का सामना करना पड़ा। 1998 में जसवंत सिंह ने ‘फॉरेन अफेयर्स’ (Foreign Affairs) में लिखते हुए इस व्यवस्था को परमाणु रंगभेद (nuclear apartheid) कहा। थ्यूसीडिडीज़ ने चौबीस शताब्दियों पहले मेलियन संवाद में इसका तर्क रख दिया था, जिसका भावार्थ है: “बलवान वह करते हैं जो वे कर सकते हैं, और निर्बल वह सहते हैं जो उन्हें सहना पड़ता है।”

नया यह है कि यह केंद्रीकरण अब स्वयं ज्ञान के भीतर तक पहुंच गया है। 1942 में समाजशास्त्री रॉबर्ट के. मर्टन ने विज्ञान के लोकाचार (ethos) को चार मानदंडों के रूप में वर्णित किया था: खोजें साझी संपत्ति हैं; दावों को निर्वैयक्तिक कसौटियों पर परखा जाता है, इस आधार पर नहीं कि उन्हें कौन कर रहा है; वैज्ञानिक निःस्वार्थ होते हैं; और हर दावे को संगठित संशयवाद का सामना करना पड़ता है। मशीनी गणित इनमें से कम से कम दो मानदंडों पर दबाव डालता है। कंपनियां वे प्रॉम्प्ट सार्वजनिक नहीं करतीं जिनसे उनके प्रमाण निकले; हार्वर्ड के एक गणितज्ञ ने शिकायत की कि “वे कुछ परिणामों तक कैसे पहुंचते हैं, इसके इर्द-गिर्द एक हद तक जानबूझकर रहस्य का आवरण रखा गया है”। और ये प्रमाण पढ़ने में कठिन हैं। ब्रिस्टल के संख्या-सिद्धांतकार एंड्रयू बुकर कहते हैं कि यह AI “कभी-कभी किसी परग्रही की तरह लिखता है”, और कोलंबिया विश्वविद्यालय के माइकल हैरिस एक ऐसे दुःस्वप्न का वर्णन करते हैं जिसमें कोई

मशीन रीमान परिकल्पना (Riemann hypothesis) का एक अबूझ प्रमाण प्रस्तुत कर देती है और मनुष्यों के पास उसे बस स्वीकार कर लेने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। जिस सत्य को उसे पाने वाले समझ ही न सकें, उसे भरोसे के आधार पर ही मानना पड़ता है, और भरोसा उसी की ओर बहता है जिसके पास मशीन का स्वामित्व है।

प्रतिवाद सशक्त है। विज्ञान सदा कुछ लोगों के हाथ में रहे महंगे उपकरणों पर निर्भर रहा है, और फिर भी ज्ञान फैला। जो कंपनियां कंप्यूटिंग पर अरबों खर्च करती हैं, उनका यह दावा उचित है कि जो उन्होंने बनाया, उस पर उन्हीं का नियंत्रण रहे। अग्रणी AI युद्ध के काम भी आ सकता है और शांति के भी, और उसे प्रतिद्वंद्वियों से दूर रखना पूर्वाग्रह नहीं, विवेक भी हो सकता है, जैसे परमाणु निर्यात नियंत्रण थे। दो महाशक्तियों द्वारा लिखे गए नियम नियमों के न होने से बेहतर हैं: अमेरिका और चीन के बीच यह समझ कि वे दुर्घटनावश आपस में न टकराएं, सबकी रक्षा करती है। और अबूझ प्रमाण कोई नई बात नहीं है। 1976 में जब केनेथ एपल और वोल्फ्रैंग हाकेन ने चार-रंग प्रमेय (four-colour theorem) सिद्ध किया, जिसमें कंप्यूटर ने ऐसी स्थितियों की जांच की जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता था, तो अनेक गणितज्ञ असहज हुए; 2005 में इस प्रमाण का एक प्रूफ असिस्टेंट (proof assistant) में औपचारिक सत्यापन हुआ, और वह असहजता मिट गई। आज के मॉडल प्रमाणों को पहले ही लीन (Lean) में रूपांतरित कर सकते हैं, एक ऐसी भाषा जिसमें मशीन हर चरण की जांच करती है।

ये आपत्तियां यह तो दिखाती हैं कि महंगे साधनों से साझी संपदा का नष्ट होना आवश्यक नहीं। पर वे यह नहीं दिखाती कि साझी संपदा अपने-आप बची रहती है। वह तब बचती है जब साधनों का संचालन साझी संस्थाओं की तरह किया जाए। 1954 से लागू CERN अभिसमय (CERN Convention) कहता है कि इस संगठन का “सैन्य आवश्यकताओं के लिए किए जाने वाले कार्य से कोई सरोकार नहीं होगा” और उसके परिणाम “प्रकाशित किए जाएंगे या अन्य प्रकार से सर्वसुलभ कराए जाएंगे”; भारत 2017 में इसका सहयोगी सदस्य बना। 1996 में जब मानव जीनोम परियोजना (Human Genome Project) के साझेदार बरमूडा में मिले, तो उन्होंने अनुक्रम (sequence) के आंकड़े चौबीस घंटों के भीतर जारी करने पर सहमति दी, जिससे मानव जीनोम को सार्वजनिक क्षेत्र (public domain) में बनाए रखने में मदद मिली। हरित क्रांति भारत तक इसलिए पहुंच सकी क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग ने मेक्सिको में गेहूं की जो किस्में विकसित की थीं, वे सार्वजनिक धन से चलने वाले अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान के माध्यम से साझा की गईं। महत्व उपकरण की लागत का नहीं, उस चार्टर का है जिसके अधीन वह काम करता है।

भारत के लिए इससे तीन कर्तव्य निकलते हैं। पहला है क्षमता। निषेध का सबसे अच्छा उत्तर सदा निर्माण रहा है: C-DAC की स्थापना 1988 में तब हुई जब उन्नत सुपरकंप्यूटर पाना कठिन था, और 1991 में उसका PARAM 8000 आया; जिस कायोजेनिक प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण 1990 के दशक के आरंभ में अमेरिकी दबाव के कारण रूस नहीं कर सका, उसे देश में ही साधा गया और 2014 में वह एक GSLV पर उड़ी। 2024 में ₹10,371.92 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृत इंडिया AI मिशन (India AI Mission) को ऐसी कंप्यूटिंग शक्ति में बदलना होगा जिसका उपयोग किसी राज्य विश्वविद्यालय का शोधार्थी वास्तव में कर सके। दूसरा है सत्यापनीयता। भारतीय अकादमियों को पूरा श्रेय केवल उन्हीं मशीनी प्रमाणों को देना चाहिए जिनकी औपचारिक जांच की जा सके और जिनकी पद्धतियां सार्वजनिक की गई हों, जून 2026 की कृत्रिम बुद्धिमत्ता और गणित पर लाइडेन घोषणा (Leiden Declaration on Artificial Intelligence and Mathematics) की भावना के अनुरूप। तीसरा है आवाज़। एस. जयशंकर ने इस सप्ताह न्यूयॉर्क में कहा कि वैश्विक दक्षिण संकटों की अगली पंक्ति में और निर्णय-प्रक्रिया की पिछली पंक्ति में बैठता है। इस वर्ष ब्रिक्स (BRICS) की अध्यक्षता कर रहा भारत मध्यम शक्तियों को एक साथ लाने में मदद कर सकता है, जिनमें इस सप्ताह अग्रणी AI मॉडलों पर नियंत्रण की नॉर्वे और फिनलैंड की अपील के पीछे खड़े देश भी शामिल हैं, ताकि नियम केवल दो राजधानियों में न लिखे जाएं।

आइज़क न्यूटन ने रॉबर्ट हुक को लिखा था कि यदि वे आगे तक देख पाए, तो वह “दिग्गजों के कंधों पर खड़े होकर” ही संभव हुआ। वे कंधे हर उस व्यक्ति के लिए खुले थे जो पढ़ सकता था। रामानुजन एक क्लर्क की मेज़ से उन पर चढ़ गए, क्योंकि कैम्ब्रिज में बैठा एक अजनबी उनका काम पढ़ने को तैयार था। 2026 के रामानुजन को शायद कागज़ और डाक टिकट से अधिक कुछ चाहिए। उसे कंप्यूटिंग शक्ति, पहुंच और उस कक्ष में एक सीट की ज़रूरत पड़ सकती है जहां नियम बनाए जाते हैं। किसी प्रमेय को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे कौन सिद्ध करता है। किसी राष्ट्र को इसकी परवाह करनी ही चाहिए कि उसे कौन सिद्ध कर सकता है।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards): AI प्रणालियों ने एक मिलेनियम प्राइज़ समस्या और 87 वर्ष पुराना अनुमान सुलझाया; गणितज्ञ बंटे, और भारत अग्रणी मॉडलों की निःशुल्क पहुंच से बाहर; ट्रंप ने शी को मेज़बानी की; अमेरिका-चीन संघर्ष-विराम, AI संवाद और भारत के “नियम-पालक” (rule-taker) बन जाने का जोखिम; संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) सप्ताह में भारत: रुबियो के सामने SRIA पर चिंताएं, “पिछली पंक्ति” में वैश्विक दक्षिण, सुरक्षा परिषद सुधार पर G4, और कश्मीर पर OIC को खारिज करना